



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं
एवं
शहरी स्थानीय निकायों
पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
अध्याय 1		
पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कृत्यों एवं कर्मियों के अन्तरण की स्थिति	1.2	1
राज्य का परिदृश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा प्रणाली	1.4	2
लेखाओं का रख-रखाव	1.5	4
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा	1.6	4
स्थायी समितियाँ	1.7	4
जिला योजना समिति	1.8	5
वित्तीय विवरणिका	1.9	5
सकल प्राप्तियाँ	1.10	7
निधियों का उपयोग	1.11	9
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	1.12	11
निष्कर्ष	1.13	12
अध्याय 2		
पंचायती राज संस्थाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, वृहद् प्रस्तर एवं अनुपालन लेखापरीक्षा		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन	2.1	13
वृहद् प्रस्तर		
तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली	2.2	41
अनुपालन लेखापरीक्षा		
अलाभकारी व्यय	2.3.1	61
अधोमानक सड़क निर्माण के कारण हानि	2.3.2	62
परिहार्य व्यय	2.3.3	63
कपटपूर्ण भुगतान	2.3.4	63

अध्याय 3		
शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	65
राज्य का परिदृश्य	3.2	65
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	3.3	66
वित्तीय विवरणिका	3.4	67
लेखाओं का रख-रखाव	3.5	71
लेखापरीक्षा प्रणाली	3.6	71
मानव संसाधन व्यवस्था	3.7	73
शहरी स्थानीय निकायों को कृत्यों का हस्तान्तरण	3.8	74
जिला योजना समिति का गठन	3.9	76
आन्तरिक नियन्त्रण	3.10	77
निष्कर्ष	3.11	77
अध्याय 4		
शहरी स्थानीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
कानपुर मण्डल के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1	79
अनुपालन लेखापरीक्षा		
निधियों का अवरोधन	4.2.1	118
अलाभकारी व्यय एवं राजस्व हानि	4.2.2	119
अलाभकारी व्यय	4.2.3	120
परिशिष्टियाँ		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	ग्यारहवीं अनुसूची: 29 विषयों की सूची	123
1.2	पंचायती राज संस्थाओं को विषयों के हस्तांतरण की स्थिति	124
1.3	पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा	125
1.4	स्थायी समितियों के कृत्य	127
1.5	स्वयं के स्रोतों से वसूला गया राजस्व	128
1.6	सकल प्राप्तिर्याँ: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समय श्रेणी आँकड़े	129
1.7	निवल आगम की तुलना में निधियों का हस्तान्तरण	130
2.1.1	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के घटक	131
2.1.2	चयनित इकाईयों का विवरण	132
2.1.3	राज्यांश को योजना के बैंक खाते में विलम्ब से जमा किया जाना	134

2.1.4	व्यक्तिगत शौचालयों के लिये उपलब्ध धनराशि का अप्रयुक्त रहना	135
2.1.5	बेसलाईन सर्वेक्षण एवं जनगणना 2011 के प्रतिवेदन के आंकड़ों में भिन्नता	138
2.1.6	नमूना जाँच किये गये जनपदों में वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं में अपर्याप्त नियोजन	139
2.1.7	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की भौतिक प्रगति	140
2.1.8	निष्क्रिय शौचालयों की स्थिति	141
2.1.9	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत चयनित ग्राम	142
2.1.10	कन्वर्जेंस में विलम्ब के कारण व्यक्तिगत शौचालयों का अपूर्ण रहना	143
2.1.11	ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये ऋणों का विवरण	144
2.1.12	राज्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु उपलब्ध एवं व्यय धनराशि का विवरण	145
2.1.13	ग्राम पंचायतों में किये गये निरीक्षण का विवरण	146
2.2.1	नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण	147
2.2.2	भूमि का अतिक्रमण	149
2.3.1	ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर परिहार्य व्यय का विवरण	150
2.3.2	कपटपूर्ण भुगतान का विवरण	151
3.1	राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण	152
3.2	शहरी स्थानीय निकायों के कार्य	153
4.1.1	कानपुर मण्डल के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों का विवरण	154
4.1.2	कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था को विलम्ब से अवमुक्त धनराशियों का विवरण	155
4.1.3	वर्ष 2013-14 के अन्त तक असमायोजित अग्रिम की स्थिति का विवरण	156
4.1.4	वर्ष 2009-14 की अवधि में कर/करेक्टर वसूली का विवरण	157
4.1.5	अप्राप्त अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विवरण	158
4.1.6	लाईसेन्स शुल्क के अन्तर्गत 39 मदों की सूची	159
4.1.7	मूल एवं पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विवरण	160
4.1.8	वर्ष 2009-10 हेतु बजट एवं वार्षिक लेखों के आँकड़ों में अन्तर	161
4.1.9	बैंक खाते खोलने एवं बन्द किये जाने का विवरण	162
4.1.10	रोकड़ बही एवं बैंक विवरण के अनुसार नकद जमा किये जाने की तिथियों में अन्तर का विवरण	164
4.1.11	ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाली रोकड़ बही का विवरण	165
4.1.12	जोनों/विभागीय एवं लेखा विभाग कानपुर नगर निगम के कर वसूली के आँकड़ों में अन्तर का विवरण	166
4.1.13	मार्ग प्रकाश की स्थापना हेतु मार्गों का श्रेणीकरण	167

4.1.14	कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात गठित अनुबन्ध का विवरण	168
4.1.15	कार्य समाप्त होने के पश्चात गठित अनुबन्धों का विवरण	176
4.1.16	प्रेषक प्राप्ति चालान प्राप्त किये बिना किये गये बिटुमिन भुगतान का विवरण	180
4.1.17	अ-यूजर चार्जस की कम वसूली हेतु रोकी जाने वाली धनराशि का विवरण	181
	ब-कानपुर नगर निगम द्वारा जुर्माना अधिरोपित न किये जाने का विवरण	
4.1.18	अपूर्ण सीवरेज परियोजनाओं का विवरण	182
4.1.19	अपूर्ण पेय जल परियोजनाओं का विवरण	183
4.1.20	अक्रियाशील चिकित्सालयों/औषधालयों का विवरण	184
4.1.21	पार्को पर अवैध रूप से निर्मित स्थायी संरचनाओं (यथा धार्मिक स्थल) का विवरण	185
4.1.22	जून 2014 के अनुसार कानपुर नगर निगम में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण	186
4.1.23	वर्ष 2009-14 की अवधि में वाहन क्रय हेतु गठित अनुबन्धों का विवरण	189
4.1.24	जुलाई 2014 के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति का विवरण	190
4.1.25	वर्ष 2009-14 की अवधि में नहीं बनाये गये/अव्यवस्थित रख-रखाव वाले अभिलेखों का विवरण	191
4.1.26	कार्यकारिणी समिति एवं निगम की बैठकों के विलम्ब से निर्गत कार्यवृत्तों का विवरण	192
4.1.27	वर्ष 2009-14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण	193
4.1.28	म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुमोदन के बिना कराये गए कार्यों का विवरण	195
4.1.29	वर्ष 2009-14 की अवधि में म्यूनिसिपलिटी की बैठकों का विवरण	196
4.2.1	बारहवें वित्त आयोग की प्राप्ति एवं व्यय का वर्षवार विवरण	197
4.2.2	जमा एवं समर्पित धनराशि का विवरण	198

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर तकनीकी निर्देशन एवं सहायता, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना, दिनांक 31 मई 2011 की शर्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 3 में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय के क्रमशः लेखे एवं वित्त के परीक्षण की टिप्पणी सम्मिलित है।

अध्याय 2 में "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा, "तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली" पर वृहद प्रस्तर एवं पंचायती राज संस्थाओं के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है। अध्याय 4 में "कानपुर मण्डल के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों" की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में ऐसे प्रकरणों को निर्दिष्ट किया गया है जो कि वर्ष 2013-14 की अवधि में लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये साथ ही उनको भी, जो विगत वर्षों में संज्ञान में आ गए थे किन्तु उनका वर्णन विगत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 के उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित प्रकरणों को जहां कहीं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों एवं चार अध्यायों में तैयार किया गया है। अध्याय 1 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा “सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन” एवं “तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली” पर एक वृहद् प्रस्तर शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी सम्मिलित है। अध्याय 3 में शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 4 में “कानपुर मण्डल के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों” की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है:

अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं हेतु मॉडल लेखांकन संरचना यथा प्रियासॉफ्ट आंशिक रूप से कार्यान्वित थी।

(प्रस्तर 1.5)

नमूना-जाँच किये गये 149 क्षेत्र पंचायतों एवं 1,187 ग्राम पंचायतों में वार्षिक बजट तैयार नहीं किये जा रहे थे।

(प्रस्तर 1.9.1)

पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2009-14 की अवधि में ₹ 2,484 करोड़ निधियाँ कम हस्तान्तरित की गयी थी जो की 3 से 26 प्रतिशत के मध्य थी।

(प्रस्तर 1.10.2)

अध्याय 2: पंचायती राज संस्थाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, वृहद प्रस्तर एवं अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 “सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष 2009-14 के दौरान, कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.94 करोड़ में से ₹ 1,867.90 करोड़ योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया था। मैचिंग राज्यांश एक से चार माह विलम्ब से अवमुक्त किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.7.3 और 2.1.7.4)

राज्य स्वच्छता मिशन और 10 जनपदों की जिला स्वच्छता समितियों का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कालातीत हो गया था तथा नवीनीकरण पिछले दो से सात वर्षों में नहीं कराया गया था। सूचना, शिक्षा एवं संचार और क्षमता संवर्धन के लिये ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना भी जून 2014 तक नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

नमूना जाँच जनपदों में वर्ष 2012-14 के दौरान निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के लिये 1.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के सापेक्ष 0.84 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (48 प्रतिशत की कमी)। अग्रेतर एपीएल परिवारों के लिये नियोजित 2.96 लाख व्यक्तिगत शौचालयों में से 1.56 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (47 प्रतिशत की कमी)। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत मार्च 2012 तक 23 लाख बीपीएल शौचालयों का निर्माण कराया गया था जिसमें से बेसलाइन सर्वे 2013 के अनुसार 12.18 लाख (53 प्रतिशत) शौचालय निष्क्रिय पाये गये।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के साथ कन्वर्जेंस के अन्तर्गत धनराशि ₹ 15.84 लाख समय से उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप 35,200 व्यक्तिगत शौचालयों का प्रावधान चयनित जनपदों में नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.10.3)

जिला कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए प्राप्त केन्द्रांश के साथ मैचिंग राज्यांश हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। जबकि नमूना जांच की गयी 10 जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान धनराशि हस्तांतरित करते समय 2.42 लाख रूरल पैन/पाइपों के क्रय हेतु ₹ 10.93 करोड़ की कटौती की गयी थी, यद्यपि यह अनुमन्य नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.10.4)

सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया गया था। राज्य में वर्ष 2009-14 के दौरान उपलब्ध ₹ 239.09 करोड़ में से सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों पर केवल ₹ 83.55 करोड़ व्यय किया गया था (35 प्रतिशत)।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

लेखा परीक्षा द्वारा किये गये लाभार्थी सर्वेक्षण में 438 लाभार्थियों को प्रदान किये गये व्यक्तिगत शौचालय नहीं पाये गये थे। 2,644 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 1,266 लाभार्थियों द्वारा खुले में शौच जाने की बात कही गयी।

(प्रस्तर 2.1.12)

अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप योजना की प्रगति धीमी रही। योजना का मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया, यद्यपि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित था।

(प्रस्तर 2.1.13.2 एवं 2.1.13.5)

2.2 "तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली" पर वृहद प्रस्तर

धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण तीन जिला पंचायतों में मार्च 2014 तक ₹ 36.18 करोड़ अनुपयोगी रहा।

(प्रस्तर 2.2.4, 2.2.15 एवं 2.2.27)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत ₹ 13.52 करोड़ की 124 परियोजनाएँ मार्च 2014 तक अपूर्ण थीं।

(प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.18.1)

राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 19.95 करोड़ की 233 परियोजनाएं मार्च 2014 तक अपूर्ण थी।

(प्रस्तर 2.2.7.2, 2.2.18.2 एवं 2.2.30)

नमूना जांच किए गए ग्राम पंचायतों में अचल संपत्ति पंजिका का रख-रखाव न किये जाने के कारण ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.2.14, 2.2.26 एवं 2.2.37)

2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2008-09 की अवधि में जिला पंचायत रामपुर में दुकानों के निर्माण पर किया गया ₹ 11.61 लाख का व्यय दुकानें आवंटित नहीं होने के कारण अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.3.1)

वर्ष 2009-10 की अवधि में जिला पंचायत संत कबीरनगर में ₹ 28.98 लाख के व्यय के द्वारा अधोमानक सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया था जो कि समय से पहले क्षतिग्रस्त हो गयी और बाद में ₹ 20 लाख का परिहार्य व्यय कर के मरम्मत की गयी।

(प्रस्तर 2.3.2)

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित विशिष्टियों का अनुपालन न करने के कारण जिला पंचायत, अलीगढ़ में ₹ 35.07 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.3.3)

वर्ष 2011-12 की अवधि में क्षेत्र पंचायत नारखी, जिला फिरोजाबाद में समान मजदूरों के नाम एवं समान क्रियान्वयन तिथि वाले दो उपस्थिति पंजिका पर ₹ 1.01 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.3.4)

अध्याय 3. शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012-14 के दौरान निजी स्रोतों के अर्न्तगत राजस्व प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.4.5)

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रपत्रों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.5)

अध्याय 4: शहरी स्थानीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1 "कानपुर मण्डल के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों" की निष्पादन लेखापरीक्षा

कानपुर नगर निगम

कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा वर्ष 2009-14 के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 3563.06 करोड़ के सापेक्ष मात्र 90 प्रतिशत धनराशि का ही उपभोग किया गया था। अग्रेतर वर्ष 2009-14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा की गयी स्वयं के राजस्व की कुल माँग क्रमशः ₹ 919.05 करोड़ एवं

₹ 768.52 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 41 तथा 61 प्रतिशत की कमी थी। सम्पत्ति कर के लिए निर्धारित समयांतराल पर वार्षिक किराया मूल्य को संशोधित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.1 एवं 4.1.7.2)

वर्ष 2009-10, 2011-12 एवं 2012-13 के बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति को क्रमशः 81 दिन एवं 70 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.7.3)

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण माह नवम्बर 2014 तक नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण 27 माह विलम्ब से सितम्बर 2012 में किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.4)

वार्षिक विकास योजनायें तैयार नहीं की गयी थी यद्यपि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत इन्हे तैयार किया जाना आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.8)

ढेका प्रबन्धन अनुचित था, जैसे ₹ 13.74 करोड़ के 150 निर्माण कार्यों के अनुबन्ध, कार्य प्रारम्भ से पूर्व हस्ताक्षरित नहीं थे एवं ₹ 5.15 करोड़ के 75 अनुबन्ध कार्य समाप्त होने के पश्चात हस्ताक्षरित किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.9.2)

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन अनुचित था जैसे वर्ष 2010-14 के दौरान कुल उत्पन्न 1,979.35 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 746.86 हजार मीट्रिक टन (38 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट शहर में असंग्रहित था। अग्रेतर, शहर से संग्रहित कुल 1,232.49 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 425.68 हजार मीट्रिक टन (35 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट पर फेका हुआ पड़ा था।

(प्रस्तर 4.1.11.1)

कानपुर नगर निगम में पेयजल की सुविधा अपर्याप्त थी। जलकल विभाग द्वारा कुल आवश्यकता 520 मिलियन लीटर प्रतिदिन के सापेक्ष मात्र 424 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी जबकि उसकी स्थापित क्षमता 638 मिलियन लीटर प्रतिदिन की थी। जलापूर्ति में कमी का कारण जलकल विभाग की घरेलू/बड़े उपभोक्ताओं को जल संयोजन प्रदान करने में विफलता थी।

(प्रस्तर 4.1.12.1)

निगम एवं कार्यकारिणी समितियों की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2009-14 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.15)

नगर पालिका परिषद

नमूना जाँच की गयी तीन नगर पालिका परिषदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 113.53 करोड़ के सापेक्ष मात्र 89 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया गया था। इनमें स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 13.84 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में आठ प्रतिशत की कमी थी। अग्रेतर सम्पत्ति कर की निर्धारण सूची भी पाँच वर्ष के नियत समयांतराल पर संशोधित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.16.1 एवं 4.1.16.2)

नगर पालिका परिषदों कायमगंज एवं कन्नौज में क्रमशः वर्ष 2009-14 एवं 2010-14 की अवधि के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.16.4)

नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों में वार्षिक विकास योजनायें तैयार की गयी थी परन्तु इन्हे म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.17)

नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.21)

नगर पंचायत

नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 55.54 करोड़ के सापेक्ष मात्र 79 प्रतिशत धनराशियों का उपभोग किया गया था। नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 6.15 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 37 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 4.1.22.1 एवं 4.1.22.2)

नगर पंचायत कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.22.4)

नगर पंचायत कमालगंज में वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी। नगर पंचायत अटसु, इकदिल, शिवली, तालग्राम एवं तिर्वागंज में वार्षिक विकास योजना तैयार की गयी थी परन्तु इन्हें म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.23)

नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.25)

4.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

उचित नियोजन के अभाव में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि ₹ 35.61 लाख का अवरोधन।

(प्रस्तर 4.2.1)

बिना आवश्यकता का आकलन किये दुकानों का निर्माण कराने से छः से नौ वर्षों तक बिना आवंटन के कारण निष्फल व्यय तथा बाद में बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवंटन के कारण ₹ 21.35 लाख की राजस्व हानि।

(प्रस्तर 4.2.2)

नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद में मार्ग प्रकाश के अपूर्ण कार्य के कारण ₹ 62.42 लाख का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर 4.2.3)

ध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त पर एक विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं अर्थात् ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक अथवा ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत को सशक्त बनाने के लिये शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया। पंचायती राज संस्थाओं की प्रणाली स्थानीय शासन में जन भागीदारी बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति लक्षित थी। ग्रामीण विकास योजनाओं के समग्र नियोजन, समन्वय एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिला पंचायत में निहित थी। भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अनुवर्ती वित्त आयोगों के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराती है।

इसी क्रम में, राज्यों द्वारा ऐसी शक्तियों, क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों को इन स्थानीय निकायों को सौंपा जाना अपेक्षित था जिससे कि वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को 1994 में संशोधित किया गया एवं उनके अधीन नियम बनाये गये।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज (17वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के नियम 186 में मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों की वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान किया। इसके अनुपालन में राज्य सरकार ने मार्च 2014 में इन दोनों प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा अनुश्रवण के लिये पंचायती राज समिति का गठन किया।

1.2 पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कृत्यों एवं कर्मियों के अन्तरण की स्थिति

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये उन्हें निधियों, कृत्यों एवं कर्मियों का हस्तांतरण किया गया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधायिका ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को 1994 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 द्वारा संशोधित किया और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियाँ एवं कृत्यों को ग्राम पंचायतों को और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों एवं कृत्यों को क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को हस्तांतरित किया। 31 जनवरी 2015 तक संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों (परिशिष्ट 1.1) में से केवल 16 विषय (परिशिष्ट 1.2) ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये।

1.3 राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश आकार के परिप्रेक्ष्य में देश में पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है एवं 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जनगणना, 2011 के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है जिसमें से 77.73 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य की तुलनात्मक जननांकीय एवं विकास विवरणिका के साथ राष्ट्र की विवरणिका सारणी 1 में दी गई है।

सारणी 1: राज्य की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

संकेतक	इकाई	राज्य मूल्य	राष्ट्रीय मूल्य
जनसंख्या	करोड़	19.98	121.07
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग किलोमीटर	829	382
ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	77.73	68.84
पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	संख्या	52,810	2,46,628
जिला पंचायतों की संख्या	संख्या	75	598
क्षेत्र पंचायतों की संख्या	संख्या	821	6,391
ग्राम पंचायतों की संख्या	संख्या	51,914	2,39,639
लिंग अनुपात	1,000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं	912	940
साक्षरता	प्रतिशत	67.68	74.04

(स्रोत: तेरहवां वित्त आयोग, निदेशक, पंचायती राज लखनऊ एवं जनगणना प्रतिवेदन 2011)

1.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

1.4.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं।

1.4.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश


ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं के उचित रख-रखाव पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता करने एवं उनकी लेखापरीक्षा किये जाने की संस्तुति की। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रस्तर 10.121 एवं 10.122 के अनुसार, लेखाओं की लेखापरीक्षा से विश्वसनीय आश्वासन उपलब्ध कराने हेतु सभी राज्यों के सभी स्थानीय निकायों हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता सौंपा जाना है एवं विधानसभा के पटल पर निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को रखा जाना है। वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपे गये तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता निम्नलिखित है:

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय निधि लेखापरीक्षक/निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षण का तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता सम्पन्न किया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को निदेशक, पंचायती राज, राज्य सरकार एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का अनुसरण किये जाने हेतु प्रेषित की जाती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया चार्ट 1 में दिया गया है।

चार्ट 1: पंचायती राज संस्थाओं में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया



लेखापरीक्षा आपत्तियाँ कार्यालयाध्यक्षों, निदेशक, पंचायती राज एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, को संप्रेषित की गयी थी। अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: 31 मार्च 2014 को बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	प्रस्तरोँ का प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान सम्मिलित प्रस्तर		वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तर		अनिस्तारित प्रस्तर	
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
1	2009-10	9,924	507.40	2,775	388.76	5	0.79	12,694	895.37
2	2010-11	12,694	895.37	1,308	162.20	1	0.00	14,001	1,057.57
3	2011-12	14,001	1,057.57	2,033	242.37	—	—	16,034	1,299.94
4	2012-13	16,034	1,299.94	482	223.16	—	—	16,516	1,523.10
5	2013-14	16,516	1,523.10	3,310	1,073.44	—	—	19,826	2,596.54

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की पंजिका)

सारणी 2 दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के अंत में ₹ 2596.54 करोड़ मूल्य के 19,826 प्रस्तर अनिस्तारित थे। वर्ष 2011-14 की अवधि के लिये प्रस्तरोँ के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जो यह प्रदर्शित करता है कि इकाईयां लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति क्रियाशील नहीं थीं।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, ने बताया (जुलाई 2014) कि प्रशासनिक विभागों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण निस्तारण हेतु बकाया प्रकरणों की समीक्षा नहीं की गयी थी।

1.5 लेखाओं का रख-रखाव

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा प्रपत्रों का अंगीकरण

पंचायती राज संस्थाएं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित प्रपत्रों में अपने लेखाओं का रख-रखाव करती हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के रख-रखाव के ऊपर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण किये जाने की संस्तुति की थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी संस्तुति की थी (प्रस्तर 10.161) कि राज्य सरकार अनुवर्ती वित्त वर्ष के लिए अपना निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए, यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, योग्य होगी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुशंसित लेखा प्रणाली सभी ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में लागू कर दी गयी है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा वेब आधारित साफ्टवेयर (प्रियासाफ्ट) पर विकसित मॉडल लेखांकन संरचना की संस्तुति पंचायती राज संस्थाओं के लिए की जिसमें आठ लेखांकन प्रपत्र थे। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को प्रियासाफ्ट अप्रैल 2010 से लागू करने की सलाह दी (अक्टूबर 2009)। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से प्रियासाफ्ट पर लेखाओं का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य किया (जनवरी 2011)। तथापि, अक्टूबर 2014 की स्थिति के अनुसार आठ प्रपत्रों में से जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों द्वारा मात्र तीन प्रपत्रों (वार्षिक प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, समेकित सार पंजिका एवं मासिक समाशोधन विवरण) पर प्रतिवेदन बनाया जा रहा था। अक्टूबर 2014 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मात्र वार्षिक प्राप्ति तथा भुगतान लेखा एवं समेकित सार पंजिका ही बनाया जा रहा था।

1.6 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

पंचायती राज संस्थाओं, समानांतर निकायों एवं लाइन विभागों द्वारा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं, समानांतर निकायों एवं लाइन विभागों के संगठनात्मक चार्ट को खण्डों, जिलों एवं राज्य स्तर में प्रशासनिक ढांचा के साथ *परिशिष्ट 1.3* में दिया गया है।

1.7 स्थायी समितियाँ

पंचायतों के तीनों स्तरों के सुचारु संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 4430/33-1-99-एस पी आर /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 द्वारा पंचायतों के प्रत्येक स्तर में छः स्थायी समितियों का गठन किया। पंचायती राज संस्थाओं एवं विभिन्न स्थायी समितियों जो कि वित्तीय मामलों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मिलित हैं, की कार्य प्रणाली का संक्षिप्त परिचय *सारणी 3* में दिया गया है।

सारणी 3: स्थायी समितियों का विवरण

पंचायती राज संस्था का स्तर	स्थायी समिति के अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत	(i) नियोजन एवं विकास समिति	उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना सं0 4430/33-1-99 एसपीआर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के अनुसार स्थायी समितियों के क्रियाकलापों को परिशिष्ट 1.4 में वर्णित किया गया है।
		(ii) शिक्षा समिति	
		(iii) निर्माण कार्य समिति	
		(iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	
		(v) प्रशासनिक समिति	
		(vi) जल प्रबंधन समिति	
क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	(i) नियोजन एवं विकास समिति	उपर्युक्त
		(ii) शिक्षा समिति	
		(iii) निर्माण कार्य समिति	
		(iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	
		(v) प्रशासनिक समिति	
		(vi) जल प्रबंधन समिति	
ग्राम पंचायत	प्रधान	(i) नियोजन एवं विकास समिति	उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना सं0 4077/33-2-99-48जी/99 दिनांक 29 जुलाई 1999, के अनुसार स्थायी समितियों के क्रियाकलापों को परिशिष्ट 1.4 में वर्णित किया गया है।
		(ii) शिक्षा समिति	
		(iii) निर्माण कार्य समिति	
		(iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	
		(v) प्रशासनिक समिति	
		(vi) जल प्रबंधन समिति	

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

1.8 जिला योजना समिति

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में अन्तर्वेशित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में यह व्यवस्था है कि जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने और जिले हेतु समग्र रूप से विकास की योजनाओं का मसौदा तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 को जुलाई 1999 में अधिनियमित किया किन्तु जिला योजना समितियाँ अप्रैल 2008 में गठित की गयीं।

1.9 वित्तीय विवरणिका

1.9.1 बजट तैयार किया जाना और बजट की प्रक्रिया

बजट तैयार किया जाना एवं बजट की प्रक्रिया में वार्षिक बजट अनुमानों को तैयार करने एवं परीक्षण करने तथा तदुपरान्त व्यय पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्राधिकृत अनुदानों या विनियोजनों के अन्तर्गत रखा गया है, निहित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत मैनुअल के अनुच्छेद 110 एवं 115 में प्रत्येक पंचायती राज संस्था को वार्षिक बजट तैयार करने का निर्देश है।

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जांच की गयी 187 में से 149 क्षेत्र पंचायतों एवं 1,274 में से 1,187 ग्राम पंचायतों में वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जा रहा था। बजट तैयार न करने के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थायें योजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनियोजित नहीं कर सकीं जिस कारण प्रत्येक

वित्तीय वर्ष में काफी मात्रा में धनराशि अनुपयोगित पड़ी रही जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.10.1 में दिया गया है।

1.9.2 पंचायती राज संस्थाओं में निधि प्रवाह

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधन आधार में स्वयं की प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान तथा रख-रखाव एवं विकास कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। निधि-वार स्रोत एवं प्रत्येक स्तर के लिए इसकी अभिरक्षा एवं महत्वपूर्ण योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था सारणी 4 (अ) एवं 4 (ब) तथा निधियों का प्रवाह चार्ट 2 में दिए गए हैं:

सारणी 4 (अ): निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत एवं अभिरक्षा

निधि की प्रकृति	जिला पंचायतें		क्षेत्र पंचायतें		ग्राम पंचायतें	
	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा	निधि का स्रोत	निधि की अभिरक्षा
स्वयं की प्राप्तियां	स्वयं का संसाधन	जिला निधि	अनुपलब्ध	क्षेत्र निधि	स्वयं का संसाधन	ग्राम निधि
राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	जिला निधि	राज्य सरकार	क्षेत्र निधि	राज्य सरकार	ग्राम निधि
केन्द्रीय वित्त आयोग	भारत सरकार	जिला निधि	भारत सरकार	क्षेत्र निधि	भारत सरकार	ग्राम निधि
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	भारत सरकार	जिला निधि	भारत सरकार	क्षेत्र निधि	भारत सरकार	ग्राम निधि


(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

सारणी 4 (ब): केन्द्र द्वारा प्रायोजित अति महत्वपूर्ण योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था

क्र० सं०	योजना	निधि प्रवाह व्यवस्था
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के अपने-अपने अंश बैंक खाते में हस्तान्तरित करते हैं, जिसे राज्य रोजगार गारण्टी निधि कहते हैं जो कि राज्य लेखों के बाहर स्थापित की गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास राज्य रोजगार गारण्टी निधि के संरक्षक है तथा निधियों के हस्तान्तरण को प्रशासित करते हैं।
2	सर्व शिक्षा अभियान	भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अपने-अपने अंश राज्य लेखों से बाहर राज्य क्रियान्वयन समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित करते हैं। सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक संस्था राज्य क्रियान्वयन समिति को गठित किया गया है जिसके मुखिया राज्य परियोजना निदेशक है जो कि प्रत्येक जिले के जिला परियोजना अधिकारी/ सर्व शिक्षा अभियान को निधि हस्तांतरण को प्रशासित करता है। राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी, संयुक्त रूप से सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खाते की निधियों के संरक्षक होते हैं। जनपद स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी के कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी बैंक खाते के संयुक्त संरक्षक होते हैं।
3	इन्दिरा आवास योजना	भारत सरकार अपना अंश सीधे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को हस्तान्तरित करती है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश शासन के अंश को जिला कोषागार से आहरित करता है और दोनों अंशों को एक बैंक खाते में रखता है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा मुख्य विकास अधिकारी निधि के प्रशासक हैं तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये लाभार्थियों के खाते में निधि को हस्तान्तरित करने हेतु जिम्मेदार है।
4	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु उत्तर प्रदेश शासन पूरे राज्य हेतु निधि का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश जल निगम को केन्द्रीय रूप से लखनऊ में करता है। उत्तर प्रदेश जल निगम निधि का हस्तान्तरण अपनी जनपदीय इकाईयों को करता है। अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं हेतु जिला विकास अधिकारी आवंटित धनराशि का आहरण जनपदीय कोषागार से करते हैं और इस धनराशि को जनपदों में उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई को कार्यान्वयन के लिए देते हैं।
5	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	भारत सरकार अपना अंश सीधे राज्य स्वच्छता मिशन को हस्तान्तरित करती है जो इसे आगे जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में स्थानान्तरित करती है। जिला पंचायत राज अधिकारी, जो मिशन के पदेन सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अंश का आहरण उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर जनपदीय कोषागार से करते हैं तथा इसे भी मिशन के बैंक खाते में जमा करते हैं।

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)


चार्ट 2: निधि प्रवहन



1.10 सकल प्राप्तियाँ

केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त समग्र अनुदानों, जनता से उन स्रोतों के माध्यम से जैसा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के नियम 37 में परिकल्पित किया गया है, किराया कर, शुल्क इत्यादि भारित करके अपने स्वयं के स्रोतों द्वारा अर्जित राजस्व (परिशिष्ट 1.5) एवं वर्ष 2009-14 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदानों (परिशिष्ट 1.6) की स्थिति चार्ट 3 में दी गयी है।

चार्ट 3: संसाधन पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों की प्रवृत्ति



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उप निदेशक जिला पंचायत, (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

चार्ट 3 से यह देखा जा सकता है कि राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग में वृद्धि की प्रवृत्ति रही जबकि कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में 2009-14 के दौरान कमी की प्रवृत्ति देखी गयी।

1.10.1 नमूना जांच की गयी पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2009-13 के दौरान 52,810 में से 4,275 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतें: 136, क्षेत्र पंचायतें: 447 तथा ग्राम पंचायतें: 3,692) के अभिलेखों की नमूना जांच लेखापरीक्षा में की गई। वर्ष 2009-13 के दौरान नमूना जांच की गयी पंचायती राज संस्थाओं की वर्षवार वित्तीय स्थिति सारणी 5 में दी गई है।

सारणी 5: वर्ष 2009-13 के दौरान नमूना जांच की गयी पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नमूना जांच की गयी पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त की गयी निधियाँ	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय (प्रतिशत)	अन्तिम अवशेष
जिला पंचायतें						
2009-10	55	381.80	682.90	1,064.70	646.94 (61)	417.76
2010-11	11	100.57	145.29	245.86	139.07 (57)	106.79
2011-12	29	192.37	330.72	523.09	294.87 (56)	228.22
2012-13	41	430.05	642.83	1,072.88	442.28 (41)	630.60
योग	136					
क्षेत्र पंचायतें						
2009-10	147	86.13	248.56	334.69	246.26 (74)	88.43
2010-11	54 ¹	33.21	102.17	135.38	87.36 (65)	48.02
2011-12	59	35.71	69.36	105.07	64.16 (61)	40.91
2012-13	187 ²	152.37	220.77	373.14	213.58 (57)	159.55
योग	447³					
ग्राम पंचायतें						
2009-10	1,891	78.85	252.95	331.80	220.41 (66)	111.39
2010-11	340 ⁴	26.32	83.71	110.03	76.31 (69)	33.72
2011-12	187 ⁵	10.45	22.69	33.14	24.01 (72)	9.13
2012-13	1,274 ⁶	65.64	128.04	193.68	141.45 (73)	52.23
योग	3,692					

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका)

सारणी 5 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-13 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गयीं पर्याप्त निधियाँ प्रत्येक वित्त वर्ष में अनुपयोगित पड़ी रही। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में भी निधियों के उपयोग में गिरावट की रुझान पायी गयी।

¹ 54 क्षेत्र पंचायतों में से 12 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

² 187 क्षेत्र पंचायतों में से एक की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

³ 2009-13 के दौरान कुल लेखापरीक्षित क्षेत्र पंचायतों की संख्या।

⁴ 340 ग्राम पंचायतों में से 7 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁵ 187 ग्राम पंचायतों में से एक की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁶ 1,274 ग्राम पंचायतों में से 13 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

1.10.2 राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तान्तरण


तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को निधियों का हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया (अनुच्छेद 243-आई)।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियां वर्ष 2002 में दीं जिसके अनुसार राज्य के सकल कर राजस्व के निवल आगम का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करना था। पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियों (2008) में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण के लिए सकल कर राजस्व के निवल आगम के 5.5 प्रतिशत तक की वृद्धि किया।

वर्ष 2009-14 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तान्तरण एवं उसके सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि चार्ट 4 तथा परिशिष्ट 1.7 में दिया गया है।

चार्ट 4: निवल उत्पाद के सापेक्ष निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

चार्ट 4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-14 के दौरान ₹ 13,706 करोड़ के सापेक्ष ₹ 11,222 करोड़ हस्तान्तरित किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप निधियों के हस्तांतरण में कुल कमी ₹ 2,484 करोड़ पायी गयी जो कि तीन से 26 प्रतिशत के मध्य थी। सबसे अधिक कमी 2012-13 के दौरान पायी गयी जिसमें ₹ 3,195 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 2,455 करोड़ ही हस्तांतरित किये गये थे।

1.11 निधियों का उपयोग

1.11.1 केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

केन्द्रीय वित्त आयोग के अधीन उपलब्ध निधियों एवं उनके उपयोग की स्थिति सारणी 6 में दी गई है।

सारणी 6: केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध अनुदान	उपयोगित अनुदान	अनुपयोगित अनुदान	
			व्यपगत	अवशेष
2009-10	585.60	580.25	5.35	0.00
2010-11	911.29	911.29	0.00	0.00
2011-12	1,473.51	559.61	0.00	913.90
2012-13	1,742.36	1,498.45	0.00	243.91
2013-14	3,408.67	3,408.67	0.00	0.00

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

सारणी 6 के अनुसार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान अनुदानों की कुल धनराशि उपभोग नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान अनुदानों के उपभोग न किये जाने का कारण अभिलेखित नहीं था। हालांकि, 2013-14 के दौरान सम्पूर्ण अनुदान (₹ 3,408.67 करोड़) का उपयोग कर लिया गया था।

1.11.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदानों, उनके उपयोग एवं अनुपयोगित रहने की स्थिति सारणी 7 में दी गई है।

सारणी 7: राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त अनुदान	उपयोगित अनुदान	अनुपयोगित अनुदान	
				व्यपगत	अवशेष
1	2009-10	1,262.07	1,262.07	0.00	0.00
2	2010-11	1,787.57	1,787.57	0.00	0.00
3	2011-12	2,172.37	2,077.44	4.22	90.71
4	2012-13	2,455.04	1,020.34	0.00	1,434.70
5	2013-14	3,544.81	2,897.29	0.00	647.52

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उप-निदेशक, जिला पंचायत (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), लखनऊ)

सारणी 7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 4.22 करोड़ व्यपगत हुये थे एवं वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में क्रमशः ₹ 90.71 करोड़, ₹ 1,434.70 करोड़ एवं ₹ 647.52 करोड़ की धनराशि अनुपयोगित थी।

1.11.3 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान

ग्रामीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाएं जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अवमुक्त अनुदान सारणी 8 में दिया गया है:

सारणी 8: केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान

(₹ करोड़ में)

केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के नाम एवं अवधि	अवमुक्त अनुदान		
	केन्द्र	राज्य	योग
2013-14			
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2,896.39	321.82	3,218.21
इंदिरा आवास योजना	1,494.62	459.54	1,954.16
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	367.52	79.30	446.82
बायोगैस	0.72	0	0.72
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	83.49	65.98	149.47
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	729.40	0	729.40
योग	5,572.14	926.64	6,498.78

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ, वित्त एवं विनियोग लेखा तथा सम्बन्धित वेबसाइट)

सारणी 8 दर्शाती है कि भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त धनराशि अवमुक्त किया था।

1.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

किसी संगठन के अन्दर आन्तरिक नियंत्रण एक प्रणाली है जो कि इसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु इसके क्रियाकलापों को शासित करती है। यह कानूनों, नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का उचित आश्वासन प्रदान करने में मदद करती है, धोखाधड़ी, दुरुपयोग एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं और उच्च प्राधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचनाओं को सुनिश्चित करती है। आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण क्रियाकलापों में, लेखाओं का उचित रख-रखाव, आँकड़ों का मिलान, प्रलेखीकरण, भुगतानों को प्राधिकृत एवं अनुमोदित करने की पद्धति, दायित्वों का बंटवारा, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

1.12.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जवाबदेही ढांचा

वर्ष 2011-14 के दौरान अभिलेखों के प्रस्तुत न होने के कारण बहुसंख्यक पंचायती राज संस्थायें (इकाई वर्ष) मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, द्वारा अलेखापरीक्षित रहीं। पंचायती राज संस्थाओं की प्रस्तावित लेखापरीक्षा, वस्तुतः लेखापरीक्षित एवं बकाया का विवरण सारणी 9 में दिया गया है:

सारणी 9: मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लखनऊ द्वारा लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षण होने वाली इकाईयाँ		लेखापरीक्षित इकाईयाँ		बकाया (प्रतिषत्)	
	वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित	पिछले वर्ष का बकाया	वर्तमान के सापेक्ष	बकाया के सापेक्ष	वर्तमान के सापेक्ष	बकाया के सापेक्ष
2011-12						
जिला पंचायतें	71	182	30	33	41 (58)	149 (82)
क्षेत्र पंचायतें	819	7,277	115	402	704 (86)	6,875 (94)
ग्राम पंचायतें	51,257	2,43,599	24,929	19,578	26,328 (51)	2,24,021 (92)

2012-13						
जिला पंचायतें	71	190	48	68	23 (32)	122 (64)
क्षेत्र पंचायतें	813	7,579	116	261	697 (86)	7,318 (97)
ग्राम पंचायतें	51,674	2,50,349	26,519	16,029	25,155 (49)	2,34,320 (94)
2013-14						
जिला पंचायतें	73	145	45	45	28 (38)	100 (69)
क्षेत्र पंचायतें	820	8,015	89	208	731 (89)	7,807 (97)
ग्राम पंचायतें	51,674	2,59,475	33,378	22,298	18,296 (35)	2,37,177 (91)

(स्रोत: मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ)

सारणी 9 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-14 के दौरान बहुसंख्यक पंचायती राज संस्थायें (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत) अलेखापरीक्षित रहीं, परिणामस्वरूप इन पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय आंकड़े प्रमाणिक नहीं थे।

इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, ने बताया (जुलाई 2014) कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत न करना बहुसंख्या में बकायों का मुख्य कारण था। शासन को पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

अधिसूचना संख्या 854/33-1-2011-126/96 दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1947 के नियम 186 में ग्राम पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करना प्रावधानित है। मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, द्वारा वर्ष 2009-10 तक का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार नहीं किया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी ने बताया (जुलाई 2014) कि वर्ष 2010-11 हेतु प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है तथा प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी भी तैयार किया जाना तथा विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाना शेष था।

1.12.2 अनुश्रवण तंत्र

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के लिये कोडिंग पैटर्न के साथ लेखा प्रपत्र निर्धारित किया जिससे कि उनके लेखा प्रणाली को मजबूत किया जा सके एवं प्राधिकारियों को यथा आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने हेतु विभिन्न उद्देश्यों के अधीन प्राप्ति एवं व्यय की प्रगति के अनुश्रवण के योग्य बनाया जा सकें। हालांकि, लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लेखे तैयार नहीं किए गये थे। अग्रेतर, राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त अयोग योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि इन योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

1.13 निष्कर्ष

- पंचायती राज संस्थायें निर्धारित प्रपत्र में अभी तक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं कर रही थी जिसके कारण लेखाओं की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- बजट तैयार किया जाना एवं बजट की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने हस्तान्तरित निधियों की पूर्ण धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त नहीं की थी।

अध्याय-2

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान' का क्रियान्वयन

कार्यकारी सार

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1999 में समुदाय प्रेरित एक व्यापक कार्यक्रम 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' शुरू किया। कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतया स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जनपद और राज्यों को उनकी उपलब्धियों के पश्चात पुरस्कृत करने हेतु वर्ष 2003 में प्रोत्साहन आधारित निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से उत्साहित होकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम परिवर्तित करके निर्मल भारत अभियान कर दिया गया जो 1 अप्रैल 2012 से इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि देश की सभी ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए स्वच्छता आच्छादन की गति को बढ़ाया जाये। उत्तर प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2013-14 (पाँच वर्ष) की अवधि को अच्छादित करते हुए की गयी। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है:

- वर्ष 2009-14 के दौरान, कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.94 करोड़ में से ₹ 1,867.90 करोड़ योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया था। राज्यांश मैचिंग अंश एक से चार माह के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.7.3 और 2.1.7.4)

- राज्य स्वच्छता मिशन और 10 जनपदों की जिला स्वच्छता मिशन का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कालातीत हो गया था तथा उनका नवीनीकरण पिछले दो से सात वर्षों में नहीं कराया गया था। सूचना, शिक्षा एवं संचार और क्षमता संवर्धन के लिये ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना भी जून 2014 तक नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

- नमूना जाँच जनपदों में वर्ष 2012-14 के दौरान निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिये 1.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के सापेक्ष 0.84 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (48 प्रतिशत की कमी)। अग्रेतर ए.पी.एल. परिवारों के लिये नियोजित 2.96 लाख व्यक्तिगत शौचालयों में से 1.56 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (47 प्रतिशत की कमी)। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत मार्च 2012 तक निर्मित 23 लाख बी.पी.एल. व्यक्तिगत शौचालयों में से बेसलाइन सर्वेक्षण 2013 के अनुसार 12.18 लाख (53 प्रतिशत) व्यक्तिगत शौचालय निष्क्रिय पाये गये।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

● महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत धनराशि ₹ 15.84 लाख समय से उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप 35,200 व्यक्तिगत शौचालयों का प्रावधान नमूना जांच किये गये जनपदों में नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.10.3)

● जिला कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए प्राप्त केन्द्रांश के साथ मैचिंग राज्यांश हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। जबकि, नमूना जांच की गयी 10 जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान धनराशि हस्तांतरित करते समय 2.42 लाख रूरल पैन/पाइपों के क्रय हेतु ₹ 10.93 करोड़ की कटौती की गयी थी, यद्यपि यह अनुमन्य नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.10.5)

● सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया गया था। वर्ष 2009-14 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों हेतु राज्य में उपलब्ध ₹ 239.09 करोड़ में से केवल ₹ 83.55 करोड़ व्यय किया गया था (35 प्रतिशत)।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

● लेखापरीक्षा द्वारा किये गये लाभार्थी सर्वेक्षण में 438 लाभार्थियों को प्रदान किये गये व्यक्तिगत शौचालय नहीं पाये गये थे। कुल 2,644 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 1,266 लाभार्थियों द्वारा खुले में शौच जाने की बात कही गयी।

(प्रस्तर 2.1.12)

● अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप योजना की प्रगति धीमी रही। योजना का मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया, यद्यपि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित था।

(प्रस्तर 2.1.13.2 एवं 2.1.13.5)

2.1.1 प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने तथा खुले में शौच के प्रभावी उन्मूलन हेतु समुदाय विशेष के लिये भारत सरकार ने 1999 में व्यापक कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारम्भ किया। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से विकसित किया गया जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति आधारित कार्यक्रम के रूप में 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान मांग आधारित थी और इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार, क्षमता विकास और ग्रामीण लोगों में स्वच्छता शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक बदलाव लाने और स्वच्छता सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने पर जोर देना था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2017 तक समस्त लोगों के लिये शौचालय का निर्माण करा कर स्वच्छता आच्छादन की गति को बढ़ाना था।

कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु, भारत सरकार ने पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने और खुले में शौच मुक्ति के लिए ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, जनपद और राज्य स्तर पर प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ (अक्टूबर 2003) किया। निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रोत्साहित होकर 01 अप्रैल 2012 से नई कार्यनीतियों और संतृप्तिकरण दृष्टिकोण द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया गया। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के

विस्तार में तेजी लाना था जिससे व्यापक रूप से ग्रामीण समुदाय 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके तथा देश की समस्त ग्राम पंचायतें निर्मल स्थिति को प्राप्त करें और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शामिल न किये गये विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल किया जाय।

वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश के चार जनपदों¹ में योजना प्रारम्भ की गयी और वर्ष 2003-04 तक 70 जिले इसमें शामिल हो गये। इसके पश्चात, एक जनपद कांशीराम नगर वर्ष 2010-11 में शामिल हुआ और चार अन्य नये जनपद (अमेठी जुलाई 2010 में, हापुड़, सम्भल और शामली सितम्बर 2011 में) विद्यमान 71 जनपदों की पुर्नसंरचना के पश्चात् योजना में शामिल किये गये।


2.1.2 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के घटक

परिशिष्ट 2.1.1 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के विभिन्न घटकों पर चर्चा की गयी है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण, बेसलाइन सर्वेक्षण, मुख्य कार्मिक अवस्थापना और राज्य योजना तैयार करने हेतु आरम्भिक क्रियाकलापों को शामिल किया गया था। जागरूकता सृजन हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ और शौचालय उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण शामिल किया गया। ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केन्द्र गतिविधि के अन्तर्गत हार्डवेयर उपलब्ध होना सुनिश्चित कराना था। सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र, संस्थागत शौचालयों का निर्माण और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य सम्बन्धित घटकों में शामिल थे। रिवाल्विंग फंड और प्रशासनिक प्रभार भी सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के घटक थे। निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत क्षमता निर्माण और सम्पत्तियों का रख-रखाव दो नये घटक शामिल किये गये।

2.1.3 संगठनात्मक ढाँचा

पंचायती राज विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है। राज्य स्वच्छता मिशन का गठन राज्य स्तर पर और जिला स्वच्छता मिशन प्रत्येक जनपद में स्थापित हैं। ब्लाक संसाधन केन्द्र और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान को ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर लागू करते हैं। **चार्ट 1** में राज्य, जनपद, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर का संगठनात्मक ढाँचा दर्शाया गया है।

चार्ट 1: राज्य, जिला, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढाँचा



¹ चंदौली, लखनऊ, मिर्जापुर और सोनभद्र

ब्लाक संसाधन केन्द्र

- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन, सहायता एवं निगरानी उपलब्ध करना।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन हेतु ग्रामीण समुदाय को सहयोग करना।
- समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
- स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य प्रारम्भिक स्तर के कर्मियों यथा सामाजिक स्वास्थ्य स्वयं सेवको, आँगनवाडी कार्यकर्ताओं, विद्यालय के शिक्षकों, स्वयं सहायता समूहों, महिला एवं युवक मंगल दल इत्यादि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।



ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा, एकजुटता, क्रियान्वयन और कार्यक्रम के पर्यवेक्षण में सहायता करना।

(स्रोत: राज्य स्वच्छता मिशन योजना के दिशा निर्देश)

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/ निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- धनराशि की अवमुक्ति, उपभोग और लेखांकन, योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया;
- विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन के लिए बनायी गयी योजना पर्याप्त, प्रभावी और योजना के उद्देश्यों के प्रति लक्षित थी;
- योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत इकाइयों की संख्या के सम्बंध में लक्ष्य निर्धारित थे, जो कि सभी ग्राम पंचायतों में निर्मल स्तर को प्राप्त करने के साथ वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं उन्हें बनाये रखने के लिए पर्याप्त थी;
- ग्राम पंचायतों के चयन की प्रणाली पारदर्शी थी और योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत किये गये अवसंरचना का निर्माण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत किये गये थे। कार्यक्रमों/सहभागियों के साथ कन्वर्जेंस की गतिविधियों को प्रभावी तरीके से प्राप्त किया गया था;
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/ निर्मल भारत अभियान में सामुदायिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से मांग के सृजन में योजना के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा और संचार नीति प्रभावी थी; तथा
- योजना के परिणामों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान दिशा-निर्देश, निर्मल भारत अभियान दिशा-निर्देश, सूचना, शिक्षा और संचार दिशा-निर्देश, निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु दिशा-निर्देश, स्वच्छतादूत/ प्रेरक नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश, पेयजल और स्वच्छता मन्त्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी विज्ञप्ति और परिपत्र।
- वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधान; तथा

- सूचना प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत योजना की वेबसाइट (tsc.gov.in) पर उपलब्ध वित्तीय-भौतिक प्रगति प्रतिवेदन।

2.1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-14 तक की गतिविधियों को शामिल किया गया। प्रमुख सचिव (पंचायती राज), राज्य स्वच्छता मिशन और चयनित 15 जनपदों (औरैया, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सीतापुर और वाराणसी) की कार्यदायी संस्थाओं के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी। इन जिलों का चयन पीपीएसडब्लूआर² पद्धति से किया गया। इन चयनित जनपदों में 42 ब्लकों और 420 ग्राम पंचायतों का चयन (परिशिष्ट 2.1.2) एसआरएसडब्लूओआर³ पद्धति से किया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण और शौचालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु 2,683 लाभार्थियों का चयन एसआरएसडब्लूओआर पद्धति से किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रमुख सचिव, (पंचायती राज) के साथ दिनांक 26 मई 2014 को आयोजित परिचयात्मक बैठक के साथ प्रारम्भ हुई जहाँ लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्रियाविधि, क्षेत्र तथा मानदण्डों पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा समापन पर 30 सितम्बर 2014 को एक मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को निर्गत किया गया। सरकार से प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियों पर चर्चा हेतु 04 फरवरी 2015 को शासन के साथ एक समापन बैठक भी आयोजित की गयी। सरकार ने संस्तुतियों को स्वीकार किया। समापन बैठक के परिणाम को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया।


लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

2.1.7.1 निधि प्रवाह

चार्ट 2 में योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-14 के दौरान निधि प्रवाह की स्थिति को दर्शाया गया है। चार्ट 2 में दिये गये आंकड़े अवमुक्त धनराशियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 2: योजना के अन्तर्गत निधि प्रवाह



² पीपीएसडब्लूआर प्रोबेबिल्टी प्रोपोजनल टू साईज विथ रिप्लेसमेंट।

³ एसआरएसडब्लूओआर सिम्पल रैन्डम सैम्पलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट

2.1.7.2 वित्त पोषण प्रारूप

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं लाभार्थी के मध्य लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु एक जिले को एक परियोजना के रूप में माना गया और विभिन्न क्रियाकलापों के लिये निधियों का निर्धारण, जनपद के कुल परियोजना परिव्यय के प्रतिशत के अनुसार किया गया था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-14 के दौरान व्यक्तिगत शौचालयों के लिये वित्त पोषण का प्रारूप बदल दिया गया था। घटकवार वित्त पोषण प्रारूप सारणी 1 में दिया है।

सारणी 1: निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत घटकवार निधियों का निर्धारण एवं वित्त पोषण प्रारूप

क्र० सं०	घटक	नियत धनराशि (जिला परियोजना व्यय का प्रतिशत)	अंश (प्रतिशत)		
			भारत सरकार	राज्य सरकार	लाभार्थी
1.	सूचना, शिक्षा और संचार प्रारम्भिक क्रियाकलाप एवं क्षमता निर्माण	15 प्रतिशत तक	80	20	0
2.	रिवाल्विंग फण्ड	5 प्रतिशत तक	80	20	0
3.	व्यक्तिगत शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु वास्तविक अपेक्षित धनराशि	₹ 3,200 ⁴	₹ 1,400	₹ 900
4.	समुदायिक स्वच्छता केन्द्र	पूर्ण आच्छादन हेतु वास्तविक अपेक्षित धनराशि	60	30	10
5.	संस्थागत शौचालय	पूर्ण आच्छादन हेतु वास्तविक अपेक्षित धनराशि	70	30	0
6.	प्रशासनिक व्यय	चार प्रतिशत तक	80	20	0
7.	ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन (पूजीगत लागत)	अनुमन्य सीमा के अन्दर ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना लागत के अनुसार वास्तविक राशि	70	30	0

(स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान मार्गदर्शिका)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जांच किये गये जनपदों में घटकों के अनुरूप निधियों के विभाजन के अनुसार लेखाओं का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो लेखापरीक्षा की जांच को सीमित करता है।

शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि जनपदों को घटकवार निधियों के विभाजन को अभिलेखित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.1.7.3 योजना का वित्तीय आयाम

वर्ष 2009-14 के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्य में अवमुक्त धनराशि, कुल उपलब्ध धनराशि एवं व्यय की स्थिति सारणी 2 में दी गयी है।

⁴ पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के प्रकरण में ₹ 3,700।

सारणी 2: अवमुक्त धनराशि, कुल उपलब्ध धनराशि एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	वर्ष 2009-14 की स्थिति
1.	प्रारम्भिक अवशेष	393.36	378.91	400.09	299.46	374.68	393.36
2.	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	115.05	225.94	169.77	256.85	367.52	1,135.13
3.	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	242.93	78.14	22.96	35.47	79.30	458.80
4.	प्रोत्साहन/ अन्य निर्गत धनराशि	82.39	18.28	26.83	9.31	0	136.81
5.	ब्याज	17.46	29.00	14.01	12.77	14.79	88.03
6.	अन्य प्राप्तियां	0	0	15.47	13.17	19.17	47.81
7.	कुल उपलब्ध धनराशि	851.19	730.27	649.13	627.03	855.46	2,259.94
8.	व्यय	451.63	341.93	348.26	325.47	400.61	1,867.90
9.	अन्तिम अवशेष	399.56	388.34	300.87	301.56	454.85	454.85⁵

(स्रोत: राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

सारणी 2 में यह देखा गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,867.90 करोड़ का परियोजना व्यय किया गया था। इन वर्षों के दौरान अन्तिम अवशेष धनराशि ₹ 300.87 करोड़ से ₹ 454.85 करोड़ तक थी।

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जाँच किये गये 15 जनपदों में योजना का वित्तीय आयाम सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3: नमूना जाँच किये गये जनपदों में अवमुक्त धनराशि, कुल उपलब्ध धनराशि एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग 2009-14 की स्थिति
1.	प्रारम्भिक अवशेष	101.17	83.37	94.12	85.12	101.04	101.17
2.	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	33.05	73.35	59.45	83.30	95.04	344.19
3.	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	70.15	12.99	11.57	11.11	24.60	130.42
4.	प्रोत्साहन/ अन्य निर्गत धनराशि	14.86	5.39	20.45	0.00	0.00	40.70
5.	ब्याज	2.96	5.24	2.92	3.29	3.05	17.46
6.	अन्य प्राप्तियाँ	13.74	7.39	6.13	11.38	6.25	44.89
7.	कुल उपलब्ध धनराशि	235.93	187.73	194.64	194.20	229.98	678.83
8.	व्यय	152.56	93.61	109.52	93.16	102.82	551.67
9.	अवशेष	83.37	94.12	85.12	101.04	127.16	127.16

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

⁵ 2013-14 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 454.85 करोड़ था (₹ 2,259.94 करोड़-₹ 1,867.90 करोड़ + ₹ 62.81 करोड़)। राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा यथासूचित कि, ग्रांट-ईन-ट्राजिट एवं अनकैश चेकों को जिला लेखापरीक्षको, द्वारा तैयार उपभोग प्रमाणपत्र में नहीं लिये जाने के कारण अन्तर है।

सारणी 3 में यह देखा गया कि वर्ष 2009–14 के दौरान नमूना जाँच किये गये जनपदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 678.83 करोड़ के सापेक्ष ₹ 83.37 करोड़ से ₹ 127.16 करोड़ तक की धनराशि अवशेष (₹ 127.16 करोड़) रखते हुये ₹ 551.67 करोड़ का व्यय किया गया था।

शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि जनपदों को धनराशियां विलम्ब से प्राप्त होने के कारण धनराशि अवशेष थी।

2.1.7.4 राज्यांश का निर्गमन

निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 13.2 के अनुसार केन्द्रांश, आनुपातिक राज्यांश के साथ, केन्द्रांश की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर जिला क्रियान्वयन संस्था को अवमुक्त किया जाना था। जिला क्रियान्वयन संस्था को धनराशि प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायतों को अन्तरित करना था एवं निर्मल भारत अभियान की निधि पर अर्जित ब्याज को योजना की प्राप्ति के रूप में लिया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2012–14 के दौरान, राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा नमूना जाँच किये गये जनपदों को केन्द्रांश दो से 20 दिनों के विलम्ब से और आनुपातिक राज्यांश एक से चार माह के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था। वर्ष 2009–14 की अवधि में राज्य कोषागारों के माध्यम से अवमुक्त राज्यांश आहरित किया गया और नमूना जाँच किये गये जनपदों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के बैंक खातों में 16 से 348 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया (*परिशिष्ट 2.1.3*)। अग्रेतर, नमूना जाँच किये गये जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों को दो माह से अधिक विलम्ब से धनराशि अन्तरित की गयी थी।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान निधियों को, एक बार में दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित किये जाने के राज्य सरकार के शासनादेश के कारण कोषागार से विलम्ब से आहरित किया गया था। हालाँकि, समापन बैठक (फरवरी 2015) के दौरान शासन द्वारा निधियों को समय से अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.7.5 निधि का क्रियान्वयन

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 13.1 एवं 14.1 के अनुसार, योजनान्तर्गत निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अलग से खोले गये बचत खाते में रखना था। परिवार/लाभार्थी के अंशदान को इस खाते में नहीं जमा करना था। अग्रेतर, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की निधि पर अर्जित ब्याज को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के संसाधन के रूप में लिया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि वर्ष 2009–10 से पहले योजनान्तर्गत निधि को सीधे ही परियोजना जनपदों को अवमुक्त किया गया था। वर्ष 2009–10 से इसे राज्य स्वच्छता मिशन के बचत खाते में अवमुक्त किया गया था। वर्ष 2011–12 से अन्य योजना जैसे ई-पंचायत की निधियां भी राज्य स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में जमा की गयी थी।

ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिये अलग बचत खाता नहीं खोला गया था तथा निधियों को 12वें और 13वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के साथ

(ग्राम निधि-1) रखा गया था। जिसके परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान निधि पर अर्जित ब्याज को लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका। यद्यपि नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों में निर्मल भारत अभियान हेतु अलग बचत खाते (ग्राम निधि-6) खोले (अक्टूबर 2012) गये थे। अग्रेतर, जिला स्वच्छता मिशन कुशीनगर तथा जालौन द्वारा अक्टूबर 2012 से जून 2014 के मध्य दो बचत खातों का संचालन किया गया था।

आपत्तियों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि राज्य स्वच्छता मिशन के लिये अलग बैंक खाता खोला गया और जनपदों में खोले गये अतिरिक्त बैंक खाते बन्द किये जा चुके हैं। शासन ने समापन बैठक (फरवरी 2015) के दौरान बताया कि धनराशियां अब अलग से रखी जा रही है।

2.1.7.6 व्यक्तिगत शौचालयों हेतु उपलब्ध धनराशियों का अनुपयोगी रहना

निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देश के प्रस्तर संख्या 13.2.2 के अनुसार, जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा क्रियान्वयन संस्थाओं (ग्राम पंचायतों) को व्यक्तिगत शौचालयों अथवा योजना के अन्य घटकों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में धनराशियों को हस्तान्तरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009-13 के दौरान 84 नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित धनराशि अप्रयुक्त थी। इन ग्राम पंचायतों के अंतिम शेष का योग ₹ 17.18 लाख (2009-10), ₹ 34.15 लाख (2010-11), ₹ 39.58 लाख (2011-12), तथा ₹ 7.34 लाख (2012-13) था (*परिशिष्ट 2.1.4*)। अग्रेतर वर्ष 2009-13 के दौरान कुशीनगर जनपद के विशुनपुरा-क्षेत्र पंचायत के माधोपुर गौजही ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत शौचालय हेतु ₹ 0.52 लाख की स्वीकृत धनराशि का व्यय गैर स्वच्छता क्रियाकलापों पर किया गया था।

शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से कन्वर्जेंस हेतु आवश्यक धनराशि समय से प्राप्त नहीं होने के कारण धनराशि बैंक खातों में अवरुद्ध थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ₹ 98.25 लाख के निधि अवशेष में से ₹ 90.91 लाख निर्मल भारत अभियान के पूर्व अवधि से सम्बन्धित थे जिस दौरान कन्वर्जेंस का प्राविधान नहीं था।

शासन द्वारा समय से धनराशि अवमुक्त किये जाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि धनराशि अवरुद्ध न रहे।

2.1.8 नियोजन

2.1.8.1 संस्थागत ढांचा

राज्य स्तर पर एक राज्य स्वच्छता मिशन एवं जनपद स्तर पर एक जिला स्वच्छता मिशन का गठन किया जाना था जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना था। अग्रेतर, ब्लाक स्तर पर, ग्राम समुदायों को जागरूक करने और ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराने हेतु ब्लाक और क्लस्टर समन्वयक से सुसज्जित, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का गठन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में, राज्य में संस्थागत व्यवस्था स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

- राज्य स्वच्छता मिशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत फरवरी 2002 में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया था। राज्य स्वच्छता मिशन का पंजीकरण फरवरी 2012 में कालातीत हो गया था परन्तु सितम्बर 2014 तक पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया गया था।
- नमूना जाँच किये गये 15 जनपदों में कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी और सीतापुर को छोड़कर, जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता मिशनों की स्थापना की गयी थी और वर्ष 2002-04 के मध्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। 10 जनपदों⁶ के स्वच्छता मिशनों का पंजीकरण विगत पाँच से सात वर्षों से कालातीत था परन्तु जून 2014 तक नवीनीकरण नहीं कराया गया था।
- नमूना जाँच किये गये किसी भी जनपद में ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को जून 2014 तक स्थापित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया गया (फरवरी 2015) कि जिला स्वच्छता मिशन कौशाम्बी को पंजीकृत करा लिया गया है तथा शेष जिला स्वच्छता मिशनों का पंजीकरण प्रक्रिया में है। राज्य स्वच्छता मिशन/जिला स्वच्छता मिशनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं और ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

2.1.8.2 क्रियान्वयन सम्बन्धी योजनायें

निर्मल भारत योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 18.1 के अनुसार एक पुनरीक्षित परियोजना क्रियान्वयन योजना वर्ष 2012-2022 की अवधि के लिये जिला स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार किया जाना था। परियोजना का प्रस्ताव, निर्मल भारत अभियान के सभी घटकों को शामिल करते हुए बेसलाइन सर्वेक्षण की रिपोर्ट और जिले की नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिये था। योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने एवं ग्राम पंचायतों की पहचान करके उन्हे संतृप्त किये जाने हेतु निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 12.2 के अनुसार वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनायी जानी थी। ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लाक क्रियान्वयन योजनाओं में तथा उसके बाद जिला वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं में समेकित किया जाना था।

परियोजना क्रियान्वयन योजना तथा वार्षिक क्रियान्वयन योजना के विश्लेषण में निम्न तथ्य संज्ञान में आये—

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेसलाइन सर्वेक्षण पर आधारित पुनरीक्षित परियोजना क्रियान्वयन योजना (2012-22) जनवरी 2013 में तैयार की गयी थी। यद्यपि परियोजना क्रियान्वयन योजना में शामिल आंकड़ों तथा जनपदों की बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्टों में अन्तर था। संशोधित परियोजना क्रियान्वयन योजना में बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित व्यक्तिगत शौचालयों की आवश्यकता से, आठ जनपदों⁷ द्वारा 6.36 लाख कम

⁶ औरैया, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, हरदोई, जालौन, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी।

⁷ देवरिया, हरदोई, जालौन कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सीतापुर और वाराणसी।

व्यक्तिगत शौचालयों और पाँच जनपदों⁸ द्वारा 0.22 लाख अधिक व्यक्तिगत शौचालयों, की योजना बनायी गयी थी।

- कुल परिवारों की संख्या, शौचालय-सहित कुल घरों की संख्या तथा शौचालय-रहित कुल घरों की संख्या के आंकड़े बेसलाइन सर्वेक्षण की रिपोर्ट (जनवरी 2013) और जनगणना के आंकड़े-2011 से भी मेल नहीं खाते थे (*परिशिष्ट 2.1.5*)। यद्यपि परियोजना के प्रस्ताव में विचलन को शामिल नहीं किया गया था जबकि परियोजना क्रियान्वयन योजना की तैयारी हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे शामिल किया जाना था।

- जनपद स्तर पर तैयार की गयी वार्षिक क्रियान्वयन योजना ग्राम पंचायतों से प्रारम्भ नहीं की गयी थी और ब्लॉक क्रियान्वयन योजना एवं जनपद के वार्षिक क्रियान्वयन योजना में समेकित नहीं की गयी थी, जैसा कि निर्धारित था।

- परियोजना क्रियान्वयन योजना को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये 1,67,926 व्यक्तिगत शौचालयों (परियोजना क्रियान्वयन योजना का 1/10) की योजना प्रत्येक वर्ष में इन जिला स्वच्छता मिशनों के द्वारा बनाये जाने आवश्यक थे। जबकि मात्र 88,204 एवं 73,419 व्यक्तिगत शौचालयों की योजना क्रमशः 2012-13 एवं 2013-14 में जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा बनायी गयी। इसी प्रकार गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिये प्रत्येक वर्ष में 3,55,457 व्यक्तिगत शौचालयों की योजना के सापेक्ष 1,23,328 एवं 1,72,738 व्यक्तिगत शौचालयों की योजना क्रमशः 2012-13 एवं 2013-14 में बनायी गयी। अन्य घटकों में कम नियोजन के विवरण *परिशिष्ट 2.1.6* में दिये गये हैं।

शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2015) कि कन्वर्जेंस के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से विलम्ब से निधियाँ प्राप्त होने के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। यद्यपि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक क्रियान्वयन योजना में लक्ष्यों को निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

- शासन द्वारा, स्वच्छता की सुविधा के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्तर पर निर्धारित संस्थानों को क्रियाशील बनाया जाना चाहिये।

- निर्मल भारत अभियान के उद्देश्य को समय से प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष निर्मल भारत अभियान के गतिविधियों की आनुपातिक (परियोजना क्रियान्वयन योजना का 1/10) रूप से योजना बनाया जाना शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.1.9 योजना का क्रियान्वयन

2.1.9.1 योजना की भौतिक प्रगति

देश को निर्मल भारत घोषित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए शत-प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालय सुनिश्चित करने हेतु 2012-22 के मध्य एक योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी थी। समुदाय, विशेष रूप से परिवार के सभी सदस्यों को शौचालयों के उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिये प्रशिक्षित किया जाना था। विद्यालयों में बालिका शौचालयों एवं विकलांग बच्चों के लिये शौचालयों को प्राथमिकता

⁸ औरैया, बिजनौर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत।

दिया जाना था। बच्चों और माताओं को जीवन में बहुत ही प्रारम्भिक स्तर से व्यवहार परिवर्तन के लिये स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने हेतु आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाना था। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के विकास/परीक्षण/क्रियान्वयन के लिये पेशेवर संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जानी थी।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के विभिन्न घटकों के निष्पादन की तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करने पर, नमूना जांच किये गए जनपदों में इनमें शून्य (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) से 97 प्रतिशत (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) तक की कमी परिलक्षित हुयी (परिशिष्ट 2.1.7)। नियोजित गतिविधियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति की चर्चा नीचे की गयी है:

● व्यक्तिगत शौचालय

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत, नमूना जांच किये गये जनपदों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों हेतु 24.86 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के परियोजना लक्ष्य के सापेक्ष 23 लाख व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किये गये थे। इनमें से 12.18 लाख शौचालय (53 प्रतिशत) जनवरी 2013 में किये गये बेसलाईन सर्वेक्षण (परिशिष्ट 2.1.8) में निष्क्रिय पाये गये। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये जनपदों द्वारा 28.71 लाख गरीबी रेखा से ऊपर व्यक्तिगत शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 21.56 लाख व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किये गये।

सारणी 4 नमूना जांच किये गये जनपदों में वर्ष 2012-14 के दौरान वर्षवार निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिये व्यक्तिगत शौचालयों की भौतिक प्रगति को प्रदर्शित करती है।

सारणी 4: निर्मल भारत अभियान में व्यक्तिगत शौचालयों की भौतिक प्रगति

(सँख्या में)

वर्ष	परियोजना क्रियान्वयन योजना में नियोजित	वार्षिक क्रियान्वयन योजना में नियोजित	वास्तविक प्रगति	कमी	कमी का प्रतिशत
व्यक्तिगत शौचालय (गरीबी रेखा के नीचे)					
2012-13	16,79,264	88,204	19,718	68,486	78
2013-14		73,419	64,416	9,003	12
योग	16,79,264	1,61,623	84,134	77,489	48
व्यक्तिगत शौचालय (गरीबी रेखा से ऊपर)					
2012-13	35,54,572	1,23,328	37,800	85,528	69
2013-14		1,72,738	1,18,338	54,400	31
योग	35,54,572	2,96,066	1,56,138	1,39,928	47

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जनपदों की वार्षिक कार्ययोजना एवं परियोजना कार्य योजना)

जैसा कि सारणी 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-14 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के लिये नियोजित 1.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के सापेक्ष 0.84 लाख व्यक्तिगत शौचालय एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिये नियोजित 2.96 लाख व्यक्तिगत शौचालयों में से 1.56 लाख व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किये गये। इस प्रकार नमूना जांच किये गये जनपदों में गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा से ऊपर

व्यक्तिगत शौचालयों में क्रमशः 48 एवं 47 प्रतिशत की कमी थी। समुदाय, विशेष रूप से परिवार के सभी सदस्यों को सृजित स्वच्छता सुविधाओं के उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिये प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

निर्मल भारत अभियान के अन्य घटकों में 2012-14 के दौरान कमी सारणी 5 में दर्शायी गयी है।

सारणी 5: निर्मल भारत अभियान के अन्य घटकों की भौतिक प्रगति

(संख्या में)

क्र० सं०	परियोजना क्रियान्वयन योजना के घटक	परियोजना क्रियान्वयन योजना में नियोजित	वार्षिक क्रियान्वयन योजना में नियोजित	वास्तविक प्रगति	कमी	कमी का प्रतिशत
2012-13						
1.	सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र	1,282	323	5	318	98
2.	विद्यालय शौचालय	5,021	1,085	60	1,025	94
3.	आंगनवाडी शौचालय	7,592	174	33	141	81
4.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	13,384	4,831	49	4,782	99
2013-14						
1.	सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र	1,282	89	0	89	100
2.	विद्यालय शौचालय	5,021	952	0	952	100
3.	आंगनवाडी शौचालय	7,592	0	0	0	0
4.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	13,384	1,996	21	1,975	99

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जनपदों की वार्षिक कार्ययोजना एवं परियोजना कार्ययोजना)

● **सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र**

वर्ष 2012-13 में, नियोजित सामुदायिक स्वच्छता केन्द्रों में 98 प्रतिशत (318) की कमी पायी गयी। अग्रेत्तर, 2013-14 में सामुदायिक स्वच्छता केन्द्रों (89) के निर्माण में 100 प्रतिशत की कमी पायी गयी। सामुदायिक स्वच्छता केन्द्रों का निर्माण केवल वहीं कराया जाना था जहाँ घरों में जगह की कमी थी तथा ग्राम में ऐसे स्थानों पर जो सभी के लिये स्वीकार्य और पहुँच में हो। विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

● **विद्यालय शौचालय**

विद्यालय में उपस्थिति होने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया था। छात्राओं के शौचालयों को प्राथमिकता दी गयी थी, किन्तु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी गयी। विद्यालय/आंगनवाडी शौचालयों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि के प्रावधान का आश्वासन सम्बंधित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। विद्यालयों में सभी बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शिक्षा विभाग से उचित समन्वय स्थापित नहीं किया गया था। स्वच्छता की महत्ता पर जोर देने वाले, मनोरंजक क्रियाकलापों तथा सामुदायिक परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने हेतु किसी भी शिक्षक को स्वच्छता शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं किया गया।

अग्रेतर, विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध कराने की प्रगति में 2012-13 में 94 प्रतिशत कमी (1,025 शौचालय) थी एवं 2013-14 में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया था। विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया जिससे उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके।

● आँगनवाड़ी शौचालय

शासकीय भवनों में संचालित सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के अनुकूल शौचालय बनाये गये थे परन्तु, अन्य समस्त आँगनवाड़ी केन्द्रों (निजी भवनों में संचालित) को शौचालय निर्माण के लिये आच्छादित नहीं किया गया था और आँगनवाड़ी केन्द्रों के निजी भवन स्वामियों को कोई प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। बच्चों और माताओं को जीवन के प्रारम्भिक स्तर से ही व्यवहार परिवर्तन के लिये स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने हेतु, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

अग्रेतर, आँगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय उपलब्ध कराने में 2012-13 में 81 प्रतिशत (141 शौचालय) की कमी थी एवं 2013-14 में आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिये शौचालय नियोजित नहीं किये गये थे। विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

● ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में 2012-13 के दौरान 99 प्रतिशत (4,782) की कमी थी तथा 2013-14 के दौरान नियोजित 1,996 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में से मात्र 21 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ही उपलब्ध कराये गये थे। समस्त ग्राम पंचायतों में परिवार की संख्या के आधार पर एवं बदलती साझा लागत पद्धति के अनुसार टिकाऊ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता निर्धारित की जानी थी। कम्पोस्ट पिट, वर्मी कम्पोस्टिंग, सार्वजनिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सीवेज चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण के लिए प्रणाली, घरेलू कचरे को अलग-अलग करना तथा उसका निस्तारण जैसे क्रियाकलाप ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नहीं लिये गये थे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के विकास/परीक्षण/क्रियान्वयन के लिए पेशेवर एजेन्सियों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी नहीं ली गयी थी। उपलब्धियों में कमी के कारणों की समीक्षा एवं सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

इस प्रकार वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रम को गतिशील नहीं बनाया गया।

सरकार द्वारा बताया गया (फरवरी 2015) कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से कन्वर्जेंस में विलम्ब होने के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। वर्ष 2009-12 की अवधि, जिसमें सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कन्वर्जेंस का प्रावधान नहीं था, के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया। यद्यपि, समापन गोष्ठी (फरवरी 2015) में शासन ने इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

शासन द्वारा योजना की विभिन्न गतिविधियों को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.1.10 आधारभूत ढाँचे का निर्माण

2.1.10.1 ग्राम पंचायतों का त्रुटिपूर्ण चयन

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 12.5 के अनुसार ग्राम पंचायतों का चयन इस प्रकार किया जाना था कि जनपद/ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों का क्रमशः चयन हो सके।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि—

- जिला स्वच्छता मिशन ने ग्राम पंचायतों के चयन में परिकल्पित दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया था। वर्ष 2009-12 की अवधि में, नमूना जांच किये गये जनपदों द्वारा वरीयता के आधार पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अर्न्तगत 2,431 ऐसे ग्रामों में लाभार्थियों को शौचालय दिये गये जो कि राज्य सरकार के प्लैगशिप कार्यक्रम 'डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना' के अर्न्तगत चयनित थे। इसी प्रकार वर्ष 2012-14 में 'डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना' के अर्न्तगत चयनित 885 ग्रामों को निर्मल भारत अभियान में शौचालय उपलब्ध कराने हेतु जनपदों द्वारा वरीयता दी गयी थी (परिशिष्ट 2.1.9)।

- जिला स्वच्छता मिशन, कुशीनगर द्वारा 83 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए, 2,866 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि ₹ 63.05 लाख अवमुक्त की गयी थी (2011-12)। यद्यपि अभिलेखीय साक्ष्यों में ये ग्राम पंचायतें वर्ष 2010-11 में पहले ही सतृप्त हो चुकी थी। इस प्रकार उक्त ग्राम पंचायतों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किये गये।

सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (फरवरी 2015) कि ग्रामों का चयन राज्य सरकार के निर्देशों पर किया गया था। अग्रेतर, जनपद कुशीनगर में शौचालयों के लिये दुबारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रकरण की जाँच का आश्वासन दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायतों का चयन संतृप्तिकरण दृष्टिकोण के आधार पर नहीं किया गया था।

सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों के चयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.10.2 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शौचालयों का निर्माण

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 5.4.1 के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाना था एवं शौचालय पूर्ण कर उसका उपयोग सत्यापित होने पर लाभार्थी को नकद राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना था। व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की माँग को बढ़ाया जाना था। अपने जीवन में स्वच्छता अपनाने एवं उनके द्वारा स्वच्छता सुविधाओं को विकसित एवं अनुरक्षित करने हेतु, पारस्परिक बातचीत एवं घर-घर सम्पर्क कर ग्रामीण लोगों को प्रेरित करने हेतु ग्राम प्रेरकों की तैनाती की जानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रेरकों की तैनाती नहीं की गयी थी और ग्रामीण लोगों द्वारा व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालयों के विकास एवं

रखरखाव का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप योजना के लाभार्थियों द्वारा खुले में शौच करना जारी रहा, जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.12 में की गयी है।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण लाभार्थियों के स्थान पर योजना कार्यादायी संस्था (ग्राम पंचायतों) द्वारा किया गया था। अतः व्यक्तिगत शौचालय माँग के आधार पर नहीं दिये गये जिससे लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किये जाने का योजना उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा सम्प्रेक्षा के व्यावहारिक दृष्टिकोण सम्बन्धी लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया (फरवरी 2015) और बताया गया कि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों की सहायता से लाभार्थी द्वारा कराया गया था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा किया जाना था और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाना था। शासन द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से लाभार्थियों में सकारात्मक व्यावहारिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जाना था।

2.1.10.3 कन्वर्जेस में विलम्ब के कारण व्यक्तिगत शौचालयों का अपूर्ण रहना

निर्मल भारत अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का कन्वर्जेस महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ सुनिश्चित किया जाना था। सभी अकुशल और कुशल कार्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि से किया जाना था। व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण करने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से कन्वर्जेस के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों का समय से होना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच के 15 जिला स्वच्छता मिशनों में से सात द्वारा वर्ष 2012-14 के दौरान 60,072 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि (₹ 27.63 करोड़) अवमुक्त की गयी। तथापि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ कन्वर्जेस के अन्तर्गत धनराशि (₹ 15.84 लाख) देरी से जारी होने के कारण जुलाई, 2014 तक 35,200 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका (*परिशिष्ट 2.1.10*)। इस प्रकार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं निर्मल भारत अभियान, दोनों योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप 35,200 शौचालय अपूर्ण रहे।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि संस्थागत शौचालयों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की अतिरिक्त लागत एवं समुदाय अंशदान को प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे—सांसद निधि, विधायक निधि, और राज्य/ग्राम पंचायत निधियों से प्राप्त होने वाली धनराशि के साथ जोड़े जाने को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार अन्य योजनाओं के साथ निर्मल भारत अभियान के कन्वर्जेस को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (फरवरी 2015)।

शासन को निर्मल भारत अभियान के कन्वर्जेंस के अन्तर्गत आच्छादित योजना से समय पर धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.10.4 स्वच्छता हार्डवेयर विक्रय केन्द्र

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 5.5.1 के अनुसार स्वच्छता हार्डवेयर के लिये ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक मान्यता प्राप्त विक्रय केन्द्र था। ग्रामीण स्वच्छता बाजार का उद्देश्य लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के शौचालयों के निर्माण हेतु एवं स्वच्छ वातावरण के लिये अन्य स्वच्छता सुविधाओं हेतु सामग्री, सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करना था। ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र (पीसी) स्थापित करने के लिये ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाना था जो ऋण प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष बाद 12-18 किशतों में वसूल होना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 15 जनपदों में से पंच जनपदों द्वारा ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों को वसूली शर्तों का उल्लेख किये बिना ₹ 49.74 लाख की धनराशि दी गयी थी। जिसके कारण ऋणराशि की वसूली जून 2014 तक नहीं की गयी थी (परिशिष्ट 2.1.11)।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (फरवरी 2015) कि जनपदों को ऋण की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.1.10.5 ग्रामीण स्वच्छता पैन एवं अन्य सामग्रियों का क्रय

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 13.2 के अनुसार जिला कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान के साथ निर्धारित राज्यांश की धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जानी थी और दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या 5.5.1 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता बाजार द्वारा लाभार्थियों को ग्रामीण स्वच्छता पैन के चयन हेतु विविध प्रकार के पैन (चीनी मिट्टी, मोजैक, एच0डी0पी0, फाइबर ग्लास) की उपलब्धता सुनिश्चित करानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- निदेशक (पंचायती राज) के निर्देशानुसार (मई 2010) नमूना जाँच किये गये 15 जिला स्वच्छता मिशनों में से 10 जिला स्वच्छता मिशनों⁹ द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान ग्राम पंचायतों को धनराशि स्थानांतरित करते समय ग्रामीण स्वच्छता पैन एवं पाइप आदि के अनुमानित मूल्य (₹ 10.93 करोड़) की कटौती की गयी थी और 2.42 लाख रूरल पैन/पाइप, जिला पंचायत उद्योगों/जिला स्वच्छता केन्द्रों से बिना टेण्डर आमन्त्रित किये अनुबन्ध के आधार पर जनपद स्तर पर क्रय किये गये थे। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों की अनुमन्यता के बिना ही फर्मों को अग्रिम भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इन सामग्रियों का क्रय अनुमन्य नहीं था।
- जिला पंचायत उद्योग, खैराबाद, सीतापुर द्वारा ग्रामीण स्वच्छता पैन आदि की वास्तविक अपूर्ति की पुष्टि के अभिलेख माँगे जाने (जून 2014) के बाद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

⁹ औरैया (₹ 69 लाख), आजमगढ़ (₹ 20.40 लाख), देवरिया (₹ 53.93 लाख), गोरखपुर (₹ 29.85 लाख), हरदोई (₹ 125.63 लाख), जालौन (₹ 182.56 लाख), कुशीनगर (₹ 331.20 लाख), मिर्जापुर (₹ 152.51 लाख), पीलीभीत (₹ 33.04 लाख) और सीतापुर (₹ 94.41 लाख)।

- जनपद कुशीनगर द्वारा 3,086 ग्रामीण स्वच्छता पैन, 1,351 पिट कवर आदि के क्रय एवं आपूर्ति के लिये धनराशि ₹ 18.23 लाख की कटौती की गयी थी जिसका जनपद द्वारा जून 2014 तक उपयोग नहीं किया गया था।
- जिला स्वच्छता मिशन, जालौन द्वारा 7 ब्लॉको की 210 ग्राम पंचायतों हेतु ₹ 74.70 लाख में क्रय ग्रामीण स्वच्छता पैन/पाइप (8,217 रूरलपैन, पाइप और पिट कवर) आदि अगस्त 2010 से बिना उपयोग के पड़ी थी। नीचे दिया गया फोटो ग्राफ अनुपयोगी स्टोर की स्थिति को दर्शाता है।



ग्राम पंचायत लोहार गांव,
ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन में निष्क्रिय पड़े रूरल पैन, पाइप आदि

इस प्रकार, उपरोक्त उल्लिखित कमियों जैसे—अग्रिम भुगतान, वास्तविक क्रय की पुष्टि न होना, ग्राम पंचायतों के लिये धन का प्रावधान न होने और क्रय किये गये पैन्स का उपयोग न किये जाने इत्यादि—ने योजना परिचालन के विभिन्न स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (फरवरी 2015) कि ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पैन की उपलब्धता नहीं पाई गयी थी। अतः, निदेशक (पंचायती राज) द्वारा जिला पंचायत उद्योगों/जिला स्वच्छता केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता पैन का क्रय राज्य के बाहर से किये जाने का निर्णय लिया गया। अन्य मामलो पर उत्तर नहीं उपलब्ध कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण स्वच्छता पैन का जनपद स्तर पर क्रय, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा किया जाना चाहिए और लाभार्थियों के लिये विभिन्न प्रकार के पैन की उपलब्धता ग्रामीण स्वच्छता बाजारों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.10.6 निर्मल ग्राम पुरस्कार

निर्मल ग्राम पुरस्कार दिशा-निर्देश 2010 में निर्धारित पात्रता मापदंडों के आधार पर ही निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया जाना था। पुरस्कार राशि दो समान किस्तों में अवमुक्त की जानी थी, प्रथम किस्त निर्मल ग्राम पुरस्कार देते समय एवं द्वितीय किस्त ग्राम पंचायत द्वारा खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाये रखने के दो वर्ष के पश्चात दी

जानी थी। निर्मल ग्राम पुरस्कार दिशा निर्देश 2012 के अनुसार किस्तों को 25:75 प्रतिशत के अनुपात में प्रदान किया जाना था तथा पुरस्कार राशि का उपभोग केवल स्वच्छता प्रयोजनों पर ही उपयोग किया जाना था।

● निर्मल ग्रामों की घोषणा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक (पंचायती राज) के निर्देश (सितम्बर 2007) पर जिला स्वच्छता मिशन पीलीभीत ने निर्मल ग्राम पुरस्कार 2008 के लिये 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के आवेदन प्रस्तुत किये। आवेदनों को अग्रेषित करते समय जिला स्वच्छता मिशन पीलीभीत द्वारा यह बताया गया कि ग्राम पंचायतों में कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप पूर्ण नहीं थे। इसके बावजूद भी सात ग्राम पंचायतों को अक्टूबर 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह भी देखा गया कि निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का घटक-टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन;
- खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प तथा न मानने वालों पर दण्ड आरोपित करना; और
- कचरा निस्तारण हेतु क्रियात्मक तंत्र।

इस प्रकार सात ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया जबकि ये ग्राम पंचायतें निर्मल (खुले में शौच मुक्त) घोषित किये जाने योग्य नहीं थीं।

● पुरस्कार राशि अवमुक्त किये जाने में विलम्ब

अग्रतर यह पाया गया कि जनपद पीलीभीत की सात ग्राम पंचायतों को पुरस्कार राशि ₹ 12 लाख, एक किश्त में 2010 में अवमुक्त की गयी। इसी प्रकार से जनपद बिजनौर के ब्लाक धामपुर की ग्राम पंचायत बादशाहपुर लक्ष्मीसेन को निर्मल ग्राम पुरस्कार 2012 की धनराशि (₹ 0.82 लाख) अवमुक्त किये जाने में विलम्ब हुआ क्योंकि यह जुलाई 2014 में अवमुक्त की गयी थी। जबकि, सम्पूर्ण पुरस्कार की धनराशि को एक किश्त में अवमुक्त किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा दो वर्षों तक खुले में शौचमुक्त की स्थिति बनाये रखने की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

● पुरस्कार की धनराशि का गैर स्वच्छता प्रयोजनों पर उपयोग

तीन नमूना जांच किये गये जनपदों की तीन ग्राम पंचायतों¹⁰ द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार की धनराशि (₹ 1.94 लाख) गैर स्वच्छता प्रयोजनों पर व्यय की गयी जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिये टीन और बेंचों का क्रय, पंचायत भवन एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों में पुताई और फर्श पर टाइल लगाने का कार्य तथा खडंजा मार्ग का निर्माण कार्य आदि।

समापन बैठक (फरवरी 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा विलम्ब से धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण निर्मल ग्राम पुरस्कार की धनराशि

¹⁰ बिजनौर में क्षेत्र पंचायत हलधौर की ग्राम पंचायत धर्मपुरा ने निर्मल ग्राम पुरस्कार की (₹ 0.95 लाख), कौशम्बी की क्षेत्र पंचायत चायल की ग्राम पंचायत मीरपुर ने (2009-11) निर्मल ग्राम पुरस्कार की (₹ 0.52 लाख), एवं वाराणसी की क्षेत्र पंचायत हरहुआ की ग्राम पंचायत लमही ने निर्मल ग्राम पुरस्कार की (₹ 0.47 लाख) धनराशि व्यय की थी।

एक किस्त में प्रदान की गयी। अग्रेतर, ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार अनटाइड निधि के रूप में स्वच्छता और स्वच्छता सम्बंधी क्रियाकलापों के लिये दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुरस्कार की धनराशि को एक किस्त में अवमुक्त किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौचमुक्त की स्थिति बनाये रखने की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। अग्रेतर पुरस्कार राशि से व्यय किये जाते समय निर्मल ग्राम पुरस्कार दिशा-निर्देशों की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.1.11 सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान योजना के अर्न्तगत "सहभागितापूर्ण सामुदायिक जागरूकता" एवं लोगों में मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप व्यवहारिक बदलाव लाने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के महत्व को देखते हुए सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में जिला परियोजना की कुल लागत का 15 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गयी। धनराशि का उपयोग घर-घर प्रचार, सामूहिक बैठकों, नुक्कड़ नाटक, दीवार पेंटिंग, होर्डिंग, प्रिंट मीडिया आदि पर किया जाना था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ पायी गयीं—

2.1.11.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों की उपलब्धि में कमी

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशानिर्देश 2007 के प्रस्तर 12 एवं निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देश के प्रस्तर 5.2.3, 5.2.4 एवं 5.2.5 के अनुसार एक उचित सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना को विकसित करने एवं जनपदों में भी क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर संचार और क्षमता विकास इकाई को स्थापित किया जाना था। स्वच्छता दिवस/स्वच्छता सप्ताह/स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन, वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक घटक के रूप में किया जाना था। पारस्परिक संचार और घर-घर प्रचार के लिए स्वच्छता दूत लगाये जाने थे। क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों को भी सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के लिए निधियाँ प्रदान की जानी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे दी गई है—

- वर्ष 2009-14 के दौरान, जनपदों द्वारा राज्य में उपलब्ध धनराशि ₹ 239.09 करोड़ में से ₹ 83.55 करोड़ (35 प्रतिशत) व्यय किया गया था (परिशिष्ट 2.1.12)। वर्ष 2009-14 की अवधि में 17 से 99 प्रतिशत के मध्य व्यय किया गया था।

- वर्ष 2009-11 के दौरान, राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए स्थापित संचार और क्षमता विकास इकाई (2010) द्वारा ₹ 1.41 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 70.32 लाख में से ₹ 70.20 लाख व्यय किया गया था। जिलापंचायत उद्योग को बिना निविदा के, अनुबंध के आधार पर नुक्कड़ नाटकों, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्रियों के क्रय, ग्रामप्रेरकों के प्रशिक्षण एवं विभागीय गतिविधियों आदि पर धनराशि को व्यय किया गया था। यह बताया गया कि राज्य सरकार के शासनादेश 1976/1984 के अनुसार पंचायत उद्योगों को निविदा की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत उद्योगों को केवल उनके द्वारा किये

गये उत्पादों हेतु ही निविदा प्रक्रिया से मुक्त रखा गया था। जबकि उपर्युक्त विभिन्न मदों पर धनराशि व्यय की गयी जो कि जिला पंचायत उद्योगों के स्वयं के उत्पाद नहीं थे। वर्ष 2011 के बाद इसके द्वारा कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया एवं 2011 में राज्य स्तरीय सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि (₹ 6.08 करोड़) फरवरी 2011 से जून 2014 तक संचार और क्षमता विकास इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध रही।

● नमूना जाँच किये गये जनपदों द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना केवल निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत तैयार की गयी थी। वर्ष 2009-14 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार से अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 474.60 करोड़ में से ₹ 71.19 करोड़ (15 प्रतिशत) की धनराशि विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए उपलब्ध थी। परन्तु सूचना, शिक्षा एवं संचार व्यय (₹ 21.05 करोड़), अवमुक्त धनराशि का मात्र चार प्रतिशत था। इस प्रकार सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्वक नहीं लिया गया। सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए उपलब्ध धनराशि में से, जनपदों की वित्तीय प्रगति 10 से 63 प्रतिशत के मध्य थी, जो निम्नवत है :-

सारणी 6 : सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए उपलब्ध धनराशि एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य एवं भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए उपलब्ध धनराशि	सूचना शिक्षा एवं संचार पर व्यय	सूचना, शिक्षा एवं संचार मद में व्यय का प्रतिशत
2009-10	103.20	15.48	5.45	35
2010-11	86.34	12.95	3.53	27
2011-12	71.02	10.65	6.75	63
2012-13	94.40	14.16	1.45	10
2013-14	119.64	17.95	3.87	22
योग	474.60	71.19	21.05	30

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

● राज्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को सरल और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा इस पर नवम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 तक प्रतिबन्ध (नवम्बर 2012) लगा दिया। फिर भी उपर्युक्त सारणी 6 से यह स्पष्ट है कि सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को सरल और अधिक कारगर बनाने के पश्चात् भी वर्ष 2013-14 में उपलब्ध धनराशि के मात्र 22 प्रतिशत का व्यय किया जा सका।

● नमूना जाँच किये गये जनपदों में दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छता दिवस, स्वच्छता सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़े न तो सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना में शामिल किये गये थे और न ही निर्धारित अन्तराल में इन्हे आयोजित किया गया था।

● नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में पारस्परिक संचार एवं घर-घर प्रचार प्रसार हेतु स्वच्छता दूतों (ग्राम प्रेरक) की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

● क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के लिए निधियां उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। अग्रेतर, पंचायती राज मंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय देने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान केन्द्रांश (₹ 0.99 करोड़) एवं राज्यांश

(₹ 1.54 करोड़) ₹ 2.53 करोड़ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की निधि को जिला स्वच्छता मिशन सीतापुर द्वारा (2011-12) व्यावर्तित किया गया था। व्यवर्तन किया जाना अनियमित था एवं व्यवर्तित धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा (जुलाई 2014) तक नहीं की गयी थी।

● शौचालयों के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रभावी तरीके से सूचना, शिक्षा एवं संचार नहीं किया गया था। लाभार्थियों के सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह संज्ञान में आया कि जिन ग्रामों में शौचालय उपलब्ध कराये गये थे वहां भी खुले में शौच जाने के प्रकरण पाये गये।

प्रबल सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के अभाव में शौचालयों की मांग का सृजन नहीं हुआ परिणामस्वरूप शौचालय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण के पश्चात् उपलब्ध कराये गये। अग्रेतर, लाभार्थियों के व्यावहारिक बदलाव के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, फलस्वरूप अधिकतर शौचालय अनुपयोगी रहे।

शासन ने भविष्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को प्रभावशाली तरीके से करने का आश्वासन दिया (फरवरी 2015)।

2.1.11.2 रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड की स्थापना

पंचायती राज विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को अंबेडकर ग्रामों में व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों के नाम प्रदर्शित करने वाले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्डों को स्थापित करने हेतु निर्देशित (जनवरी 2011) किया। राज्य स्वच्छता मिशन ने बोर्ड की डिजाइन एवं विशिष्टि (4x3 फीट) उपलब्ध कराई तथा इसकी आपूर्ति एवं स्थापना की लागत (₹ 18,000 प्रति वर्गमीटर) भी निर्धारित की थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला स्वच्छता मिशन पीलीभीत एवं कुशीनगर द्वारा क्रमशः 76 एवं पांच समान गुणवत्ता एवं आकार वाले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड की आपूर्ति और स्थापना के लिए अपने जनपदों के पंचायत उद्योग केन्द्रों को क्रमशः ₹ 22.80 लाख एवं ₹ 1.50 लाख का भुगतान किया। खुली निविदा के माध्यम से दर प्राप्त किये बिना ₹ 30,000 प्रति रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड की दर से बोर्ड की आपूर्ति ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप 81 रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्डों के क्रय पर ₹ 9.72 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने समापन बैठक (फरवरी 2015) के दौरान प्रकरण के शीघ्र जाँच कराने का आश्वासन दिया।

शासन को जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने एवं व्यक्तिगत शौचालयों की मांग उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.12 लाभार्थियों का संयुक्त सर्वेक्षण

नमूना जांच हेतु चयनित जनपदों की 289 ग्राम पंचायतों के 2,683 चयनित लाभार्थियों¹¹ में से 2,644 लाभार्थियों¹² का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के परिणामों को सारणी 7 में सारांशीकृत किया गया है।

¹¹ वांछित संख्या में लाभार्थी (4,200) चयनित ग्रामों में उपलब्ध नहीं थे।

¹² 39 लाभार्थी या तो मर गये थे या सर्वेक्षण में नहीं पाये गये थे।

सारणी 7: लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

क्र० स०	प्रेक्षण का शीर्षक	सर्वेक्षण का परिणाम
1	क्या लाभार्थी के पास व्यक्तिगत शौचालय है ?	सर्वेक्षित लाभार्थियों में से 438 के पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं पाये गये।
2	क्या लाभार्थी के पास बकेट शौचालय है ?	सर्वेक्षित लाभार्थियों में से किसी के पास बकेट शौचालय नहीं था।
3	सामान्यतः शौच हेतु कहाँ जाता है ?	1,378 लाभार्थियों ने बताया कि वे व्यक्तिगत शौचालय प्रयोग करते हैं एवं 1,266 लाभार्थी खुले में शौच जाते थे।
4	बच्चों के मल का निपटारा कहाँ किया जाता था ?	<ul style="list-style-type: none"> • 870 लाभार्थी बच्चों के मल का निपटारा घर से दूर करते थे। • 1,074 लाभार्थी बच्चों के मल का निपटारा घर से बाहर करते थे। 657 लाभार्थी बच्चों के मल का निपटारा गड्ढों में करते थे। • 43 लाभार्थी बच्चों के मल का निपटारा अन्य स्थान पर करते थे।
5	पीने के पानी का स्रोत क्या था ?	2,639 लाभार्थियों का पीने के पानी का स्रोत हैंड-पम्प था तथा 5 लाभार्थियों हेतु कुआँ/नलकूप पीने के पानी का स्रोत था।
6	भोजन से पूर्व, शौच एवं बच्चों के मल निपटाने के पश्चात हाथ धोने का ज्ञान।	सर्वेक्षित समस्त लाभार्थियों को इसका ज्ञान था।

उपरोक्त सारणी 7 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 2,644 लाभार्थियों में से 1,266 खुले में शौच कर रहे थे। अतः व्यक्तिगत शौचालय प्रदान किये गये लाभार्थी भी खुले में शौच कर रहे थे। लाभार्थी सर्वे के दौरान 438 लाभार्थियों को प्रदान किये गये व्यक्तिगत शौचालय नहीं पाये गये।

भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियाँ भी प्रकाश में आयी:

- जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, जनपद स्तर पर की गयी खरीद के सापेक्ष आपूर्ति की गयी शौचालय सामग्री ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अनघोरा, ब्लाक नदीगांव, जनपद जालौन के निवास पर बेकार पड़ी थी (जून 2014)। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को 56 व्यक्तिगत शौचालयों हेतु वर्ष 2010-11 में प्रदत्त धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी एवं केवल 15 शौचालय ही बनाए गए थे।



(ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अनघोरा, ब्लाक नदीगांव, जनपद जालौन के निवास पर बेकार पड़ी शौचालय सामग्री)

- ग्राम पंचायत धवरकन, ब्लाक भाटपार–रानी, जनपद देवरिया में वर्ष 2009–10 में बने 10 व्यक्तिगत शौचालयों में से 8 या तो नहीं पाए गए या क्षतिग्रस्त पाये गये। इनमें से एक व्यक्तिगत शौचालय का फोटोग्राफ नीचे दिया गया है:



(ग्राम पंचायत धवरकन, ब्लाक भाटपार–रानी, जनपद देवरिया में एक लाभार्थी का ध्वस्त शौचालय)

- नीचे दी गयी फोटो यह इंगित करती है कि ग्राम पंचायत अहिबरनपुर, ब्लाक कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ में एक लाभार्थी के लिये निर्मित व्यक्तिगत शौचालय को उसके द्वारा दुकान में परिवर्तित कर दिया गया था।



(ग्राम पंचायत अहिबरनपुर, ब्लाक कुंडा, जनपद–प्रतापगढ़ में एक लाभार्थी द्वारा शौचालय का दुकान में परिवर्तित किया जाना)

सरकार द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों को स्वीकार करते हुये बताया गया (फरवरी 2015) कि सभी जनपदों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सरकार को ग्रामों में खुले में शौच मुक्ति की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

2.1.13 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

2.1.13.1 अनुश्रवण बैठकें

योजना के प्रगति की समीक्षा एवं दिन-प्रतिदिन योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्वच्छता मिशन एवं जनपद स्तर पर जिला स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत शासकीय निकाय और कार्यकारी निकाय थे। शासकीय निकाय एवं कार्यकारी निकाय की बैठकों को क्रमशः प्रत्येक छमाही एवं मासिक आधार पर किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य स्वच्छता मिशन के शासकीय निकाय की बैठक आयोजित नहीं की गयी थी एवं कार्यकारी निकाय की एक या दो बैठकें¹³ आयोजित की गयी थी। नमूना जांच किये गये जिला स्वच्छता मिशनों के शासकीय निकायों की बैठक¹⁴ आयोजित नहीं की गयी एवं कार्यकारी निकायों की केवल कुछ बैठकें आयोजित की गयी थी। अतः संगठन द्वारा किया गया अनुश्रवण अपर्याप्त था।

2.1.13.2 योजना का अपर्याप्त निरीक्षण

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 15.1 के अनुसार परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना आवश्यक था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान योजना के निरीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

- जनपद/राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये विशेषज्ञों की टीम/पैनल का गठन नहीं किया गया था।
- निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रावधानों के अनुसार कार्य के सम्पादन को सुनिश्चित करने के लिये प्रारम्भिक स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का निरीक्षण, राज्य और जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया गया था।
- नमूना जाँच किये गये जनपदों में से जालौन, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा वर्ष 2009-14 के दौरान योजना के अन्तर्गत ग्रामों के सभी योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी।
- वर्ष 2009-14 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा क्रमशः 2,255, 3,441 एवं 262 ग्रामों का निरीक्षण किया गया था। जबकि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत इन निरीक्षणों का कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप किये गये निरीक्षणों की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। किये गये निरीक्षणों का विवरण **परिशिष्ट 2.1.13** में दिया गया है।

¹³ वर्ष 2009-10 में कोई बैठक नहीं, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दो बैठकें, 2012-13 में एक बैठक तथा 2013-14 में दो बैठकें।

¹⁴ वर्ष 2009-14 के दौरान निर्धारित 60 बैठकों के सापेक्ष केवल 4 से 13 बैठकें आयोजित की गयीं।

- जिला पंचायत राज अधिकारियों एवं जिला परियोजना समन्वयकों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में व्यक्तिगत शौचालयों की गुणवत्ता में कमी प्रदर्शित हो रही थी। शौचालयों के अनुचित उपयोग के प्रकरण भी प्रकाश में आये।

इस प्रकार, आन्तरिक अनुश्रवण तंत्र में मजबूत क्रियाविधि की कमी ने योजना के उद्देश्य प्राप्त न किये जाने में सहायता की।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुश्रवण तंत्र लागू किया जाएगा। शासन ने समापन बैठक (फरवरी 2015) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि सम्बन्धित अभिलेखों के उचित रख-रखाव सुनिश्चित किये जायेंगे।

2.1.13.3 शिकायत निवारण तंत्र

राज्य/जिला/ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं था।

शासन द्वारा (फरवरी 2015) भविष्य में शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का आश्वासन दिया गया।

2.1.13.4 डाटा प्रमाणन

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गयी थी। सूचना प्रबंधन प्रणाली पर संग्रहित आँकड़ों की शुद्धता को वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन से मिलान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों की विश्वसनीयता को मिलान द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ें मासिक प्रगति रिपोर्ट/उपभोग प्रमाणपत्रों से मेल नहीं खाते थे। इसके अतिरिक्त जनपदों द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये फार्मेट के आँकड़े, वार्षिक कार्यान्वयन योजना/परियोजना कार्यान्वयन योजना के आँकड़ों से परस्पर-विरोधी थे।

शासन द्वारा (फरवरी 2015) बताया गया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के प्रमाणीकरण हेतु उचित प्रणाली आगामी वर्षों में सुनिश्चित की जायेगी।

2.1.13.5 योजना का मूल्यांकन

निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या 20.1 के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिष्ठित संस्थानों और संगठनों द्वारा निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन का नियतकालिक मूल्यांकन अध्ययन कराया जाना था। इन प्रतिवेदनों की प्रतियाँ भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी थी और उन पर तथा साथ ही साथ भारत सरकार या उसकी तरफ से मूल्यांकन पर किये गये समवर्ती सुधार की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी थी। अध्ययन की लागत को प्रशासनिक व्यय में भारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन की कमियों में प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों एवं संगठनों के द्वारा नियतकालिक मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के मानव मूल एवं अपशिष्ट के निस्तारण की वर्तमान तकनीक के अध्ययन हेतु किसी शोध संस्था को जून 2014 तक नहीं लगाया गया था। स्वच्छता में शोध हेतु किसी विशेषज्ञ संगठन/गैर शासकीय संस्था को भी जून 2014 तक नहीं लगाया गया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2015) किया एवं बताया कि भविष्य में मूल्यांकन अध्ययन को लागू किया जाएगा।

विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा पर्याप्त निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.14 निष्कर्ष

राज्य में नवीन रणनीतियों एवं संतुष्टीकरण दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण जनता में व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छता सुविधाओं की मांग को बढ़ावा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा बढ़ाने जैसे प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित कमियों के कारण आंशिक रूप से ही प्राप्त किये जा सके:-

- राज्य क्रियान्वयन संस्था द्वारा वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.94 करोड़ में से ₹ 1,867.90 करोड़ का व्यय किया गया। आनुपातिक राज्यांश के निर्गमन में एक से चार माह का विलम्ब हुआ और अग्रेतर, इन धनराशियों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के बैंक खातों में 16 से 348 दिनों के विलम्ब से आहरण एवं जमा किया गया।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य स्वच्छता मिशन एवं 10 जिला स्वच्छता मिशनों का पंजीकरण कालातीत हो गया था और विगत दो से सात वर्षों से उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था। विकास खण्ड /ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षमता निर्माण तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्रों को स्थापित नहीं किया गया था।
- जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा पुनरीक्षित परियोजना क्रियान्वयन योजना को बनाते समय जनपदों के बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों को सुसंगत रूप से नहीं लिया गया था। जनपद स्तर पर तैयार की गयी वार्षिक क्रियान्वयन योजना, ग्राम पंचायत स्तर से नहीं ली गयी थी।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति, शून्य (सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र) से 97 प्रतिशत (ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन) के मध्य की कमी को प्रदर्शित करती थी। नमूना जाँच किये गये जनपदों के बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बनाये गये 23 लाख में से 12.18 लाख (53 प्रतिशत) शौचालय निष्क्रिय पाये गये।
- नमूना जाँच किये गये जनपदों में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012-14 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 1.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 0.84 लाख शौचालयों (48 प्रतिशत कमी) का निर्माण कराया गया। अग्रेतर, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिये 2.96 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के नियोजन के सापेक्ष 1.56 लाख (47 प्रतिशत कमी) शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा नहीं किया गया था, ये कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित किये गये थे। जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा हार्डवेयर का क्रय बिना निविदा के जनपद स्तर पर किया गया था। अग्रेतर, कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत पूर्ण होने वाले कार्यों में विलम्ब हुआ, जिससे योजना की भौतिक प्रगति प्रभावित हुई।

- व्यवहार परिवर्तन द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों की मांग उत्पन्न करने के लिये योजना का मुख्य घटक सूचना, शिक्षा एवं संचार निर्धारित था। तथापि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार को पुरजोर तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि सूचना, शिक्षा एवं संचार पर किया गया व्यय कुल उपलब्ध धनराशि का मात्र 35 प्रतिशत था। राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु स्थापित, संचार एवं क्षमता विकास इकाई द्वारा 2011 से सूचना, शिक्षा एवं संचार का कोई कार्य संचालित नहीं किया गया, एवं भारत सरकार से संचार एवं क्षमता विकास इकाई को, सूचना, शिक्षा एवं संचार के क्रियाकलापों हेतु प्राप्त ₹ 6.08 करोड़ की धनराशि, संचार एवं क्षमता विकास इकाई के बैंक खाते में जून 2014 तक अवरूद्ध रही।
- विभिन्न स्तर पर अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप योजना की प्रगति धीमी रही। शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। योजना का नियतकालिक मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

2.2 तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

2.2.1 प्रस्तावना

वर्ष 1992 में तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की गई है तथा तदनुसार निर्वाचित निकायों की त्रिस्तरीय¹⁵ प्रणाली को स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को 1994 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम में भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों (**परिशिष्ट 1.1 में वर्णित**) की शक्तियों का ग्रामीण स्वशाषी निकायों यथा, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जनपद स्तर पर जिला पंचायत, को हस्तांतरित किया जाना निहित था।

तीन जिला पंचायतों यथा, कौशाम्बी, मिर्जापुर एवं वाराणसी, इन जनपदों की नौ क्षेत्र पंचायतों¹⁶ एवं इन क्षेत्र पंचायतों की 45 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट 2.2.1**) की कार्य प्रणाली की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि क्या इन पंचायती राज संस्थाओं को धनराशियों का आवंटन एवं अवमुक्त किया जाना विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप था; राजस्व उद्ग्रहण की व्यवस्था प्रभावशाली थी; निधियों का उपभोग एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावकारी था एवं अनुश्रवण पर्याप्त था।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग; निदेशक, पंचायती राज, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास की सहायता से जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समग्र रूप से उत्तरदायी थे। मुख्य विकास अधिकारी जिला स्तर पर कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी थे। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी लेखाओं के रख-रखाव सहित धनराशि के प्राप्ति एवं अवमुक्त किए जाने हेतु जिम्मेदार थे। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत स्तर पर, खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत स्तर पर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों के निचले स्तर तक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। जिला पंचायतों के उत्तरदायित्वों में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन भी शामिल है। पंचायती राज संस्थाओं का विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

2.2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र, नीति एवं मानदंड

तीन जिला पंचायतों, चयनित क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट 2.2.1**) की वर्ष 2009-14 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई। क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का चयन सांख्यिकीय नमूना पद्धति *प्रोबेबिलिटी प्रपोर्सनेट टू साइज विद रिप्लेसमेंट* प्रणाली पर आधारित था। लेखापरीक्षा में राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि भी शामिल थे। अग्रेतर, पंचायती राज

¹⁵ 1994 की अधिनियम संख्या 9। जिला पंचायत: जनपदस्तर पर; क्षेत्र पंचायत: विकास खण्ड स्तर पर; तथा ग्राम पंचायत: ग्राम स्तर पर।

¹⁶ कौशाम्बी-मुरतगंज, सिराथू एवं सरसवां; मिर्जापुर-हलिया, पटेहरा कलां एवं राजगंढ़; तथा वाराणसी-बड़ागांव, चोलापुर एवं सेवापुरी।

संस्थाओं के स्तर पर अनुरक्षित राजस्व प्राप्ति के अभिलेखों का निरीक्षण भी नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में की गई।

लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्राविधानों एवं उसके अधीन बनाये गए नियम; उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं उसके अंतर्गत बनाये गए नियम; एवं केंद्रीय पुरोनिधानित एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश, आदेश, अधिसूचना एवं निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा प्रमुख सचिव, पंचायती राज के साथ समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) में की गई। समापन संगोष्ठी के दौरान विभाग के उत्तर को यथोचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के परिणाम

जिला पंचायत, कौशाम्बी

जिला पंचायत कौशाम्बी, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत शासित है। इसमें 24 सदस्य हैं तथा उनका मुखिया अध्यक्ष है। यह आठ क्षेत्र पंचायतों एवं 440 ग्राम पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

2.2.4 वित्तीय प्रबंधन

विभिन्न विकास योजनाओं को संपादित करने के लिए जिला पंचायतें, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इत्यादि के रूप में प्राप्त अनुदान के साथ निजी स्रोतों से राजस्व प्राप्त करती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर तक निधियों का प्रवाह पूर्व में अध्याय 1 के निधियों के प्रवाह हेतु प्रस्तर 1.9.1, एवं चार्ट 2 में प्रदर्शित है। जिला पंचायत, कौशाम्बी की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय को नीचे सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14
प्रारंभिक अवशेष	15.96	5.59	5.62	11.17	9.33
अनुदान से प्राप्तियाँ	10.32	6.16	16.24	9.13	17.18
निजी स्रोत से प्राप्तियां	1.41	1.46	1.61	3.21	2.93
वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	11.73	7.62	17.85	12.34	20.11
कुल उपलब्ध धनराशि	27.69	13.21	23.47	23.51	29.44
व्यय (उपलब्ध धनराशि का प्रतिशत)	16.81 (61)	7.59 (57)	12.30 (52)	12.44 (53)	16.79 (57)
समर्पित धनराशि	5.29	0.00	0.00	1.74	0.00
अंतिम अवशेष	5.59	5.62	11.17	9.33	12.65

(स्रोत: जिला पंचायत कौशाम्बी के अभिलेख)

सारणी—1 इंगित करता है कि कुल उपलब्ध धनराशि (2009—14) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 52 से 61 प्रतिशत था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 7.03 करोड़ समर्पित किया गया था एवं मार्च 2014 के अंत तक ₹ 12.65 करोड़ बिना उपभोग के

अवशेष पडा था। धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण निधियों का कम उपभोग किया गया जैसा कि प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2 में चर्चा किया गया है।

उत्तर (फरवरी 2015) में शासन ने अवगत कराया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शेष उपलब्ध धनराशि को उपभोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

2.2.5 राजस्व उद्ग्रहण

उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत जिला पंचायतें विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रहित करती हैं। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 239(2) जिला पंचायत को अधिक राजस्व संसाधनों का सृजन करने के लिए उप-विधियाँ¹⁷ बनाने हेतु शक्ति प्रदान करती है।

वर्ष 2009-14 के दौरान जिला पंचायत के राजस्व का बजट अनुमान तथा उसके सापेक्ष वास्तविक संग्रहण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	कमी (प्रतिशत)
2009-10	1.66	1.41	15
2010-11	1.75	1.46	17
2011-12	1.70	1.61	5
2012-13	4.13	3.21	22
2013-14	2.77	2.93	0

(स्रोत: जिला पंचायत कौशाम्बी के अभिलेख)

सारणी 2 इंगित करता है कि वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व वसूली में शून्य से 22 प्रतिशत की गिरावट थी। जिला पंचायत के निजी स्रोतों से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार राजस्व संग्रहण सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3: जिला पंचायत में निजी स्रोतों से संग्रहित राजस्व

(₹ लाख में)

क्र० सं०	राजस्व संग्रहण का स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	विभव एवं सम्पत्ति कर	23.76	20.91	25.98	27.92	26.99
2.	लाइसेंस शुल्क	23.92	34.71	33.75	34.39	33.63
3.	हड्डी चमड़ा	3.38	4.92	6.08	7.58	9.77
4.	कांजी हाउस	0.40	0.20	0.21	0.39	0.38
5.	तहबजारी	26.91	19.50	20.17	18.24	0.00
6.	दुकानों से आय	1.05	1.81	2.50	2.56	10.04
7.	बालू मोरम/पत्थर खदान	13.59	19.65	29.84	134.80	143.93
8.	मत्स्य पालन/नौकाघाट	3.10	7.24	0.00	27.29	0.00
9.	मेला एवं प्रदर्शनी	0.02	0.00	0.21	0.02	0.05
10.	अन्य	44.84	37.05	42.53	67.56	68.10
	योग	140.97	145.99	161.27	320.75	292.89

(स्रोत: जिला पंचायत कौशाम्बी के अभिलेख)

¹⁷ उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239, प्रकीर्ण ज के साथ पठित।

सारणी 3 इंगित करता है कि विभव एवं संपत्ति कर तथा लाइसेंस शुल्क में 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में कमी रही। तहबजारी तथा मत्स्य पालन/नौकाघाट में वर्ष 2013-14 में कोई धनराशि संग्रहित नहीं की गई। मत्स्य पालन/नौकाघाट में वर्ष 2013-14 में कोई राजस्व संग्रहित न होने का कारण बारी-बारी से वर्ष में कौशाम्बी एवं चित्रकूट के बीच मत्स्य पालन से प्राप्तियों का बंटवारे की व्यवस्था बताया गया।

बालू मोरम/पत्थर खदान के अंतर्गत 2011-12 की तुलना में 2012-13 में 452 प्रतिशत की वृद्धि का कारण अप्रैल 2012 में उपविधियों में संशोधन बताया गया।

हमने पाया कि मोरम/पत्थर खदान के सिवाय विभिन्न स्रोतों की उपविधियों को 2009-14 के दौरान संशोधित नहीं किया गया जिससे जिला पंचायत की राजस्व में वृद्धि प्रभावित हुई। अग्रेतर, जिला पंचायत ने विद्यालयों एवं दुकानों से 1994 से मार्च 2014 तक अवशेष ₹ 30.63 लाख¹⁸ की वसूली नहीं किया था।

उत्तर (फरवरी 2015) में शासन ने बताया कि राजस्व के स्रोत तहबजारी एवं पाकिंग स्टैण्ड को समाप्त कर दिया गया है एवं दुकानों के किराए में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। किराए की धनराशि वसूल नहीं किए जाने पर शासन ने अवगत कराया कि ₹ 3.42 लाख वसूल किए जा चुके हैं एवं शेष धनराशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.6 नियोजन

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा 63 के अनुसार जिला पंचायत को कार्य समिति की मदद से अपनी वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार कर जिला पंचायत की आम सभा की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना था। जिला विकास समिति को प्रस्तुत करने के लिए जिला विकास योजना को तैयार करने हेतु जिला पंचायत को क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए एक एक एकीकृत विकास योजना तैयार करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया गया कि जिला पंचायत कौशाम्बी ने 2009-14 के दौरान क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की योजनाओं को संकलित कर एकीकृत जिला विकास योजना तैयार नहीं किया था।

समापन संगोष्ठी के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास योजनाओं को संकलित किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया।

जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करने के उपरांत समेकित वार्षिक विकास योजना तैयार करनी चाहिए।

2.2.7 योजनाओं का क्रियान्वयन

2.2.7.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

भारत सरकार ने, पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तथा स्थानीय बुनियादी ढांचे में क्रिटिकल गैप को पूरा करने के उद्देश्य से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना प्रारंभ (जनवरी 2007) की थी।

¹⁸ ₹ 23.24 लाख (कौशाम्बी के नौ विद्यालय); ₹ 1.20 लाख (मूरतगंज की पांच दुकानें, जिला पंचायत के प्रांगण में 14 दुकानें); तथा ₹ 6.19 लाख (भरवारी में 17 पट्टे पर)।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि जिला पंचायत कौशाम्बी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009-13 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत स्वीकृत 571 परियोजनाओं हेतु ₹ 40.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। मार्च 2014 तक वर्ष 2010-13 से संबंधित ₹ 7.00 करोड़ की 60 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। अपूर्ण परियोजनाओं में मुख्यतः ग्राम पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी भवन, जल आपूर्ति योजनाएं एवं सड़क निर्माण कार्य सम्मिलित थे।

हमने अग्रेतर पाया कि जिला पंचायत कौशाम्बी ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 23.55 करोड़ की 635 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि परियोजनाओं की वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी। इनमें से ₹ 22.95 करोड़ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से तथा शेष अन्य स्रोत से पूरा किया जाना था। तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान कोई परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी।

वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को निष्पादित न किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी ने बताया (सितंबर 2014) कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण परियोजनाएं प्रारंभ नहीं की जा सकी। शासन ने अग्रेतर अवगत कराया (फरवरी 2015) कि कार्यों के निष्पादन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रोक (अगस्त 2012 से अगस्त 2013 तक) लगे होने के कारण परियोजनायें विलम्बित हुईं।

2.2.7.2 वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, वित्त आयोग की सिफारिश पर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान अवमुक्त करती है। बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार, अनुदान की प्रथम किश्त का उपभोग केवल बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे; पेय जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मार्ग प्रकाश, सड़क इत्यादि के रख-रखाव पर किया जाना था।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2009-14 के दौरान ₹ 32.72 करोड़ लागत की 420 परियोजनाएं, स्वीकृत की गईं। इनमें से ₹ 3.21 करोड़ लागत के 43 परियोजनाएं वर्ष 2012-14 से संबंधित (बिटुमिनस मार्ग, सीमेंट कंक्रीट मार्ग, इंटरलाकिंग एवं खड़जा) मार्च 2014 तक अपूर्ण पड़ी हुई थीं। हमने अग्रेतर यह पाया गया कि पेय जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मार्ग प्रकाश संबंधी कोई परियोजना शामिल नहीं की गई थी।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2015) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य अपूर्ण थे तथा कार्य समय से पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.8 अनुश्रवण: जिला पंचायत की बैठकें एवं इसकी समितियाँ

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में उचित कार्यवाही के लिए छः समितियों¹⁹ के गठन का आदेश (जुलाई 1999) निर्गत किए थे। प्रत्येक समिति में एक सभापति तथा छः निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किए जाना था तथा समिति को माह में कम से कम एक बार बैठक करना था। क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन,

¹⁹ नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति एवं जल प्रबंधन समिति

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा कार्यों के अनुश्रवण के लिए समितियां जिम्मेदार थीं। साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 61 के अंतर्गत जिला पंचायत की दो माह में कम से कम एक बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि छः समितियों में से केवल कार्य समिति एवं प्रशासनिक समिति ही क्रियाशील थीं। जिला पंचायत में वर्ष 2009-14 के दौरान मानक के अनुसार 30 के सापेक्ष जिला पंचायत की केवल 17 बैठकें आयोजित की गईं। तथापि, जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था जैसा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 33(3) के अंतर्गत अपेक्षित था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर में अवगत कराया (फरवरी 2015) कि जिला पंचायत की बैठकें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गयीं तथा समितियों की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की गयीं थीं। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायत की बैठकों में 43 प्रतिशत की कमी थी तथा छः में केवल दो समितियां ही क्रियाशील थीं जो अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने भविष्य में पंचायतों की विभिन्न समितियों की आवश्यक बैठकें आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतें

जनपद कौशाम्बी की आठ में से तीन क्षेत्र पंचायतों मूरतगंज, सरसावां एवं सिराथू की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु नमूना जांच की गई थी। क्षेत्र पंचायतें उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम द्वारा शासित हैं। क्षेत्र पंचायत की निर्वाचित सभा, प्रमुख की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, कर/करेतर राजस्व आदि को आरोपित करने एवं संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.2.9 बजट तैयार किया जाना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति को इसका चालू वर्ष का पुनरीक्षित बजट (प्राप्तियां एवं भुगतान) तथा आगामी वर्ष का प्राप्तियों एवं भुगतान का अनुमानित बजट अक्टूबर माह में तैयार करना था तथा इसे क्षेत्र पंचायत की आम बैठक में अनुमोदित कराना था।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2009-14 के दौरान जांच की गई तीनों क्षेत्र पंचायतों में बजट तैयार नहीं किया गया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.10 क्षेत्र पंचायतों में राजस्व का सृजन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131-क एवं 142-145 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा अपने निजी राजस्व की वृद्धि हेतु जल कर, विद्युत कर, लाइसेंस शुल्क आदि आरोपित किए जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि जांच की गई क्षेत्र पंचायतों ने राजस्व सृजन हेतु 2009-14 के दौरान कर/शुल्क आरोपित नहीं किया था। क्षेत्र पंचायतें कर/शुल्क आरोपित न किए जाने का कारण उपलब्ध नहीं करा सकी।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों द्वारा राजस्व सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.11 नियोजन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 86 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को ग्राम पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए अपनी विकास योजना तैयार करनी थी तथा समेकित विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी थी। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की समेकित विकास योजना क्षेत्र पंचायतों द्वारा जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतों को अपनी समेकित वार्षिक विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग्राम पंचायतें

जनपद कौशाम्बी की 440 ग्राम पंचायतों में से तीन क्षेत्र पंचायतों मूरतगंज, सरसवां एवं सिराथू की 15 ग्राम पंचायतों (*परिशिष्ट 2.2.1*) की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जांच की गई। ग्राम पंचायतें ग्रामों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं। ग्राम पंचायत की निर्वाचित सभा, प्रधान की अध्यक्षता में, विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन, निजी कर/करेत्तर राजस्व आदि आरोपित एवं वसूली करने हेतु उत्तरदायी है।

2.2.12 बजट तैयार किया जाना

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 41 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के अनुमानित प्राप्तियों एवं भुगतान का एक विवरण तैयार करेगा जो कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया जाएगा। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि जांच की गई 15 ग्राम पंचायतों में से किसी ने वर्ष 2009-14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.13 ग्राम पंचायतों में राजस्व का सृजन

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 37 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने हेतु निजी राजस्व की वृद्धि हेतु कर एवं शुल्क²⁰ आरोपित किए जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि जांच की गई सभी 15 ग्राम पंचायतों में 2009–14 के दौरान कोई राजस्व का सृजन नहीं हुआ था। इस प्रकार ग्राम पंचायतों का स्वावलंबी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व के सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.14 भूमि प्रबंधन

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखे के प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 6, प्रस्तर 2 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत में निहित अचल संपत्तियों के लिए एक पंजिका का रख-रखाव करना था। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अनुसार ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन, गठित भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं सचिव के रूप में संबंधित लेखपाल, द्वारा किया जाना था। ग्राम सभा की भूमि पर किसी अतिक्रमण के प्रकरण में अधिनियम की धारा 122(ख) के अंतर्गत कब्जेदार को नोटिस जारी किया जाना एवं तदोपरांत ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच किए गए ग्राम पंचायतों ने अचल संपत्ति पंजिका का रख-रखाव नहीं किया था। जिसके अभाव में ग्राम सभा की भूमि के विवरण को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, जनपद की जांच की गई ग्राम पंचायतों से संबंधित तहसीलों से एकत्र की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि 39 प्रकरणों में ₹ 0.76 करोड़ मूल्य की 8.482 हेक्टेअर ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया था (*परिशिष्ट 2.2.2*)। इनमें से अतिक्रमण के केवल एक प्रकरण के संबंध में कार्यवाही की गई थी।

शासन ने उत्तर में अवगत कराया (फरवरी 2015) कि अतिक्रमण के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी भूमि से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु उचित कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।

जिला पंचायत, मिर्जापुर

जिला पंचायत मिर्जापुर, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत शासित है। इसमें 36 निर्वाचित सदस्य हैं तथा उनका मुखिया अध्यक्ष है। यह जनपद के 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 758 ग्राम पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

²⁰ पशुओं पर, पशुओं की बिक्री पर, बाजार/हाट अथवा मेला में वस्तुओं की बिक्री, सराय आदि पर कर एवं करेत्तर राजस्व जैसे जल प्रभार, प्रकाश शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि।

2.2.15 वित्तीय प्रबंधन

जिला पंचायत, मिर्जापुर की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय नीचे सारणी 4 में दी गई हैं।

सारणी 4: वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक अवशेष	7.29	6.89	6.94	6.82	12.52
अनुदान से प्राप्तियां	13.18	9.41	17.88	12.07	30.66
निजी स्रोत से प्राप्तियां	1.28	0.71	1.01	1.45	2.51
वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	14.46	10.12	18.89	13.52	33.17
कुल उपलब्ध धनराशि	21.75	17.01	25.83	20.34	45.69
व्यय	14.86	10.07	19.01	7.78	27.09
(उपलब्ध धनराशि का प्रतिशत)	(68)	(59)	(74)	(38)	(59)
समर्पित धनराशि	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
अंतिम अवशेष	6.89	6.94	6.82	12.52	18.60

(स्रोत: जिला पंचायत मिर्जापुर के अभिलेख)

सारणी 4 इंगित करता है कि कुल उपलब्ध धनराशि (2009-14) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 38 से 74 प्रतिशत था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ₹ 0.04 करोड़ समर्पित किया गया था एवं मार्च 2014 के अंत तक ₹ 18.60 करोड़ बिना उपभोग के अवशेष पड़ा था। धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण निधियों का कम उपभोग किया गया जैसा कि प्रस्तर 2.2.18.1 एवं 2.2.18.2 में चर्चा किया गया है।

उत्तर (फरवरी 2015) में शासन ने अवगत कराया कि अनुदान का उपयोग कर लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण मार्च 2014 तक ₹ 18.60 करोड़ बिना उपभोग के अवशेष पड़ा था।

2.2.16 राजस्व उद्ग्रहण

जैसा कि पूर्व के प्रस्तर 2.2.5 के प्रावधानों में चर्चा की गयी है कि राजस्व के अधिक सृजन हेतु जिला पंचायतों को उप-विधियां बनाने हेतु शक्ति प्राप्त है। वर्ष 2009-14 के दौरान जिला पंचायत के राजस्व का बजट अनुमान तथा उसके सापेक्ष वास्तविक संग्रहण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: जिला पंचायत में निजी स्रोतों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत राजस्व

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	कमी (प्रतिशत)
2009-10	1.29	1.28	1
2010-11	1.71	0.71	58
2011-12	1.46	1.01	31
2012-13	2.04	1.45	29
2013-14	3.03	2.51	17

(स्रोत: जिला पंचायत, मिर्जापुर)

सारणी 5 इंगित करता वर्ष 2009–14 के दौरान राजस्व वसूली में 1 से 58 प्रतिशत की गिरावट थी। जिला पंचायत के निजी स्रोतों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार संग्रहण **सारणी 6** में दिया गया है।

सारणी 6: जिला पंचायत में निजी स्रोतों से संग्रहित राजस्व

(₹ लाख में)

क्र० सं०	राजस्व संग्रहण का स्रोत	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	विभव एवं संपत्ति कर	17.94	8.40	20.15	34.99	34.66
2.	लाइसेंस शुल्क	13.86	10.53	16.47	24.01	24.22
3.	हड्डी चमड़ा	0.28	0.28	1.15	2.05	2.29
4.	कांजी हाउस	0.05	0.04	0.11	0.04	0.06
5.	तहबाजारी/कार पार्किंग	27.42	13.56	17.54	27.50	9.95
6.	दुकान से आय	3.41	2.61	2.38	5.44	5.93
7.	बालू मोरम/पत्थर खदान	50.28	25.23	31.90	43.82	132.26
8.	मत्स्य पालन/नौकाघाट	0.95	0.79	1.67	1.80	3.15
9.	मेला एवं प्रदर्शनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	अन्य	17.16	10.03	9.53	5.42	38.87
	योग	128.35	71.47	100.90	145.07	251.39

(स्रोत: जिला पंचायत, मिर्जापुर के अभिलेख)

सारणी 6 इंगित करता है कि वर्ष 2013–14 में तहबाजारी से और 2009–14 के दौरान मेले एवं प्रदर्शनी में कोई धनराशि संग्रहित नहीं की गई। अग्रेतर जांच में पाया गया कि जिला पंचायत के राजस्व में वृद्धि हेतु केवल बालू मोरम/पत्थर खदान के प्रकरण को छोड़कर, जिसे अप्रैल 2013 में पुनरीक्षित किया गया था, वर्ष 2009–14 के दौरान उपविधियों में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

उत्तर (फरवरी 2015) में शासन ने अवगत कराया कि राजस्व के स्रोत तहबाजारी एवं पार्किंग स्टैण्ड को समाप्त कर दिया गया है एवं राजस्व के कम वसूली के पीछे स्टाफ की कमी का कारण बताया।

2.2.17 नियोजन

जैसा कि पूर्व के प्रस्तर 2.2.6 में चर्चा की गयी है, जिला पंचायतों को जिला विकास योजना तैयार करने हेतु क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए अपनी वार्षिक विकास योजना बनानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत मिर्जापुर ने वर्ष 2009–14 के दौरान समेकित जिला विकास योजना तैयार नहीं की थी। इस प्रकार, मिर्जापुर में इन वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का एकीकृत दिशा-निर्देश नहीं बनाया गया था।

समापन संगोष्ठी में वार्ता के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास योजनाओं को संकलित किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया।

जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करने के उपरान्त समेकित वार्षिक विकास योजना तैयार करनी चाहिए।

2.2.18 योजनाओं का क्रियान्वयन

2.2.18.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.2.7.1 में चर्चा की गयी है कि जिला पंचायतों को पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था तथा स्थानीय आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि जिला पंचायत मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009-14 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत स्वीकृत 160 परियोजनाओं हेतु ₹ 16.98 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। मार्च 2014 तक 2011-14 से संबंधित ₹ 6.52 करोड़ की 64 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। अपूर्ण परियोजनाओं में मुख्यतः ग्राम पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी भवन, जल आपूर्ति योजनाएं एवं मार्ग निर्माण सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, उत्तर में शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2015) कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध (अगस्त 2012 से अगस्त 2013) के कारण परियोजनाओं में विलंब हुआ और वर्ष 2013-14 के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रतिबन्ध अगस्त 2013 को समाप्त हो गया था और 64 परियोजनाएं (40 प्रतिशत) मार्च 2014 तक अपूर्ण थीं।

2.2.18.2 वित्त आयोग अनुदान

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.2.7.2 में चर्चा की गयी है, के अनुसार जिला पंचायतों को बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का उपभोग केवल बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे; पेय जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मार्ग प्रकाश, मार्ग इत्यादि के रख-रखाव पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2009-14 के दौरान ₹ 38.94 करोड़ लागत की 445 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें से ₹ 11.15 करोड़ लागत के 110 परियोजनाएं (बिटुमिनस मार्ग, सीमेंट कंक्रीट मार्ग, इंटरलाकिंग एवं खडंजा) मार्च 2014 तक अपूर्ण पड़ी हुई थीं। हमने अग्रेतर यह पाया गया कि जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मार्ग प्रकाश संबंधी कोई परियोजना शामिल नहीं की गई थी।

समापन संगोष्ठी के दौरान शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2015) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत परियोजनाएं अपूर्ण थीं।

2.2.19 भूमि प्रबंधन

जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत (चल एवं अचल सम्पत्तियां) नियम, 1965 के नियम 3 से 6 के अनुसार, जिला पंचायतों को सम्पत्ति पंजिका का रख-रखाव करना चाहिए और जिला पंचायत में निहित सभी सम्पत्तियों का तीन वर्ष में कम से कम एक बार सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत मिर्जापुर में संपत्तियों का सत्यापन 1997 से नहीं किया जा रहा था। अग्रेतर जांच में पाया गया कि चार तहसीलों में

₹ 2.05 करोड़²¹ लागत की 28.49 हेक्टेअर खुली भूमि पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया था।

समापन संगोष्ठी के दौरान शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2015) कि सम्पत्ति पंजिका का उचित रखरखाव और सम्पत्तियों का समय से सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

शासन को, सम्पत्तियों का समय से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.2.20 अनुश्रवण: जिला पंचायत की बैठकें एवं इसकी समितियाँ

पूर्व में प्रस्तर 2.2.8 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत में क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कार्यों के अनुश्रवण इत्यादि के उत्तरदायित्व हेतु छः समितियाँ²² गठित की जानी थीं और जिला पंचायत द्वारा दो माह में कम से कम एक बार आम सभा की बैठक की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः समितियों में से केवल कार्य समिति और नियोजन एवं विकास समिति ही क्रियाशील थी। जिला पंचायत में 2009–14 के दौरान मानक के अनुसार 30 के सापेक्ष जिला पंचायत की केवल 20 बैठकें ही आयोजित की गईं। अग्रेतर, यह पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था जैसाकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 33(3) कि अंतर्गत अपेक्षित था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर में अवगत कराया (फरवरी 2015) जिला पंचायत की बैठकें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गयी हैं तथा समितियों की बैठकें अवश्यकतानुसार आयोजित की जा रही हैं। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायत की बैठकों में 33 प्रतिशत की कमी थी तथा छः में केवल दो समितियाँ ही क्रियाशील थी जो अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने भविष्य में विभिन्न समितियों की आवश्यक बैठकें आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतें

जनपद मिर्जापुर की 12 में से तीन क्षेत्र पंचायतों हलिया, पटेहरा कलां एवं राजगढ़ की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जांच की गई थी। क्षेत्र पंचायतें, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम द्वारा शासित हैं। क्षेत्र पंचायत की निर्वाचित सभा प्रमुख की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कर/करेतर राजस्व आरोपित करने एवं संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

²¹ सम्बन्धित तहसीलों के ग्राम पंचायतों की न्यूनतम सर्किल दरों पर गणना की गई। तहसील लालगंज: 0.8505 हेक्टेअर ₹ 6,24,653.00 प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 5.31 लाख, तहसील मढिहान, 0.6399 हेक्टेअर ₹ 4,20,280.00 प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 2.69 लाख, तहसील सदर 14.06241 हेक्टेअर ₹ 9,08,500.00 प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 127.76 लाख और तहसील चुनार: 12.93651 हेक्टेअर ₹ 5,32,000.00 प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 68.82 लाख।

²² नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति एवं जल प्रबंधन समिति।

2.2.21 बजट तैयार किया जाना

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.9 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को प्राप्तियों एवं व्यय का अनुमानित बजट तैयार करना था। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि जांच की गई तीनों क्षेत्र पंचायतों में 2009-14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया गया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.22 क्षेत्र पंचायतों में राजस्व का सृजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.10 में प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों को अपने निजी स्रोतों से राजस्व सृजित करना था। हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जांच की गई क्षेत्र पंचायतों द्वारा 2009-14 के दौरान कोई राजस्व सृजित नहीं किया गया था। इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व सृजन हेतु वांछित कोई प्रयास नहीं किया गया था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों द्वारा राजस्व सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.23 नियोजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.11 में प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों को ग्राम पंचायतों की योजनाओं के सम्मिलित करते हुए अपनी विकास योजना तैयार करनी थी तथा समेकित विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी थी। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि क्षेत्र पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक योजना तैयार की गयी थी किन्तु क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की समेकित विकास योजना क्षेत्र पंचायतों द्वारा जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी, जिससे उनकी आवश्यकताओं को शामिल न करने से जिला विकास योजना प्रभावित हुई।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतों को अपनी समेकित वार्षिक विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग्राम पंचायतें

जनपद मिर्जापुर की 758 ग्राम पंचायतों में से तीन क्षेत्र पंचायतों हलिया, पटेहराकलां एवं राजगढ़ की 15 ग्राम पंचायतों (*परिशिष्ट 2.2.1*) की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जांच की गई। ग्राम पंचायतें ग्रामों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं। ग्राम पंचायत की निर्वाचित सभा प्रधान की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन, निजी कर/करेतर राजस्व आरोपित करने आदि हेतु उत्तरदायी हैं।

2.2.24 बजट तैयार किया जाना

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.12 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का एक वार्षिक विवरण तैयार करना था। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि जांच की गई 15 ग्राम पंचायतों में से किसी ने 2009-14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.25 ग्राम पंचायतों में राजस्व का सृजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.13 में प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को अपने निजी स्रोतों से राजस्व सृजित किया जाना था। हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों में 2009-14 के दौरान कोई राजस्व का सृजन नहीं हुआ था। इस प्रकार ग्राम पंचायतों का स्वावलंबी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.26 भूमि प्रबंधन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.14 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत में निहित अचल संपत्तियों के लिए एक पंजिका का रख-रखाव करना था और ग्राम सभा की भूमि पर किसी अतिक्रमण के प्रकरण में कब्जेदार को नोटिस जारी किया जाना एवं तदोपरांत ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच किए गए ग्राम पंचायतों ने अचल संपत्ति पंजिका का रख-रखाव नहीं किया था। जिसके अभाव में ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, जनपद की जांच की गई ग्राम पंचायतों से संबंधित तहसीलों से एकत्र की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि 24 प्रकरणों में 1.398 हेक्टेअर ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण किया गया था जो कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन थे।

जिला पंचायत, वाराणसी

जिला पंचायत वाराणसी, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत शासित है। इसमें 39 निर्वाचित सदस्य हैं तथा उनका एक अध्यक्ष है। यह जनपद के आठ क्षेत्र पंचायतों एवं 702 ग्राम पंचायतों के ताल मेल से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

2.2.27 वित्तीय प्रबंधन

जिला पंचायत, वाराणसी की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय को नीचे सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7: वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक अवशेष	7.90	3.58	3.62	6.81	5.91
अनुदान से प्राप्तियां	6.23	7.25	7.82	10.36	20.55
निजी स्रोत से प्राप्तियां	0.68	0.66	0.73	1.74	1.86
वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां	6.91	7.91	8.55	12.10	22.41
कुल उपलब्ध धनराशि	14.81	11.49	12.17	18.91	28.32
व्यय (उपलब्ध धनराशि का प्रतिशत)	11.23 (76)	7.87 (68)	5.36 (44)	13.00 (69)	23.39 (83)
समर्पित धनराशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम अवशेष	3.58	3.62	6.81	5.91	4.93

(स्रोत: जिला पंचायत, वाराणसी के अभिलेख)

सारणी 7 इंगित करता है कि कुल उपलब्ध धनराशि (2009-14) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 44 से 83 प्रतिशत था। अग्रेतर, पाया गया कि मार्च 2014 के अंत तक ₹ 4.93 करोड़ बिना उपभोग के अवशेष पड़ा था। धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण निधियों का कम उपभोग किया गया जैसा कि प्रस्तर 2.2.30 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

समापन संगोष्ठी में (फरवरी 2015) शासन ने आश्वासन दिया कि धनराशि का उपयोग शीघ्र कर लिया जाएगा।

2.2.28 राजस्व उद्ग्रहण

जैसा कि पूर्व के प्रस्तर 2.2.5 के प्रावधानों में चर्चा की गयी है कि राजस्व के अधिक सृजन हेतु जिला पंचायतों को उप-विधियां बनाने हेतु शक्ति प्राप्त है। वर्ष 2009-14 के दौरान जिला पंचायत के राजस्व का बजट अनुमान तथा उसके सापेक्ष वास्तविक संग्रहण **सारणी 8** में दिया गया है।

सारणी 8: जिला पंचायत में निजी स्रोतों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	कमी (प्रतिशत)
2009-10	0.78	0.68	13
2010-11	0.97	0.66	32
2011-12	1.03	0.73	29
2012-13	2.50	1.74	30
2013-14	1.86	1.86	0

(स्रोत: जिला पंचायत, वाराणसी)

सारणी 8 इंगित करती है कि वर्ष 2009-13 के दौरान राजस्व वसूली में 13 से 32 प्रतिशत की गिरावट थी। जिला पंचायत के निजी स्रोतों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार संग्रहण **सारणी 9** में दिया गया है।

सारणी 9: जिला पंचायत में निजी स्रोतों से संग्रहित राजस्व

(₹ लाख में)

क0 सं0	राजस्व संग्रहण का स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	विभव एवं संपत्ति कर	42	43.22	51.44	59.26	68.97
2.	लाइसेंस शुल्क	13.67	11.48	16.12	30.03	25.85
3.	हड्डी चमड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कांजी हाउस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	तहबजारी/कार पार्किंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दुकान से आय	0.00	1.54	0.25	0.17	0.32
7.	बालू मोरम/पत्थर खदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	मत्स्य पालन/नौकाघाट	11.91	9.98	5.15	13.51	6.24
9.	मेंला एवं प्रदर्शनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	अन्य	0.00	0.00	0.00	71.52	84.65
योग		67.58	66.22	72.96	174.49	186.03

(स्रोत: जिला पंचायत, वाराणसी के अभिलेख)

सारणी 9 इंगित करता है कि 2009-14 के दौरान कांजी हाउस, तहबाजारी, मेले एवं प्रदर्शनी तथा हड्डी चमड़ा मद में कोई धनराशि संग्रहित नहीं की गई एवं 2012-13 की तुलना में 2013-14 में लाइसेंस शुल्क में गिरावट आई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला पंचायत में वित्तीय वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व में वृद्धि हेतु उपविधियों में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि राजस्व बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2009-14 के दौरान उपविधियों में संशोधन नहीं किया गया था।

2.2.29 नियोजन

जैसा कि पूर्व के प्रस्तर 2.2.6 में चर्चा की गयी है कि जिला पंचायतों को जिला विकास योजना तैयार करने हेतु क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करते हुए अपनी वार्षिक विकास योजना बनानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत ने 2009-14 के दौरान क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की योजनाओं को संकलित कर समेकित जिला विकास योजना तैयार नहीं की थी।

समापन गोष्ठी के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास योजनाओं को संकलित किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया।

जिला पंचायत को ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करने के उपरांत समेकित वार्षिक विकास योजना तैयार करनी चाहिए।

2.2.30 योजनाओं का क्रियान्वयन: वित्त आयोग अनुदान

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.2.7.2 में चर्चा की गयी है कि जिला पंचायतों को बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का उपभोग केवल बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे; पेय जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मार्ग प्रकाश, इत्यादि के रख-रखाव पर किया जाना था।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 2009-14 के दौरान ₹ 22.88 करोड़ लागत की 358 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनमें से 2011-14 से सम्बन्धित ₹ 5.59 करोड़ लागत के 80 परियोजनाएं (बिटुमिनस मार्ग, सीमेंट कंक्रीट मार्ग, इंटरलाकिंग एवं खड़जा) मार्च 2014 तक अपूर्ण पड़ी हुई थी। हमने अग्रेतर यह पाया गया कि जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मार्ग प्रकाश संबंधी कोई परियोजना शामिल नहीं की गई थी।

समापन संगोष्ठी में वार्ता के दौरान शासन ने अवगत कराया (फरवरी 2015) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां/तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत परियोजनाएं अपूर्ण थीं।

2.2.31 अनुश्रवण: जिला पंचायत की बैठकें एवं इसकी समितियाँ

पूर्व में प्रस्तर 2.2.8 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत में क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कार्यों के अनुश्रवण इत्यादि के उत्तरदायित्व हेतु छः समितियाँ²³ गठित की जानी थीं और जिला पंचायत द्वारा दो माह में कम से कम एक बार आम सभा की बैठक की जानी थी। तथापि, जिला पंचायत में 2009-14 के दौरान मानक के अनुसार 30 के सापेक्ष जिला पंचायत की 22 बैठकें आयोजित की गईं। अग्रेतर, यह पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था जैसा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 33(3) के अंतर्गत वांछित था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर में अवगत कराया (फरवरी 2015) कि जिला पंचायत की बैठकें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गयी थी तथा समितियों की बैठकें अवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायत की बैठकों में 27 प्रतिशत की कमी थी तथा छः में केवल दो समितियाँ ही क्रियाशील थी जो अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने भविष्य में विभिन्न समितियों की आवश्यक बैठकें आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतें

जनपद वाराणसी की आठ में से तीन क्षेत्र पंचायतों बड़ागांव, चोलापुर और सेवापुरी की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जांच की गई थी। क्षेत्र पंचायतें, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम द्वारा शासित हैं। क्षेत्र पंचायत का निर्वाचित सभा प्रमुख की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कर/करेत्तर राजस्व आरोपित करने एवं संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

²³ नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति एवं जल प्रबंधन समिति।

2.2.32 बजट तैयार किया जाना

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.9 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को प्राप्तियों एवं व्यय का अनुमानित बजट तैयार करना था। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि जांच की गई तीनों क्षेत्र पंचायतों में 2009-14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया गया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.33 क्षेत्र पंचायतों में राजस्व का सृजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.10 में प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों को अपने निजी स्रोतों से राजस्व सृजित करना था। हलांकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जांच की गई किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान स्वयं के स्रोतों से कोई राजस्व सृजित नहीं किया गया था जैसा कि अधिनियम में वांछित था। इस प्रकार क्षेत्र पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सका।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने क्षेत्र पंचायतों द्वारा राजस्व सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.34 नियोजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.11 में प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र पंचायतों को ग्राम पंचायतों की योजनाओं के सम्मिलित करते हुए अपनी विकास योजना तैयार करनी थी तथा समेकित विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी थी। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि क्षेत्र पंचायतों ने अपना वार्षिक योजना तैयार की थी किन्तु क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की समेकित विकास योजना क्षेत्र पंचायतों द्वारा जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी, जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास योजना को प्रस्तुत न किये जाने के कारणों को अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र पंचायतों को अपनी समेकित वार्षिक विकास योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग्राम पंचायतें

जनपद वाराणसी की 702 ग्राम पंचायतों में से तीन क्षेत्र पंचायतों बड़ागांव, चोलापुर और सेवापुरी की 15 ग्राम पंचायतों (*परिशिष्ट 2.2.1*) की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु जांच की गई। ग्राम पंचायतें ग्रामों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं। ग्राम पंचायत की निर्वाचित सभा प्रधान की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन, निजी कर/करेतर राजस्व आरोपित करने आदि हेतु उत्तरदायी है।

2.2.35 बजट तैयार किया जाना

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.12 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का एक वार्षिक विवरण तैयार करना था। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में पाया कि जांच की गई 15 ग्राम पंचायतों में से किसी ने 2009-14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया था। बजट तैयार नहीं किए जाने का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों में बजट तैयार किए जाने का नया निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

2.2.36 ग्राम पंचायतों में राजस्व का सृजन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.13 में प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को अपने निजी स्रोतों से राजस्व सृजित किया जाना था। हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जांच की गई सभी 15 ग्राम पंचायतों में 2009-14 के दौरान कोई राजस्व का सृजन नहीं हुआ था। इस प्रकार ग्राम पंचायतों का स्वावलंबी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

समापन संगोष्ठी (फरवरी 2015) के दौरान शासन ने ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व सृजन हेतु यथोचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।

2.2.37 भूमि प्रबंधन

पूर्व में चर्चा किये गये प्रस्तर 2.2.14 में प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत में निहित अचल संपत्तियों के लिए एक पंजिका का रख-रखाव करना था। और ग्राम सभा की भूमि पर किसी अतिक्रमण के प्रकरण में कब्जेदार को नोटिस जारी किया जाना एवं तदोपरांत ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच किए गए ग्राम पंचायतों ने अचल संपत्ति पंजिका का रख-रखाव नहीं किया था। अचल संपत्ति पंजिका के अभाव में इन ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों एवं अन्य ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, जनपद की जांच की गई ग्राम पंचायतों से संबंधित तहसीलों से एकत्र की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि 26 प्रकरणों में 1.964 हेक्टेअर ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण किया गया था जो कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन थे।

2.2.38 निष्कर्ष

- परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण सभी तीनों जिला पंचायतों में मार्च 2014 तक ₹ 36.18 करोड़ अवशेष पड़ी हुई थीं (जिला पंचायत: कौशाम्बी: ₹ 12.65 करोड़, जिला पंचायत मिर्जापुर: ₹ 18.60 करोड़ और जिला पंचायत वाराणसी: ₹ 4.93 करोड़)।

- अनुमानित राजस्व की तुलना में राजस्व का संग्रहण कम हुआ था। जिला पंचायतों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की जिला विकास योजनाओं को न तैयार करने से नियोजन भी अपर्याप्त था। सम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन न किये जाने से भूप्रबंधन प्रभावशील नहीं था। विकास परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए निर्धारित समितियां क्रियाशील नहीं थीं तथा जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत

अधिनियम, 1961 की धारा 33(3) के अनुसार वांछित क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण भी नहीं किया जा रहा था।

- जांच किए गए क्षेत्र पंचायतों में से किसी ने भी वर्ष 2009–14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया था। ये क्षेत्र पंचायतें निजी स्रोतों से राजस्व भी सृजित नहीं की थी। अग्रेतर, क्षेत्र पंचायतों ने ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं को संकलित कर जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया था।
- जांच किए गए ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2009–14 के दौरान बजट तैयार नहीं किया था तथा निजी स्रोतों से राजस्व भी सृजित नहीं कर सके थे। अग्रेतर, जांच किए गए ग्राम पंचायतों में भूमि प्रबंधन भी प्रभावशील नहीं था।

2.3.1 अलाभकारी व्यय

वर्ष 2008-09 की अवधि में जिला पंचायत रामपुर में दुकानों के निर्माण पर किया गया ₹ 11.61 लाख का व्यय दुकानें आवंटित नहीं होने के कारण अलाभकारी रहा।

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश²⁴ यह प्रावधानित करता है कि जिला पंचायत उन जमीनों पर जिनकी वाणिज्यिक उपयोगिता है, दुकानों एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण द्वारा अपनी आय बढ़ा सकता है। निर्माण लागत का वहन इच्छुक पार्टियों में से अधिकतम बोली वाले निविदादाता से अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम से किया जाना था। प्रीमियम की धनराशि निविदा प्रक्रिया के तुरन्त बाद जमा की जानी थी।

जिला पंचायत, रामपुर के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2013) में पाया गया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तहसील बिलासपुर में 22 दुकानों²⁵ के निर्माण के लिए राज्य वित्त आयोग के अधीन ₹ 16.26 लाख²⁶ की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2008) जिसे पुनरीक्षित करके ₹ 17.11²⁷ लाख किया गया था (मार्च 2009)। 20 दुकानों एवं दो सीढ़ियों का निर्माण ₹ 17.11 लाख के व्यय से पूरा (मार्च 2009) हो गया था। यह पाया गया कि जिला पंचायत ने फरवरी 2009 से अक्टूबर 2013 की अवधि में इन दुकानों की नीलामी के लिए 28 बार प्रयत्न किए, किन्तु केवल छः दुकानें ₹ 5.50 लाख में नीलाम हो सकी (फरवरी 2009) एवं शेष 14 दुकानें उनके निर्माण के पांच साल से अधिक के बाद भी नीलाम न हो सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रामपुर ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि जिला पंचायत के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दुकानों का निर्माण किया गया था एवं चूंकि दुकानें प्रथम तल पर स्थित थी इसलिए दुकानों का आवंटन नहीं हो सका। अपर मुख्य अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छः नीलाम हुई दुकानें भी पहले तल पर ही स्थित थी।

इस प्रकार इच्छुक पार्टियों से अग्रिम में वसूले गए प्रीमियम से दुकानों के निर्माण के बजाय राज्य वित्त आयोग अनुदान से दुकानों का निर्माण दिनांक 27 दिसम्बर 1997 के शासनादेश तथा राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। अग्रेतर, निर्माण के पूर्व दुकानों की मांग का आकलन भी नहीं किया गया था जिस कारण दुकाने आवंटित न हो सकी एवं ₹ 11.61 लाख का व्यय (₹ 17.11 लाख-₹ 5.50 लाख) अलाभकारी रहा।

शासन ने उत्तर में कहा (फरवरी 2015) कि दुकानों का प्रीमियम उच्चतर दरों पर निर्धारित किया गया था जिसे भविष्य में पुनः नीलामी के लिए पुनरीक्षित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दुकानों का निर्माण प्रीमियम की धनराशि से ही किया जाना था न कि राज्य वित्त आयोग अनुदान से।

वार्ता के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

²⁴ 6336/33-3-97-185 जी/ 97 दिनांक 27 दिसम्बर 1997।

²⁵ निर्माण के दौरान स्वीकृत लागत के अन्तर्गत 20 दुकानों तथा दो सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था।

²⁶ ₹ 8.97 लाख 12 दुकानों के लिए तथा ₹ 7.29 लाख 10 दुकानों के लिए।

²⁷ ₹ 9.86 लाख 12 दुकानों (10 दुकानें + 2 सीढ़ियां) के लिए तथा ₹ 7.25 लाख 10 दुकानों के लिए।

2.3.2 अधोमानक सड़क के निर्माण के कारण हानि

वर्ष 2009–10 की अवधि में जिला पंचायत संत कबीरनगर में ₹ 28.98 लाख के व्यय के द्वारा अधोमानक सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया था जो कि समय से पहले क्षतिग्रस्त हो गयी और बाद में ₹ 20 लाख का परिहार्य व्यय कर के मरम्मत की गयी।

इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रस्तर 3.3 एसपी: 62–2004, के अनुसार निर्मित कंकरीट खडंजों की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण सड़कों के लिए लागू इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रस्तर 7.1, एसपी: 62–2004 के अनुसार ग्रामीण सड़को का कंकरीट खडंजा समुचित रूप से सुदृढीकृत आधार पर बनाया जाना चाहिए जो कि चुने हुए कोर्स ग्रेडेड मिट्टी से निर्मित की जानी चाहिए। जिला पंचायत को अधोमानक कार्य अथवा ठेकेदार को अधिक भुगतान के कारण हुई किसी भी हानि की वसूली का 50 प्रतिशत ठेकेदार से वसूल किया जाना था²⁸।

जिला पंचायत, संत कबीर नगर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2013) में पाया गया कि ग्राम बड़गो में खलीलाबाद मेहदावल मुख्य मार्ग से विकास भवन (410 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौड़ाई) तक सी.सी. रोड के निर्माण के लिए वर्ष 2008–09 में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान से प्राक्कलन तैयार किया गया था, जिसके लिए ₹ 29.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी (जनवरी 2009)। जिला पंचायत, अध्यक्ष द्वारा ₹ 29 लाख की कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी (जनवरी 2009)। ठेकेदार को कार्य का ठेका दे दिया गया था (जनवरी 2009)। सड़क निर्माण कार्य ₹ 28.98 लाख के व्यय के बाद दिसम्बर 2009 में पूर्ण हुआ था। यह पाया गया कि सड़क दो साल से कम समय में ही क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि इस कार्य का निष्पादन सब बेस के नीचे मिट्टी की उचित कूटाई सुनिश्चित किए बिना किया गया था। यह तथ्य इंजीनियर, जिला पंचायत के प्रतिवेदन में प्रदर्शित हुआ था (सितम्बर 2011)। परिणाम स्वरूप उसी सड़क की मरम्मत दो चरणों में की गई थी जिसके लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान के अधीन ₹ 20 लाख का व्यय (₹ 10 लाख दिसम्बर 2012 में एवं ₹ 10 लाख अप्रैल 2013 में) किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया (मार्च 2013) कि कार्य प्रशासनिक दबाव में जल्दी में किया गया था किन्तु आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी। अपर मुख्य अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूरी सड़क 20 वर्ष के अपेक्षित जीवन काल के सापेक्ष अपने निर्माण के दो वर्ष से कम समय में ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। अग्रेतर, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से की जाने वाली हानि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का पालन न किये जाने के कारण शासन को ₹ 20 लाख की हानि हुई।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2015) कि जनपद सन्तकबीर नगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तथा भूजल के उच्च स्तर के कारण भारी वाहनों के दबाव में सड़क टूट जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभियन्ता जिला पंचायत की जांच रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया था कि सब बेस के नीचे मिट्टी की उचित कूटाई सुनिश्चित न किये जाने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी।

²⁸ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा ठेकेदार के मध्य किये गये अनुबंध के प्राक्कलन।

वार्ता के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

2.3.3 परिहार्य व्यय

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित विशिष्टियों का अनुपालन न करने के कारण जिला पंचायत, अलीगढ़ में ₹ 35.07 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्रामीण सड़को के निर्माण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण सड़को के निर्माण से सम्बन्धित विशिष्टियों²⁹ का पालन किया जाना था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था³⁰ (जून 2007) कि ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण में ऊपरी कोट/वाटर बाउण्ड मैकेडम परत के ऊपर सीधे प्राइम कोट लगाकर प्रीमिक्स कारपेटिंग एवं सील कोट सीधे लगा देना चाहिए। विशिष्टियों के अनुसार प्रथम सतह लेपन (पी-1) का कार्य आवश्यक नहीं था।

जिला पंचायत, अलीगढ़ के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2013) में पाया गया कि क्रमशः अपर मुख्य अधिकारी एवं इंजीनियर जिला पंचायत द्वारा ₹ 1.84 करोड़ की लागत की 20 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (7,773 मीटर) के निर्माण के लिए प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन (अप्रैल 2011 से जनवरी 2013) किया गया। सड़को का निर्माण ₹ 1.82 करोड़ में जुलाई 2011 से मई 2013 के बीच किया गया था। हालांकि, लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के विपरीत, डब्ल्यूबीएम एवं पीसी के मध्य पी-1 के लेपन के कारण ₹ 35.07 लाख का परिहार्य व्यय हुआ (*परिशिष्ट 2.3.1*)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया (सितम्बर 2013) कि स्थल की आवश्यकतानुसार सड़को का निर्माण किया गया था एवं प्राक्कलन में पी-1 का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिनांक 13 जून 2007 के परिपत्र में उल्लिखित विशिष्टियों में ग्रामीण सड़को के लिए पी-1 का प्रावधान नहीं था चाहे कार्यस्थल की परिस्थितियां जो भी हों। उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों का पालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.07 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

वार्ता के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

2.3.4 कपटपूर्ण भुगतान

वर्ष 2011-12 की अवधि में क्षेत्र पंचायत नारखी, जिला फिरोजाबाद में समान मजदूरी एवं समान क्रियान्वयन तिथि वाले दो उपस्थिति पंजिका पर ₹ 1.01 लाख कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रस्तर 101 क के अनुसार क्षेत्र पंचायत की निधि से धन का समस्त आहरण एवं वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश

²⁹ एमओआरटी एवं एच विशिष्टियां 2001 के उपबंध 511 व 513।

³⁰ परिपत्र सं० 3583 एमटी/60 एमटी/2007 दिनांक 13.06.2007

जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य खाता) नियम, 1965 के नियम 69 में यह प्रावधानित है कि सम्बन्धित अधिकारियों (जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत) का यह कर्तव्य होगा कि व्यय के खाते रखें, उसे बजटीय/स्वीकृत सीमाओं के अन्दर रखें एवं दोहरे भुगतान को रोकने के लिए बिलों की जांच करें।

क्षेत्र पंचायत नारखी, जिला फिरोजाबाद के अभिलेखों की जांच (मार्च 2013) में पाया गया कि ग्राम जौधारी में "विनोद कुमार की दुकान से सहकारी समिति होते हुए नाला पुलिया तक" खड़जा कार्य के लिए राज्य वित्त अनुदान के अधीन तकनीकी स्वीकृति (₹ 9.16 लाख) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गयी (सितम्बर 2011)। 25 नवम्बर 2011 एवं 24 दिसम्बर 2011 के बीच क्रियान्वित किये गये कार्य के लिए ₹ 95,580³¹ का भुगतान (ढुलाई की गयी मिट्टी पर हुए व्यय ₹ 33,600 को समाहित करते हुए) मस्टर रोल संख्या 28 एवं 32 द्वारा किया गया एवं ₹ 1.01 लाख³² का एक और भुगतान (ढुलाई की गयी मिट्टी पर हुए व्यय ₹ 43,200 को शामिल करते हुए) समान नाम एवं समान क्रियान्वयन तिथि वाले मस्टर रोल संख्या 31 एवं 33 के माध्यम से किया गया था (परिशिष्ट 2.3.2)।

इस प्रकार क्षेत्र पंचायत नारखी, जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1.01 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया था।

वार्ता के दौरान (फरवरी 2015) शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

³¹ ₹ 120/-प्रतिदिन की दर से 413 मानव दिवसों हेतु 29 मजदूर, ₹ 230/-प्रतिदिन की दर से 54 मानव दिवसों हेतु 4 मिस्त्री, तथा ₹ 800/-प्रतिदिन की दर से 42 मानव दिवसों हेतु 3 ट्रैक्टर।

³² ₹ 120/-प्रतिदिन की दर से 395 मानव दिवसों हेतु 28 मजदूर, ₹ 230 प्रतिदिन की दर से 46 मानव दिवसों के लिए 4 मिस्त्री, तथा ₹ 800/-प्रतिदिन की दर से 54 मानव दिवसों के लिए 4 ट्रैक्टर।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) में शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने तथा उनको अधिक कार्य एवं निधियों का हस्तांतरण करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढाँचे के अन्तर्गत नगर निगम¹, नगर पालिका परिषद² तथा नगर पंचायत³ को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गयीं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश शहरी स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया।

सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अन्तिम पायदान तक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को लागू किया। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना था।

3.2 राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश, देश का पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है जो लगभग 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य में 630 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि के लिए चुने गये सदस्यों की परिषद द्वारा शासित होते हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों का अन्तिम निर्वाचन वर्ष 2012 में हुआ था। राष्ट्रीय मूल्य के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा सारणी 1 में दी गयी है।

सारणी 1: राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

क्र० सं०	संकेतक	इकाई	राज्य मूल्य	राष्ट्रीय मूल्य
1	शहरी जनसंख्या	प्रतिशत	22.27	31.16
2	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संख्या	630	3.842
3	नगर निगमों की संख्या	संख्या	13	139
4	नगर पालिका परिषदों की संख्या	संख्या	194	1,595
5	नगर पंचायतों की संख्या	संख्या	423	2,108
6	लिंग अनुपात (शहरी)	1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं	894	926
7	साक्षरता (शहरी)	प्रतिशत	75.14	84.98

(स्रोत—जनगणना रिपोर्ट 2011 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग रिपोर्ट)

¹ पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।


² बीस हजार एवं पाँच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।

³ बीस हजार से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को निरूपित करता है।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

शहरी स्थानीय निकायों के संगठनात्मक ढाँचे का विवरण चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत—निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

नगर निगम में जहाँ महापौर अध्यक्ष होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की अध्यक्षता सभापति करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अधिशाली अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण में निदेशक, स्थानीय निकाय सम्बन्धित निकायों का प्रमुख होता है।

3.3.1 शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी समितियाँ


उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 88 से 105 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 से 112 के उपबन्धों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्थायी समितियों के गठन की आवश्यकता थी। किन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी समितियों के गठन तथा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी कोई सूचना मांगे जाने पर भी प्रदान नहीं की गई (जनवरी 2015)।

3.4 वित्तीय विवरणिका

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधि प्रवाह

रख-रखाव एवं विकास के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन आधार निजी प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्तर पर निधिवार स्रोत तथा इसकी अभिरक्षा नीचे चार्ट 2 एवं सारणी 2 में दी गयी है:-

चार्ट 2: स्थानीय निकायों में निधियों का प्रवाह



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी 2: केन्द्र द्वारा मुख्य रूप से पोषित फ्लैगशिप योजना में निधि प्रवाह व्यवस्था

योजना का नाम	निधि प्रवाह व्यवस्था
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	भारत सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशानुसार सभी स्रोतों (केन्द्र, राज्य, शहरी स्थानीय निकाय) उनसे सम्बन्धित प्रतिशत के हिस्से के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के खाते तथा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा रख रखाव किये गये प्रोजेक्ट खाते जिसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, में निधि अवमुक्त की जाती है।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

3.4.2 राजस्व प्रवाह

बारहवें वित्त आयोग के गठन के साथ शहरी स्थानीय निकायों को पहली बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि कर शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तदनुसार, बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदान अवमुक्त किये जाने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने भी अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त किया। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत निम्नलिखित हैं:-

- बारहवें एवं तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा सौंपे गये अनुदान।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का सात प्रतिशत अंश दिया जाना।

● शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से निधियों का हस्तान्तरण।

● शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे-कर, किराया, शुल्क आदि।

शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2009-14 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति सारणी 3 में दी गयी है।

सारणी 3: वर्ष 2009-14 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

राजस्व के स्रोत												
क्र० सं०	वर्ष	निजी राजस्व			कुल निजी प्राप्ति	12वें/13वें केन्द्रीय वित्त आयोग से स्थानान्तरण	सुपुर्द/ अन्तरण राज्य वित्त आयोग	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन एवं आदर्श नगर योजना	कुल प्राप्ति	व्यय		कुल व्यय
		कर राजस्व		करेतर टैक्स (यूजर चार्जस सहित)						राजस्व	पूँजी	
		अचल सम्पत्ति कर	अन्य कर									
1	2009-10	455.04	57.68	271.07	783.79	103.40	2,290.45	870.56	4,048.20	3,162.04	1,732.23	4,894.27
2	2010-11	507.39	78.67	350.34	936.40	274.92	2,730.74	962.98	4,905.04	3,359.90	1,893.87	5,253.77
3	2011-12	647.16	68.88	373.15	1,089.19	517.51	3,354.37	1,539.28	6,500.35	4,207.63	2,457.61	6,665.24
4	2012-13*	776.60	82.66	447.76	1,307.02	756.49	3,993.98	1,355.34	7,412.83	5,049.15	2,949.13	7,998.28
5	2013-14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	760.01	5,809.65	1,108.67	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ) * (अनुमानित + वास्तविक)

नोट: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा वर्ष 2013-14 के आंशिक आंकड़े ही जनवरी 2015 तक उपलब्ध कराये गये।

सारणी 3 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009-13 अवधि के दौरान प्राप्तियों की तुलना में व्यय अधिक हुआ है। इस ओर इंगित किये जाने पर निदेशक स्थानीय निकाय लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व वर्षों की अवशेष निधियों को अनुवर्ती वर्षों में व्यय किया गया।

3.4.3 शहरी स्थानीय निकायों को बजट का प्रावधान एवं अवमुक्त किया जाना

शहरी स्थानीय निकायों को बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गई निधियों की स्थिति नीचे सारणी 4 में दी गयी है।

सारणी 4: राज्य बजट से राज्य वित्त आयोग को निधियों का प्रावधान।

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	सामान्य		सशोधित		योग		कम/ अधिक (-) (+)
		बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त धनराशि	बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त धनराशि	बजट प्रावधान	शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त धनराशि	
1	2009-10	2,120.59	2,065.13	25.15	25.15	2,145.74	2,090.28	(-) 55.46
2	2010-11	2,565.68	2,514.37	45.15	45.15	2,610.83	2,559.52	(-) 51.31
3	2011-12	2,790.00	2,758.76	326.13	326.13	3,116.13	3,084.89	(-) 31.24
4	2012-13	3,373.65	3,303.91	393.66	393.66	3,767.31	3,697.57	(-) 69.74
5	2013-14	4,875.00	4,808.61	1,001.04	1,001.04	5,876.04	5,809.65	(-) 66.39

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–14 के दौरान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत बजट प्रावधान के अनुसार धनराशि अवमुक्त नहीं की थी तथा कुल अवमुक्त धनराशि बजट प्रावधान के सापेक्ष कम थी।

केन्द्रीय वित्त आयोग निधि का आवंटन

वर्ष 2009–14 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग निधि का आवंटन एवं अवमुक्त की गई धनराशि की स्थिति **सारणी 5** में दर्शायी गयी है।

सारणी 5: केन्द्रीय वित्त आयोग निधि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	सामान्य प्राथमिक अनुदान		सामान्य निष्पादन अनुदान		योग		कुल स्वीकृत से कम(-)/अधिक(+) अवमुक्त
		स्वीकृत	अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	
1	2009–10	103.40	103.40	—	—	103.40	103.40	—
2	2010–11	274.92	274.92	—	—	274.92	274.92	—
3	2011–12	318.83	344.60	109.02	172.91	427.85	517.51	(+) 89.66
4	2012–13	372.61	391.47	255.72	365.01	628.33	756.48	(+) 128.15
5	2013–14	441.50	451.62	301.63	308.39	743.13	760.01	(+) 16.88

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी 5 से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011–14 के दौरान स्वीकृत निधियों से अधिक निधि अवमुक्त करने का कारण था कि राज्य ने अतिरिक्त अनुदानों के लिए तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के नौ शर्तों को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त गैर क्रियाशील राज्य के बजट को भी क्रियाशील राज्यों के बीच में वितरित कर दिया गया।

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने लेखाओं के उचित ढंग से तैयार न करने, बैंक खातों के अनियमित संचालन, बैंक के लेखाओं का मिलान न करने एवं ई-गवर्नेंस लागू न किये जाने के प्रकरण पाये।

3.4.4 प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार ने दिसम्बर 2005 में प्रमुख शहरों में सुधार एवं तीव्रगामी प्रोत्साहन के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरुआत की। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–14 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में किये गये व्यय को **सारणी 6** में दिया गया है।

सारणी 6: जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2009–10	770.52	770.52
2	2010–11	866.50	866.50
3	2011–12	1,512.43	1,512.43
4	2012–13	1,279.38	1,279.38
5	2013–14	911.63	911.63
	योग	5,340.46	5,340.46

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी 6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-14 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को आंवटित समस्त धनराशि उपभोग कर ली गयी थी। निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गई धनराशि को अन्तिम व्यय माना जायें।

3.4.5 निजी संसाधनों से वसूल किया गया राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रीय निवासियों से कर, किराया व शुल्क आदि के संग्रहण द्वारा राजस्व का सृजन करना था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2012-14 के दौरान शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली का लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति **सारणी 7** में दी गयी है।

सारणी 7: निजी संसाधनों से वसूल किया गया राजस्व।

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी	संख्या	2012-13			2013-14		
		लक्ष्य	प्राप्ति	कमी प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी प्रतिशत
नगर निगम	13	1,117.80	999.84	11	1,334.46	806.98	40
नगर पालिका परिषद	194	358.65	238.64	33	426.63	320.84	25
नगर पंचायत	423	91.85	68.54	25	114.37	75.80	34

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)


सारणी 7 से स्पष्ट है कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। तथापि लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारणों का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे भविष्य में सुधार हेतु कदम उठाये जा सकें।

3.4.6 राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य सरकार के कर राजस्व के निवल उत्पाद का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना चाहिए था परन्तु तृतीय राज्य वित्त आयोग ने इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। वर्ष 2009-14 के दौरान हस्तान्तरित निधि **चार्ट 3** एवं **परिशिष्ट 3.1** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 3: कर राजस्व के निर्धारित निवल उत्पाद के सापेक्ष राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत : निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

चार्ट 3 से यह स्पष्ट है कि सरकार ने वर्ष 2009–13 के दौरान किसी भी वर्ष में द्वितीय राज्य वित्त आयोग एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कर राजस्व के निवल उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अन्तरित नहीं किया, जबकि वर्ष 2013–14 में निधि का अन्तरण 32 प्रतिशत अधिक हुआ। मानकों के अनुसार निधियों को अन्तरित न करने के कारणों को लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.5 लेखाओं का रख-रखाव

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रारूपों को अपनाना

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपार्जन आधार पर बजट एवं लेखांकन पद्धति के प्रारूप निर्धारित किये गये थे, जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकार को परिपत्र (जून 2003) जारी किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इसे शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2009–10 से लागू करने के लिए एक आदेश (जून 2008) जारी किया।

जुलाई 2014 तक 630 शहरी स्थानीय निकायों में से 611 निकाय उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के प्रचालन की अग्रिम अवस्था में थे। मात्र 436 शहरी स्थानीय निकायों ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के अपने तुलन-पत्र को अन्तिम रूप दिया। निदेशक, स्थानीय निकाय ने आश्वासन दिया (जुलाई 2014) कि इसे सभी शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2014 तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया जायेगा, परन्तु क्रियान्वयन की प्रगति की स्थिति निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा जनवरी 2015 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

3.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

3.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक है। ऐसे निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, इलाहाबाद द्वारा 13 से 20 प्रतिशत के बीच नहीं की गई जो कि 2010–14 के अंत में बकाया रह गयी थी। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा कराये गये लेखों की लेखापरीक्षा के सापेक्ष बकायों की वर्षवार स्थिति सारणी 8 में दी गई है।

सारणी 8 : इकाईयों की वर्षवार लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र० सं०	वर्ष	इकाईयों की संख्या		बकाया इकाईयों की संख्या	
		लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षित	संख्या में	प्रतिशत में
1	2010–11	624	542	82	13
2	2011–12	625	529	96	15
3	2012–13	624	510	114	18
4	2013–14	628	500	128	20

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा)


उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के उपबन्ध 8 (3) के अधीन निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करके विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु सरकार

को प्रस्तुत करना था। यद्यपि केवल वर्ष 2009-10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतः 2010-13 अवधि के समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना शेष था।

3.6.2 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

- स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों/निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अर्न्तगत की जाती है।
- तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता व्यवस्था के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की नमूना जाँच, लेखापरीक्षा पद्धति की समीक्षा एवं स्थानीय निधि लेखापरीक्षक की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्मिलित है।
- तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता व्यवस्था के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच के प्रतिवेदनों को प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तारों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को प्रेषित किये गये।
- लेखापरीक्षा परिणाम अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को सचिव, नगर विकास विभाग, निदेशक स्थानीय निकाय एवं निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को अनुपालन एवं कार्यवाही करने के लिए प्रेषित किया गया। शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली को चार्ट 4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली



शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं को जाँच-खाँची-रखाव हेतु तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता की व्यवस्था एवं उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के

अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर सौंपा गया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को सभी राज्यों के स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता के साथ सौंपा गया, जिससे राज्य के सभी स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन प्रारूप के मानकीकरण के आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा का विश्वसनीय आश्वासन उपलब्ध कराया जा सकेगा। सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को अक्टूबर 2001 एवं पुनः मार्च 2011 में सौंपी गयी। वर्ष 2012-14 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की योजना एवं लेखापरीक्षित इकाईयों की श्रेणी सारणी 9 में प्रदर्शित की गयी है।

सारणी 9: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी	2012-13		2013-14	
	लेखापरीक्षा हेतु नियोजित इकाईयाँ	लेखापरीक्षित इकाईयाँ	लेखापरीक्षा हेतु नियोजित इकाईयाँ	लेखापरीक्षित इकाईयाँ
नगर निगम	8	6	11	10
नगर पालिका परिषद	29	31	64	62
नगर पंचायत	60	49	60	56

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का लेखापरीक्षा आयोजना)

वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 से संबंधित क्रमशः 485 (मूल्य ₹ 3,787.45 करोड़) एवं 756 (मूल्य ₹ 4,107.19 करोड़) लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयाध्यक्षों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को प्रेषित किया गया था किन्तु मार्च 2014 तक कोई भी लेखापरीक्षा प्रस्तर निस्तारित नहीं किया गया था।

3.7 मानव संसाधन व्यवस्था

योजना के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन व्यवस्था एवं शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत जनशक्ति के साथ-साथ कार्यरत कर्मचारी की स्थिति सारणी 10 में दी गयी है।

सारणी 10: मानव संसाधन व्यवस्था

कर्मचारियों की संख्या (31.03.2013 को) ⁴						
शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी		नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	योग	
केन्द्रीयकृत	स्वीकृत	1,456	1,124	427	3,007	
	कार्यरत	794	639	218	1,651	
अकेन्द्रीयकृत	स्वीकृत	16,997	12,665	3,215	32,877	
	कार्यरत	नियमित	11,385	10,727	2,915	25,027
		अनियमित	726	804	539	2,069
	योग		12,111	11,531	3,454	27,096
सफाई कर्मचारी	स्वीकृत	26,640	19,410	4,915	50,965	
	कार्यरत	नियमित	18,314	15,263	4,166	37,743
		अनियमित	12,929	13,053	7,555	33,537

⁴ 31 मार्च 2014 तक की श्रेणीवार स्थिति, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी।

	योग	31,243	28,316	11,721	71,280
कुल कर्मचारी	स्वीकृत	45,093	33,199	8,557	86,849
	कार्यरत	44,148	40,486	15,393	1,00,027

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

सारणी 10 से स्पष्ट है कि केन्द्रीयकृत श्रेणी में 3,007 स्वीकृत कर्मचारियों के विरुद्ध 1,651 (45 प्रतिशत की कमी) एवं अकेन्द्रीयकृत श्रेणी में 32,877 स्वीकृत कर्मचारियों के विरुद्ध 25,027 (24 प्रतिशत की कमी) कर्मचारी कार्यरत थे। अकेन्द्रीयकृत श्रेणी में कमी को 2,069 अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करके कुछ सीमा तक कम किया गया। सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में 50,965 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 37,743 (25.94 प्रतिशत की कमी) कर्मचारी कार्यरत थे। 13,222 नियमित सफाई कर्मचारियों की कमी के सापेक्ष 33,537 अनियमित सफाई कर्मचारी अधिक कार्यरत थे।

3.7.1 प्रशिक्षण

छः सौ तीस शहरी स्थानीय निकायों में 1,00,027 कर्मचारी कार्यरत (मार्च 2013) थे। 630 महापौर/अध्यक्ष एवं 11,290 निर्वाचित सभासद/सदस्य शहरी स्थानीय निकायों के परिषद में होते हैं। निदेशक, स्थानीय निकाय ने बताया (जुलाई 2014) कि उत्तर प्रदेश में आवश्यक मानव संसाधन विकास एवं शहरी व्यवस्था के लिए बुनियादी एवं संस्थागत ढाँचा की कमी है। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास केन्द्र को सशक्त बनाने के लिए एक प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें नगर पालिका पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां निर्दिष्ट हों। निदेशक, स्थानीय निकाय ने (अगस्त 2013) कर्मचारियों की दक्षता में सुधार लाने हेतु एक एकेडमी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। हमने पाया कि प्रशिक्षण के लिये प्रस्तावित एकेडमी जुलाई 2014 तक स्थापित नहीं की गयी थी।

3.8 शहरी स्थानीय निकायों को कृत्यों का हस्तान्तरण

संविधान के अनुच्छेद 243-डब्ल्यू शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है कि राज्य की विधायिका विधि के अनुसार नगर निकायों को स्वशासित संस्थानों के रूप में कार्य करने के अधिकार को अनुमोदित कर सकती है। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का अनुसरण करते हुए राज्य विधायिका ने (मार्च 1996) शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपने के लिए कानून लागू किया जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित है।

संविधान में गरीबी उन्मूलन एवं शहरी क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नियोजन में इन निकायों की सक्रिय भूमिका पर विचार किया गया है। राज्यों का यह दायित्व था कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करने हेतु विशिष्ट शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया जाये।

राज्य सरकार ने (मार्च 1996) विनिर्दिष्ट किया कि शहरी स्थानीय निकायों के कार्य विभिन्न अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये जायेंगे। चौहत्तरवें संशोधन में सूचीबद्ध शहरी स्थानीय निकायों के कार्य जो कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 एवं उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1959 की धारा क्रमशः 7 एवं 114 में शामिल है, विकास प्राधिकरणों, क्षेत्रीय जल संस्थानों, विनियमित क्षेत्र प्राधिकरणों एवं सम्बन्धित शासकीय विभागों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे।

उक्त शासनादेश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 18 में से केवल आठ कार्यों का पालन किया जायेगा:-

1. घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
2. जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
3. शहरी सुख-सुविधाओं का प्राविधान जैसे-पार्क, बगीचे और क्रीड़ा-स्थल।
4. अन्त्येष्टि एवं अन्त्येष्टि स्थल, शवदाह एवं शवदाह स्थल।
5. पशु जलाशय, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।
6. अनिवार्य आँकड़े जिसमें जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित हो।
7. जन सुविधाएँ जैसे मार्ग, पार्किंग स्थल, एवं बस अड्डा, आदि सम्मिलित हों।
8. बूचड़ खाना (वध शाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा लगातार किये जायेंगे जैसा कि सारणी 11 में वर्णित है।

सारणी 11: सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा संचालित कार्य

क्र० सं०	सेवाएँ	विभाग
1	अग्नि सेवाएँ	अग्नि शमन विभाग
2	शहरी वानिकी	वन विभाग
3	शहरी वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति	पर्यावरण विभाग
4	समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा	जिला शहरी विकास अभिकरण एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विभाग
5	मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण	जिला शहरी विकास अभिकरण एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विभाग

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के बीच में बाँटा गया है जैसा कि सारणी 12 में वर्णित है।

सारणी 12: शहरी स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थाओं के मध्य कार्यों का बंटवारा

क्र. सं.	सेवाएँ	विभाग/सरकारी संस्थाएँ
1	शहरी नियोजन के साथ नगरीय नियोजन	27 शहरों में शहरी विकास प्राधिकरणों एवं शेष नगरों में शहरी स्थानीय निकायों
2	भवनों का निर्माण एवं भू प्रयोग का विनियमन	27 शहरों में विकास प्राधिकरणों, 74 नगरों में विनियमित क्षेत्र प्राधिकरणों एवं शेष नगरों में शहरी स्थानीय निकाय
3	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य सम्बन्धी पक्ष की प्रोन्नति	1 सांस्कृतिक-गतिविधियाँ राज्य सांस्कृतिक विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय
		2 शिक्षा निगम के मिडिल स्तर स्कूल के अतिरिक्त शिक्षा

			विभाग
		3	सौन्दर्य सम्बन्धी पक्ष सरकारी विभागों एवं शहरी स्थानीय निकाय
4	आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन	विकास प्राधिकरणों, विकास परिषद, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश जल संस्थान एवं अन्य विभाग	
5	सड़क एवं सेतु	विकास प्राधिकरणों एवं शहरी स्थानीय निकाय	

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के प्रस्तर 10.168 के अनुशंसानुसार विकास प्राधिकरणों को समाप्त करके उनके द्वारा संचालित कार्यों को सम्बन्धित क्षेत्र के स्थानीय निकायों द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। अग्रेतर, प्रस्तर 10.132 में इंगित है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन के अन्तर्गत अनिवार्य सुधार उपायों में से एक उपाय निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को शहर नियोजन कार्य सौंपा जाना या उसके साथ सहयुक्त किया जाना है एवं शहरी क्षेत्र में सभी विशेष नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिये सात वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना है। यह अनुशंसा की थी कि इन निकायों की आय की प्रतिशतता की हिस्सेदारी (भूमि विक्रय से आय को सम्मिलित करते हुए) स्थानीय निकायों के साथ होनी चाहिए।

संविधान में निहित है कि गरीबी उन्मूलन शहरी क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यों में स्थानीय निकायों की सक्रिय भूमिका होगी। तथापि, निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के आंशिक हस्तान्तरण से शहरी स्थानीय निकायों के क्रिया कलाप सीमित हुये।

3.9 जिला योजना समिति का गठन

भारतीय संविधान के चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में अनुच्छेद 243 जेड डी को जोड़ा गया, जो प्राधिकृत करता है कि "प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (जुलाई 1999) पारित किया। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला विकास योजना तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। समिति के सुझाव के अनुसार खण्ड एवं उपखण्ड हेतु निधियों का निर्धारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जिला विकास योजना की रूपरेखा के अनुसार किया जायेगा।

जिला योजना समिति का गठन अप्रैल 2008 में किया गया था परन्तु दिसम्बर 2009 से कार्य करना शुरू किया।

3.10 आन्तरिक नियन्त्रण

शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों की नमूना जांच हेतु तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने 2008 में शहरी स्थानीय निकायों में उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया।

3.11 निष्कर्ष

- शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियों को निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के अभिलेखों में अंतिम व्यय माना गया।
- सरकार ने द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजस्व के निवल उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अन्तरित नहीं किया।
- लेखाओं का रख-रखाव अपर्याप्त था एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं के अनुमोदित प्रारूप को नहीं अपनाया गया था।
- लेखापरीक्षा प्रस्तारों का अनुपालन दीर्घ अवधि से लम्बित था।
- संविधान में निहित उपबन्धों के अनुरूप निधियों, कृत्यों तथा कर्मियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को (अक्टूबर 2014) संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2015) है।

अध्याय 4

4.1 कानपुर मण्डल के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

नगरीय स्थानीय निकाय नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 से शासित है तथा म्युनिसिपल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी है। कानपुर मण्डल के नगरीय स्थानीय निकायों की वर्ष 2009-14 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

कानपुर नगर निगम

- कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा वर्ष 2009-14 के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 3,563.06 करोड़ के सापेक्ष मात्र 90 प्रतिशत धनराशि का ही उपभोग किया गया था। अग्रेतर वर्ष 2009-14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा की गयी स्वयं के राजस्व की कुल माँग क्रमशः ₹ 919.05 करोड़ एवं ₹ 768.52 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 41 तथा 61 प्रतिशत की कमी थी। सम्पत्ति कर के लिए निर्धारित समयांतराल पर वार्षिक किराया मूल्य को संशोधित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.1 एवं 4.1.7.2)

- वर्ष 2009-10, 2011-12 एवं 2012-13 के बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति को क्रमशः 81 दिन एवं 70 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.7.3)

- वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वार्षिक लेखे का अन्तिमीकरण माह नवम्बर 2014 तक नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखे का अन्तिमीकरण 27 माह विलम्ब से माह सितम्बर 2012 में किया गया था। अग्रेत्तर कानपुर नगर निगम की रोकड़-बही एवं बैंक खातों की अन्तिम अवशेष की धनराशि में ₹ 3.75 करोड़ की भिन्नता का मिलान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.4)

- शासनादेश के विपरीत 15 बैंक खाते चार निजी बैंकों में खोले गए एवं वर्ष 2012-14 के दौरान ₹ 1.48 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से निजी बैंकों में स्थानान्तरित की गयी।

(प्रस्तर 4.1.7.4)

- वार्षिक विकास योजनायें तैयार नहीं की गयी थी यद्यपि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत इन्हे तैयार किया जाना आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.8)

- संविदा प्रबन्धन अपर्याप्त था, जैसे ₹ 13.74 करोड़ के 150 निर्माण कार्यो के अनुबन्ध, कार्य प्रारम्भ से पूर्व हस्ताक्षरित नहीं किये गए थे एवं ₹ 5.15 करोड़ के 75 अनुबंध कार्य समाप्त होने के पश्चात हस्ताक्षरित किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.9.2)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन अपर्याप्त था, वर्ष 2010-14 के दौरान कुल जनित 1,979.35 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 746.86 हजार मीट्रिक टन (38 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट शहर में असंग्रहित पड़ा था। अग्रेतर, शहर से संग्रहित कुल 1,232.49 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 425.68 हजार मीट्रिक टन (35 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट पर फेका हुआ पड़ा था।

(प्रस्तर 4.1.11.1)

- कानपुर नगर निगम में पेयजल की सुविधा अपर्याप्त थी। जलकल विभाग द्वारा कुल आवश्यकता 520 मिलियन लीटर प्रतिदिन के सापेक्ष मात्र 424 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी जबकि उसकी स्थापित क्षमता 638 मिलियन लीटर प्रतिदिन की थी। जलापूर्ति में कमी का कारण जलकल विभाग की घरेलू/बड़े उपभोक्ताओं को जल संयोजन प्रदान करने में विफलता थी।

(प्रस्तर 4.1.12.1)

- निगम एवं कार्यकारणी समिति की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 2009-14 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.15)

नगर पालिका परिषद

मण्डल के 12 नगर पालिका परिषदों के सापेक्ष तीन नगर पालिका परिषदों घाटमपुर, कन्नौज एवं कायमगंज को नमूना जाँच हेतु चयनित किया गया था। नगर पालिका परिषदों के वर्ष 2009-14 की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आयी:

- नमूना जाँच की गयी तीन नगर पालिका परिषदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 113.53 करोड़ के सापेक्ष मात्र 89 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया गया था। इनमें स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 13.84 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में आठ प्रतिशत की कमी थी। अग्रेतर सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में निर्धारण सूची भी पाँच वर्ष के नियत समयांतराल पर संशोधित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.16.1 एवं 4.1.16.2)

- नगर पालिका परिषदों कायमगंज एवं कन्नौज में क्रमशः वर्ष 2009-14 एवं 2010-14 की अवधि के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.16.4)

- नमूना जाँच नगर पालिका परिषदों में यद्यपि वार्षिक विकास योजनायें तैयार की गयी थी परन्तु इन्हे म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.17)

- नगर पालिका परिषद, कन्नौज में अधिशासी अधिकारी द्वारा अवधि 2013-14 के दौरान ₹ 1.51 करोड़ के सड़क एवं नाली निर्माण के 18 कार्य म्युनिसिपलिटी के अनुमोदन के बिना कराये गये थे।

(प्रस्तर 4.1.18)

- नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.21)

नगर पंचायत

कानपुर मण्डल के 28 नगर पंचायतों में से सात नगर पंचायतों अट्सू, इकदिल, कमालगंज, शिवली, शिवराजपुर, तालग्राम एवं तिर्वागंज चयनित किये गए थे। नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों की वर्ष 2009-14 की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आयी:

- नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 55.54 करोड़ के सापेक्ष मात्र 79 प्रतिशत धनराशियों का उपभोग किया गया था। नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों में स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 6.15 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 37 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 4.1.22.1 एवं 4.1.22.2)

- नगर पंचायत कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.22.4)

- नगर पंचायत कमालगंज में अवधि 2009-14 के दौरान वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी। नगर पंचायत अट्सू, इकदिल, शिवली, तालग्राम एवं तिर्वागंज में वार्षिक विकास योजना तैयार की गयी थी परन्तु इन्हें म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.23)

- आवश्यकता का आकॅलन किये बिना ही नगर पंचायत तालग्राम एवं तिर्वागंज में ₹ 6.86 लाख के तीन सबमर्सिबल पम्प क्रय किये गये (2011-12 के दौरान क्रय) परिणामस्वरूप वे निष्क्रिय पड़े थे। नगर पंचायत कमालगंज में ₹ 15.44 लाख की एक नाला सफाई मशीन एवं एक सीवर सक्शन मशीन भी आवश्यक क्षमता के ट्रैक्टर के अभाव में निष्क्रिय पड़े थे।

(प्रस्तर 4.1.24)

- नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.25)

4.1.1 प्रस्तावना


चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) को लागू किये जाने हेतु, राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वयं शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994" (अधिनियम) को अधिनियमित किया गया तथा नगरीय स्थानीय निकायों को स्थानीय स्वशासन हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय

निकायों की त्रिस्तरीय संरचना की गयी जोकि वृहत नगरीय क्षेत्र हेतु नगर निगम, लघु नगरीय क्षेत्र हेतु नगर पालिका परिषद तथा संक्रमण वाले क्षेत्रों हेतु नगर पंचायत थी। अधिकारों के विकेन्द्रीकरण तथा नगरीय स्थानीय निकायों को और अधिक क्रियाकलापों के हस्तांतरण के लिये, अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में भी आवश्यक संशोधन किये गये थे।

कानपुर मण्डल के नगरीय स्थानीय निकाय, नगर निगम अधिनियम तथा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रशासित थे। कानपुर मण्डल को छः जनपदों, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर में विभाजित किया गया है। कानपुर मण्डल में एक नगर निगम जोकि कानपुर नगर निगम, 12 नगर पालिका परिषदें एवं 28 नगर पंचायतें हैं। इन नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसे क्रियाकलापों का सम्पादन करना था (*परिशिष्ट 3.2*) तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना था, जोकि नगर निगम अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम में वर्णित है। नगरीय स्थानीय निकायों के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में, नाली, सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के माध्यम से स्वच्छता उपलब्ध कराना; पेयजल एवं मार्ग प्रकाश उपलब्ध कराना; सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत इत्यादि शामिल है।

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग एवं निदेशक, स्थानीय निकाय नगरीय स्थानीय निकायों के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु क्रमशः शासन स्तर एवं विभागीय स्तर पर उत्तरदायी है। नगर आयुक्त कानपुर नगर निगम की निर्बाध क्रियाकलाप हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर निगम के निर्वाचित सदस्य, मुख्य रूप से महापौर, समस्त विकासात्मक कार्यों हेतु प्रभारी है जैसा कि नीचे एवं प्रस्तर 4.1.5 में वर्णित है।



4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

कानपुर मंडल के स्थानीय नगरीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु निष्पादित की गयी कि:

- वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था, मितव्ययिता हेतु दक्ष एवं प्रभावशाली थी तथा निधियों का अधिकतम उपयोग नगर निगम अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों हेतु हो रहा था एवं लागू विधियों एवं कानूनों के अनुरूप था।
- नियोजन की प्रक्रिया प्रभावी एवं नगर निगम अधिनियम/नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप थी।
- सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने, त्वरित माँग किये जाने एवं राजस्व के संग्रहण हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित थी।
- विभिन्न क्रियाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पारदर्शी एवं लागत प्रभावी थी।
- पर्यावरणीय प्रकरण तथा अन्य म्युनिसिपल सेवायें प्रभावी ढंग से प्रबंधित थे और
- अनुश्रवण प्रणाली दक्ष एवं प्रभावी थी।

4.1.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत अपनाये गए थे:

- नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम के प्राविधान एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, लेखा नियमावली 1960 तथा राष्ट्रीय म्युनिसिपल लेखा मैनुअल;
- वित्तीय हस्तपुस्तिका, भारत सरकार/राज्य सरकार/मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य प्रभावी/लागू नियम एवं कानून तथा
- क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देश।

4.1.5 लेखापरीक्षा आच्छादन एवं क्रियाविधि

कानपुर मंडल के नगरीय स्थानीय निकायों की अवधि 2009-14 की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल एवं सितम्बर 2014 के मध्य की गयी। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग एवं निदेशक, स्थानीय निकाय से भी सूचनायें माँगी गयी थी। अभिलेखों की नमूना जाँच हेतु कानपुर नगर निगम के साथ ही 12 नगर पालिका परिषदों (परिशिष्ट 4.1.1) में से तीन (घाटमपुर, कन्नौज एवं कायमगंज) तथा 28 नगर पंचायतों (परिशिष्ट 4.1.1) में से सात¹ नगर पंचायतों (अट्सू, इकदिल, कमालगंज, शिवली, शिवराजपुर, तालग्राम तथा तिर्वागंज) का चयन किया गया था। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का चयन 'साधारण रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेशमेन्ट विधि के अनुसार किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन तथा फोटोग्राफिक प्रमाण भी सम्पादित/एकत्रित किये गये। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग से प्रारम्भिक संगोष्ठी आयोजित किये जाने हेतु अनुरोध (मार्च 2014) किया गया था लेकिन प्रकरण उचित स्तर पर लाये जाने के बावजूद उक्त संगोष्ठी नहीं हो पाई। यद्यपि सचिव, नगर विकास विभाग के साथ समापन संगोष्ठी आयोजित (फरवरी 2015) हुई जिसमें शासन द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि के साथ लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया परन्तु शासन द्वारा कोई उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

¹ नगर पंचायत शिवराजपुर द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

लेखापरीक्षा परिणाम

कानपुर मण्डल के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा परिणाम तीन भागों में व्यवस्थित किये गये हैं, भाग अ (कानपुर नगर निगम) भाग-ब (नगर पालिका परिषदें) एवं भाग-स (नगर पंचायतें) तथा प्रत्येक भाग उनसे सम्बन्धित नमूना जाँच की गई नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा परिणामों को प्रदर्शित करता है।

भाग अ कानपुर नगर निगम

कानपुर नगर निगम नागरिकों को म्युनिसिपल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित है एवं 110 वार्डों में विभक्त है। निगम, कानपुर नगर निगम का मुख्य निर्वाचित निकाय, निगम निधि से व्यय विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन, कर एवं करेक्टर राजस्व के आरोपण एवं वसूली आदि नीतिगत निर्णयों हेतु उत्तरदायी है। यह 110 सभासदों से गठित एवं मेयर द्वारा अध्यक्षित है।

बारह सभासदों से गठित एवं मेयर द्वारा अध्यक्षित कार्यकारिणी समिति बजट के अनुमोदन आगणन/व्यय की स्वीकृति एवं कार्यों के अनुश्रवण सम्बन्धी सभी कार्यकलापों हेतु उत्तरदायी है। अग्रेतर, दो अपर आयुक्त एवं पाँच उपायुक्तों से सहायतित नगर आयुक्त, निगम द्वारा अधिरोपित शर्तों के आधीन प्रशासन तथा सभी योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

अन्य म्युनिसिपल सेवाओं के अतिरिक्त घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु जलकल संस्थान का कानपुर नगर निगम में विलय (फरवरी 2010) कर दिया गया था एवं यह कानपुर नगर निगम के प्रशासनिक नियन्त्रण में जलकल विभाग के रूप में क्रियाशील हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान वार्ड समितियों को अपने निर्दिष्ट वार्डों में कानपुर नगर निगम के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु गठित नहीं किया गया था यद्यपि यह नगर निगम अधिनियम की धारा छ: अ एवं 117 के अन्तर्गत आवश्यक था।

4.1.6 क्रियाकलापों का हस्तान्तरण न किया जाना

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के परिपालन में राज्य विधायिका द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को 18 क्रियाकलापों (संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित) के हस्तान्तरण हेतु, जैसा कि विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है, "उत्तर प्रदेश स्वयं शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994" अधिनियमित किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छ: क्रियाकलापों जोकि शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिस्थितिकीय पक्ष का प्रोत्साहन, विकलांगों एवं मानसिक मन्दों सहित समाज के दुर्बल वर्ग के हितों की सुरक्षा; मलिन बस्तियों का सुधार एवं उन्नयन; शहर नियोजन सहित नगरीय नियोजन तथा भवनों का निर्माण एवं भू उपयोग का नियमन है, के संबंध में न तो क्रियायें एवं न ही निधियों को राज्य सरकार द्वारा 1994 से 20 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी कानपुर नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया था जैसा कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट है। परिणामस्वरूप संवैधानिक प्राविधानों के बावजूद कानपुर नगर निगम के इन क्रियाकलापों को विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग क्रियान्वित कर रहे थे।


4.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

4.1.7.1 निधि के स्रोत एवं अनुप्रयोग

निकायों के वित्तीय संसाधनों में राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत अनुदान, देय कर एवं करेत्तर राजस्व का आरोपण² एवं संग्रह³ शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुदान निर्गत किये जाते हैं।

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रवाह चार्ट को चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: नगरीय स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रवाह



कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग की प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: वर्ष 2009-14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग की प्राप्तियाँ एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	शासकीय अनुदान	निजी राजस्व	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष
कानपुर नगर निगम						
2009-10	169.14	395.75	61.80	626.69	440.39	186.30
2010-11	186.30	301.30	82.55	570.15	388.00	182.15
2011-12	182.15	604.52	87.44	874.11	756.29	117.82
2012-13	117.82	625.81	97.72	841.35	681.00	160.35
2013-14	160.35	643.29	97.78	901.42	572.58	328.84
जलकल विभाग						
2009-10	25.89	शून्य	57.82	83.71	76.86	06.85
2010-11	06.85	शून्य	80.34	87.19	75.59	11.60
2011-12	11.60	शून्य	77.08	88.68	74.16	14.52
2012-13	14.52	शून्य	76.32	90.84	75.96	14.88
2013-14	14.88	शून्य	78.51	93.39	73.00	20.39
योग	195.03	2,570.67	797.36	3,563.06	3,213.83*	349.23

(स्रोत-कानपुर नगर निगम)

(₹ 1.69 करोड़ उच्चत खाले में स्थानांतरित को शामिल करते हुये)

² नगर निगम अधिनियम की धारा 172 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 145 के प्राविधानों अन्तर्गत

³ नगर निगम अधिनियम की धारा 503 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 168 के अन्तर्गत राजस्व वसूली बिल जारी कर, माँग की लिखित नोटिस प्रस्तुत कर किया जाना था।

सारणी 1 से देखा जा सकता है कि अवधि 2009–14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 3,563.06 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,213.83 करोड़ (90 प्रतिशत) ही उपयोग की गई।

हमने लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि:-

- कानपुर नगर निगम द्वारा “जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन” के अन्तर्गत छः परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹ 387.23 करोड़ जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित तीन दिन के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं को 730 दिन (**परिशिष्ट 4.1.2**) तक के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया था।

- शासन से प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश (फरवरी 2012), के विपरीत कानपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के बैंक खाते से अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 5.87 करोड़ को नवम्बर 2014 तक राजकोष में जमा नहीं कराया गया, एवं

- लेखा नियमावली 1960 की धारा 57 (3) के प्रावधानों के अनुसार, अस्थाई अग्रिम उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही समायोजित किया जाना था जिस वित्तीय वर्ष में वह प्रदान किया गया हो एवं विगत अग्रिम के समायोजन के बिना किसी अधिकारी को नया अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 1999–2014 के दौरान स्वीकृत धनराशि ₹ 4.55 करोड़ के अस्थायी अग्रिम 15 वर्ष तक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी असमायोजित (**परिशिष्ट 4.1.3**) पड़े हुए थे। प्राविधानों के विपरीत उन्हीं अधिकारियों को विभिन्न कार्यों हेतु⁴ नये अग्रिम स्वीकृत किये गये जबकि उन्हें पूर्व में स्वीकृत अग्रिम असमायोजित थे।

कानपुर नगर निगम ने उत्तर में बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराने के लिये एव असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.1.7.2 कर एवं करेत्तर राजस्व का आरोपण एवं वसूली

कानपुर नगर निगम के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2009–14 के दौरान कर एवं करेत्तर राजस्व की कुल माँग ₹ 919.05 करोड़ के सापेक्ष वसूली में ₹ 373.07 करोड़ (41 प्रतिशत) की कमी थी (**परिशिष्ट 4.1.4**)। इसी प्रकार जलकल विभाग की वर्ष 2009–14 की कुल माँग ₹ 768.52 करोड़ के सापेक्ष जल कर एवं जल प्रभार वसूली में भी ₹ 465.67 करोड़ (61 प्रतिशत) की कमी थी (**परिशिष्ट 4.1.4**)। तथापि कानपुर नगर निगम एवं जल कल विभाग द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 507–516 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुरूप वसूली लागत को सम्मिलित करते हुये बकाया देयों की वसूली हेतु वारण्ट निर्गमन, बकायेदारों की चल सम्पत्ति का विक्रय, विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों में बकायेदारों के विरुद्ध सिविल वाद दायर करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अग्रेतर कानपुर नगर निगम को आत्म निर्भर बनाये जाने के क्रम में कर एवं करेत्तर राजस्व के आरोपण, माँग तथा वसूली को प्रभावी बनाया जाना था। तथापि संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के दौरान कानपुर नगर निगम द्वारा कर एवं करेत्तर राजस्व में मात्र ₹ 545.98 करोड़ की वसूली की गई जोकि सम्पन्न किये गये स्थापना

⁴ वाहनों की मरम्मत, सोलर लाईट के क्रय, प्रचुर मात्रा में एस .एम.एस. एवं काल अग्रेसन सेवायें आदि।

एवं आवर्ती व्यय ₹ 1,229.60 करोड़⁵ की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप कानपुर नगर निगम व्यापक रूप से स्थापना एवं आवर्ती व्यय हेतु शासकीय अनुदान पर निर्भर था। अग्रेतर हमने कर एवं करेत्तर राजस्व के आरोपण, माँग एवं वसूली में भी कमियाँ पायी, जैसा नीचे वर्णित है।

कर राजस्व प्राप्तियाँ

● सम्पत्ति कर

नगर निगम अधिनियम की धारा 174 (2) ब एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली 2000 की धारा 4 'अ' के अनुसार सम्पत्ति कर के आरोपण हेतु प्रत्येक दो वर्ष में वार्षिक किराया मूल्य⁶ जिला अधिकारी द्वारा जारी सक्रिल दरों के अनुसार संशोधित किया जाना था। सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में की गई माँग, राजस्व वसूली एवं वसूली में कमी का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: अवधि 2009-14 के दौरान सम्पत्ति कर की माँग व वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	माँग	वसूली	वसूली में कमी	वसूली का प्रतिशत
2009-10	96.80	43.86	52.94	45
2010-11	136.58	57.97	78.61	42
2011-12	169.65	69.21	100.44	41
2012-13	213.15	91.64	121.51	43
2013-14	254.41	82.39	172.02	32
योग	870.59	345.07	525.52	40

(स्रोत—कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

सारणी 2 में देखा जा सकता है कि अवधि 2009-14 के दौरान कुल माँग ₹ 870.59 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 345.98 करोड़ (40 प्रतिशत) की वसूली की गई थी। कानपुर नगर निगम द्वारा वसूली में कमी ₹ 525.52 करोड़ के कारणों से अवगत नहीं कराया गया।

जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2007-08 के अन्तिम पुनरीक्षण के उपरान्त वर्ष 2013-14 में वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण किया गया। अतः वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारित दो वर्ष के अन्तराल पर पुनरीक्षित नहीं किया गया। साथ ही पुनरीक्षित वार्षिक किराया मूल्य लागू सक्रिल दरों पर आधारित नहीं थी।

कानपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित समयान्तराल पर वार्षिक किराया मूल्य को पुनरीक्षित न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

● प्रेक्षागृह कर/शो टैक्स

नगर निगम अधिनियम की धारा 172 के अनुपालन में वर्ष 1979 से प्रेक्षागृहों पर शो टैक्स आरोपित किया गया था। सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान प्रेक्षागृह कर के सापेक्ष प्राप्तियाँ ₹ 23.80 लाख थी। तथापि

⁵ स्थापना एवं आवर्ती व्यय 2009-10: ₹ 152.93 करोड़; 2010-11: ₹ 190.62 करोड़; 2011-12: ₹ 220.46 करोड़; 2012-13: ₹ 232.95 करोड़ एवं 2013-14: ₹ 256.13 करोड़।

⁶ नगर निगम अधिनियम की धारा 174 के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य प्रत्येक वार्ड के हर प्रकार के भवनों के समूह के लिये प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम दर के 12 गुना मूल्य है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कानपुर नगर निगम द्वारा प्रेक्षागृह कर का निर्धारण एवं माँग प्रस्तुत नहीं की गयी। परिणामस्वरूप प्रेक्षागृह कर के आरोपण एवं वसूली की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

● अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

उ.प्र. नगरीय नियोजन विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों एवं शासनादेश (फरवरी 2008) के द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु उप महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित कर नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना था। जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम द्वारा माँग प्रस्तुत न किये जाने के कारण अवधि 2009-14 के दौरान कुल देय धनराशि ₹ 90.55 करोड़ के सापेक्ष; उपमहानिरीक्षक स्टाम्प से मात्र ₹ 70.17 करोड़ (77 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे एवं धनराशि ₹ 20.38 करोड़ की कम प्राप्ति हुई (परिशिष्ट 4.1.5)।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि बकाया अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु पत्राचार किया जायेगा।

करेक्टर राजस्व प्राप्तियाँ

● लाइसेन्स शुल्क

कानपुर नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 39 मदों (परिशिष्ट 4.1.6) पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किये जाने हेतु निर्देश जारी (दिसम्बर 1997) किये गये थे। यद्यपि मात्र 17 मदों⁷ पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया गया था एवं 2009-14 के दौरान ₹ 5.27 करोड़ की वसूली की गयी थी।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि कानपुर नगर निगम द्वारा आरोपित लाइसेन्स शुल्क की वसूली हेतु कोई निर्धारण नहीं किया गया था और न ही माँग प्रस्तुत की गयी थी। परिणामस्वरूप लाइसेन्स शुल्क के आरोपण एवं वसूली की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

कानपुर नगर निगम द्वारा उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि शुल्क निर्धारण एवं तदनुसार माँग प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

शासन द्वारा निर्धारित दरों पर करारोपण एवं बकायेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

4.1.7.3 बजट

नगर निगम अधिनियम की धारा 146 व 147 के अनुसार नगर आयुक्त को आगामी वर्ष हेतु मूल बजट अनुमान 10 जनवरी तक कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना था तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी तक निगम को बजट प्रस्तुत करना था। निगम द्वारा 31 मार्च तक बजट को अनुमोदित किया जाना था। पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष क्रमशः 10 सितम्बर व 15 सितम्बर

⁷ जिसमें मुख्यतः यान्त्रिक वाणिज्यिक वाहन जैसे आटो रिक्शा, बस, टैक्सी आदि शामिल थे।

तक या उससे पूर्व रखा जाना था जिसे निगम द्वारा 1 अक्टूबर अथवा उसके बाद यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम के वर्ष 2009–10, 2011–12 एवं 2012–13 के मूल बजट अनुमान नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष 2010–11 और 2013–14 की अवधि के मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति को क्रमशः 70 दिन तथा 81 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गये जो कि अग्रेतर निगम को क्रमशः 71 दिन तथा 301 दिन देर से प्रस्तुत किये गये थे (परिशिष्ट 4.1.7)।

इसी प्रकार वर्ष 2011–12 का पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अग्रेतर वर्ष 2010–11 और 2012–14 के पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को 105 दिन से 175 दिन तक के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये (परिशिष्ट 4.1.7)। वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत किया गया था।

जाँच में यह भी पाया गया कि जलकल विभाग के सम्बन्ध में मात्र वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 के मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को 70 दिन से 348 दिन (परिशिष्ट 4.1.7) विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। अवधि 2010–14 के दौरान पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी एवं निगम को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

यह प्रदर्शित करता है कानपुर नगर निगम में बजट अनुमान को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 में बिना बजट के व्यय सम्पन्न किये गये थे।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि भविष्य में नगर निगम अधिनियम के बजट से सम्बन्धित प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

4.1.7.4 लेखांकन ढाँचा

लेखाओं की तैयारी

नगरीय स्थानीय निकायों में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय लेखाओं के अनुरक्षण हेतु एकल लेखांकन प्रणाली के साथ एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली को लागू किये जाने का निर्णय (2008) लिया गया था जिससे कि तुलनपत्र में सम्पत्तियों एवं दायित्वों की सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके। हमने पाया कि एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली वर्ष 2008–09 से लागू की गयी थी। वार्षिक लेखों को तैयार करने में निम्न कमियाँ पायी गयी।

- राज्य सरकार द्वारा एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली के लिए कोई मैनुअल नहीं बनाया गया था जिसके कारण सम्पत्तियों एवं दायित्वों का वर्गीकरण तथा ह्रास की दरें परिभाषित नहीं थी।

- कानपुर नगर निगम के वर्ष 2009–10⁸ के वार्षिक लेखों का 27 माह के विलम्ब से सितम्बर 2012 में अन्तिमीकरण किया गया था। यद्यपि वर्ष 2009–10 की वास्तविक आय एवं व्यय (जैसा कि वर्ष 2010–11 के बजट में प्रदर्शित थी) अन्तिमीकरण किये गये

⁸ प्रारम्भिक तुलनपत्र के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लेखों के उक्त अवधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय के आंकड़ों से मेल नहीं खा रही थी (परिशिष्ट 4.1.8)। अग्रेतर वार्षिक लेखाओं में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भी नहीं बनाया गया था यद्यपि लेखांकन के निर्धारित प्रारूपों में इसका अनुरक्षण आवश्यक था।

- वर्ष 2010-14 हेतु केवल अनन्तिम वार्षिक लेखे ही बनाये गये थे, जिनका नवम्बर 2014 तक अन्तिमीकरण नहीं किया गया था। अतः वार्षिक लेखाओं का अन्तिमीकरण न किये जाने के कारण कानपुर नगर निगम के आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- जलकल विभाग के वर्ष 2010-13 की अवधि के वार्षिक लेखों का 22 माह तक के विलम्ब⁹ से अन्तिमीकरण किया गया था। अग्रेतर, वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों को सितम्बर 2014 तक नहीं बनाया गया था।

बैंक खातों का अनियमित संचालन

शासनादेश (मार्च 2012) के अनुसार नगर निगम निधि को भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के बचत खातों में रखा जाना है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नगर आयुक्त द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/क्रियाकलापों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों को रखे जाने हेतु चार निजी बैंकों की विभिन्न शाखाओं में 15 बैंक खाते खोले (2011-14) गये थे। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित (2011 के पूर्व) खातों को वर्ष 2012-14 के दौरान बन्द कर इन खातों के अवशेष धनराशि ₹ 1.48 करोड़ को प्राइवेट बैंकों के खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया था (परिशिष्ट 4.1.9)।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा भविष्य में शासनादेश के प्राविधानों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

रोकड़ बही का अनुचित रख-रखाव

राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल की धारा 5.3 (अ) एवं 30.7 के अनुसार प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना था तथा जोनल/विभागीय रोकड़ बहियों के अवशेषों का मिलान मुख्य रोकड़ बही एवं बैंक विवरण से मासिक आधार पर किया जाना आवश्यक था। हमने पाया कि:

- कानपुर नगर निगम एवं इनके जोनल कार्यालयों¹⁰ की रोकड़ बही में केवल नकद लेन-देनों का ही लेखांकन किया गया था एवं बैंक/ड्राफ्ट/ऑन लाइन किये गये लेन देनों का लेखांकन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप प्राप्तियों के ₹ 85.09 करोड़ तथा भुगतान के ₹ 117.70 करोड़ के लेनदेनों (मार्च 2014) का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था;

- तथापि समस्त नकद लेनदेनों का भी रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था जैसे नागरिक सुख सुविधाओं से किराये, पार्क इत्यादि परिणामस्वरूप 2009-14 की

⁹ वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लेखे क्रमशः अप्रैल 2013, जुलाई 2013 एवं अप्रैल 2014 में तैयार हुए थे।

¹⁰ कानपुर नगर निगम को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जाने हेतु छः जोन में विभाजित किया गया था।

अवधि में नगद प्राप्तियों ₹ 3.71 करोड़ बिना रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ किये ही सीधे सम्बन्धित बैंक खाते में जमा कर दी गयी थी;

- रोकड़ बही में रोकड़ अवशेष को दर्शाये जाने से बचने के उद्देश्य से प्राप्तियों एवं बैंक खाते में जमा किये गये नगद की प्रविष्टियाँ एक ही तिथि तथापि रविवार में भी कर दी गयी थी, जबकि नगद राशि वास्तव में बैंक में दो से चार दिन बाद की तिथियों में जमा की गयी थी (**परिशिष्ट 4.1.10**);

- 31 मार्च 2014 को रोकड़ बही के एवं बैंक खातों के अन्तिम अवशेष में ₹ 3.75 करोड़¹¹ का अन्तर था तथापि रोकड़ बही एवं बैंक अवशेषों के अन्तर का समाधान नहीं किया गया था;

- कुल 59 खातों में से मात्र चार बैंक खातों से सम्बन्धित रोकड़ बही जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें ऋणात्मक अवशेष पाये गये (**परिशिष्ट 4.1.11**) और,

- वर्ष 2009–14 की अवधि में सम्पत्ति एवं विज्ञापन कर की वसूली से सम्बन्धित जोनल/विभागीय रोकड़ बही एवं कानपुर नगर निगम की मुख्य रोकड़ बही में ₹ 33.96 करोड़ (**परिशिष्ट 4.1.12**) का अन्तर था;

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि ऋणात्मक अन्तिम अवशेषों हेतु आवश्यक समायोजन किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बैंक खातों के अद्यतन लेन-देन के लेखांकन हेतु रोकड़ बही का समुचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

4.1.8 नियोजन

जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार संविधान के 74वें संशोधन के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में जिला नियोजन समिति को जिले स्तर पर जिले की ग्रामीण/नगरीय निकायों की वार्षिक विकास योजना को संकलित कर जिला विकास योजना बनायी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009–14 की अवधि में कानपुर नगर निगम ने वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की थी जैसा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 383 'अ' के अनुसार जिला नियोजन समिति को प्रेषित किया जाना आवश्यक था।

अग्रेतर नगर निगम अधिनियम की धारा 383 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम द्वारा महायोजना¹² तैयार की जानी थी जिसमें मुख्य सड़कों, आवासिक खण्डों, व्यवसाय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा संस्थाएँ आदि की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति एवं उसके साथ सामान्य मानचित्र दर्शाया गया हो, को प्रत्येक दस वर्षों में पुनरीक्षित किया जाना था। तथापि वर्ष 2013–14 तक कानपुर नगर निगम द्वारा महायोजना तैयार नहीं की गयी थी जैसा कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय नियोजन के साथ शहरी नियोजन को लागू किया गया था।

¹¹ रोकड़ बही का एवं बैंक खातों का अन्तिम अवशेष क्रमशः ₹ 325.25 करोड़ तथा ₹ 329.00 करोड़ था।

¹² विस्तृत योजना।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि महापौर/नगर आयुक्त द्वारा निर्देश न प्राप्त होने के कारण वार्षिक विकास योजनाएँ एवं महायोजना तैयार नहीं की गयी। यद्यपि समापन संगोष्ठी के दौरान (फरवरी 2015) सचिव, नगर विकास विभाग ने सूचित किया कि महायोजना तैयार करने का अधिकार निलम्बित कर दिया गया था एवं उसे विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नगरीय नियोजन के साथ शहरी नियोजन नगरीय स्थानीय निकाय के द्वारा सम्पादित किया जाना था।

तथ्य यथावत रहा कि कानपुर नगर निगम द्वारा फरवरी 2015 तक वार्षिक विकास योजनाएँ एवं महायोजना तैयार नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप कानपुर नगर निगम का समग्र विकास नियोजित नहीं था जोकि नियोजन क्रियाकलापों के शिथिल दृष्टिकोण को दर्शाता था।

उत्तर प्रदेश शासन को अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार वार्षिक विकास योजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिये।

4.1.9 क्रय एवं कार्यों का सम्पादन

कार्यों एवं क्रय का सम्पादन विभिन्न नियमों, शासनादेशों एवं नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत गठित विनियमों के प्राविधानों के अनुरूप सम्पादित किया जाना था। क्रय एवं कार्यों के सम्पादन में निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयीं।

4.1.9.1 क्रय

भारतीय मानक कोड 1981 में विनिर्दिष्ट था कि मार्ग व्यवस्था हेतु लाईट के वाटेज का निर्धारण मार्गों की श्रेणी के आधार पर होना चाहिए था (परिशिष्ट 4.1.13)। यद्यपि कानपुर नगर निगम में मार्गों के श्रेणी के बिना ही विभिन्न वाटेज (40 से 400) के मार्ग प्रकाश सामाग्रियाँ क्रय एवं स्थापित की गयी थीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम के पास मार्च 2014 तक 78,022 मार्ग प्रकाश बिन्दु थे, किन्तु वार्डवार प्रकाश-बिन्दु की स्थापना का विवरण नहीं था।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया कि मार्ग प्रकाश की व्यवस्था प्रकाश निरीक्षकों की आख्या पर आधारित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्गों के श्रेणीकरण के बिना ही मार्ग प्रकाश बिन्दु की स्थापना की गयी थी।

4.1.9.2 कार्यों का सम्पादन

वर्ष 2009-14 की अवधि में सड़कों, गलियों, नालों, क्लवर्ट इत्यादि से सम्बन्धित 4,726 कार्यों¹³ का सम्पादन किया गया था। रैंडम चयनित 200 कार्यों की संवीक्षा में विभिन्न स्तर पर कमियाँ पाई गयीं जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

आधारभूत सूचनाओं एवं नियन्त्रक अभिलेखों का अभाव

लोक निर्माण विभाग के आदेशों के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए आवश्यक बुनियादी सूचनाएँ जैसे मार्गों की श्रेणी,

¹³ अनुरोधों के बावजूद कानपुर नगर निगम ने कार्य-वार व्यय उपलब्ध नहीं कराया।

लम्बाई, चौड़ाई, सड़क के क्रस्ट की मोटाई, विगत नवीनीकरण एवं मरम्मत इत्यादि का रख रखाव नहीं किया गया था। यद्यपि कि राज्य, जिला, अन्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु आवश्यक यातायात घनत्व, यातायात दबाव एवं ड्रेनेज¹⁴ को सुनिश्चित करने हेतु कोई यातायात सर्वे नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नियन्त्रक अभिलेख जैसे कि मार्ग पंजिका एवं नवीनीकरण चक्रीय पंजिका का भी रख रखाव नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त सड़क का निर्माण, मरम्मत कब की गयी थी। अग्रेतर रैंडम चयनित 200 कार्यों की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व रिकार्ड मापन स्तर इत्यादि को संज्ञान में नहीं लिया गया था।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा वांछित अभिलेखों के रख रखाव का आश्वासन दिया गया।

प्राक्कलनों की अनियमित स्वीकृति

नगर निगम अधिनियम की धारा 135 एवं 136 के अनुसार ₹ 10.00 लाख तक नगर आयुक्त; ₹ 10.00 लाख से अधिक परन्तु ₹ 15.00 लाख से कम महापौर; ₹ 15.00 लाख से अधिक परन्तु ₹ 20.00 लाख से कम कार्यकारिणी समिति; ₹ 20.00 लाख से अधिक परन्तु ₹ 30.00 लाख से कम निगम तथा ₹ 30.00 लाख से अधिक शासन द्वारा क्रय एवं कार्यों के निष्पादन हेतु प्राक्कलनों की स्वीकृति हेतु प्राधिकारियों को विभिन्न वित्तीय अधिकार प्रदान किये गए थे।

उपरोक्त उपबन्धों के विपरीत वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 33.00 करोड़ की अनुमानित लागत के सड़क एवं गलियों के निर्माण सम्बन्धी 57 कार्य¹⁵ को कार्यकारिणी समिति/निगम/शासन के अनुमोदन के बिना सम्पादित किये गए थे यद्यपि अनुमानित लागत ₹ 15.00 लाख से अधिक धनराशि के कार्यों को इन प्राधिकारियों से अनुमोदित कराये जाने आवश्यक थे।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के कथन को स्वीकार करते हुए अनुपालन का आश्वासन दिया।

संविदा प्रबन्धन में शिथिलता

निविदा एवं संविदा प्रक्रिया, वित्तीय नियमों, शासनादेशों तथा केन्द्रीय सतक्रता आयोग के निर्देशों के अधीन होने चाहिए। जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम द्वारा अनुबंध करते समय आवश्यक निर्देशों, आदेशों एवं दिशा-निर्देशों की अवहेलना की गयी। हमने पाया कि:

- शासनादेश (अप्रैल 2001) के विपरीत रैंडम चयनित 200 अनुबंधों में केवल एकल निविदा प्रणाली अपनायी गयी यद्यपि दोहरी निविदा प्रक्रिया के रूप में तकनीकी विशिष्टियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था।

- वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 13.74 करोड़ के 150 कार्यों हेतु ठेकेदारों से 150 अनुबंधों का गठन कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत किये गए थे (परिशिष्ट 4.1.14)। कार्य

¹⁴ नगर निगम अधिनियम की धारा 228 के अनुसार एवं भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निर्देश (आई.आर.सी.एस.पी.-50-1999 अध्याय-1)

¹⁵ लागत ₹ 15.00 लाख से अधिक एवं ₹ 20.00 लाख से कम; दो कार्य, ₹ 20.00 लाख या अधिक परन्तु ₹ 30.00 लाख से कम; तीन कार्य एवं लागत ₹ 30.00 लाख अथवा अधिक 52 कार्य।

समाप्त होने के पश्चात 75 अनुबंधों (₹ 5.15 करोड़) का गठन किया गया था (परिशिष्ट 4.1.15) और

● शासनादेश (मई 2009) के अनुसार यदि ठेकेदार बिटुमिन आपूर्ति के सन्दर्भ में अधिकृत एजेन्सी से स्वयं व्यवस्था करता है तो अन्तिम भुगतान के समय कंसायनी रिसीट चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी थी। हमने पाया कि 11 कार्यों में 8,083 एम.टी. बिटुमिनस मैकडम और सेमिडेंस बिटुमिनस कंक्रीट (₹ 2.56 करोड़) उपयोग में लाये जाने का दावा किया गया था, जबकि कानपुर नगर निगम द्वारा ठेकेदारों से कंसायनी रिसीट चालान की मूल प्रति प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया था (परिशिष्ट 4.1.16)।

इस प्रकार सम्पादित कराये गये कार्यों में क्रय एवं बिटुमिन के उपभोग की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया यद्यपि कानपुर नगर निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही सूचित नहीं की गई।

गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली का अभाव

कानपुर नगर निगम के पास सड़क कार्यों की गुणवत्ता जाँच हेतु न तो कोई प्रणाली थी और न ही विभागीय/अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से तकनीकी जाँच की गई। इस प्रकार कानपुर नगर निगम द्वारा कराये गए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उत्तर में, कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया यद्यपि कानपुर नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई।

नालों की सफाई का अनुचित सम्पादन

नालों की सफाई प्रतिवर्ष मानसून से पूर्व अप्रैल-जून के दौरान किया जाना था और सम्पादन से पूर्व एवं पश्चात कार्यों की माप करायी जानी थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नालों की संख्या¹⁶ के सम्बन्ध में सही आकड़ें उपलब्ध नहीं थे। यह भी संज्ञान में आया कि वर्ष 2009-14 के दौरान ₹ 10.15 लाख व्यय करके जुलाई से माह मार्च के मध्य 19 नालों की सफाई की गयी थी।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि न ही कार्य कराये जाने से पूर्व और न ही सम्पादन के पश्चात कार्यों की माप करायी गयी। वर्ष 2009-14 के दौरान सम्पादित कार्यों पर ₹ 2.33 करोड़ का भुगतान मानव दिवस के आधार पर किया गया था जिसमें सम्पादित कार्यों की वास्तविक मात्रा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये कानपुर नगर निगम द्वारा बताया कि जनहित में माह जुलाई से मार्च तक नालों की सफाई की गयी।

¹⁶ वर्ष 2009-10 में 449 नालों में सफाई आवश्यक थी जो वर्ष 2013-14 के दौरान बढ़कर 678 हो गयी।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि नाला सफाई मानसून के पूर्व हो जानी चाहिये थी।

4.1.10 फ्री होल्ड शुल्क पर अलाभकारी व्यय

कानपुर नगर निगम ने वर्ष 1904 से अपने कब्जे की 3,598.37 वर्ग मीटर भूमि¹⁷, के फ्री होल्ड स्वामित्व हेतु आवेदन किया (मार्च 1995) एवं स्वमूल्यांकन के आधार पर ₹ 6.48 लाख (दिसम्बर 1998) की धनराशि फ्री होल्ड शुल्क के रूप में जिला प्रशासन को भुगतान किया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा फ्री होल्ड भूमि के लिए ₹ 89.36 लाख की संशोधित माँग की गयी (दिसम्बर 2008)। चूँकि कानपुर नगर निगम फ्री-होल्ड शुल्क नियत समय पर जमा करने में विफल रहा, तदनुसार दण्डात्मक ब्याज ₹ 92.47 लाख शामिल करते हुए संशोधित माँग बढ़कर ₹ 112.22 लाख (मई 2011) हो गई। जबकि इसके सापेक्ष कानपुर नगर निगम ने जिला प्रशासन को मात्र ₹ 62.00 लाख (दिसम्बर 2008) का भुगतान किया। इसके फलस्वरूप ₹ 68.48 लाख की धनराशि का भुगतान करने के बावजूद नवम्बर 2014 तक कानपुर नगर निगम के पक्ष में भूमि फ्री होल्ड नहीं हो सकी।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत न किये जाने के कारण आवश्यक फ्री होल्ड फीस जमा नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धनराशि जमा करने के बावजूद कानपुर नगर निगम के पक्ष में आवश्यक भूमि फ्री होल्ड नहीं हो सकी थी।

4.1.11 पर्यावरण की सुरक्षा

पर्यावरण सुरक्षा नगरीय स्थानीय निकाय के महत्वपूर्ण कार्यों में से है। कानपुर नगर निगम की लेखापरीक्षा के दौरान पर्यावरण सम्बंधी बिन्दुओं के प्रबन्धन में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आयी।

4.1.11.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन

शहर में जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिये जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत ₹ 56.02 करोड़ की लागत से प्रसंस्करण प्लाण्ट स्थापित (अक्टूबर 2010) किया गया। जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह एवं परिवहन सहित प्रसंस्करण प्लाण्ट के संचालन एवं रख रखाव हेतु कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश जल निगम एवं प्राइवेट फर्म के मध्य 30 वर्ष की अवधि के लिए एक अनुबंध गठित (अक्टूबर 2010) किया गया था।

अनुबन्ध के अनुसार फर्म निश्चित सीमा तक जनित अपशिष्ट¹⁸ के संग्रहण एवं परिवहन संग्रहण हेतु उत्तरदायी थी एवं कानपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित¹⁹ प्रयोक्ता प्रभार की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा (कुल बिल योग धनराशि के सापेक्ष प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण का लक्ष्य) तक वसूली हेतु उत्तरदायी थी। अग्रेतर प्रयोक्ता प्रभार की वसूली में कमी की स्थिति मामले में उतनी ही धनराशि फर्म को भुगतान योग्य टिपिंग शुल्क की धनराशि से रोकी जानी थी। वर्ष 2010-14 की अवधि में ₹ 456 से 479 प्रति मीट्रिक

¹⁷ परेड मार्केट ब्लॉक 96 प्लॉट संख्या-2।

¹⁸ फर्म द्वारा प्रतिदिन जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट (1,500 मीट्रिक टन) का 80 प्रतिशत संग्रह करना था। जोकि 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन था।

¹⁹ जनवरी से दिसम्बर 2011: ₹ 38.79 लाख प्रतिमाह, जनवरी से दिसम्बर 2012: ₹ 51.72 लाख प्रतिमाह एवं जनवरी 2013 से ₹ 64.65 लाख प्रतिमाह।

टन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रारम्भिक संग्रह स्थल से प्रसंस्करण प्लाण्ट तक परिवहन हेतु फर्म को टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था। फर्म द्वारा निश्चित सीमा तक जनित अपशिष्ट का पालन न किये जाने पर कानपुर नगर निगम द्वारा कम परिवहन किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु टिपिंग शुल्क का 50 प्रतिशत दण्ड भी आरोपित किया जाना था। हमने पाया कि:

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह एवं निस्तारण में कमी

वर्ष 2010-14 की अवधि में कानपुर नगर निगम में जनित, संग्रहित एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की स्थिति **सारणी 3** में दी गयी है।

सारणी 3: जनित, संग्रहित एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट ठोस का विवरण

(हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	असंग्रहित नगरीय ठोस अपशिष्ट (कालम 2-कालम 3)	नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण	अप्रबन्धित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा	
					प्लाण्ट पर (कालम 3-कालम 5)	कानपुर परिक्षेत्र में (कालम 4 + कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
2010-11 (अक्टूबर 2010 से)	282.10	155.73	126.37	161.03	(-)5.30 ²⁰	121.07
2011-12	565.75	425.11	140.64	254.66	170.45	311.09
2012-13	565.75	331.24	234.51	276.22	55.02	289.53
2013-14	565.75	320.41	245.34	114.90	205.51	450.85
योग	1,979.35	1,232.49	746.86	806.81	425.68	1,172.54

(स्रोत: कानपुर नगर निगम से संग्रहित की गयी सूचना)

सारणी 3 से परिलक्षित है कि यद्यपि संग्रहित नगरीय ठोस अपशिष्ट फर्म द्वारा (1,232.49 मीट्रिक टन) पूर्ण रूप से प्रसंस्करित नहीं किया गया एवं 425.68 हजार मीट्रिक टन प्लाण्ट साईट पर फेका गया कूड़े का ढेर पड़ा था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-14 की अवधि में 746.86 हजार मीट्रिक टन असंग्रहित नगरीय ठोस अपशिष्ट भी शहर में अप्रबन्धित पड़ा था। फर्म द्वारा अनुबंध के प्राविधानों के अनुसार प्रसंस्करण प्लाण्ट का संचालन एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन न किये जाने के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट अप्रबन्धित पड़ा था।

²⁰ प्रसंस्करण प्लाण्ट के कार्य प्रारम्भ से पूर्व (अक्टूबर 2010) कुछ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट पर ढेर के रूप में पड़ा था।



प्लाण्ट साईट पर एकत्रित कूड़े का ढेर

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया। जबकि कानपुर नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के उचित परिवहन एवं निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

फर्म को अनियमित भुगतान

जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा नवम्बर 2010 से मई 2014 के अवधि में निश्चित स्वीकार्य सीमा तक जनित अपशिष्ट का निर्वाह नहीं किया गया परन्तु कानपुर नगर निगम द्वारा फर्म की टिपिंग शुल्क में ₹ 11.32 करोड़ का जुर्माना आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कि फर्म नवम्बर से दिसम्बर 2010 और जनवरी 2013 से जून 2014 की अवधि में घरों से निर्धारित सीमा तक प्रायोक्ता शुल्क के रूप में ₹ 7.68 करोड़ की वसूली किये जाने में विफल थी तथापि फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवहन किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट की वजन पर्चियों एवं बिलों के आधार पर पूर्ण टिपिंग शुल्क का भुगतान किया गया (परिशिष्ट 4.1.17)।

उत्तर में कानपुर नगर द्वारा बताया गया कि जुर्माना आरोपित करने का निर्णय उच्च स्तर से लिया जाना था उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 16 अक्टूबर 2010 को कानपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम और फर्म के मध्य गठित अनुबंध के अनुसार जुर्माना कानपुर नगर निगम को आरोपित किया जाना था। कानपुर नगर निगम ने फर्म द्वारा कम संग्रहित किये गये प्रायोक्ता प्रभार के लिए टिपिंग शुल्क न रोके जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) अधिनियम 2000 के सूची-II के प्रावधानों के अनुसार एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट को जैवक्षरण, चक्रीयकरण एवं अन्य अपशिष्ट के रूप में पृथक्करण किया जाना चाहिये एवं क्रमशः हरा, सफेद एवं काले रंग के बिनस/कन्टेनर्स में भण्डारण किया जाना चाहिये।

जाँच में पाया गया कि केवल हरे रंग के बिनस/कन्टेनर्स सभी प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयोग में लाये जा रहे थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं भण्डारण की सुविधा उचित नहीं थी।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथापि नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

4.1.11.2 सामान्य उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयन्त्र का अनुचित प्रबंधन

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जाजमऊ कानपुर में सामान्य उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयन्त्र (1993) स्थापित किया गया। इसकी डिजाइन की गयी शोधन क्षमता नौ मिलियन लीटर प्रतिदिन टेनरी उत्प्रवाह को, जिसमें क्रोमियम का स्तर दो मिलीग्राम प्रति लीटर तक सीमित हो, 27 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज के साथ मिश्रित कर शोधित किये गये थे। अग्रेतर सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र 1,200 मिलीग्राम प्रति लीटर तक टोटल सस्पेन्डेड सालिड रहने वाले टेनरी उत्प्रवाह के शोधन हेतु डिजाइन की गयी थी। टेनरी उत्प्रवाह में निर्धारित सीमा तक क्रोमियम की मात्रा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार शोधित कचरे में क्रोमियम की उपस्थिति रोकी जा सकती थी जोकि खाद के रूप में उपयोग में लायी जानी थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राथमिक उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र एवं टेनरियों के रिकवरी प्लान्ट के संचालन के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी था। इस प्रकार टेनरी उत्प्रवाह में क्रोमियम एवं टोटल सस्पेन्डेड सालिड की निर्धारित सीमा में रखा जा सकता था।

जाँच में पाया गया कि सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र को टेनरी अपशिष्ट पम्पिंग स्टेशन एवं राइजिंग मेन द्वारा टेनरी उत्प्रवाह में क्रोमियम का स्तर ₹ 194.40 मिलीग्राम प्रति लीटर (मानक से 97 गुना से अधिक) तक परिवहन किया गया। टेनरी उत्प्रवाह में क्रोमियम की मात्रा अधिक होने के कारण खाद के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप हानिकारक अपशिष्ट कचरे के परिवहन एवं निस्तारण पर ₹ 15.91 करोड़ (मई 2014 तक) का व्यय किया गया।

यह भी संज्ञान में आया कि टेनरी अपशिष्ट पम्पिंग स्टेशन एवं राइजिंग मेन द्वारा सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र में प्रवाहित टेनरी उत्प्रवाह में टोटल सस्पेन्डेड सालिड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक 13,868 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पायी गयी। परिणामस्वरूप सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र की प्लान्ट एवं मशीनरी की क्षमता कम हो गयी थी एवं राइजिंग मेन अवरूद्ध हो गया। परिणामस्वरूप सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र पम्पिंग स्टेशन के नवीनीकरण²¹ एवं नये राइजिंग मेन के बिछाये जाने पर ₹ 5.71 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र के डिजाइन मानकों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जा रही है। यद्यपि तथ्य यथावत रहा क्योंकि कि टेनरी उत्प्रवाह को सामान्य उत्प्रवाह शोधन संयन्त्र डिजाइन मानकों के अनुरूप नहीं रखा जा रहा था।

4.1.11.3 सीवेज का अनुचित प्रबंधन

कानपुर नगर निगम में कुल जनित 426 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज के सापेक्ष मात्र 171 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज निस्तारित किये जा रहे थे एवं तीन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सामान्य उत्प्रवाह निस्तारण संयन्त्र से 255 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट सीवेज अप्रबन्धित छोड़े जा रहे थे।

²¹ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के सीवरेज भाग-1 परियोजना अन्तर्गत

चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की 310 मिलियन लीटर प्रतिदिन (परिशिष्ट 4.1.18) प्रस्तावित क्षमता बढ़ाने एवं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत तीन स्वीकृत परियोजनाएँ, भूमि की उपलब्धता और कन्टोन्मेंट बोर्ड एवं सेना के प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति के अभाव में अपूर्ण थी (अगस्त 2014)। परिणामस्वरूप अनिस्तारित सीवेज गंगा नदी में छोड़ा जा रहा था।

कानपुर नगर निगम ने उत्तर में बताया कि नये सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य पूर्ण न होने के कारण अनिस्तारित सीवेज गंगा नदी में छोड़ा जा रहा था।

4.1.11.4 वधशालाओं का अनधिकृत संचालन

जल (प्रदूषण, सुरक्षा एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के प्राविधानों के अनुसार वधशालाओं को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है। नगर निगम अधिनियम की धारा 433 निर्धारित करता है कि नगर आयुक्त द्वारा पशुओं के अवैध वध की जाँच के लिए वधशालाओं की नियमित जाँच की जानी थी।

जाँच में पाया गया कि शहर में पाँच वधशालाएँ²² उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालित थी। इन वध शालाओं के पास जनित उत्प्रवाह के निस्तारण की सुविधा भी नहीं थी। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देश पर वर्ष 2010-11 में (एक) एवं अवधि 2013-14 में (चार) वधशालाएँ बन्द कर दी गयी थी। तथापि कार्यकारिणी समिति के दिनांक 30 अगस्त 2014 के कार्यवृत्त के परीक्षण में पाया गया कि इन वधशालाओं को अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था जोकि नगर आयुक्त के निरीक्षण की शिथिलता को प्रदर्शित करता है।

उत्तर में कानपुर नगर निगम ने बताया कि पशु चिकित्साधिकारी के पद रिक्त होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जनित उत्प्रवाह के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना वधशालाएँ स्थापित की गई थी।

4.1.11.5 हानिकारक गैसों का प्रबन्धन

कानपुर के जाजमऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से निकलने वाली गैसों के अध्ययन एवं सुरक्षा उपायों पर सुझाव देने हेतु²³ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा ₹ 22.65 लाख की एक कार्य योजना तैयार की गयी (अक्टूबर 2013) जिस पर कानपुर नगर निगम द्वारा निर्णय/कार्यवाही नवम्बर 2014 तक लम्बित थी। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों, जोकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसे बुरी तरह प्रभावित थे; के स्वास्थ्य के प्रति कानपुर नगर निगम के शिथिल दृष्टिकोण को दर्शाती है।

²² बाकेंरगंज बकरमण्डी एवं कर्नलगंज में एक एवं दो वधशालाएँ फजलगंज में स्थित।

²³ जिसमें विभिन्न स्थानों के नमूना विश्लेषण, स्वास्थ्य आधारित सर्वे, आकड़ों के विश्लेषण एवं सुधारात्मक सुधार की अवधारण शामिल है।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि निधियों की उपलब्धता न होने के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की कार्ययोजना पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

शासन को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, सामान्य उत्प्रेषण शोधन संयंत्र, प्राथमिक उत्प्रेषण शोधन संयंत्र एवं ट्रेनरियों के क्रोम रिकवरी प्लान्ट का उचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।

4.1.12 अन्य म्युनिसिपल सेवाओं का प्रबन्धन

4.1.12.1 पेयजल की अपर्याप्त सुविधा

कानपुर नगर निगम में पेयजल हेतु आवश्यक 520 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के सापेक्ष जलकल विभाग द्वारा नागरिकों को मात्र 424 मिलियन लीटर प्रतिदिन (82 प्रतिशत) पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था यद्यपि इसकी स्थापित क्षमता 638 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, अग्रेत्तर जाँच में पाया गया कि—

- कानपुर शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ₹ 82.88 करोड़ व्यय करके 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता की डा. राम मनोहर लोहिया गंगा जल आपूर्ति योजना जलकल विभाग को वर्ष 2008–10 के दौरान हस्तगत की गयी। 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्थापित क्षमता के सापेक्ष मात्र 35 मिलियन लीटर प्रतिदिन (18 प्रतिशत) क्षमता का उपभोग किया गया था। इस प्रकार जलकल विभाग जुलाई 2014 तक घरेलू/बड़े उपभोक्ताओं को जल संयोजन प्रदान करने में विफल रहा; और

- पेयजल सुविधा बढ़ाने हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत दो परियोजनाओं जिसमें रा वाटर इनटेक हाउस, जल शुद्धिकरण संयंत्र, फीडरमेन, जोनल पम्पिंग स्टेशन, वितरण प्रणाली इत्यादि के निर्माण शामिल थे, को अक्टूबर 2007 (₹ 270.95 करोड़) और जनवरी 2009 (₹ 393.93 करोड़) में स्वीकृति प्रदान की गई एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि क्रमशः अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 निर्धारित की गयी थी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार माह नवम्बर 2014 तक कोई परियोजना पूर्ण नहीं की गई थी जबकि ₹ 672.91 करोड़ का व्यय (जून 2014) किया जा चुका था। विवरण **परिशिष्ट 4.1.19** में दिया गया है।

इस प्रकार स्थापित क्षमता से कम उपभोग करने एवं परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण जलकल विभाग कानपुर शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के आपत्तियों को स्वीकार किया गया। तथापि कानपुर नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं कराया गया।

उत्तर प्रदेश शासन को डा. राम मनोहर लोहिया गंगा जल आपूर्ति योजना की स्थापित क्षमता का उपभोग करने और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन परियोजना शीघ्र पूर्ण करना चाहिए।

4.1.12.2 अस्पतालों का अनियमित प्रबन्धन

कानपुर नगर निगम के परिधिगत 43 अस्पताल/औषधालय²⁴ (वर्ष 1964 से) स्थापित थी। राज्य सरकार ने कानपुर नगर निगम के चिकित्सा सेवा संवर्ग को समाप्त करने का निर्णय लिया (जनवरी 1995) और रिक्त पदों को राजकीय चिकित्सालय से भरे जाने का निर्देश दिया। जाँच में पाया गया कि चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण 24 चिकित्सालय/औषधालय अक्रियाशील हो गये (परिशिष्ट 4.1.20)। इसके बावजूद कानपुर नगर निगम द्वारा रिक्त पदों पर चिकित्सकों को भरे जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, चिकित्सालय/औषधालय अक्रियाशील रहने के कारण वर्ष 2009-14 की अवधि में सहायक कर्मचारियों²⁵ के वेतन पर ₹ 5.27 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया तथा मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर में कानपुर नगर निगम ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। तथापि नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही सूचित नहीं की गयी।

4.1.12.3 जन्म-मृत्यु के पंजीकरण की अनियमित प्रणाली

जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं "उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु नियमावली 2002 के अनुसार कानपुर नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक जन्म-मृत्यु के आंकड़े दर्ज किये जाने थे एवं राजकीय/निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि चिकित्सालय में होने वाले जन्म तथा मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को दें। यद्यपि रजिस्ट्रार भी जन्म-मृत्यु से सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थानों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत था। हमने पाया कि वर्ष 2009-14 की अवधि में 672 निजी चिकित्सालयों में से 324 निजी चिकित्सालय एवं सभी राजकीय चिकित्सालयों द्वारा उनके यहाँ होने वाले जन्म-मृत्यु की सूचना निगम को उपलब्ध नहीं करायी गयी। कानपुर नगर निगम द्वारा राजकीय/निजी चिकित्सालयों से सूचना प्राप्त करने हेतु न तो कोई प्रयास किया न ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी। परिणामस्वरूप: जन्म-मृत्यु की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि कानपुर नगर निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही सूचित नहीं की गयी।

4.1.12.4 ई-गवर्नेन्स का अनुचित क्रियान्वयन

कानपुर नगर निगम के द्वारा नागरिकों को दी जा रही सेवाओं में सुधार करने तथा आंतरिक स्थानीय सरकारी संचालनों की गुणवत्ताद्वारा बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम हेतु ₹ 23.61 करोड़²⁶ की एक ई-गवर्नेन्स योजना स्वीकृत (दिसम्बर 2010) की गयी।

तदनुसार कुल निर्गत धनराशि ₹ 5.90 करोड़ के सापेक्ष कानपुर नगर निगम द्वारा 200 कम्प्यूटर एवं 218 प्रिन्टर्स के क्रय (अप्रैल 2013), आवश्यक माड्यूलस के विकास सहित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से ₹ 5.29 करोड़ का उपयोग किया गया। अग्रेतर जाँच

²⁴ अस्पताल-03, मेटरनिटी सेन्टर-08, होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी-14, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी-05, और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी-13।

²⁵ फार्मासिस्ट, नर्सस, वार्ड ब्वाय, आया, चपरासी एवं चौकीदार।

²⁶ 50 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 11.81 करोड़, 20 प्रतिशत राज्यांश ₹ 4.72 करोड़ एवं 30 प्रतिशत नगरीय स्वायत्त निकाय का हिस्सा ₹ 7.09 करोड़

में पाया गया कि वांछित 14 ई-सेवाओं²⁷ के माड्यूल्स में से मात्र चार सेवाएँ जैसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण केन्द्रीय प्रशासन, जन शिकायत एवं ई-प्रोक्योरमेन्ट संचालित थे तथा कानपुर नगर निगम द्वारा उपयोग में लाये जा रहे थे तथा शेष सेवाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा (नवम्बर 2014 तक) उपलब्ध नहीं करायी गयी। भण्डार के भौतिक सत्यापन में यह भी पाया गया कि उपरोक्त क्रय किये गये 70 कम्प्यूटरों एवं 109 प्रिन्टरों के आवरण को खोला नहीं गया था तथा अप्रैल 2013 से भण्डार में पड़े थे। परिणामस्वरूप कानपुर नगर निगम द्वारा ई-गवर्नेन्स योजना पर ₹ 5.29 करोड़ व्यय के उपरान्त भी नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाओं को उपलब्ध कराने एवं संचालन में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में विफल था।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं कराया गया।



कानपुर नगर निगम के स्टोर में बिना खुले हुए मॉनिटर्स, सी पी यू तथा प्रिन्टर्स

4.1.12.5 भूमि का अतिक्रमण

नगर निगम अधिनियम की धारा 296 के अनुसार नगर आयुक्त में अपने परिधिगत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी भी भूमि के अतिक्रमण को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाने का अधिकार सन्नहित है। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य सम्पत्ति अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत (दिसम्बर 2012) किये गये थे। जाँच में पाया गया कि कानपुर नगर निगम के परिधिगत 675 पार्कों में से 17 पार्कों पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अतिक्रमण किये गये पार्कों पर अनाधिकृत रूप से स्थायी निर्माण कर लिये गये। (परिशिष्ट 4.1.21) यह भी संज्ञान में आया कि चमनगंज में फहीमाबाद डम्पिंग स्टेशन की खाली पड़ी भूमि पर कब्जेदारों ने अनाधिकृत रूप से मकान निर्मित कर लिये गये थे। इसी प्रकार कानपुर नगर निगम के शीशामऊ मार्केट की भूमि पर कब्जेदारों द्वारा दुकान और मकान अनधिकृत रूप से बना लिये गये। कानपुर नगर निगम के दो कांजी हाउस, डिप्टी का पड़ाव एवं कल्यानपुर की भूमि पर

²⁷ (1) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (2) सम्पत्ति कर का भुगतान, (3) पेयजल आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ, (4) शिकायत एवं सुझाव, (5) भवन स्वीकृति, (6) योजनाओं/वार्ड के कार्यों का अनुश्रवण, (7) लाइसेन्स, (8) सम्पत्ति, (9) वर्क्स फ्लो मैनेजमेन्ट, (10) लेखांकन प्रणाली, (11) व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, (12) भण्डार प्रबन्धन, (13) क्रय तथा (14) केन्द्रीय प्रशासनिक माड्यूल

भी अवैध कब्जा कर लिया गया। यद्यपि कानपुर नगर निगम द्वारा नवम्बर 2014 तक अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

उत्तर में कानपुर नगर निगम ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.1.13 स्थापना

लेखापरीक्षा के दौरान स्थापना से सम्बन्धित निम्न बिन्दु संज्ञान में आये। हमने पाया कि:

- कानपुर नगर निगम में सभी संवर्गों के 3,560 स्वीकृत पदों (सफाई कर्मचारी के अतिरिक्त) के सापेक्ष 2,171 कर्मचारियों (61 प्रतिशत) की नियुक्ति की गयी थी (परिशिष्ट 4.1.22)। मुख्य कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसे कर वसूली कर्मचारी, वाहन चालक आदि की कमी से कानपुर नगर निगम के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथापि कानपुर नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

- कानपुर नगर निगम के पास अपने बेड़े में जुलाई 2014 तक 190 वाहन (178 भारी एवं मध्यम वाहन और 12 हल्के वाहन) उपलब्ध थे जिसमें 2009-14 की अवधि में क्रय किये गये 20 वाहन ₹ 3.39 करोड़ के शामिल थे (परिशिष्ट 4.1.23)। यद्यपि कानपुर नगर निगम के पास इन वाहनों के संचालन एवं रख रखाव हेतु चालक/मैकेनिक (परिशिष्ट 4.1.24) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे क्योंकि चालक, मैकेनिक, फिटर एवं फोरमैन संवर्ग में 41 से 100 प्रतिशत की कमी थी। चालक की कमी के कारण 16 भारी एवं मध्यम वाहन जुलाई 2014 तक अप्रयुक्त²⁸ पड़े थे एवं कानपुर नगर निगम के 125 वाहनों का संचालन फिटर, क्लीनर एवं चपरासी इत्यादि के द्वारा किया जा रहा था।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि वाहनों का आवश्यकतानुसार क्रय किया गया था। निगम का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कानपुर निगम द्वारा क्रय किये जाने से पूर्व संचालन हेतु वाहनों के प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- शासनादेश (दिसम्बर 1991) के अनुसार दैनिक वेतन एवं कार्य प्रभारी कर्मचारियों की नई भर्ती अनुमन्य नहीं थी एवं अनियमित रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों के भुगतान की मजदूरी की वसूली आदेशों का उल्लंघन करने वाले नियुक्ति प्राधिकारी से की जानी थी। जाँच में पाया गया कि 137 कर्मचारियों की शासनादेश (दिसम्बर 1991) जारी होने के उपरान्त दैनिक वेतन पर अनियमित नियुक्ति की गई थी।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा स्वीकार किया गया कि उत्तरदायी अधिकारियों से भुगतान किये गये पारिश्रमिक की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4.1.13.1 भविष्य निधि

शासनादेश (नवम्बर 1995) के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई भविष्य निधि की धनराशि अविलम्ब सम्बन्धित कर्मचारियों के बैंक में खोले गये भविष्य निधि खातों में जमा की जानी थी। हमने पाया कि:

²⁸ कानपुर नगर निगम द्वारा उपयोग में न लाये गये वाहनों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

- कानपुर नगर निगम में कुल 4,532 भविष्य निधि अभिदाताओं में से 542 (12 प्रतिशत) कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते जुलाई 2014 तक नहीं खुले थे। जाँच में पाया गया कि भविष्य निधि के रूप में कटौती की गयी धनराशि कानपुर नगर निगम के बेस एकाउन्ट के नाम से खोले गये बचत खाते में जमा (मार्च 2014) की जा रही थी। परिणामस्वरूप बेस एकाउन्ट में ₹ 8.89 करोड़ का अवशेष ब्याज सहित संचित था।

- अग्रेतर भविष्य निधि खाताधारक कर्मचारियों के प्रकरणों में, वर्ष 2009-14 के दौरान स्टाफ की कमी और कम्प्यूटर की अनुपलब्धता के कारण भविष्य निधि की राशि को 11 से 231 दिनों के विलम्ब से भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित की गई थी। परिणामस्वरूप वर्ष 2009-14 के दौरान बेस खाते में ₹ 1.53 करोड़ उपार्जित ब्याज की धनराशि संचित हुई। हालांकि सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में उपार्जित ब्याज की कोई धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी थी। इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती की गयी राशि के ब्याज से वंचित थे।

कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथापि कानपुर नगर निगम द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं कराया गया।

4.1.14 अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

शासनादेश (जून 2008) के अनुपालन में नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा विभिन्न अभिलेखों जैसे ऋण पंजिका, शासकीय अनुदान पंजिका, विनियोग पंजिका, जमा पंजिका, वाद एवं कुर्की पंजिका इत्यादि का रख रखाव लेखा नियमावली 1960 में प्राविधानित प्रारूपों में किया जाना था। हमने पाया कि:

- कानपुर नगर निगम द्वारा रखे जाने वाले 16 आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव या तो नहीं किया जा रहा था अथवा उनका अनुचित प्रकार से रख-रखाव किया जा रहा था (*परिशिष्ट 4.1.25*) एवं

- ग्यारहवें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नगरीय निकायों हेतु बजट एवं एक्रूअल आधारित लेखांकन प्रारूप निर्धारित (जून 2003) किये गये थे। तथापि कानपुर नगर निगम द्वारा अपने लेखाओं का रख रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में नहीं किया गया था।

उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया। यद्यपि कानपुर नगर निगम द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही को सूचित नहीं की गई।

4.1.15 अनुश्रवण

नगर निगम अधिनियम की धारा-88 के अनुसार एक वर्ष में निगम को छः बैठके एवं कार्यकारिणी समिति की 12 बैठके निश्चित रूप से आयोजित किया जाना आवश्यक था।

जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान कानपुर नगर निगम में निगम की 10 बैठकें (33 प्रतिशत) और कार्यकारिणी समिति की 12 बैठकें (20 प्रतिशत) ही आयोजित की गयी थी। अग्रेतर, निगम एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त क्रमशः 35 एवं 172 दिनों तक के विलम्ब से जारी किये गये थे (*परिशिष्ट 4.1.26*)।

अग्रेतर, नगर निगम अधिनियम की धारा 142 के अनुसार मुख्य नगर लेखा परीक्षक निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने तथा कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी था। जॉच में पाया गया कि वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान मुख्य नगर लेखापरीक्षक द्वारा न ही कानपुर नगर निगम के लेखों की लेखापरीक्षा की गयी एवं न ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ही तैयार कर कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार कानपुर नगर निगम के कार्यकलापों का जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि निगम एवं कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं की गयी थी।


उत्तर में कानपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि कार्यकारी समिति एवं निगम की बैठकें महापौर के निर्देशानुसार आयोजित की गयी थी एवं लेखों की लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सुनिश्चित किया गया।

शासन द्वारा क्रियाकलापों के उचित अनुश्रवण हेतु निगम एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें मानक के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए।

भाग ब नगर पालिका परिषद

नागरिकों को म्यूनिसिपल सेवायें प्रदान किये जाने हेतु नगर पालिका परिषदों का गठन वार्डों के अनुसार किया गया है। कानपुर मण्डल की नगर पालिका परिषदें घाटमपुर, कन्नौज तथा कायमगंज (प्रत्येक नगर पालिका परिषद 25 वार्डों से गठित) निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गयी। नगर पालिका परिषदें, नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों से शासित है। म्यूनिसिपलिटी जिसका प्रभारी अध्यक्ष होता है, जोकि म्यूनिसिपल सेवाओं सम्बन्धी नीति निर्धारण, बजट एवं कार्यों के अनुमोदन, कर/करेत्तर राजस्व के अधिरोपण एवं वसूली इत्यादि के लिये उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, अधिशासी अधिकारी, कार्यकारी प्राधिकारी होता है और निर्माण कार्यों, योजनाओं इत्यादि के निष्पादन हेतु उत्तरदायी है।

नगर पालिका परिषद का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिया गया है:-



4.1.16 वित्तीय प्रबन्धन

4.1.16.1 निधि के स्रोत एवं उपयोग

नगर पालिका परिषदों के निधि के स्रोत एवं उपयोग की पूर्ण में प्रस्तर 4.1.7.1 में चर्चा की गयी है। नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों के वर्ष 2009-14 के दौरान कुल उपलब्ध निधि एवं व्ययों (परिशिष्ट 4.1.27) के विवरण को सारणी 4 में सारांकृत किया गया है:-

सारणी 4 नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों की वर्ष 2009-14 के दौरान कुल उपलब्ध निधि एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

नगर पालिका परिषद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	निजी राजस्व	शासकीय अनुदान	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष	उपयोगिता का प्रतिशत
कन्नौज	07.57	09.07	49.00	65.64	57.31	8.33	87
कायमगंज	00.96	01.49	20.57	24.87	24.04	0.83	97
घाटमपुर	01.49	02.90	20.48	23.02	20.18	2.84	88
नगर पालिका परिषदों का योग	10.02	13.46	90.05	113.53	101.53	12.00	89

(स्रोत: नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदें)

सारणी 4 से देखा जा सकता है कि अवधि 2009-14 के दौरान नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों के द्वारा कुल उपलब्ध निधि ₹ 113.53 करोड़ के सापेक्ष ₹ 101.53 करोड़ (89 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

नगर पालिका परिषद कन्नौज में शहरी अवसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत एक सीवरेज परियोजना (₹ 38.66 करोड़) को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2008) किया गया था एवं ₹ 3.87 करोड़ नगर पालिका परिषद को अवमुक्त (फरवरी 2009) किया गया जो कि कालान्तर में निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, कन्नौज को स्थानान्तरित कर दिया गया हालांकि परियोजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। परियोजना अस्वीकृत किये जाने का कोई कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं था। अग्रेतर यह भी संज्ञान में आया कि अवमुक्त धनराशि शासन को वापस किये जाने के बजाय उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2012-13 से अद्यतन ₹ 3.87 करोड़ को सावधि जमा में अवरुद्ध रखा गया था।

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में फरवरी 2015 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

4.1.16.2 कर एवं करेत्तर राजस्व का आरोपण एवं वसूली

नगर पालिका अधिनियम की धारा 166-173 के प्राविधानों के अनुसार बकाया कर/करेत्तर राजस्व की वसूली, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा वारण्ट निर्गमन, बकायदारों की चल सम्पत्तियों के विक्रय, बकायदारों के विरुद्ध सिविल वाद दायर करने इत्यादि के द्वारा किया जाना था।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व के मद में कुल मांग ₹ 13.84 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 12.68 करोड़ की धनराशि ही वसूल की गयी थी एवं वसूली में ₹ 1.16 करोड़ (8.38 प्रतिशत) की कमी परिलक्षित हुयी (परिशिष्ट 4.1.4)। तथापि नमूना

जाँच हेतु चयनित नगर पालिका परिषदों द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बकाया कर/करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, कर/करेत्तर राजस्व के आरोपण, मांग एवं वसूली में निम्न कमियां पायी गयी थी। हमने पाया कि:

कर राजस्व प्राप्तियाँ

● सम्पत्ति कर

नगर पालिका अधिनियम की धारा 145 के अनुसार सम्पत्ति कर के आरोपण हेतु प्रत्येक पांच वर्ष में नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सभी भवनों एवं भूमि को इंगित करते हुए एक नई निर्धारण सूची तैयार की जानी थी।

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों की सम्पत्ति कर की मांग, राजस्व वसूली तथा वसूली में कमी का विवरण सारणी 5 में दिया गया है:-

सारणी 5: अवधि 2009-14 के दौरान सम्पत्ति कर की मांग तथा वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

नगर पालिका परिषद का नाम	मांग	वसूली	कमी	वसूली का प्रतिशत
कन्नौज	522.62	59.20	463.42	11
घाटमपुर	25.92	09.47	16.45	37
कायमगंज	95.12	30.09	65.03	32
नगर पालिका परिषदों का योग	643.66	98.76	544.90	15

(स्रोत: नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदें)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों में कुल मांग ₹ 643.66 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 98.76 लाख की वसूली (15 प्रतिशत) हुई एवं वसूली में ₹ 544.90 लाख की कमी थी।

अग्रेतर, नगर पालिका परिषद घाटमपुर²⁹, कन्नौज तथा कायमगंज में निर्धारित समयान्तराल पर कर निर्धारण सूची नहीं बनायी गयी थी। परिणामस्वरूप इन नगर पालिका परिषदों में सम्पत्ति कर क्रमशः वर्ष 1979-80, 2003-04 एवं 2008-09 की कर निर्धारण सूची के आधार पर आरोपित किया जा रहा था। अतः आवधिक कर निर्धारण सूची तैयार न किये जाने के कारण नगर परिषदों में सम्पत्ति कर के आधार में वृद्धि नहीं की जा सकी।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों द्वारा उत्तर में लेखा परीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया गया यद्यपि कर निर्धारण सूची में संशोधन हेतु किये गये प्रयास के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया था।

● जलकर

नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 के प्रावधानों के अनुसार, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में भूमि/भवनों के वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर जलकर आरोपित³⁰ एवं वसूल किये जाने की शक्तियां निहित थी। संवीक्षा में पाया गया कि

²⁹ वर्ष 2013-14 तक कुल 7,800 गृहों के स्थान पर मात्र 3,040 गृह कराच्छादित थे।

³⁰ जलकर की दरों को वार्षिक किराया मूल्य का निश्चित प्रतिशत म्यूनिसिपलटी के द्वारा निर्धारित किया जाना था।

वर्ष 2009–14 के दौरान नगर पालिका परिषद घाटमपुर में जलकर आरोपित नहीं किया गया था।

● अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.7.2 में चर्चा किये गये प्राविधानों के अनुसार, नगर पालिका परिषद कन्नौज में मांग प्रस्तुत न किये जाने के कारण उप महानिरीक्षक, स्टाम्प से मात्र ₹ 3.22 करोड़ (69 प्रतिशत) की प्राप्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में हुयी थी एवं ₹ 1.46 करोड़ की कम प्राप्ति पायी गयी (परिशिष्ट 4.1.5)।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषद द्वारा लेखा परीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पालिका परिषद द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया।

करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ

● जल प्रभार

शासन के द्वारा जलापूर्ति पर किये गये व्यय को वहन करने हेतु नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को क्रमशः न्यूनतम ₹ 50 प्रति माह प्रति संयोजन एवं ₹ 30 प्रति माह प्रति संयोजन जल प्रभार निर्धारित किये जाने का सुझाव (जनवरी 1997) दिया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2013–14 तक नगर पालिका परिषद कन्नौज में जलप्रभार कभी भी आरोपित नहीं किया गया था। नगर पालिका परिषद घाटमपुर में जल प्रभार ₹ 25 प्रति माह प्रति संयोजन निर्धारित किया गया था एवं शासन के सुझाव के 17 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी संशोधित नहीं किया गया था।

नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों के द्वारा उत्तर में बताया गया कि जल प्रभार आरोपित किये जाने तथा संशोधित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

● लाइसेंस शुल्क

नगर पालिका परिषदों को आत्म निर्भर बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 39 मदों पर लाइसेंस शुल्क आरोपित किये जाने हेतु निर्देशित (दिसम्बर 1997) किया गया था (परिशिष्ट 4.1.6)। यद्यपि नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों के द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान कोई भी लाइसेंस शुल्क आरोपित नहीं किया गया था।

4.1.16.3 बजट

नगर पालिका अधिनियम की धारा 99 एवं 103 के अनुसार नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के गतवर्ष के पूर्ण वास्तविक लेखे एवं आगामी वर्ष के बजट अनुमानों को म्यूनिसिपलिटि के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाना था।

नगर पालिका परिषद कायमगंज के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों को म्यूनिसिपलिटि के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर में नगर पालिका परिषद कायमगंज द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया गया जबकि नगर पालिका परिषद द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही सूचित नहीं किया गया।

4.1.16.4 लेखांकन ढांचा

लेखाओं की तैयारी

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.7.4 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों द्वारा यद्यपि एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली को 2008-09 से लागू कर लिया गया था तथापि राज्य सरकार द्वारा एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली के लिये कोई मैनुअल नहीं बनाया गया था जिसके कारण सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्गीकरण तथा ह्रास की दरों को किसी भी नमूना जांच नगर पालिका परिषदों में परिभाषित नहीं किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद कन्नौज एवं कायमगंज में तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखे क्रमशः वर्ष 2010-14 एवं 2009-14 की अवधि के नहीं बनाये गये थे तथा केवल रोकड़ बही ही लेखों के अनुरक्षण हेतु बनायी जा रही थी।

उत्तर में नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया जबकि नगर पालिका परिषदों द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

4.1.17 नियोजन

जिला नियोजन समिति के प्राविधानों के अनुपालन में (जैसा कि पूर्व में प्रस्तर संख्या 4.1.8 में चर्चा की गयी है) नगर पालिका अधिनियम की धारा 127 ब के अनुसार नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के द्वारा वार्षिक विकास योजना तैयार किया जाना था, जिसे म्यूनिसिपलिटी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात जिला नियोजन समिति को प्रेषित किया जाना था।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों के जांच में पाया कि नगर पालिका परिषदों द्वारा वार्षिक विकास योजनायें बनायी गयी थी किन्तु इन्हें म्यूनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं जिला नियोजन समिति को सीधे प्रेषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वार्षिक विकास योजनाओं में केन्द्र/राज्य आयोजनागत योजनाओं के प्रस्तावों को भी सम्मिलित नहीं किया गया था। अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद कन्नौज तथा कायमगंज में, वार्षिक विकास योजनायं क्रमशः केवल वर्ष 2012-14 एवं 2012-13 के लिये ही बनायी गयी थी।

अतः नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों द्वारा समुचित नियोजन हेतु नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

उत्तर में नमूना जांच नगर पालिका परिषदों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया तथापि नगर पालिका परिषदों द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

4.1.18 आपूर्ति एवं कार्यों का निष्पादन

अनुमोदन के बिना कार्यों का निष्पादन

नगर पालिका अधिनियम की धारा 111 के प्राविधानों के अनुसार म्यूनिसिपलिटी के अनुमोदन के पश्चात ही कार्यों का निष्पादन किया जाना था। प्राविधानों के विपरीत

वर्ष 2013-14 के दौरान नगर पालिका परिषद कन्नौज में अधिशासी अधिकारी द्वारा धनराशि ₹ 1.51 करोड़ (**परिशिष्ट 4.1.28**) के 18 सड़कों एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित कार्य बिना म्यूनिसिपलिटी के अनुमोदन के ही निष्पादित कराये गये थे।

उत्तर में नगर पालिका परिषद द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया, जबकि नगर पालिका परिषद द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

4.1.19 निष्फल व्यय

नगर पालिका परिषद कन्नौज के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जून 2010 के दौरान म्यूनिसिपल टोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु ₹ 5.59 लाख की लागत के दो तिपहिया वाहन, बिना वाहनों की आवश्यकता का निर्धारण किये ही क्रय किये गये थे। परिणामस्वरूप दिसम्बर 2011 से दोनों वाहन निष्क्रिय पड़े थे एवं उन पर किया गया किया गया व्यय ₹ 5.59 लाख निष्फल था। अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों का पंजीकरण एवं बीमा भी नहीं कराया गया था।

उत्तर में नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषद द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया तथापि नगर पालिका परिषद द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

4.1.20 वधशाला का अनधिकृत संचालन

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.11.4 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार, नगर पालिका परिषद कायमगंज में एक वधशाला का संचालन (विगत 15 वर्षों से) जनित उत्प्रवाह के निस्तारण की सुविधा के बिना एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से आवश्यक अनापत्तियों प्रमाण पत्र के बिना ही किया जा रहा था।

उत्तर में नगर पालिका परिषद कायमगंज द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथापि नगर पालिका परिषद द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

4.1.21 अनुश्रवण


नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 के अनुसार नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में, वर्ष में म्यूनिसिपलिटी की 12 बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी थी।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों की संवीक्षा में पाया गया कि म्यूनिसिपलिटी की बैठकों में 67 से 75 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.29** में वर्णित है। अग्रेतर, नगर पालिका परिषद घाटमपुर में 2009-14 के दौरान म्यूनिसिपलिटी की बैठकों के कार्यवृत्त जारी नहीं किये गये थे एवं नगर पालिका कन्नौज तथा कायमगंज में पांच दिन तक के विलम्ब से म्यूनिसिपलिटी की बैठकों के कार्यवृत्त जारी किये गये थे।

नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया जबकि नगर पालिका परिषदों द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी।

भाग स: नगर पंचायत

नागरिकों को म्यूनिसिपल सेवायें प्रदान किये जाने हेतु नगर पंचायतों का गठन वार्डों से किया गया है। कानपुर मण्डल की सात नगर पंचायतें जोकि अट्सू (11 वार्डों से गठित), इकदिल (10 वार्डों से गठित), कमालगंज (12 वार्डों से गठित), शिवली (10 वार्डों से गठित), शिवराजपुर, तालग्राम (11 वार्डों से गठित) एवं तिर्वागंज (15 वार्डों से गठित) है, को निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। यद्यपि नगर पंचायत शिवराजपुर द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। नगर पंचायतें भी नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत शासित हैं। म्यूनिसिपलिटी, जिसका प्रभारी अध्यक्ष है, म्यूनिसिपल सेवाओं सम्बन्धी नीति निर्धारण, बजट एवं कार्यों के अनुमोदन, कर/करेत्तर राजस्व के आरोपण एवं वसूली इत्यादि के लिये उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी कार्यों, योजनाओं इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। नगर पंचायतों का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है।



4.1.22 वित्तीय प्रबन्धन

4.1.22.1 निधि के स्रोत एवं उपयोग

नगर पंचायतों की निधियों के स्रोत एवं उपयोग की पूर्व में प्रस्तर 4.1.7.1 में चर्चा की गयी है। नमूना जाँच नगर पंचायतों की अवधि 2009-14 की कुल उपलब्ध निधि एवं व्ययों (परिशिष्ट 4.1.27) के विवरण को सारणी 6 में सारांकित किया गया है:-

**सारणी 6: नमूना जाँच नगर पंचायतों की अवधि 2009-14 के दौरान
कुल उपलब्ध निधि एवं व्यय**

(₹ करोड़ में)

नगर पंचायतों के नाम	प्रारम्भिक अवशेष	निजी राजस्व	शासकीय अनुदान	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष	उपयोगिता का प्रतिशत
तालग्राम	00.05	00.62	6.87	7.54	5.10	2.44	68
तिर्वागंज	00.22	01.46	11.84	13.52	11.80	1.72	87
शिवली	00.03	00.36	06.91	7.30	5.96	1.34	82
अट्सू	00.02	00.40	07.45	7.87	5.60	2.27	71
इकदिल	00.04	00.30	06.61	6.95	5.58	1.37	80
कमालगंज	00.15	01.23	10.98	12.36	9.56	2.80	77
नगर पंचायतों का योग	00.51	04.37	50.66	55.54	43.60	11.94	79

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतें)

सारणी 6 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–14 के दौरान नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों के द्वारा कुल उपलब्ध निधि ₹ 55.54 करोड़ के सापेक्ष ₹ 43.60 करोड़ (79 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया था।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया।

4.1.22.2 कर एवं करेत्तर राजस्व का आरोपण एवं वसूली

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.16.2 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार नमूना जाँच नगर पंचायतों के द्वारा बकाया कर/करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

नमूना जाँच नगर पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–14 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व के मद में कुल माँग ₹ 6.15 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 3.87 करोड़ की वसूली सम्पन्न हुई एवं वसूली में ₹ 2.28 करोड़ (37 प्रतिशत) की कमी परिलक्षित हुयी (**परिशिष्ट 4.1.4**)।

लेखापरीक्षा के दौरान कर/करेत्तर राजस्व के आरोपण, माँग एवं वसूली में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी। हमने देखा कि:

कर राजस्व प्राप्तियाँ

● सम्पत्ति कर

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.16.2 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार, अवधि 2009–14 के दौरान नगर पंचायत तालग्राम में सम्पत्ति कर का आरोपण नहीं किया गया था एवं वर्ष 2009–10 से पूर्व की ₹ 5.37 लाख के सम्पत्ति कर की वसूली मार्च 2014 तक बकाया थी। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत कमालगंज में वर्ष 2009–12 का सम्पत्ति कर वर्ष 2009–14 के दौरान आरोपित किया गया था एवं वर्ष 2012–14 का सम्पत्ति कर नवम्बर 2014 तक आरोपित नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि नगर पंचायत अट्सू एवं इकदिल में, सम्पत्ति कर से सम्बन्धित माँग एवं वसूली के अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, वर्ष 2009–14 के दौरान नमूना जाँच नगर पंचायतों की सम्पत्ति कर की माँग, राजस्व वसूली तथा वसूली में कमी का विवरण **सारणी 7** में दिया गया है।

सारणी 7: वर्ष 2009–14 के दौरान सम्पत्ति कर की माँग एवं वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

नगर पंचायतों का नाम	माँग	वसूली	कमी	वसूली का प्रतिशत
कमालगंज	30.74	06.92	23.82	23
शिवली	08.75	02.31	06.44	26
तिर्वागंज	27.76	08.26	19.50	30
नगर पंचायतों का योग	67.25	17.49	49.76	26

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों)

सारणी 7 से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2009–14 के दौरान नगर पंचायत कमालगंज, शिवली एवं तिर्वागंज में कुल माँग ₹ 67.25 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 17.49 लाख की वसूली (26 प्रतिशत) की गई थी एवं वसूली में ₹ 49.76 लाख की कमी परिलक्षित हुयी।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों द्वारा सम्पत्ति कर के आरोपण एवं बकाया की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

- **जलकर**

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.16.2 में चर्चा किये गये प्राविधानों के अनुसार, वर्ष 2009-14 के दौरान नगर पंचायत अटसू, इकदिल, शिवली एवं तालग्राम में आवश्यक जलकर आरोपित नहीं किया गया था, जैसा कि नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक था।

- **अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क**

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.7.2 में चर्चा किये गये प्राविधानों के अनुसार माँग न किये जाने के कारण नगर पंचायत; तालग्राम एवं तिर्वागंज में उप महानिरीक्षक स्टाम्प से मात्र ₹ 0.71 करोड़ (75 प्रतिशत) की प्राप्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में हुयी थी एवं प्राप्ति में ₹ 0.24 करोड़ (**परिशिष्ट 4.1.5**) की कमी परिलक्षित हुयी।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों के द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के प्रयासों से अवगत नहीं कराया गया।

करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ

- **जल प्रभार**

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.16.2 में चर्चा किये गये प्राविधानों के अनुसार, नगर पंचायत इकदिल एवं अटसू में 17 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी शासन के सुझावों के अनुसार जल प्रभार निर्धारित नहीं किया गया था एवं क्रमशः ₹ 15 प्रतिमाह प्रति संयोजन एवं ₹ 20 प्रतिमाह प्रति संयोजन की दर से ही आरोपित किया गया था।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा बताया गया कि जल प्रभार के पुनरीक्षण एवं बकाया की वसूली हेतु प्रयास किये जायेंगे।

- **लाइसेंस शुल्क**

नगर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 39 मदों (**परिशिष्ट 4.1.6**) पर लाइसेंस शुल्क आरोपित किया जाने हेतु निर्देशित (दिसम्बर 1997) किया गया था। हालांकि अवधि 2009-14 के दौरान किसी भी नमूना जाँच हेतु चयनित नगर पंचायतों के द्वारा कोई भी लाइसेंस शुल्क आरोपित नहीं किया गया था।

4.1.22.3 बजट

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.16.3 में चर्चा किये गये प्राविधानों के अनुसार, नमूना जाँच नगर पंचायतों कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान म्यूनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत इकदिल में वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के बजट अनुमानों को नहीं बनाया गया था। नगर पंचायत कमालगंज, तालग्राम एवं

तिर्वागंज में बजट अनुमानों के साथ विगत वर्ष के वास्तविक आँकड़ों को म्यूनिसिपलिटि के समक्ष नहीं रखा गया था। अतः नमूना जाँच नगर पंचायतों में बजट के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया था।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों के द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों को लागू न किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया।

4.1.22.4 लेखांकन ढाँचा

लेखाओं की तैयारी

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.7.4 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार, नमूना जाँच नगर पंचायतों द्वारा यद्यपि एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली को वर्ष 2008-09 से लागू कर लिया गया था तथापि राज्य सरकार द्वारा एक्रूअल आधारित दोहरी लेखांकन प्रणाली से सम्बन्धित मैनुअल नहीं बनाया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत, कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज द्वारा केवल रोकड़ बही को ही बनाया जा रहा था, यद्यपि क्रमशः अवधि 2010-14, 2009-14 एवं 2009-14 के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखें नहीं बनाये गये थे।

उत्तर में नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों के द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों के द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

4.1.23 नियोजन

जैसा कि पूर्व में पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.17 में चर्चा की गयी है नमूना जाँच नगर पंचायतों (अट्सू, इकदिल, शिवली, तालग्राम एवं तिर्वागंज) में भी वार्षिक विकास योजनायें अनुमोदन हेतु म्यूनिसिपलिटि के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी थी एवं केन्द्र/राज्य योजनागत योजनाओं के प्रस्ताव को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था। अग्रेतर नगर पंचायत तिर्वागंज, तालग्राम एवं इकदिल में, वार्षिक विकास योजनायें क्रमशः वर्ष 2011-14, 2013-14 एवं 2009-11 तथा वर्ष 2012-14 के लिए ही बनायी गयी थी। अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत कमालगंज में अवधि 2009-14 के दौरान वार्षिक विकास योजनायें बनायी ही नहीं गयी थी।

उत्तर में नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

4.1.24 आपूर्ति एवं कार्यों का निष्पादन

नमूना जाँच नगर पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में अलाभकारी व्यय के निम्न प्रकरण प्रकाश में आये। हमने पाया कि:

- आवश्यकता के निर्धारण के बिना वर्ष 2011-12 के दौरान नगर पंचायत तालग्राम एवं तिर्वागंज में ₹ 6.86 लाख लागत के तीन समरसेबल पम्प क्रय किये गये। ये

समरसेबल पम्प मई 2014 तक निष्प्रयोज्य पड़े थे, परिणामस्वरूप किया गया व्यय ₹ 6.86 लाख निष्फल रहा।

- नगर पंचायत कमालगंज में, मार्च 2014 में ₹ 8.98 लाख की एक नाला सफाई मशीन एवं ₹ 6.46 लाख की एक सीवर सक्शन मशीन, कुल लागत ₹ 15.44 लाख, क्रय की गयी। दोनों मशीनों के संचालन हेतु 35 हार्स पावर के एक ट्रैक्टर की आवश्यकता थी। हालांकि नगर पंचायत द्वारा इन मशीनों को, बिना आवश्यक क्षमता के ट्रैक्टर की पूर्व व्यवस्था के ही क्रय कर लिया गया था। ट्रैक्टर की उपलब्धता के अभाव में दोनों मशीनें नवम्बर 2014 तक निष्प्रयोज्य पड़ी थी, परिणामतः इन पर किया गया व्यय ₹ 15.44 लाख निष्फल रहा।

- जनगणना 2011 हेतु श्रेणी-I के शहरों के वार्डवार नक्शे अक्टूबर 2008 तक बनाये जाने थे। संवीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत, तिर्वागंज (श्रेणी-IV का शहर) द्वारा जनगणना 2011 समाप्त होने के बाद वार्डवार नक्शे बनाये जाने हेतु (2012-13) ₹ 8.53 लाख का व्यय किया गया जोकि न्याय संगत नहीं था।

उत्तर में नमूना जाँच नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्यो को निदेशालय के निर्देशानुसार कराया गया था।

- नगर पंचायत शिवली में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत ₹ 32.09 लाख की लागत के एक बारात घर के निर्माण को अनुमोदित (अप्रैल 2007) किया गया। तदानुसार योजना की धनराशि से ₹ 18.04 लाख उपलब्ध कराये जाने थे एवं शेष ₹ 14.05 लाख की व्यवस्था नगर पंचायत को अपने निजी स्रोत से करनी थी। संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात अगस्त 2007 में बारात घर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। हालांकि अवमुक्त धनराशि ₹ 18.04 लाख के उपयोग के पश्चात निर्माण कार्य मध्य में ही रोक दिया गया (नवम्बर 2008) क्योंकि नगर पंचायत शिवली अपने अंश के ₹ 14.05 लाख को उपलब्ध कराने में असफल रहा (जुलाई 2014 तक), परिणामतः किया गया व्यय ₹ 18.04 लाख निष्फल रहा।

उत्तर में नमूना जाँच की गयी नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायत द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

4.1.25 अनुश्रवण

पूर्ववर्ती प्रस्तर 4.1.22 में चर्चा किये गये प्रावधानों के अनुसार, नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों में म्यूनिसिपलिटी की बैठकों में 17 से 70 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.29** में वर्णित है। अग्रेतर, नगर पंचायत अटसू, इकदिल, शिवली, तालग्राम एवं तिर्वागंज में 2009-14 के दौरान म्यूनिसिपलिटी की बैठकों के कार्यवृत्त निर्गत नहीं किये गये थे एवं नगर पंचायत कमालगंज में म्यूनिसिपलिटी की बैठकों के कार्यवृत्त 12 दिनों तक के विलम्ब से निर्गत किये गये थे।

नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया यद्यपि नगर पंचायतों द्वारा कृत सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

4.1.26 निष्कर्ष

कानपुर नगर निगम

- कानपुर नगर निगम कर एवं करेक्टर राजस्व के आरोपण, माँग, पुनरीक्षण एवं वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने में असफल था। वर्ष 2009–14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा की गई स्वयं के राजस्व की कुल माँग क्रमशः ₹ 919.05 करोड़ तथा ₹ 768.52 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 41 और 61 प्रतिशत की कमी थी। सम्पत्ति कर के लिए वार्षिक किराया मूल्य को निर्धारित समयान्तराल पर पुनरीक्षित नहीं किया गया था।
- कानपुर नगर निगम में या तो बजट समय से तैयार नहीं किये गये अथवा अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी समिति एवं निगम को प्रस्तुत नहीं किये गये।
- वर्ष 2010–14 के वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था एवं वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखों का 27 माह विलम्ब से अन्तिमीकरण किया गया।
- वार्षिक विकास योजनाएँ तैयार नहीं की गयी थी, यद्यपि नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे तैयार किया जाना आवश्यक था।
- कानपुर नगर निगम में निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुबन्ध गठित किये जाने के दौरान आवश्यक निर्देश, आदेश एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। धनराशि ₹ 13.74 करोड़ के 150 कार्यों को कराये जाने के अनुबन्ध निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व हस्ताक्षरित नहीं कराये गये थे एवं ₹ 5.15 करोड़ के 75 कार्यों के अनुबन्ध कार्य समाप्ति के उपरान्त हस्ताक्षरित कराये गये थे।
- कानपुर नगर निगम में पर्यावरणीय प्रकरणों एवं म्यूनिसिपल सेवाओं का प्रबंधन उचित नहीं था। नगरीय ठोस अपशिष्ट शहर में असंग्रहित पड़े रहने के साथ ही प्रसंस्करण संयन्त्र पर भी फेंका हुआ पड़ा था।
- निर्धारित मानक के अनुरूप निगम एवं कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं की गयी थी एवं मुख्य नगर लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

नगर पालिका परिषद

- नमूना जाँच नगर पालिका परिषदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 113.53 करोड़ के सापेक्ष मात्र 89 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया था। स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 13.84 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में आठ प्रतिशत की कमी थी। अग्रेत्तर सम्पत्ति कर की निर्धारण सूची निर्धारित पाँच वर्षों के समयान्तराल पर पुनरीक्षित भी नहीं की गयी थी।
- नमूना जाँच नगर पालिका परिषदों में वार्षिक लेखें भी तैयार नहीं किये गये थे।
- वार्षिक विकास योजनाएँ तैयार की गयी थी परन्तु नमूना जाँच नगर पालिका परिषदों में इन्हें अनुमोदन हेतु म्यूनिसिपलिटी को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत आवश्यक था।

- नमूना जाँच नगर पालिका परिषदों में निर्धारित मानकों के अनुसार म्यूनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं की गयी थी।

नगर पंचायतें

- नमूना जाँच नगर पंचायतों में कुल उपलब्ध धनराशियाँ ₹ 55.54 करोड़ के सापेक्ष मात्र 79 प्रतिशत धनराशि ही उपयोग में लाये गयी थी। नमूना जाँच नगर पंचायतों में स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 6.15 करोड़ के सापेक्ष वसूली में 37 प्रतिशत की कमी थी।
- नमूना जाँच सात नगर पंचायतों में से तीन नगर पंचायतों कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज में वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये थे।
- नमूना जाँच नगर पंचायतों में नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अनुरूप वार्षिक विकास योजनाएँ तैयार नहीं की गयी थी।
- आवश्यकता का निर्धारण किये बिना क्रय किये गये जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायतों तालग्राम एवं तिर्वागंज में ₹ 6.86 लाख के तीन सबमर्सिबल पम्प (2011-12 के दौरान क्रय किये गये) निष्क्रिय पड़े थे। नगर पंचायत कमालगंज में ₹ 15.44 लाख की एक नाला सफाई मशीन एवं एक सीवर सक्शन मशीन आवश्यक क्षमता के ट्रैक्टर के अभाव में निष्क्रिय पड़ी थी।
- अनुश्रवण में कमी थी क्योंकि नमूना जाँच नगर पंचायतों में म्यूनिसिपलिटी की निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं हुयी थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित (अक्टूबर 2014) किया गया था एवं उत्तर प्रतीक्षित है। हालांकि निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों एवं आंकड़ों की समापन संगोष्ठी में शासन द्वारा (फरवरी 2015) पुष्टि की गयी थी।

4.2.1 निधियों का अवरोधन

उचित नियोजन के अभाव में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि ₹ 35.61 लाख का अवरोधन।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क सुधार, जल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश, आंकड़ों को कम्प्यूटरीकरण करने एवं अन्य विकास कार्य जैसे यातायात सुधार के कार्य, शवदाह गृह/शवदाह स्थलों, पार्क, बगीचे एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के रख-रखाव करने जिससे कि नागरिक सुविधायें बेहतर हो सकें, अनुदान दिया जाता है।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम मेरठ को वर्ष 2005 से 2010 की अवधि में अनुदान ₹ 19.05 करोड़ अवमुक्त किया गया (परिशिष्ट 4.2.1)। उस अनुदान राशि में से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 9.52 करोड़ (50 प्रतिशत), सड़कों के सुधार एवं चौड़ीकरण, पार्किंग स्थलों के विकास, ड्रेनेज व्यवस्था के रख-रखाव एवं निर्माण हेतु ₹ 4.76 करोड़ (25 प्रतिशत), जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु ₹ 1.90 करोड़ (10 प्रतिशत), मार्ग प्रकाश हेतु ₹ 0.95 करोड़ (5 प्रतिशत), आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण एवं रख-रखाव हेतु ₹ 0.38 करोड़ (2 प्रतिशत), तथा अन्य विकास कार्यों हेतु ₹ 1.53 करोड़ (8 प्रतिशत) संबंधित वित्तीय वर्षों में उपयोग हेतु अवमुक्त किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष में सरकार को उपलब्ध कराया जाना था।

नगर निगम, मेरठ के लेखा अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2013) में पाया गया कि मार्च 2010 तक निगम द्वारा ₹ 19.05 करोड़ में से केवल ₹ 12.50 करोड़³¹ व्यय किये गये थे किन्तु विभाग की उदासीनता के कारण वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक (अगस्त 2014) ₹ 7.70 करोड़³² (ब्याज सहित) जिसमें से ₹ 5.18 करोड़ बैंक में एवं ₹ 1.37 करोड़ वैयक्तिक लेखा खाता में अगस्त 2014 तक पड़े थे (परिशिष्ट 4.2.2)। इस धनराशि पर बैंक से ₹ 1.15 करोड़ ब्याज अर्जित किये गये। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग से उपलब्ध करायी गयी धनराशि से नगर आयुक्त आधारभूत संरचना सृजित करने में असफल रहे जिसके कारण जनता लाभ पाने से वंचित रही।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ने बताया (अप्रैल 2013) कि शासन द्वारा कार्यों की स्वीकृति न दिये जाने तथा निर्दिष्ट दिशा निर्देश न प्राप्त होने के कारण धनराशि बैंक/वैयक्तिक लेखा खाता में बिना खर्च किये हुए पड़ी थी। पुनः निगम ने अक्टूबर 2014 में बताया कि सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014 के मध्य ₹ 7.34 करोड़ (ब्याज सहित) संबंधित शीर्षों में स्थानांतरित कर दी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धनराशि ₹ 7.34 करोड़ चार से नौ वर्ष के पश्चात् राज्य सरकार को समर्पित की गयी थी एवं विभाग विकासात्मक कार्यों को कराने में असफल रहा जबकि धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व ही कार्य अनुमोदित किये जा चुके थे। सक्षम अधिकारी द्वारा शासन से पूर्व में कार्य कराने की स्वीकृति ले ली जानी

³¹ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ₹ 6.47 करोड़, सड़क सुधार ₹ 3.26 करोड़, जल आपूर्ति ₹ 0.96 करोड़, मार्ग प्रकाश ₹ 0.56 करोड़, कम्प्यूटरीकरण ₹ 0.30 करोड़ एवं अन्य विकास कार्य ₹ 0.95 करोड़।

³² ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ₹ 3.06 करोड़, सड़क सुधार ₹ 1.50 करोड़, जल आपूर्ति ₹ 0.95 करोड़, मार्ग प्रकाश ₹ 0.39 करोड़, कम्प्यूटरीकरण ₹ 0.08 करोड़, अन्य विकास कार्यों के ₹ 0.58 करोड़। (वैयक्तिक लेखा खाता में ₹ 1.37 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक में ₹ 6.33 करोड़)।

चाहिए थी। अग्रेतर पाया गया कि वैयक्तिक लेखा खाते में ₹ 35.61 लाख अभी भी निष्प्रयोज्य पड़े हुये थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उचित नियोजन न करने से बारहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य पर नहीं किया जा सका क्योंकि धनराशि 9 वर्षों तक अव्ययित पड़ी रही एवं धनराशि ₹ 35.61 लाख अभी भी अवरुद्ध थी।

शासन ने वार्ता (फरवरी 2015) के समय तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

4.2.2 अलाभकारी व्यय एवं राजस्व हानि

बिना आवश्यकता का आकलन किये दुकानों का निर्माण कराने से छः से नौ वर्षों तक बिना आवंटन के कारण अलाभकारी व्यय तथा बाद में बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवंटन के कारण ₹ 21.35 लाख की राजस्व हानि।

नगर पंचायत, हरिहरपुर, संत कबीर नगर ने निजी स्रोतों से आय सृजित करने के उद्देश्य से स्थानीय दुकानदारों को दुकान के लिये जगह उपलब्ध कराने के लिये 23 दुकान इंदिरा नगर व्यावसायिक योजना में तथा 20 दुकान मीट एवं फिश बाजार में निर्माण करवाने का निर्णय लिया (2001-02)। छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के लिये संगठित विकास योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2004 में जलकल कंपाउन्ड व्यावसायिक योजना में अंतर्गत 10 दुकानों के निर्माण का निर्णय लिया गया। दुकानों के निर्माण के पूर्व दुकानों की आवश्यकता तथा उपयुक्तता हेतु सर्वे कराया जाना था। दुकानदारों से प्रीमियम प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें दुकाने आवंटित किया जाना चाहिये था तथा नगर पंचायत द्वारा मासिक किराया निर्धारित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2013) में पाया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने संगठित विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत, हरिहरपुर में दो योजनायें (1) मीट एवं फिश मार्केट ₹ 6.16 लाख तथा (2) इंदिरानगर व्यावसायिक योजना ₹ 15.27 लाख स्वीकृत कीं (मार्च 2002)। राज्य सरकार ने नगर पंचायत हरिहरपुर को संगठित विकास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त की धनराशि ₹ 16.67 लाख इस शर्त के साथ अवमुक्त किया कि मीट एवं फिश मार्केट बनाने के पश्चात् अवशेष धनराशि ₹ 10.51 लाख से इंदिरानगर व्यावसायिक योजना में दुकानों का निर्माण किया जाये। स्वीकृति से अधिक व्यय का समायोजन दुकानों के आवंटन से प्राप्त होने वाली प्रीमियम की धनराशि से किया जायेगा। हमने पाया कि ₹ 3.92 लाख की लागत से मीट एवं फिश मार्केट की आठ दुकानों का निर्माण (दिसम्बर 2002) किया गया तथा ₹ 13.99 लाख की लागत से 23 दुकानों का निर्माण (मार्च 2003) इंदिरा नगर व्यावसायिक योजना के अंतर्गत किया गया था।

पुनः नगर पंचायत हरिहरपुर द्वारा संगठित विकास योजना के अंतर्गत जलकल कंपाउन्ड व्यावसायिक योजना में 10 दुकानों के निर्माण का निर्णय किया गया (अक्टूबर 2004)। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस योजना के लिए ₹ 8.78 लाख की स्वीकृति दी (जनवरी 2005)। राज्य सरकार ने द्वितीय किश्त धनराशि ₹ 33.20 लाख अवमुक्त की (अक्टूबर 2004) जिसमें जलकल कंपाउन्ड व्यावसायिक योजना के ₹ 10.24 लाख सम्मिलित थे। इस योजना के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण (अक्टूबर 2005) ₹ 9.59 लाख की कुल लागत से किया गया।

हमने पाया (सितम्बर 2013) कि मीट एवं फिश मार्केट तथा इंदिरा नगर व्यावसायिक योजना की दुकानों का प्रीमियम क्रमशः ₹ 62,740 तथा ₹ 71,000 प्रति दुकान निर्धारित किया गया था जबकि जलकल कंपाउन्ड व्यावसायिक योजना की दुकानों का प्रीमियम निर्धारित नहीं था। दुकानों का किराया भी निर्धारित नहीं किया गया था। अग्रेतर जांच में पाया गया कि इन योजनाओं की कोई भी दुकान, दुकानदारों को आवंटित नहीं की गयी थी जिसके कारण 2002-03 से 2005-06 के दौरान निर्मित 41 दुकानों पर व्यय ₹ 27.50 लाख³³ अलाभकारी रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरिहरपुर द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2014) कि वर्ष 2012-13 के दौरान सभी दुकानें आवंटित की गयी थी किन्तु कोई प्रीमियम नहीं लिया गया था। अधिशासी अधिकारी के उत्तर से स्पष्ट है कि दुकानें छः से नौ वर्षों तक आवंटित नहीं की गयी थीं तथा कोई प्रीमियम नहीं लिया गया था।

इस प्रकार, बिना आवश्यकता का आकलन किये दुकानों के निर्माण पर किया गया व्यय छः से नौ वर्षों तक अलाभकारी रहा तथा बिना प्रीमियम लिए दुकानों का आवंटन करने से ₹ 21.35 लाख³⁴ की राजस्व हानि हुयी।

शासन ने वार्ता (फरवरी 2015) के समय तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

4.2.3 अलाभकारी व्यय

नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद में मार्ग प्रकाश के अधूरे कार्य के कारण ₹ 62.42 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद में मान्यवर कांशी राम नगर विकास योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण/मरम्मत के लिये ₹ 5.45 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत³⁵ किया (जुलाई 2010) जिसमें ₹ 65.21 लाख³⁶ मार्ग-प्रकाश के सुधार के लिए शामिल थे।

नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2013) में पाया गया कि न्यूनतम निविदा के आधार पर ठेकेदार को मार्ग प्रकाश के निर्माण/सुधार कार्य हेतु निविदा दिया गया (नवम्बर 2010)। नवम्बर 2010 में ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया जिसमें कार्य पूर्ण करने का नियत समय तीन माह था। ठेकेदार द्वारा ₹ 64.34 लाख का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें से ₹ 62.42 लाख³⁷ का भुगतान (मार्च 2011) वास्तविक कार्य के सत्यापन के बिना किया गया। फिर भी अधिशासी अधिकारी ने अधूरे कार्य के एवज में ₹ 1.91 लाख की कटौती कर ली। भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार ने अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किया।

प्रकाश निरीक्षक की रिपोर्ट (मार्च 2013) के अनुसार अधूरे कार्यों में 185 पोल का न लगाया जाना, 11 मिनी हाई मास्ट प्लेटफार्म का निर्माण न किया जाना, 66 पोलों में केबिल न फैलाना तथा केबिल युक्त 15 पोलों का न लगाया जाना सम्मिलित था। इस

³³ ₹ 3.92 लाख (8 दुकानें) + ₹ 13.99 लाख (23 दुकानें) + ₹ 9.59 लाख (10 दुकानें) = ₹ 27.50 लाख (41 दुकानें)

³⁴ 23 दुकानें * ₹ 71,000 = ₹ 16,33,000 , 08 दुकानें * ₹ 62,740 = ₹ 5,01,920 योग ₹ 21,34,920, या ₹ 21.35 लाख

³⁵ शासनादेश 5235/नव-5-2010-42 स/09 दिनांक 15 जुलाई 2010

³⁶ 11 मिनी हाई मास्ट (₹ 1.40 लाख प्रति मास्ट) - ₹ 15.40 लाख, 200 नये विद्युत पोलों को लगाना - ₹ 36 लाख तथा 250 वाट की पूरी फिटिंग सहित 200 सोडियम लाइट - ₹ 13.81 लाख।

³⁷ बिल सं० 527 - ₹ 14.59 लाख, बिल सं० 528 - ₹ 13.63 लाख तथा बिल सं० 529 - ₹ 34.20 लाख

क्रम में प्रकरण को जिलाधिकारी के समक्ष लाया गया (जून 2013)। नगर पालिका परिषद, फैजाबाद ने समाचार पत्रों के माध्यम से ठेकेदार को अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये नोटिस दी (जून 2011)³⁸: ऐसा न होने पर ठेकेदार को नगर पालिका परिषद ने काली सूची में डाल दिया (फरवरी 2014)।

संप्रेशा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (नवंबर 2013) कि कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार के बिल से ₹ 1.91 लाख भुगतान करने के पूर्व काट लिये गये थे, अग्रेतर बताया गया (सितम्बर 2014) कि कार्य अभी भी अधूरा है तथा ठेकेदार के पूर्व देयताओं से ₹ 10.11 लाख³⁹ की कटौती अधूरे कार्यों के लिए कर ली गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कराये गये कार्य के सत्यापन के बिना भुगतान कर दिया गया था।

सत्यता यही है कि ₹ 62.42 लाख का मार्ग प्रकाश पर व्यय अलाभकारी रहा तथा लाभार्थी मिलने वाले अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

शासन ने वार्ता (फरवरी 2015) के समय तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इलाहाबाद
दिनांक

(भाविका जोशी लाठे)
उप महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश

³⁸ चार नोटिसें (अप्रैल 2011, मई 2011, जून 2011 तथा जुलाई 2011)

³⁹ अपूर्ण कार्यों का विवरण: पोलों की ग्राउंटिंग ₹ 0.39 लाख, हाई मास्ट प्लेटफार्म- ₹ 0.88 लाख, पोलों का नान-केबलिंग ₹ 6.14 लाख तथा केबिल युक्त पोल ₹ 2.70 लाख।

परिशिष्ट – 1.1
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.2 एवं 2.2.1; पृष्ठ)
ग्याहरवीं अनुसूची: 29 विषयों की सूची

- 1 कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।
- 2 भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी एवं भूमि संरक्षण।
- 3 लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन एवं जलागम विकास।
- 4 पशुपालन, दुग्ध एवं कुक्कुट पालन।
- 5 मात्स्यिकी।
- 6 सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी।
- 7 लघु वन उत्पाद।
- 8 लघु श्रेणी उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण भी सम्मिलित है।
- 9 खादी एवं ग्रामोद्योग।
- 10 ग्रामीण आवास।
- 11 पेयजल।
- 12 ईंधन एवं चारा।
- 13 सड़कें, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
- 14 ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत वितरण भी सम्मिलित है।
- 15 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत।
- 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- 17 शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित है।
- 18 तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
- 19 वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा।
- 20 पुस्तकालय।
- 21 सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- 22 हाट बाजार एवं मेले।
- 23 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालय सम्मिलित है।
- 24 परिवार कल्याण।
- 25 महिला कल्याण एवं बाल विकास।
- 26 समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांग एवं मंदबुद्धि कल्याण भी सम्मिलित है।
- 27 कमजोर वर्गों का कल्याण जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण भी सम्मिलित है।
- 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- 29 सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण।


(स्रोत: भारत का संविधान)

परिशिष्ट – 1.2
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.2; पृष्ठ)
पंचायती राज संस्थाओं को विषयों के हस्तांतरण की स्थिति

क्र० सं०	विषयों का हस्तांतरण
1	ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव ।
2	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
3	प्राथमिक शिक्षा जिसके अन्तर्गत मिड-डे-मिल भी है ।
4	ग्रामीण हाट बाजार एवं मेलो का संचालन एवं अनुरक्षण ।
5	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ।
6	'घ' श्रेणी पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण ।
7	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों का कल्याण कार्यक्रम-पेंशनरों का चयन एवं छात्रवृत्ति का वितरण ।
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण, जिसके अन्तर्गत जन केरोसीन कार्यक्रम सम्मिलित है ।
9	पंचायत क्षेत्र में सृजित सम्पत्तियों का अनुरक्षण ।
10	ग्रामीण पुस्तकालय ।
11	ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम ।
12	ग्रामीण आवास योजनाएं-लाभार्थियों का चयन ।
13	क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम प्रधान द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप मुख्य चिकित्साधिकारी के निरीक्षण नोट का सत्यापन ।
14	लघु सिंचाई-लाभार्थियों का चयन ।
15	सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों का अनुरक्षण ।
16	क्षेत्र पंचायत में बीज भंडारों का अनुरक्षण इत्यादि ।

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

परिशिष्ट- 1.3
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.6 & 2.2.2; पृष्ठ)
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

लाइन विभागों का ढाँचा

अधिकारी का स्तर	ग्राम्य विकास	पंचायती राज	समाज कल्याण	पिछड़ा वर्ग कल्याण	अल्पसंख्यक कल्याण	महिला एवं बाल कल्याण	नियोजन
मुख्य नियंत्रक अधिकारी	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	प्रमुख सचिव, पंचायती राज	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण	प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल कल्याण	प्रमुख सचिव, नियोजन
नियंत्रक अधिकारी स्तर	आयुक्त, ग्राम्य विकास	निदेशक, पंचायती राज	निदेशक, समाज कल्याण	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण	निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी
जिले में स्वीकृतकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
आहरण वितरण अधिकारी स्तर	जिला विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी

समानान्तर निकायों (मुख्य योजनायें) का ढाँचा

	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सर्व शिक्षा अभियान
शासन स्तर	कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	राज्य स्वास्थ्य मिशन राज्य स्वास्थ्य समिति	राज्य कार्यान्वयन समिति
विभागीय स्तर	आयुक्त, ग्राम्य विकास (जो कि ग्रामीण रोजगार आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं)	प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य एवं पदेन प्रमुख-राज्य स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारी समिति मिशन निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक
जनपद स्तर	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	जिला स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	जिलाशिक्षा नियोजन समिति जिला परियोजना अधिकारी-सर्व शिक्षा अभियान
खण्ड स्तर	कार्यक्रम अधिकारी	खण्ड स्वास्थ्य नियोजन एवं अनुश्रवण समिति	खण्ड विकास समिति
ग्राम स्तर	सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	ग्राम शिक्षा समिति

(स्रोत : निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

परिशिष्ट- 1.4
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.7; पृष्ठ)
स्थायी समितियों के कृत्य

(अ) ग्राम पंचायत में स्थायी समितियाँ

- (i) **नियोजन एवं विकास समिति:** नियोजन एवं विकास समिति, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने एवं कृषि, पशुधन एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।
- (ii) **शिक्षा समिति:** प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी है।
- (iii) **निर्माण कार्य समिति:** सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों को कराने और उनके अनुरक्षण कार्य एवं गुणवत्ता के लिए निर्माण समिति उत्तरदायी है।
- (iv) **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति:** स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति को चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं समाज कल्याण योजनाओं के कार्यों को करना है। विशेष रूप से महिलाओं एवं बाल कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन है।
- (v) **प्रशासनिक समिति:** प्रशासनिक समिति कर्मचारियों के अधिष्ठान एवं ग्राम पंचायत में राशन की दुकानों से सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित है।
- (vi) **जल-प्रबन्धन समिति:** जल-प्रबन्धन समिति पेयजल योजना एवं नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित है।

(ब) क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत में स्थायी समितियाँ

- (i) **नियोजन एवं विकास समिति:** ग्राम पंचायत के लिए योजना को तैयार करने एवं कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य नियोजन एवं विकास समिति को सौंपा गया है।
- (ii) **शिक्षा समिति:** प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य शिक्षा समिति को सौंपा गया है।
- (iii) **निर्माण कार्य समिति:** सभी प्रकार के अस्थायी एवं स्थायी निर्माण कार्यों और अनुरक्षण कार्यों में प्रभावी नियंत्रण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य निर्माण समिति को सौंपा गया है।
- (iv) **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति:** चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति उत्तरदायी है।
- (v) **प्रशासनिक समिति:** प्रशासनिक समिति, ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित विषयों एवं राशन की दुकानों से सम्बन्धित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
- (vi) **जल प्रबन्धन समिति:** जल प्रबन्धन समिति नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण तथा पेय जल से सम्बन्धित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी है।

(स्रोत : निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

परिशिष्ट- 1.5

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.10; पृष्ठ)

स्वयं के स्रोतों से वसूला गया राजस्व

(अ) एवं (ब) भू-राजस्व पर कर

- (i) थियेटर एवं सिनेमा पर कर।
- (ii) पशुओं पर कर।
- (iii) हॉट या मेलों में सामानों के विक्रय पर कर।
- (iv) ग्राम पंचायत के अन्तर्गत किसी बाजार में विक्रीत पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।
- (v) कसाईखाना पर शुल्क।
- (vi) जल मूल्य।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय 7 के अनुसार जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा लगाए गए कर, शुल्क इत्यादि—

- (i) विभव एवं सम्पत्ति कर (धारा 120)।
- (ii) जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की पट्टागत सम्पत्ति के अलावा अन्य प्रयोग के लिए शुल्क (धारा 142)।
- (iii) लाइसेंस शुल्क (धारा 145)।
- (iv) प्रयोगशालाओं, सरायों एवं पड़ावों इत्यादि के उपयोग के लिए शुल्क/हाट बाजार एवं पुलों के उपयोग के लिए पथ कर (धारा 144)।
- (v) (अ) बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापको पर लाइसेन्स शुल्क; (धारा 145)।
(ब) बिक्री के लिए ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लद्दू पशुओं या कुलियों पर पथकर;
(स) सामानों की बिक्री पर बाजार शुल्क।
(द) बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।

(स्रोत : निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

परिशिष्ट- 1.6

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.10; पृष्ठ)

सकल प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समय श्रेणी आकड़े

(₹ करोड़ में)

निधि की प्रकृति	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
स्वयं के राजस्व	103.73	131.36	127.08 ¹	170.21	190.70	723.08
केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तरण (केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तान्तरण)	585.60	911.29	1,473.51	1,742.36	3,408.67	8,121.43
राज्य वित्त आयोग अन्तरण (राज्य वित्त आयोग हस्तान्तरण)	1,262.07	1,787.57	2,172.38 ²	2,455.04	3,544.81	11,221.87
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान	12,119.67	10,737.28	9,006.91 ³	7,816.28	6,498.78	46,184.31
योग	14,071.07	13,567.50	12,779.88	12,183.89	13,642.96	66,250.69

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ; उप-निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ; आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ)

¹ केवल जिला पंचायत।

² वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 2010-11 से भिन्न हैं क्योंकि निदेशक, पंचायती राज द्वारा भिन्न-भिन्न आँकड़े उपलब्ध कराये गये।

³ ₹ 9,006.91 करोड़ में से ₹ 4,711.59 करोड़ मनरेगा से सम्बन्धित थे जिसमें से ₹ 3,889.15 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त किये गये थे एवं ₹ 822.44 करोड़ अन्य सम्बन्धित विभागों को अवमुक्त किये गये थे।

परिशिष्ट- 1.7

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.10.2; पृष्ठ)

निवल आगम की तुलना में निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निवल आगम	हस्तान्तरित की जाने वाली निधियाँ	वास्तव में हस्तांतरित निधियाँ	कमी (-)/ वृद्धि (+)	प्रतिशत
1	2009-10	33,878	1,694	1,262	(-) 432	(-) 26
2	2010-11	41,110	2,261	1,788	(-) 473	(-) 21
3	2011-12	52,613	2,894	2,172	(-) 722	(-) 25
4	2012-13	58,098	3,195	2,455	(-)740	(-) 23
5	2013-14	66,582	3,662	3,545	(-)117	(-)3
	योग	2,52,281	13,706	11,222	(-)2,484	(-)18

(स्रोत: वित्त लेखे एवं निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; उप-निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ; आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ)

परिशिष्ट – 2.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.2; पृष्ठ)

टी0एस0सी0/एन0बी0ए0 के घटक

क्र0 सं0	घटक	विवरण
1	आरम्भिक क्रियाकलाप	इस घटक के अन्तर्गत प्रारम्भिक सर्वेक्षण आधार रेखा सर्वेक्षण, प्रमुख कार्मिकों का प्रवोधन और राज्य योजना तैयार करना शामिल है।
2	सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलाप	राज्य स्तर पर बनायी गयी संरचना एवं क्षमता विकास इकाइयाँ अच्छी आईईसी योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में जिलों की मदद करेगें राज्य स्तर का मानव संसाधन विकास क्रियाकलाप भी किया जाना है।
3	क्षमता निर्माण	यह घटक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी डब्ल्यू एस सी) तथा पंचायती राज संस्था के सदस्यों, ब्लाक तथा जिला कार्मिकों और बुनियादी स्तर के कार्मिकों के प्रषिक्षण के लिए है।
4	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कार्य परिवार द्वारा खुद ही किया जायेगा और शौचालय बन जाने तथा इस्तेमाल शुरू हो जाने पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बीपीएल) को नकद वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जा सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तार करके गरीबी रेखा से ऊपर के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, छोटे और सीमान्त किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलागों तथा महिला प्रमुख परिवारों को दिया जा सकता है।
5	ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केन्द्र	ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक ऐसी दुकान है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, सोखता तथा कम्पोस्ट पिट्स, वर्मिकम्पोस्टिंग, धुलाई चबूतरों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियाँ हार्डवेयर और डिजाइन तथा आवश्यक अन्य स्वच्छता एवं साफ-सफाई सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध होते हैं। उत्पादन केन्द्र स्थानीय स्तर पर किफायती स्वच्छता सामग्रियाँ बनाने के साधन हैं। वे स्वतन्त्र हो सकते हैं अथवा ग्रामीण स्वच्छता बाजारों का एक हिस्सा हो सकते हैं।
6	जिले में परिक्रामी निधि का प्रावधान	जिला परियोजना के 5 प्रतिशत जो कि अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा, का इस्तेमाल परिक्रामी निधि के रूप में किया जा सकता है। इस निधि से दिये गये ऋण का भुगतान 12 से 18 किस्तों में किया जायेगा।
7	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मल भारत अभियान का एक अभिन्न घटक है। इन परिसरों, जिनमें उपयुक्त संख्या में शौचालय शीट, स्नानघर, कपड़े धोने के लिए चबूतरा, वाषबेसिन इत्यादि शामिल हैं, को गाँव में ऐसी जगह पर बनाया जा सकता है जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो तथा जहाँ सभी पहुँच सके।
8	संस्थागत शौचालय	सभी सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाये जाने चाहिए। स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी आंगनबाड़ियों में जो सरकारी भवनों में हैं उनमें बच्चों के अनुकूल शौचालय बनाये जाने चाहिए।
9	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन	निर्मल स्थिति के लिए लक्ष्य में रखी गयी निर्धारित ग्राम पंचायतों को परियोजना में प्राथमिकता दी जायेगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के लिए कुल सहायता का निर्धारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया जायेगा जो कि 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रुपये, 300 परिवारों के लिए 12 लाख रुपये, 500 परिवारों के लिए 15 लाख रुपये और 500 से अधिक परिवारों के लिए 20 लाख रुपये होगी।
10	निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सृजित सुविधाओं का रख-रखाव	सृजित स्वच्छता सुविधाओं की समुचित देखभाल तथा रख-रखाव के लिए ग्रामीण समुदाय, विशेषकर परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।
11	प्रशासनिक प्रभार	प्रशासनिक प्रभारों में टी0 एस0 सी0/एन0बी0ए0 के निष्पादन के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किये गये स्टाफ के वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराये पर लिए गये वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, निर्मल भारत अभियान परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन पर खर्च की गयी रकम शामिल होगी। टी0एस0सी0/एन0बी0ए0 के तहत किये जाने वाले प्रशासनिक घटक कुल जिला परियोजना परिव्यय के 4 प्रतिशत तक हो सकती है।

(स्रोत: टी0एस0सी0/एन0बी0ए0 की गाइड लाइन)

परिशिष्ट – 2.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6; पृष्ठ)

चयनित इकाईयों का विवरण

जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायत
औरैया	अजीतमल	अमावता, वेरीधनकर, विसालपुर, दहियापुर, गौहानीकलां, जगदीशपुर, मुडैना रूपशाह, रतनपुर, सरायं टडवा, शहवाजपुर
	ऐरवा कटरा	भैदपुर, एरवा टिकटा, गाजीपुर, ईश्वरपुर, कुकरकाट, नूराबाद, रामपुर खास, सराय शीशगरान, सूरजपुर, एरवा, वैवाह, सूरजपुर एरवा
आजमगढ़	अहिरौला	अभयविशेषरपुर, बहराकोठी, बसईपुर, बिड़हर मयचक खजुरा, गहजी, हसनाडीह, खालिसपुर, लेदौरा, पारामिस्रौली, सकरकोला
	कोयलसा	अकडंगी बिहारपुर, बौडिया, भवानीपट्टी, धन्धारी, हिसामुद्दीनपुर, करमहा डींगुरपुर, मदेपुर, मुखलिसपुर, रायपुर खुसारिन, सेरवा
	मोहम्मदपुर	अमौरा जहनियांपुर, बहोरापुर, चकमुक्ति, गौरी, जाफरपुर, खराटी, मडैया मुहताड़, मोहनाथ, रानीपुर रजमों, शिवराजपुर
	सठियांव	असाउर, बस्ती, दाउदपुरकुर्मी, फिरोजाबाद, जमीन पाही जमीन, कोरहवा, मुस्तफाबाद, पैकौली, सलारपुर, सिक्टीशाह मुहम्मदपुर
बिजनौर	धामपुर	अलादीनपुर भटपुरा, बेरखेरा टांडा, दित्तानपुर, जमालपुर आलम (बामनोली), मिमला, मुबारकपुर टप्पा भर्ती, नरुल्लापुर उदय चन्द्र, पालकी इमान, सलवा, उमरपुर आशा
	नजीबाबाद	अलीपुरा, बिजौरी, गदमलपुर, इस्सेपुर, कामराजपुर, मथुरापुर मोर, नगला, उब्बन, पुण्डरी खुर्द, सबलपुर बितरा, सिकन्दरपुर बासी
देवरिया	बनकटा	बखारी, बासदेवपुर उर्फ गोबरही, भूपतपुरा, छितौनी, इन्दरवा, किशोरी छापर, नियरवा, परसौनी आनन्दधन, रामपुर बुजुर्ग, सोहनपुर
	भाटपारानी	अहिरौली तिवारी, बेलपार पंडित, बिरमापट्टी, धवारकान, जैतपुरा, खामपार, लाखोपार, नरायनपुर दुबे, पुरैना, टडवा
	पथरदेवा	बघारा महुआरी, भैंसा डाबर, देवघाट, घुदीकुन्ड कलां, कोइलसवा खुर्द, महुआरी, मेदीपट्टी, नोनियापट्टी, पिपरा, शाहपुर शुक्ला
गोरखपुर	बडहलगंज	बधया तिकुर, बारदिहा, भीटी दुबे, दवानाडीह, खड़ेसारी, कोल्हुआ, मकरन्दपुर, नरहरपुर, पौहरिया, सीधेगौर
	चरगवां	बैजनाथपुर, बेलवा रायपुर, जंगल अहमद अली शाह, जंगल छत्रधारी, जंगल नाकिन, जंगल तिनकोनिया नं0 -2, महाराजगंज, नरायनपुर, रामपुर चक, सियारामपुर
	खजनी	आशापार, बरपार बरगढ़, भैंसा उर्फ बनकटा, झागीपार, घैसारा, जिगिना बाबू, कुनवा बुजुर्ग, पकरघाट, साहुलखोर, सतुआभार
	सहजनवां	बकुलही, भगौरा, भीमापार, गंगगच्छी, जगदीशपुर, खजुरी, मिन्धा पकड़ी, रघुनाथपुर, रेवड़ा, तेनुहारी
हरदोई	बेहदर	अकबरपुर ताल्हू, अटुका, बेहन्दर खुर्द, दिवारी, घुसपहा, जरहा, खेरवा, पिलखनी दमगढ़ा, शाहपुर चमरहा, तुरना रुद्रपीपरचक
	हरपालपुर	अर्जुनपुर, बांसी, बेहटा रमपुरा, चाउपुर, गौरिया, ककरा, खसौरा, मोल्हनपुर, परचौली, शहाबुद्दीन पुर
	पिहानी	अम्बारी, बेलकपुरपुर, दहेलिया, दुगवां, हान पसगवां, कोरीगांव, मनिकापुर, पतरास, रसूलपुर, सरेहजू, वाजिदनगर
	टडियांव	अमैथिया मसीनहा, बरगवां अहरापुर, भौटा कमालपुर, गुलरिहा, जपरा, कुवांनमऊ सेमरौली, निबुई, पूर्वा देवरिया, साखिन रमुवापुर, सिकन्दरपुर
जालौन	कदौरा	आटा, बारा, चमारी, इटौरा बावनी, जक्सिया, काशीरामपुर, नाका, रैला, तिरही
	नदीगॉव	अनघौरा, बावली, घनौरा, धिलौर, ककरौली, खक्शीस, केवलारी, मऊ भरतपुर, रजीपुरा, सलैया बुजुर्ग
कौशाम्बी	मंझनपुर	अम्बावा पुरब, बैसकांटी, भरसवां, छिमिरछा, गौरा, इब्राहिमपुर, लहना, पन्डेरी, पिपरकुण्डी, तैयबपुरमगौरा
	सिराथू	बालकमऊ, बिदनपुर आमद करारी, गौसेलमपुर, झण्डापुर, कोरो, मनमऊ, नगियामई, राला, सेलहरा पूरब, टेगई

कुशीनगर	कप्तानगंज	अवरहीकृतपुरा, बरवाखास, भडसरनरायन, डुमडुमवा उर्फ मझिला, घोघरा, कप्तानगंज, लक्ष्मीपुर, मुजडीहा, पटखौली, सेंदुरिया
	पड़रौना	ब्होरापुर, बतरडेरा, देवरिया पाण्डेय, हरैया बुजुर्ग, जंगल नाहर छपरा, खड्डा खुर्द, नादह, पिपरा सुजान, साखोपार, सिकटा
	विशुनपुरा	बबुइयाहरपुर, बेतिया, चितहॉ, गम्भिरिया, जटहॉ बाजार, माधोपुर गौजही, मुजहिदा, पकड़ियार, पुर्नहामिश्र, सोनवल
लखीमपुर खीरी	विजुआ	अशाढ़ी, भदेढ़, दौदपुर, गोन्धिया, करसौर, मझौरा, मुड़िया हेमसिंह, पिपरा धानी, रामा लच्छना, रूरा सुल्तानपुर
	मितौली	आशिकनगर, बहेरवा ग्रान्ट, ढकिया कुस्तौल, जम्हौरा, काशता, कुसमी, मुहम्मदपुर नगरा, ओड़हरा, रौतापुर, सेमरावां
	पसगंवा	अजवापुर, बरखेरा, ढकौरा, हैरामखेड़ा, कल्लुआ, किरियारा, मुहम्मदपुर नाजिर, नकटी, पसगवां, सेमरा जानीपुर,
मिर्जापुर	छान्नेबे	आदमपुर, बघरा तिवारी, बौराई, बिहसड़ाखुर्द, देवारी, हरगढ़, खैरा, कुशहा, नीबी गहरवार, सेमरी,
	मझवा	बजहा, भैंसा, दामोदरपुर, गेगरांव, जलालपुर, कनकसरांय, लरवक, नरायनपुर, सबेसर, तिवारीपुर
पीलीभीत	विलसण्डा	आजमपुर, बहदिया, चपरौआ कुइया, घनश्यामपुर, इरादतपुर पगार, खजुरिया, मनकापुर, नगरारत्ता, पड़री मरौरी, रामपुर बसन्त
	पूरनपुर	अभयपुर मुस्तकिल शाहगढ़, बिहारीपुर, दुधिया खुर्द, जादोपुर गहलुइया, केशोपुर तालुका घुघचियाई, मैनाकोट, नवदिया धनेश, रघुनाथपुर, शास्त्रीनगर, सुखदासपुर नवदिया
प्रतापगढ़	आसपुर देवसरा	अकारीपुर, बींद, चलांवा, धांधर, घरइया, कादीपुर, मझगवां, पूरा, रौजा, टीवीपुर,
	कुण्डा	अहिबरनपुर, बरई, चकादरअली, डुलुवामई, झकामई, कुषाहिल बाजार, मौदारा, नौबस्ता, रधौली, साजा
	रामपुर संग्रामगढ़	अरौ, बीजूमउ, हरनाहर, कामापट्टी, खैरापुर छेमी, मोहम्मदपुर खास, प्रतापपुर चेरगढ़, पूरेफत्ते सिंह, रतन महेशपुर, वीरसिंह पुर
सीतापुर	गोंदलामऊ	आबाघाट, बकछेरवा, चांदपुर, गढीखेरवा, गोपालपुर पूर्वी, कल्ली, कुचलाई, मुड़ियाकैल, रघुनाथपुर एनी, समसापुर,
	मछरेटा	अनोगी, बेलन्दापुर, डिंगरा, गन्धरिया, जालेपारा, कोड़री, मधवापुर, परसदा, राजपुर प्रताप, सुर्जनपुर
	परसेण्डी	अमौरा मोतीसिंह, भवाना, धिमौरा, गौरियाकलां, कैमहरा वजीरपुर, मदनापुर, मोहिदीनपुर पट्टी सेवई, समैसा, सूहेतारा
	सिंधौली	अकोहरा, बहेरवा, छावन, गाजीपुर, हिम्मतनगर, काशीपुर, लहुरिवान, पश्चिमगांव, रनुवापारा, टंडईकलां
वाराणसी	आराजी लाइन	असवारी, बेनीपुर, चौखण्डी, गहरपुरा, हरसौस, कांठीपुर, कुन्डरिया, मोगलावीर, राजपुर, सिंहौरवा उत्तरी,
	हरहुआ	आदमपुर, बलुआ, चाका, गड़वा, हरहुआ, कोइरान, पलही पट्टी, राजापुर, सिहांपुर, बेरवा

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा चयनित आनलाइन डाटा)

परिशिष्ट -2.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.4; पृष्ठ)

राज्यांश को बैंक खाते में विलम्ब से जमा करने के कारण ब्याज की हानि

(₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद	अवधि	विलम्ब की सीमा (दिन)	राशि की सीमा
1	औरैया	2009-14	26 से 325	2.00 से 187.25
2	आजमगढ़	2009-14	35 से 150	2.79 से 122.32
3	बिजनौर	2009-10	45 से 201	1.04 से 249.32
4	देवरिया	2009-14	22 से 337	1.35 से 183.64
5	गोरखपुर	2009-14	28 से 64	13.83 से 187.10
6	हरदोई	2009-10	125 से 221	20.00 से 113.55
7	जालौन	2010-14	21 से 310	1.46 से 34.82
8	कौशाम्बी	2009-14	30 से 298	0.79 से 111.84
9	कुशीनगर	2009-14	31 से 224	9.92 से 362.32
10	लखीमपुर खीरी	2009-14	26 से 205	0.21 से 123.93
11	मिर्जापुर	2009-14	24 से 278	1.72 से 437.97
12	पीलीभीत	2009-14	16 से 340	0.60 से 164.75
13	प्रतापगढ़	2010-14	26 से 348	3.00 से 231.58
14	वाराणसी	2009-14	36 से 337	1.07 से 315.65
योग			16 से 348	0.21 से 437.97

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा आगणित आंकड़े)

परिशिष्ट - 2.1.4

(संदर्भ प्रस्तर संख्या 2.1.7.6; पृष्ठ)

व्यक्तिगत शौचालयों के लिये उपलब्ध धनराशि का अप्रयुक्त रहना

(₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अप्रयुक्त धनराशि				
				2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
1	औरया	अजीतमल	सरायं टडवा	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
2	औरया	एरवाकटरा	सूरजपुर एरवा	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93
3	आजमगढ़	अहिरौला	अभयबिधेशरपुर	0.25	0.00	0.09	0.00	0.34
4	आजमगढ़	अहिरौला	बिन्धर मैचक खजुरा	0.00	0.25	0.13	0.00	0.38
5	आजमगढ़	अहिरौला	लेडौरा	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
6	आजमगढ़	अहिरौला	पारा मिसरौली	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
7	आजमगढ़	कोयलसा	धन्धारी	0.00	0.00	0.15	0.23	0.38
8	आजमगढ़	कोयलसा	हिस्सामुद्दीनपुर	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11
9	आजमगढ़	कोयलसा	मुखलिसपुर	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13
10	आजमगढ़	कोयलसा	रायपुर खुरासिन	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
11	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	बहोरापुर	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
12	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	चमुक्ती	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
13	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	गौरी	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
14	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	खराती	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
15	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	मडैया मुहतोड	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
16	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	मोहनाथ	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31
17	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	श्रानीपुर राजमो	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84
18	आजमगढ़	मोहम्मदपुर	शिवराजपुर	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
19	आजमगढ़	सठियांव	कोधवा	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
20	आजमगढ़	सठियांव	पैकोली	0.55	0.09	0.11	0.00	0.75
21	देवरिया	बनकटा	बखरी	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89
22	देवरिया	बनकटा	भोपतपुरा	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
23	देवरिया	बनकटा	इन्डरवा	0.40	0.00	0.00	0.64	1.04
24	देवरिया	भाटपार रानी	बेलपार पण्डित	0.02	1.04	0.00	0.00	1.06
25	देवरिया	भाटपार रानी	लखोपार	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95
26	देवरिया	भाटपार रानी	नरायणपुर दुबे	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
27	देवरिया	पथरदेवा	देवघाट	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08
28	गोरखपुर	बड़हलगंज	दवनाडीह	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
29	गोरखपुर	खजनी	डांगीपार	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19
30	जालौन	कदौरा	कासीरामपुर	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
31	जालौन	कदौरा	लुहरगांव	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
32	जालौन	नदीगांव	अंगहौरा	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49
33	कौशाम्बी	मंझनपुर	बैसकान्टी	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23
34	कौशाम्बी	मंझनपुर	भरसवां	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86
35	कौशाम्बी	मंझनपुर	छिमिरछा	0.00	1.80	1.14	0.00	2.94

36	कौशाम्बी	मंझनपुर	गौरा	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
37	कौशाम्बी	मंझनपुर	पण्डीरी	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57
38	कौशाम्बी	मंझनपुर	पिपरकुण्डी	0.00	0.64	0.09	0.00	0.73
39	कौशाम्बी	सिराथू	बालकमऊ	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
40	कौशाम्बी	सिराथू	बिदनपुर आदम करारी	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
41	कौशाम्बी	सिराथू	गरुसेलमपुर	0.00	0.92	0.07	0.00	0.99
42	कौशाम्बी	सिराथू	कोर्रो	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
43	कौशाम्बी	सिराथू	मनमऊ	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37
44	कौशाम्बी	सिराथू	श्राला	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31
45	कौशाम्बी	सिराथू	सेलहरा पूरब	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
46	कौशाम्बी	सिराथू	टेन्गई	0.00	0.00	2.46	0.77	3.23
47	कुशीनगर	बिशुनपुरा	बबुईन हरपुर	0.15	4.23	1.60	0.92	6.90
48	कुशीनगर	बिशुनपुरा	बेनिया	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
49	कुशीनगर	बिशुनपुरा	मेजहिदा	0.00	0.00	1.11	0.46	1.57
50	कुशीनगर	बिशुनपुरा	पकडीपार	0.44	0.00	0.15	1.20	1.79
51	कुशीनगर	बिशुनपुरा	पुनही मिश्रा	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
52	कुशीनगर	बिशुनपुरा	सेनवाल	0.00	0.00	0.92	0.46	1.38
53	कुशीनगर	कप्तानगंज	अवरही किटपुरा	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46
54	कुशीनगर	कप्तानगंज	बरवाखास	0.00	0.41	0.00	0.00	0.41
55	कुशीनगर	कप्तानगंज	घोघरा	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
56	कुशीनगर	कप्तानगंज	कप्तानगंज	0.00	2.09	0.00	0.29	2.38
57	कुशीनगर	कप्तानगंज	मुजडिहा	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43
58	कुशीनगर	कप्तानगंज	पथकौली	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64
59	कुशीनगर	कप्तानगंज	सेन्दुरिया बिश्नूपुर	0.13	1.05	0.21	0.00	1.39
60	कुशीनगर	पडरौना	बतरडेरा	0.48	0.38	0.00	0.00	0.86
61	कुशीनगर	पडरौना	देवरिया पाण्डेय	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
62	लखीमपुर खीरी	बिजुआ	पिपरा धानी	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38
63	सीतापुर	गोन्दलमऊ	गधी खेरवा	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86
64	सीतापुर	गोन्दलमऊ	मुडिया कैल	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
65	सीतापुर	गोन्दलमऊ	समसापुर	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
66	सीतापुर	मछेरेहटा	गन्धेरिया	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07
67	सीतापुर	मछेरेहटा	मधवापुर	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25
68	सीतापुर	मछेरेहटा	परसडा	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
69	सीतापुर	परसेण्डी	अमौरा मोती सिंह	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93
70	सीतापुर	परसेण्डी	भवना	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
71	सीतापुर	परसेण्डी	धीमौरा	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
72	सीतापुर	परसेण्डी	मन्डनपुर	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
73	सीतापुर	परसेण्डी	मोहिद्दीपुर	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
74	सीतापुर	परसेण्डी	पट्टी सेवई	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86

75	सीतापुर	परसेण्डी	सुहेतरा	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
76	सीतापुर	सिधौली	अखोरा	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
77	सीतापुर	सिधौली	बहेरवा	1.39	1.84	0.00	0.00	3.23
78	सीतापुर	सिधौली	छांव	1.87	0.00	1.16	0.00	3.03
79	सीतापुर	सिधौली	हिम्मतनगर	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
80	सीतापुर	सिधौली	काशीपुर	0.48	0.00	2.01	0.00	2.49
81	सीतापुर	सिधौली	लहुरेवन	0.00	3.15	0.00	0.00	3.15
82	सीतापुर	सिधौली	पचीमगांव	0.48	0.00	2.06	0.00	2.54
83	सीतापुर	सिधौली	रानूपारा	0.42	0.00	1.40	0.00	1.82
84	वाराणसी	आराजीलाईन	राजपुर	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33
योग				17.18	34.15	39.58	7.34	98.25

(स्रोत: नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतें)

परिशिष्ट – 2.1.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2; पृष्ठ)

बेसलाइन सर्वे और जनगणना 2011 के आंकड़ों में भिन्नता

(संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार			जनगणना 2011 के अनुसार			अन्तर		
		कुल घरों की संख्या	शौचालय सहित घरों की संख्या	शौचालय रहित घरों की संख्या	कुल घरों की संख्या	शौचालय सहित घरों की संख्या	शौचालय रहित घरों की संख्या	कुल घरों की संख्या	शौचालय सहित घरों की संख्या	शौचालय रहित घरों की संख्या
1	औरैया	2,23,030	1,24,492	98,538	2,07,674	42,285	1,65,389	(+) 15,356	(+) 82,207	(-) 66,851
2	आजमगढ़	6,95,259	2,10,855	4,84,404	6,08,684	1,02,020	5,06,664	(+) 86,575	(+) 1,08,835	(-) 22,260
3	बिजनौर	5,34,540	2,87,389	2,47,151	4,76,873	2,40,417	2,36,456	(+) 57,667	(+) 46,972	(+) 10,695
4	देवरिया	4,17,738	1,33,235	2,84,503	4,26,692	71,438	3,55,254	(-) 8,954	(+) 61,797	(-) 70,751
5	गोरखपुर	5,24,606	1,70,100	3,54,506	5,59,062	1,03,886	4,55,176	(-) 34,456	(+) 66,214	(-) 1,00,670
6	हरदोई	6,81,308	1,93,533	4,87,775	6,19,495	1,07,538	5,11,957	(+) 61,813	(+) 85,995	(-) 24,182
7	जालौन	3,24,388	1,47,262	1,77,126	2,16,920	61,478	1,55,442	(+) 1,07,468	(+) 85,784	(+) 21,684
8	कौशाम्बी	2,71,247	42,146	2,29,101	2,54,926	35,156	2,19,770	(+) 16,321	(+) 6,990	(+) 9,331
9	कुशीनगर	7,34,174	2,43,218	4,90,956	5,31,928	78,514	4,53,414	(+) 2,02,246	(+) 1,64,704	(+) 37,542
10	लखीमपुर खीरी	6,29,969	1,83,343	4,46,626	6,30,131	1,15,451	5,14,680	(-) 162	(+) 67,892	(-) 68,054
11	मिर्जापुर	4,53,896	2,37,707	2,16,189	3,35,481	64,474	2,71,007	(+) 1,18,415	(+) 1,73,233	(-) 54,818
12	पीलीभीत	3,49,316	1,61,964	1,87,352	2,97,601	1,05,704	1,91,897	(+) 51,715	(+) 56,260	(-) 4,545
13	प्रतापगढ़	5,20,357	1,07,402	4,12,955	5,06,922	57,279	4,49,643	(+) 13,435	(+) 50,123	(-) 36,688
14	सीतापुर	7,51,390	2,05,736	5,45,654	7,10,299	84,856	6,25,443	(+) 41,091	(+) 1,20,880	(-) 79,789
15	वाराणसी	4,60,606	1,93,829	2,66,777	3,01,485	81,600	2,19,885	(+) 1,59,121	(+) 1,12,229	(+) 46,892
	योग	75,71,824	26,42,211	49,29,613	66,84,173	13,52,096	53,32,077			

(स्रोत: जाँच किये गये जनपदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े एवं इन्टरनेट से प्राप्त जनगणना निष्कर्ष)

परिशिष्ट – 2.1.6

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2; पृष्ठ)

नमूना जाँच किये गये जनपदों में वार्षिक कार्यान्वयन योजना में अपर्याप्त नियोजन

(संख्या में)

क्र० सं०	परियोजना क्रियान्वयन योजना के घटक	परियोजना क्रियान्वयन योजना के अनुसार नियोजन	आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना (पी०आई०पी० का 1/10)	2012-13 के ए०आई०पी० में नियोजन	2012-13 में कमी	2013-14 के ए०आई०पी० में नियोजन	2013-14 में कमी	कमी का प्रतिशत
1	बी०पी०एल० व्यक्तिगत शौचालय	16,79,264	1,67,926	88,204	79,722	73,419	94,507	47-56
2	ए०पी०एल० व्यक्तिगत शौचालय	35,54,572	3,55,457	1,23,328	2,32,129	1,72,738	1,82,719	65-51
3	सामुदायिक शौचालय केन्द्र	1,282	128	323	0	89	39	0-30
4	स्कूल शौचालय	5,021	502	1,085	0	952	0	0-0
5	आगंनवाड़ी शौचालय	7,592	759	174	585	0	759	77-100
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन	13,816	1,382	4,831	0	1,996	0	0-0

(स्रोत: जांच किये गये जनपदों द्वारा)

परिशिष्ट – 2.1.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.9.1; पृष्ठ)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की भौतिक प्रगति

(संख्या में)

क्र० सं०	घटक	परियोजना का उद्देश्य	परियोजना की प्रगति	कमी	कमी का प्रतिशत
1	व्यक्तिगत शौचालय (बी.पी.एल.)	24,86,530	23,00,454	1,86,076	7
2	व्यक्तिगत शौचालय (ए.पी.एल.)	28,71,299	21,56,382	7,14,917	25
3	सामुदायिक स्वच्छता शौचालय	742	763	-	0
4	स्कूल शौचालय	61,436	52,366	9,070	15
5	आंगनवाडी शौचालय	24,741	22,455	2,286	9
6	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	13,264	432	12,832	97

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपदों की ए.आई.पी.और पी.आई.पी.)

परिशिष्ट - 2.1.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.9.1; पृष्ठ)
निष्क्रिय शौचालयों की स्थिति

(संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना की प्रगति (बी.पी.एल.)	अनुपयोगी व्यक्तिगत शौचालयों की संख्या	अनुपयोगी व्यक्तिगत शौचालयों का प्रतिशत
1	औरैया	98,104	46,686	48
2	आजमगढ़	1,58,907	1,11,235	70
3	बिजनौर	1,10,403	46,957	43
4	देवरिया	1,71,213	82,484	48
5	गोरखपुर	2,11,010	80,712	38
6	हरदोई	1,99,989	43,998	22
7	जालौन	90,461	18,432	20
8	कौशाम्बी	1,21,253	28,313	23
9	कुशीनगर	2,34,042	1,46,917	63
10	लखीमपुर खीरी	93,314	56,703	61
11	मिर्जापुर	2,31,315	1,76,780	76
12	पीलीभीत	95,178	39,083	41
13	प्रतापगढ़	1,40,879	1,12,224	80
14	सीतापुर	2,73,463	2,18,174	80
15	वाराणसी	70,923	9,423	13
योग		23,00,454	12,18,121	53

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

परिशिष्ट - 2.1.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.1; पृष्ठ)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत चयनित ग्राम

(संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	कुल चयनित ग्राम	लेहिया ग्राम	अम्बेडकर ग्राम	अन्य ग्राम
1	औरैया	884	37	61	752
2	आजमगढ़	2,680	82	390	2,208
3	बिजनौर	674	53	218	403
4	देवरिया	2,262	63	54	2,145
5	गोरखपुर	2,068	68	251	1,749
6	हरदोई	460	71	290	99
7	जालौन	774	38	58	678
8	कौशाम्बी	950	48	96	806
9	कुशीनगर	3,687	73	45	3,569
10	लखीमपुर खीरी	269	67	150	52
11	मिर्जापुर	962	59	237	666
12	पीलीभीत	841	43	50	748
13	प्रतापगढ़	1,288	65	114	1,109
14	सीतापुर	2,728	72	329	2,327
15	वाराणसी	336	46	88	202
	योग	20,863	885	2,431	17,513

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

परिशिष्ट – 2.1.10

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.3; पृष्ठ)

कन्वर्जेस में विलम्ब के कारण व्यक्तिगत शौचालयों का अपूर्ण रहना

(संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	वर्ष	पूर्ण व्यक्तिगत शौचालयों की संख्या	अपूर्ण व्यक्तिगत शौचालयों की संख्या
1	आजमगढ़	2012-13	11,051	4,462
	आजमगढ़	2013-14	17,754	12,314
2	जालौन	2012-13	2,278	145
	जालौन	2013-14	1,832	845
3	हरदोई	2013-14	175 ⁴	57
4	सीतापुर	2012-13	459 ⁵	115
5	कौशाम्बी	2013-14	45 ⁶	13
6	कुशीनगर	2013-14	10 ⁷	10
7	वाराणसी	2012-13	10,952	4,910
	वाराणसी	2013-14	15,516	12,329
योग			60,072	35,200

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

⁴ पिहानी क्षेत्र पंचायत की ग्राम पंचायत मानिकपुर।

⁵ 40 नमूना जाँच ग्राम पंचायतें।

⁶ सिराथू क्षेत्र पंचायत की नगियामई ग्राम पंचायत।

⁷ विशुनपुरा क्षेत्र पंचायत की बेतिया ग्राम पंचायत।

परिशिष्ट -2.1.11

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.10.4; पृष्ठ)

ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये ऋणों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद	ऋण की धनराशि	अवधि	वसूली की स्थिति	अवशेष धनराशि
1	बिजनौर	13.09	2009-10 से पूर्व	0.00	13.09
2	गोरखपुर	07.00	2009-10	0.00	07.00
3	हरदोई	25.00	2009-10	0.00	25.00
4	पीलीभीत	01.15	2009-10	0.00	01.15
5	सीतापुर	03.50	2009-10	0.00	03.50
योग		49.74		0.00	49.74

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

परिशिष्ट – 2.1.12

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.11.1; पृष्ठ)

राज्य में सूचना,शिक्षा एवं संचार हेतु उपलब्ध एवं व्यय धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त कुल धनराशि	आई0ई0सी0 के लिए 15 प्रतिशत धनराशि	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय (प्रतिशत में)
2009-10	115.05	242.93	357.98	53.70	9.39	17.49
2010-11	225.94	78.14	304.08	45.61	19.87	43.56
2011-12	169.77	22.96	192.73	28.91	28.72	99.34
2012-13	256.85	35.47	292.32	43.85	9.87	22.51
2013-14	367.52	79.30	446.82	67.02	15.70	23.42
योग	1,135.13	458.80	1,593.93	239.09	83.55	34.95

(स्रोत: राज्य स्वच्छता मिशन)

परिशिष्ट – 2.1.13

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.13.2; पृष्ठ)

ग्राम पंचायतों में किये गये निरीक्षण का विवरण

(संख्या में)

क्र० सं०	जिला	जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निरीक्षण	जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निरीक्षण	उप क्षेत्रीय निदेशक द्वारा निरीक्षण	कुल निरीक्षण
1.	औरया	84	0	16	100
2.	आजमगढ़	86	45	उपलब्ध नहीं	131
3.	बिजनौर	615	573	45	133
4.	देवरिया	60	75	20	155
5.	गोरखपुर	145	179	उपलब्ध नहीं	324
6.	हरदोई	57	477	18	552
7.	जालौन	95	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	95
8.	कौशाम्बी	274	658	50	982
9.	कुशीनगर	93	197	उपलब्ध नहीं	290
10.	लखीमपुर खीरी	283	587	8	878
11.	मिर्जापुर	24	212	24	260
12.	पीलीभीत	153	158	0	311
13.	प्रतापगढ़	88	50	उपलब्ध नहीं	138
14.	सीतापुर	122	202	33	357
15.	वाराणसी	76	28	48	152
	कुल	2,255	3,441	262	5,958

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये जनपद)

परिशिष्ट – 2.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.4; पृष्ठ)

नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण

क्र० सं०	जनपद	चयनित क्षेत्र पंचायतें	चयनित ग्राम पंचायतें
1.	कौशांबी	मूरतगंज	मलाक भारत
			डजहिनी
			उदाथू
			अशरफपुर
			अशोकपुर
		सिराथू	चमन्धा
			सिंधिया आमदकरारी
			थोन
			राला
			कैनी
		सरसंवा	रक्सौली
			पौर काशीरामपुर
			जाफरपुर महावां
			हिनौता
			पुरवार
2.	मिर्जापुर	हलिया	भटपुरवा
			दिघिया
			हलिया
			खुटहा
			राजपुर
		पटेहरा कला	घोरी
			हसरा
			पडरिया खुर्द
			रैकरा
			रजौहा
		राजगढ़	भीटी
			धौराहा
			खोराडीह
			नदीहर
			सोनपुर
3.	वाराणसी	बड़ागांव	बरहिनावाड़ा
			भीटी

			गाजापुर
			हसनपुर
			लख्मीपुर
		चोलापुर	अजगरा
			गडसरा
			गढथौली
			रसडा
			टाडी
		सेवापुरी	सकलपुर
			भोरकला
			चकलोला
			इसरवार
			गोराई

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

परिशिष्ट – 2.2.2
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.9; पृष्ठ)
भूमि का अतिक्रमण

जनपद	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सर्किल दर प्रति हेक्टेयर	धनराशि (₹)	
कौशाम्बी	चायल	अशरफपुर	0.137	8,89,200.00	1,21,820.00	
	सिराथू	राला	2.465	11,85,600.00	29,22,504.00	
		चमन्धा	0.331	11,85,600.00	3,92,433.00	
		सिंधिया आमद करारी	0.043	11,85,600.00	50,980.00	
	मंझनपुर	पौर काशीरामपुर	0.999	7,41,000.00	7,40,259.00	
		हिनौता	2.110	7,41,000.00	15,63,510.00	
		रक्सौली	1.541	7,41,000.00	11,41,881.00	
		पुरवार	0.856	7,41,000.00	6,34,296.00	
	योग			8.482		75,67,683.00 अर्थात् 0.76 करोड़

(स्रोत: सम्बन्धित तहसील के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.3; पृष्ठ)

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर परिहार्य व्यय का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत लागत	कुल व्यय	पी-1 पर किया गया व्यय
1	पलवल अलीगढ़ मार्ग में हेतलपुर बम्बा पटरी पर लेपन कार्य 400 मीटर	26.04.11	9,94,104	9,45,528	1,80,679
2	टपपल नूरपुर मार्ग में मेवा नगला पुलिया तक लेपन कार्य 390 मीटर	26.04.11	9,94,403	9,94,000	1,76,760
3	सोर पुलिया में मेवा नगला गाँव तक लेपन कार्य 380 मीटर	26.04.11	9,94,502	9,91,984	1,72,580
4	अटारी से राजपाल की पुलिया तक लेपन कार्य 378 मीटर	26.04.11	9,94,304	9,93,604	1,69,381
5	अटारी तालाब से मानपुर सम्पर्क मार्गपर लेपन कार्य 430 मीटर	26.04.11	9,94,005	9,93,006	1,94,871
6	राजपाल की पुलिया भोली के बाग तक लेपन कार्य 378 मीटर	26.04.11	9,94,204	9,93,915	1,69,381
7	भोली के बाग से बुढ़ाका प्याउ तक लेपन कार्य 380 मीटर	26.04.11	9,94,005	9,91,864	1,69,854
8	टप्पल बैना मार्ग से मेव नगला अवशेष भाग पर लेपन कार्य 215 मीटर	03.12.11	4,99,400	4,98,800	98,487
9	शाहपुर में गाँव से मरघट तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 420 मीटर	03.12.11	8,99,910	9,81,325	1,84,780
10	अलीगढ़ बरौनी रोड से नगला पटवारी में गफ्फार के घर तक लेपन कार्य 225 मीटर	26.04.11	9,94,900	9,76,407	1,05,181
11	औरगाबाद से समस्तपुर सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग पर लेपन कार्य 204 मीटर	03.12.11	4,49,955	4,44,176	88,128
12	पनैठी रोड से गडिया (माछुवा) सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 400 मीटर	03.12.11	9,70,000	9,69,761	1,91,270
13	औरगाबाद से समस्तपुर सम्पर्क मार्ग पर .400 से .825 किलो मीटर तक लेपन कार्य 425 मीटर	26.04.11	9,94,005	9,89,443	1,89,367
14	भीमगढ़ी में गाँव से बम्बे के पुल तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 480 मीटर	03.12.11	8,99,910	8,94,237	2,14,471
15	बाजौता अटारी सम्पर्क मार्ग पर 1.200 से 1.600 किलो मीटर 360 मीटर		9,88,812	9,82,261	1,64,783
16	नगला किला में चर्च से शमशान सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 410 मीटर	03.12.11	8,99,910	8,35,785	1,77,456
17	निवसानी से मानपुर लेपन कार्य 500 मीटर	26.04.11	7,99,840	7,99,680	2,22,956
18	राम नगर स्कूल से चीमनपुर सम्पर्क मार्ग पर 0.450 से 0.875 किलो मीटर तक लेपन कार्य 390 मीटर	26.04.11	9,94,005	9,90,011	1,62,472
19	बुढ़ाका जेवर सम्पर्क मार्ग से बुढ़ाका बाईपास पर लेपन मरम्मत कार्य 500 मीटर	02.01.12	9,94,005	9,85,866	2,23,126
20	हेतलपुर बम्बा से हेतलपुर स्कूल तक लेपन मरम्मत कार्य 508 मीटर	02.01.13	9,94,801	9,88,906	2,51,119
योग			1,84,20,482	1,82,40,559	35,07,102

(स्रोत: जिला पंचायत, अलीगढ़ के अभिलेख)

परिशिष्ट- 2.3.2

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.4; पृष्ठ)

कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

क्र0 स0	मस्टर रोल सं0-28 अवधि 25.11.11 से 9.12.11 तक		मस्टर रोल सं0-31 अवधि 25.11.11 से 9.12.11 तक		मस्टर रोल सं0-32 अवधि 10.12.11 से 24.12.11 तक		मस्टर रोल सं0-33 अवधि 10.12.11 से 24.12.11 तक	
	नाम श्री	पिता का नाम	नाम श्री	पिता का नाम	नाम श्री	पिता का नाम	नाम श्री	पिता का नाम
1.	वकील खाँ	शहाबुद्धीन	वकील खाँ	शहाबुद्धीन	अलीसेन	शकुर खाँ	अलीसेन	शकुर खाँ
2.	श्याम सिंह	नकेश लाल	श्याम सिंह	नकेश लाल	राजेश	सज्जन	राजेश	सज्जन
3.	राधेश्याम	सोनपाल	राधेश्याम	सोनपाल	राजू	थोड़ी सिंह	राजू	थोड़ी सिंह
4.	हुण्डीलाल	शरमन सिंह	हुण्डीलाल	शरमन सिंह	यशपाल	किशनलाल	यशपाल	किशनलाल
5.	लायक सिंह	हुण्डीलाल	लायक सिंह	हुण्डीलाल	पप्पू	रामसनेही	पप्पू	रामसनेही
6.	महादेव	हुण्डी	महादेव	हुण्डी	रामदेश	सामले	रामदेश	सामले
7.	सत्येन्द्र	फूल सिंह	सत्येन्द्र	फूल सिंह	कन्हईराम	सामले	कन्हईराम	सामले
8.	मुन्ने खाँ	कपूर खाँ	मुन्ने खाँ	कपूर खाँ	नपहल	किशनलाल	नपहल	किशनलाल
9.	इस्लाम खाँ	कपूर खाँ	इस्लाम खाँ	कपूर खाँ	वीरी सिंह	केशरी	देवलाल	रंजीत
10.	शहजाद	कपूर खाँ	शहजाद	कपूर खाँ	देवलाल	रंजीत	प्रताप	दर्शन लाल
11.	भूरी सिंह	रामवीर सिंह	भूरी सिंह	रामवीर सिंह	प्रताप	दर्शन लाल	नेत्रपाल	थोड़ी राम
12.	विरेन्द्र	रामवीर सिंह	विरेन्द्र	रामवीर सिंह	नेत्रपाल	थोड़ी राम	जयपाल	दाताराम
13.	श्यामवीर	राधपाल	श्यामवीर	राधपाल	जयपाल	दाताराम	प्रवीन्द कुमार	गया प्रसाद
14.	कन्हई सिंह	मेवाराम	कन्हई सिंह	मेवाराम	प्रवीन्द कुमार	गया प्रसाद	राजेश	गया प्रसाद
15.	सुखवीर	नाहर सिंह	सुखवीर	नाहर सिंह	राजेश	गया प्रसाद	दिनेश	कर्ण सिंह
16.	छतर पाल	मेवाराम	छतर पाल	मेवाराम	दिनेश	कर्ण सिंह	पप्पू	वासदेव
17.	रामपाल	कंचन	रामपाल	कंचन
18.	संजू	वीरीसिंह	संजू	वीरीसिंह
19.	श्रीकिशन	वीरीसिंह	श्रीकिशन	वीरीसिंह
20.	निजाम	नत्थू खाँ	निजाम	नत्थू खाँ
मस्टर रोल का कुल भुगतान		₹ 34,080	₹ 34,920		₹ 61,500		₹ 66,260	

(स्रोत: क्षेत्र पंचायत, नारखी, फिरोज़ाबाद के अभिलेख)

परिशिष्ट – 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.4.6 पृष्ठ)

राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार के कर राजस्व का निवल उत्पाद	अन्तरित की जाने वाली निधि	अन्तरित निधियाँ	कम/अधिक अन्तरण (प्रतिशत में)
1	2009-10	33,877	2,541	2,090	- 451 (18)
2	2010-11	43,464	3,042	2,560	- 482 (16)
3	2011-12	50,351	3,525	3,085	- 444 (12)
4	2012-13	57,498	4,025	3,698	- 327 (8)
5	2013-14	62,777	4,394	5,810	1,416 (32)

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.8 ; पृष्ठ)

शहरी स्थानीय निकायों के कार्य

- (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित हैं।
- (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन।
- (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन।
- (iv) मार्ग एवं सेतु।
- (v) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- (vi) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा टोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- (vii) अग्नि सेवाएं।
- (viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति।
- (ix) विकलांगों एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा।
- (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण।
- (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन।
- (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- (xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य परक पक्ष की उन्नति।
- (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- (xv) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- (xvi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- (xvii) मार्ग प्रकाश, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- (xviii) बूचड़खाना (वध शाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट – 4.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.5; पृष्ठ 77)

कानपुर मण्डल के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों का विवरण

क्र० सं०	कानपुर मण्डल के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों के नाम
1.	औरैया
2	भरथना
3	बिल्हौर
4	छिबरामऊ
5	इटावा
6	फर्रुखाबाद
7	घाटमपुर
8	गुरसहायगंज
9	जसवन्तनगर
10	कन्नौज
11	कायमगंज
12	पुखरायाँ

क्र० सं०	कानपुर मण्डल के अन्तर्गत नगर पंचायतों के नाम
1.	अछलदा
2	अकबरपुर
3	अमरौधा
4	अटसु
5	बाबरपुर अजीतमल
6	बकेंवर
7	विधूना
8	बिदूर
9	डेरापुर
10	दिबियापुर
11	इकदिल
12	फफूद
13	झीझंक
14	कमालगंज
15	कम्पिल
16	लखना
17	मोहम्मदाबाद
18	रसूलाबाद
19	रुरा
20	समघन
21	सौरिख
22	शमसाबाद
23	शिवली
24	शिवराजपुर
25	सिकन्दरपुर
26	सिकन्दरा
27	तालग्राम
28	तिर्वागंज

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

परिशिष्ट- 4.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.1; पृष्ठ)

कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था को विलम्ब से अवमुक्त धनराशियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कानपुर नगर निगम को राज्य सरकार से प्राप्त		कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्गत		विलम्ब
दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	
परियोजना का नाम-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना				
12.01.2008	14.06	05.03.2008	7.00	50 दिन
		15.09.2009	7.05	609 दिन
16.03.2010	4.22	20.07.2010	14.00	108 दिन से 123 दिन
31.03.2010	9.84			
परियोजना का नाम-आन्तरिक पुराने क्षेत्र में सीवरेज कार्य				
12.03.2008	13.92	24.03.2008	13.00	09 दिन
		27.11.2008	0.91	257 दिन
02.12.2008	23.66	07.01.2009	10.00	33 दिन
		02.03.2009	3.66	87 दिन
16.03.2010	7.16	12.04.2010	7.15	24 दिन
08.04.2010	7.16	12.08.2010	7.15	123 दिन
11.10.2010	33.40	05.01.2011	33.40	83 दिन
21.03.2011	14.32	31.03.2011	5.32	7 दिन
		05.05.2011	9.00	42 दिन
26.09.2011	3.82	14.11.2011	3.82	46 दिन
03.04.2013	9.54	05.05.2013	9.00	29 दिन
04.07.2013	14.32	29.07.2013	14.32	22 दिन
परियोजना का नाम-सीवरेज कार्य फेज-II				
26.02.2009	12.63	02.04.2009	5.00	32 दिन
26.02.2009	5.05	21.10.2009	7.63	234 दिन
30.03.2009	7.58	28.02.2011	12.63	698 से 730 दिन
परियोजना का नाम-सीवरेज कार्य फेज -III				
21.05.2009	32.25	15.09.2009	10.00	114 दिन
		05.11.2009	06.12	165 दिन
		18.12.2009	16.13	208 दिन
23.10.2009	1.37	10.08.2010	17.74	129 से 288 दिन
10.02.2010	7.50			
31.03.2010	8.87			
20.01.2014	34.56	11.02.2014	34.74	19 दिन
08.03.2014	1.29	27.06.2014	16.34	75 से 108 दिन
10.04.2014	15.55			
परियोजना का नाम-आन्तरिक पुराने भाग में पेयजल आपूर्ति				
12.03.2008	39.30	25.03.2008	30.00	10 दिन
21.10.2008	04.96	02.02.2009	20.00	59 से 324 दिन
02.12.2008	06.95			
परियोजना का नाम-पेयजल आपूर्ति फेज -II				
21.05.2009	66.11	17.07.2009	5.00	54 दिन
		24.10.2009	28.06	153 दिन
		17.12.2009	33.06	207 दिन
योग			387.23	

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट-4.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या-4.1.7.1; पृष्ठ)

वर्ष 2013-14 के अन्त तक असमायोजित अग्रिम की स्थिति का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	स्वीकृति का वर्ष	असमायोजित पड़ी हुई धनराशि	
1	1999-2000		123.19
2	2000-2001		82.31
3	2001-2002		45.38
4	2002-2003		57.05
5	2003-2004		21.50
6	2004-2005		07.10
7	2005-2006		10.39
8	2006-2007		13.21
9	2007-2008		23.20
10	2008-2009		26.41
11	2009-2010		00.58
12	2010-2011		07.30
13	2011-2012		00.84
14	2012-2013		05.00
15	2013-2014		31.65
	योग		455.11 लाख ₹ 4.55 करोड़

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट-4.1.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.2, 4.1.16.2 एवं 4.1.22.2; पृष्ठ)

वर्ष 2009-14 की अवधि में कर/करेत्तर वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	माँग						वसूली						कमी/आधिक्य (-)
	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	योग	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	योग	
कानपुर नगर निगम	108.08	161.00	180.00	219.00	250.97	919.05	64.41	112.61	115.06	126.42	127.48	545.98	373.07
जलकल विभाग,	116.90	140.23	154.68	169.38	187.33	768.52	41.75	54.56	63.41	66.15	76.98	302.85	465.67
कानपुर नगर निगम का कुल योग	224.98	301.23	334.68	388.38	438.3	1,687.57	106.16	167.17	178.47	192.57	204.46	848.83	838.74
नगर पालिका परिषद, कन्नौज	01.24	01.42	01.65	01.93	02.00	8.24	01.43	01.37	01.48	02.19	02.05	8.52	(-) 0.28
नगर पालिका परिषद, घाटमपुर	00.36	00.60	00.69	00.62	00.61	2.88	00.12	00.26	00.24	00.28	00.25	1.15	01.73
नगर पालिका परिषद, कायमगंज	00.35	00.35	00.35	00.76	00.91	2.72	00.49	00.46	00.50	00.69	00.87	3.01	(-) 0.29
नगर पालिका परिषदों का कुल योग	1.95	2.37	2.69	3.31	3.52	13.84	2.04	2.09	2.22	3.16	3.17	12.68	1.16
नगर पंचायत, तिर्वागंज	00.54	00.63	00.63	00.43	00.70	2.93	00.38	00.22	00.40	00.48	00.59	2.07	0.86
नगर पंचायत, तालग्राम	00.10	00.14	00.22	00.22	00.22	0.9	00.09	00.11	00.07	00.13	00.15	0.55	0.35
नगर पंचायत, शिवली	00.05	00.05	00.05	00.07	00.09	0.31	00.04	00.04	00.04	00.04	00.05	0.21	0.1
नगर पंचायत, अटसु	00.18	00.18	00.22	00.25	00.09	0.92	00.07	00.04	00.01	00.03	00.05	0.2	0.72
नगर पंचायत, ईकदिल	00.05	00.05	00.05	00.08	00.08	0.31	00.03	00.01	00.02	00.02	00.07	0.15	0.16
नगर पंचायत, कमालगंज	00.15	00.17	00.17	00.10	00.19	0.78	00.12	00.10	00.13	00.16	00.18	0.69	0.09
नगर पंचायत, शिवराजपुर	ऑकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये												
नगर पंचायतों का कुल योग	1.07	1.22	1.34	1.15	1.37	6.15	0.73	0.52	0.67	0.86	1.09	3.87	2.28

(स्रोत: कानपुर नगर निगम एवं नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.2, 4.1.16.2 एवं 4.1.22.2; पृष्ठ)

अप्राप्त अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	देय	प्राप्त	कम प्राप्त
कानपुर नगर निगम			
2009-10	13.22	13.22	00.00
2010-11	14.41	10.74	03.67
2011-12	17.46	17.46	00.00
2012-13	21.90	11.40	10.50
2013-14	23.56	17.35	06.21
योग	90.55	70.17	20.38
नगर पालिका परिषद, कन्नौज			
2009-10	00.82	00.70	00.12
2010-11	00.73	00.65	00.08
2011-12	01.04	00.53	00.51
2012-13	01.13	01.07	00.06
2013-14	00.96	00.27	00.69
योग	04.68	03.22	01.46
नगर पंचायत, तालग्राम			
2009-10	00.08	00.01	00.07
2010-11	00.03	शून्य	00.03
2011-12	00.04	शून्य	00.04
2012-13	00.07	00.16	(.)00.09
2013-14 (10/13 तक)	00.04	00.01	00.03
योग	00.26	00.18	00.08
नगर पंचायत, तिर्वागंज			
2009-10	00.19	00.19	शून्य
2010-11	00.20	00.20	शून्य
2011-12	00.14	00.14	शून्य
2012-13	00.16	अनुपलब्ध	00.16
2013-14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
योग	00.69	00.53	00.16
नगर पंचायत तालग्राम एवं तिर्वागंज का कुल योग	00.95	00.71	00.24

(स्रोत: कानपुर नगर निगम और नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.2, 4.1.16.2 एवं 4.1.22.2; पृष्ठ)

लाईसेन्स शुल्क के अन्तर्गत 39 मदों की सूची

क्र० सं०	सामग्री का नाम
1.	होटल, लाज, गेस्ट हाउस एवं वैवाहिक हाल
2.	तीन सितारा होटल
3.	पाँच सितारा होटल
4.	नर्सिंग होम 20 बेड तक
5.	नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक
6.	प्रसूति चिकित्सालय 20 बेड तक
7.	प्रसूति चिकित्सालय 20 बेड से अधिक
8.	निजी चिकित्सालय
9.	पैथालाजी केन्द्र
10.	एक्स-रे क्लिनिक
11.	दन्त क्लिनिक
12.	निजी क्लिनिक
13.	आटो रिक्शा 2 सीटर
14.	आटो रिक्शा 7 सीटर टैम्पो
15.	आटो रिक्शा 4 सीटर
16.	मिनी बस
17.	बस
18.	तांगा
19.	सार्वजनिक रिक्शा
20.	निजी रिक्शा
21.	ठेला
22.	हाथ ठेला
23.	भैंसा ठेला
24.	ट्राली
25.	फाइनेन्स कम्पनी, चिट फंड
26.	बीमा कम्पनी
27.	वधशाला
28.	हड्डी खाल गोदाम
29.	मधुशाला
30.	बर्फ का कारखाना
31.	बिल्डर्स (पंजीकृत)
32.	देशी शराब की दुकान
33.	अंग्रेजी शराब की दुकान
34.	मीट की दुकान
35.	बकरा मीट की दुकान
36.	पशुपालन
37.	आवारा पशुओं पर जुर्माना (कांजी हाउस)
38.	प्रतिदिन छोटे जानवरों की खुराकी जैसे बकरी
39.	प्रतिदिन बड़े जानवरों की खुराकी जैसे गाय, भैंस आदि

(स्रोत: शासनादेश)

परिशिष्ट-4.1.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या-4.1.7.3; पृष्ठ)

मूल एवं पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरण

अ-कानपुर नगर निगम

वर्ष	कार्यकारिणी समिति			निगम		
	प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन)	प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन)
(अ) मूल बजट अनुमान						
2009-10	मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।					
2010-11	10 जनवरी	01.04.2010	81	15 फरवरी	13.12.2010	301
2011-12	मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।					
2012-13	मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।					
2013-14	10 जनवरी	21.03.2013	70	15 फरवरी	27.04.2013	71
(ब) पुनरीक्षित बजट अनुमान						
2009-10	10 सितम्बर	01.04.2010 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत किया गया		15 सितम्बर	पुनरीक्षित बजट निगम को प्रस्तुत नहीं किया गया	
2010-11	10 सितम्बर	24.12.2010	105	15 सितम्बर	20.01.2011	127
2011-12	पुनरीक्षित बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।					
2012-13	10 सितम्बर	16.01.2013	128	15 सितम्बर	16.02.2013	154
2013-14	10 सितम्बर	04.03.2014	175	15 सितम्बर	पुनरीक्षित बजट निगम को प्रस्तुत नहीं किया गया	

ब-जलकल विभाग

वर्ष	कार्यकारिणी समिति			निगम		
	प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन)	प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन)
2010-11	10 जनवरी	24.12.2010	348	15 फरवरी	20.01.2011	339
2011-12	मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।					
2012-13	मूल बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।					
2013-14	10 जनवरी	21.03.2013	70	15 फरवरी	27.04.2013	71

(स्रोत: कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.4; पृष्ठ)

वर्ष 2009-10 हेतु बजट एवं वार्षिक लेखों के आँकड़ों में अन्तर

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	मदों/शीर्षों का विवरण	बजट के अनुसार स्थिति	वार्षिक लेखों के अनुसार स्थिति
		2010-11	2009-10
1	सामान्य कर (सम्पत्ति कर)	38.85	52.93
2	विज्ञापन कर	02.10	01.45
3	आवासीय भवनों एवं दुकानों के किराये से प्राप्त आय	0.81	0.81
4	रजिस्ट्रेशन शुल्क फेरी नीति और कूड़ा एकत्रीकरण से शुल्क	0.12	0.04
5	लाईसेंस शुल्क (वधशाला इत्यादि)	0.10	1.04
6	अनुदान इत्यादि से प्राप्ति	142.41	134.34

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.4; पृष्ठ)

बैंक खाते खोलने एवं बन्द किये जाने का विवरण

बैंक खाते बन्द किये जाने का विवरण					बैंक खाते खोलने का विवरण		
बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का नाम	बन्द किये जाने की तिथि को अवशेष (₹ लाख में)	तिथि/वर्ष खाता बन्द किये जाने का	बैंक का नाम जिसमें अवशेष स्थानान्तरित किया गया	खाता संख्या	बैंक खाते का नाम
भारतीय स्टेट बैंक	10220416129	नगर निगम निधि	06.27	27-04-2012	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31453749601	सांसद/विधायक निधि	01.29	23-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31087505874	सामान्य कर	00.02	09-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31087506118	सामान्य कर	00.03	25-09-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31087506254	सामान्य कर	00.03	10-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	00100001050012	अस्पतालों से आय	06.27	2012-13	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31282943011	सामान्य कर	00.03	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
भारतीय स्टेट बैंक	31087493288	सामान्य कर	00.02	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
पंजाब नेशनल बैंक	727000101134215	वेतन खाता	01.71	03-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000236182	वेतन खाता
पंजाब नेशनल बैंक	727002100050877	पेंशन खाता	55.41	11-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000235675	पेंशन खाता
पंजाब नेशनल बैंक	746009300020036	नगर निगम निधि	04.75	2012-13	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
पंजाब नेशनल बैंक	746009300020285	नगर निगम निधि	07.21	2012-13	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
पंजाब नेशनल बैंक	0269000109119897	सम्पत्ति खाता	00.99	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
पंजाब नेशनल बैंक	3689002100017494	टोस अपशिष्ट प्रबन्धन खाता	26.26	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
यूनियन बैंक आफ इंडिया	30252010013654	क्रीड़ा/ तरणताल से आय	03.05	08-10-2013	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
इलाहाबाद बैंक	20226177575	राज्य वित्त आयोग खाता	0.59	2012-13	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
बैंक आफ इंडिया	69522011000094	नगर निगम आय खाता	31.66	2012-13	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000236182	वेतन खाता
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	00111000011/8380	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन खाता	0.83	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि
यूनाईटेड मर्केन्टाइल कारपोरेशन बैंक	68001	सामान्य कर	2.03	2013-14	एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237228	नगर निगम निधि

एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271450000915	राष्ट्रीय राजमार्ग
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271450000880	शिक्षा अनुदान
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000237880	जोनल निधि खाता
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000235940	जोनल निधि
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271450001157	नगर निगम निधि
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000281597	सांसद / विधायक खाता
एच.डी.एफ.सी. बैंक	1271000281330	बर्दा क्षेत्र विकास खाता
आई.सी.आई. सी.आई बैंक	998011000793	नगर निगम निधि
आई.डी.बी. आई. बैंक	090104000208956	नगर निगम निधि
आई.डी.बी. आई. बैंक	089810400021997	नगर निगम निधि
इन्डसइन्ड बैंक	100004303784	पनकी क्षेत्र विकास खाता
इन्डसइन्ड बैंक	100004249938	मलिन बस्ती क्षेत्र विकास खाता
इन्डसइन्ड बैंक	1000022532331	राज्य वित्त आयोग अनुदान
बन्द किये गये खाते के अवशेषों का योग	148.45	

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 4.1.10

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.4; पृष्ठ)

रोकड़ बही एवं बैंक विवरण के अनुसार नकद जमा किये जाने की तिथियों में अन्तर का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार कार्य दिवस/अवकाश के दिनों सहित जमा तिथि		बैंक विवरण के अनुसार वास्तविक जमा तिथि	दिनों में अन्तर	धनराशि
	तिथि	कार्य दिवस/अवकाश			
1.	01.03.2014	कार्य दिवस	04.03.2014	03	12.01
2.	03.03.2014	कार्य दिवस	05.03.2014	02	16.03
3.	04.03.2014	कार्य दिवस	06.03.2014	02	9.69
4.	05.03.2014	कार्य दिवस	07.03.2014	02	11.27
5.	06.03.2014	कार्य दिवस	08.03.2014	02	14.81
6.	07.03.2014	कार्य दिवस	10.03.2014	03	13.04
7.	08.03.2014	अवकाश (द्वितीय शनिवार)	11.03.2014	03	3.66
	09.03.2014	अवकाश (रविवार)	11.03.2014	02	2.68
					= 6.34
8.	10.03.2014	कार्य दिवस	12.03.2014	02	18.48
9.	11.03.2014	कार्य दिवस	13.03.2014	02	11.58
10.	12.03.2014	कार्य दिवस	14.03.2014	02	15.08
11.	13.03.2014	कार्य दिवस	15.03.2014	02	13.67
12.	14.03.2014	कार्य दिवस	18.03.2014	04	16.18
13.	15.03.2014	कार्य दिवस	19.03.2014	04	11.97
	16.03.2014	अवकाश (रविवार)	19.03.2014	03	0.39
					= 12.36
14.	18.03.2014	कार्य दिवस	20.03.2014	02	4.56
15.	19.03.2014	कार्य दिवस	21.03.2014	02	10.87
16.	20.03.2014	कार्य दिवस	22.03.2014	02	13.54
17.	21.03.2014	कार्य दिवस	24.03.2014	03	12.74
18.	22.03.2014	कार्य दिवस	25.03.2014	03	0.45
	23.03.2014	अवकाश (रविवार)	25.03.2014	02	3.89
					= 4.34
19.	24.03.2014	कार्य दिवस	26.03.2014	02	2.00
20.	25.03.2014	कार्य दिवस	27.03.2014	02	19.20
21.	26.03.2014	कार्य दिवस	28.03.2014	02	21.29
22.	27.03.2014	कार्य दिवस	29.03.2014	02	22.04
23.	28.03.2014	कार्य दिवस	31.03.2014	03	21.92
24.	29.03.2014	कार्य दिवस	31 मार्च 2014 तक जमा नहीं किया गया		24.81
25.	30.03.2014	अवकाश (रविवार)			21.00
26.	31.03.2014	कार्य दिवस			285.58

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट-4.1.11

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.4; पृष्ठ)

ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाली रोकड़ बही का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	बैंक खाता बन्द किये जाने की तिथि	31 मार्च 2014 के अनुसार अन्तिम अवशेष	ऋणात्मक अवशेष का कारण
1.	भारतीय स्टेट बैंक	10220416129	27.04.2012	(-) 01.43	बैंक खाता बन्द (पाँच से 23 माह) किये जाने के पश्चात रोकड़ बही का बनाया जाना/रख रखाव किया जाना।
2.	पंजाब नेशनल बैंक	727002100050877	11.10.2013	(-) 25.20	
3.	पंजाब नेशनल बैंक	727000101134215	03.10.2013	(-) 35.07	
4.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	30252010013654	08.10.2013	(-) 01.02	

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.12

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.7.4; पृष्ठ)

जोनों/विभागीय एवं लेखा विभाग कानपुर नगर निगम के कर वसूली के आँकड़ों में अन्तर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	सम्पत्ति कर		अन्तर	विज्ञापन कर		अन्तर
		जोन के अभिलेखों के अनुसार आँकड़े	लेखा विभाग के अनुसार आँकड़े		लेखा विभाग के अनुसार आँकड़े	विज्ञापन कर विभाग के अनुसार आँकड़े	
1	2009-10	43.86	41.54	02.32	1.45	1.45	0.00
2	2010-11	57.97	47.83	10.14	2.87	2.77	0.10
3	2011-12	69.21	58.61	10.60	1.81	1.78	0.03
4	2012-13	91.64	77.54	14.10	2.87	2.87	0.00
5	2013-14	82.39	85.71	(-)03.32	4.05	4.06	(-) 0.01
योग		345.07	311.23	33.84	13.05	12.93	0.12

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.13

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.9.1; पृष्ठ)

मार्ग प्रकाश की स्थापना हेतु मार्गों का श्रेणीकरण

क्र० सं०	सड़कों की श्रेणी	सड़कों की विशेषताएँ	सड़क की सतह पर इल्युमिनेशन का औसत स्तर (लक्स में)	वरीयता दी गयी ल्युमिनरीज का प्रकार
1	अ-1	तीव्र यातायात वाले महत्वपूर्ण यातायात मार्ग	30	कट-आफ
2	अ-2	शहर की मुख्य सड़कों/गलियों की तरह मिश्रित यातायात वाले मुख्य मार्ग	15	कट-आफ
3	ब-1	स्थानीय मार्गों (जितने विचारणीय) यातायात वाली द्वितीयक मार्ग	08	कट-आफ अथवा सेमी कट-आफ
4	ब-2	हल्के यातायात वाली द्वितीयक मार्ग	04	कट-आफ अथवा सेमी कट-आफ

(स्रोत: ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड कोड-1981)

परिशिष्ट – 4.1.14

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.9.2; पृष्ठ)

कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात गठित अनुबन्ध का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुबंध की तिथि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि	व्यय
1.	वार्ड-62, जोन-5 में बर्बा बाई पास से अंधा कुआँ तक सड़क सुधार कार्य	07.09.2012	30.06.2012	29.10.2012	79.01
2.	वार्ड-73 एवं 74, बर्बा-4, जोन-5 में ट्रांसफॉर्मर से बाई पास-1 तक सड़क सुधार कार्य	18.06.2011	11.04.2011	10.07.2011	77.08
3.	वार्ड-71, जोन-2 में जी.टी. रोड गाँधी ग्राम होते हुए त्रिमूर्ति मंदिर से बउआ जनरल स्टोर एवं तनु भवन बाई पास से सूर्य प्रकाश के मकान संख्या-77/41 तक सड़क सुधार कार्य	02.06.2013	28.03.2013	27.05.2013	68.57
4.	वार्ड-77, जोन-2 में श्याम नगर रेलवे कालोनी के मकान संख्या 723 से उजातगंज डंप में सी. ब्लाक तक (दाहिनी किनारे) नाली का निर्माण	17.12.2012	13.12.2012	12.02.2013	06.83
5.	वार्ड-53, जोन-2 में राजमार्ग कलवर्ट तक और एम.ए. अंसारी के मकान से गदियाना में फहीम हाउस के मकान से होते हुए किड्स विला स्कूल तक सड़क एवं नाला सुधार कार्य	15.05.2013	28.12.2012	28.02.2013	15.23
6.	वार्ड-77, जोन-2 के मकान संख्या ई-765, ई ब्लाक से अग्रवाल अपार्टमेंट तक सी.सी. रोड का सुधार कार्य	10.05.2013	12.03.2013	11.04.2013	01.52
7.	वार्ड-70, जोन-2 में मनोज प्रोविजन जनरल स्टोर के निकट मकान संख्या-39 से खेल घर अप्रोच रोड तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का सुधार कार्य	24.06.2013	12.03.2013	11.05.2013	05.56
8.	वार्ड-28, जोन-2 में मेट्रो रेस्टोरेन्ट, कृष्णा नगर के निकट सम्प वेल का निर्माण	01.09.2012	25.08.2012	01.09.2012	00.40
9.	वार्ड-91, जोन-2 में अतुल हार्डवेयर, पेट्रोल लाइन रोड से ईदगाह मछरिया तक गहरे नाले का निर्माण	15.05.2013	23.03.2013	22.05.2013	12.11
10.	वार्ड-30, जोन-2 में देशराज के मकान से राजीव बिवार मछरिया में ओवर हेड टैंक के निकट मुख्य नाला तक नाला निर्माण	18.12.2012	03.12.2012	02.03.2013	13.96
11.	वार्ड-48, जोन-2 में राधे कृष्णा के मकान से स्लम बस्ती, केशर विहार तक सी.सी. सड़क का निर्माण	20.12.2011	13.05.2011	12.07.2011	04.77
12.	वार्ड-71, जोन-2 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सीवर लाइन के लिए काटी गई जी.टी. रोड सेमलिन बस्ती, पटेल नगर के अन्दर (900 मीटर) रेलवे लाइन के साथ इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण सहित सड़क सुधार कार्य	24.05.2012	22.12.2011	21.01.2012	14.24

13	वार्ड-77, जोन-2 में श्याम नगर में मकान संख्या 33 से 336 तक सड़क एवं नाली (18 मीटर और 12 मीटर) का मरम्मत कार्य	06.05.2013	28.03.2013	27.05.2013	69.92
14.	वार्ड-42, जोन-6 में च्वाइस टेलर से गजानन स्कूल होते हुए पनकी केनाल सड़क तक योजना-3 में सड़क एवं नाली सुधार कार्य	19.02.2013	04.01.2013	04.03.2013	20.45
15.	वार्ड-45, जोन-6 में रवि शुक्ला के मकान से सुरेश आनन्द के मकान तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य	22.03.2013	04.01.2013	04.03.2013	15.15
16.	वार्ड-34, जोन-6 में आर.टी.ओ. आफिस से काकादेव क्रासिंग और राम चरण मौर्या के मकान से होते हुए पांडु नगर सोसाइटी, धर्मशाला सड़क तक सड़क सुधार कार्य	15.02.2012	09.11.2011	08.01.2012	59.07
17.	वार्ड-27, जोन-6 में चेन फेक्ट्री क्रासिंग से कालपी रोड तक सड़क सुधार	25.05.2010	09.04.2010	08.07.2010	22.91
18.	वार्ड-61, जोन-6 में लाजपत नगर का सड़क एवं नाली सुधार कार्य (गुरु नानक गर्ल्स कालेज से के. एम.सी. चिकित्सालय तक)	22.04.2010	27.03.2010	24.06.2010	38.73
19.	वार्ड-63, जोन-6 में शारदा नगर में (गुरुदेव सिनेमा के पास) रेलवे क्रासिंग संख्या-9 से क्रासिंग संख्या-10 तक सड़क एवं नाली सुधार कार्य	08.04.2010	27.03.2010	26.08.2010	45.89
20.	जोन-4 में एन.एन. इंटर कालेज तिलक नगर में विज्ञान भवन का मरम्मत एवं रख रखाव कार्य	09.10.2013	20.07.2013	15.12.2013	07.14
21.	वार्ड-40, जोन-1 में मकान संख्या-79/68 से 79/97 तक गली एवं नाली का सुधार कार्य	06.09.2013	12.06.2013	20.12.2013	07.03
22.	वार्ड-40, जोन-1 में सरदार का हाता में मकान संख्या-79/118 से 79/19 तक गली एवं नाली का सुधार कार्य	06.09.2013	06.05.2013	28.12.2013	03.44
23.	वार्ड-39, जोन-5 में गेट संख्या-501 के सामने नाली एवं आर.सी.सी. मरम्मत कार्य	31.10.2013	10.10.2013	31.10.2013	00.93
24.	वार्ड-62, जोन-5 में मकान संख्या डी.-169 से प्रिया चौराहा तक सड़क का मरम्मत	30.05.2013	18.03.2013	उपलब्ध नहीं	04.72
25.	बाबू राम के मकान से रवि किशन के मकान तक सड़क, नाली एवं इंटरलाकिंग टाइल्स का सुधार	27.01.2014	11.12.2013	24.01.2014	04.56
26.	वार्ड-17, जोन-5 में भाटिया नर्सिंग होम से हनुमान मन्दिर तक नाला सफाई कार्य	30.03.2013	13.03.2013	10.05.2013	01.17
27.	वार्ड-44, जोन-2 में सड़क एवं नाली का सुधार	27.01.2014	03.07.2013	15.02.2013	06.37
28.	वार्ड-105, जोन-1 में सड़क एवं नाली का सुधार	06.08.2013	01.08.2013	01.10.2013	05.02
29.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/484 से 76/515 तक पानी का पाईप बिछाने एवं गली का सुधार	21.10.2013	22.07.2013	26.07.2013	00.99
30.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/455 में पानी का पाईप बिछाने एवं गली का सुधार	21.10.2013	22.07.2013	26.07.2013	00.99

31.	वार्ड-101, जोन-5 में रामदास मन्दिर 36/52 के पास नाली का सुधार	06.01.2014	24.12.2013	22.01.2014	01.12
32.	वार्ड-43, जोन-4 में हर्ष नगर पेट्रोल पम्प के पास 80 फिट सड़क पर कूड़ादान पटल का निर्माण	24.01.2014	07.10.2013	24.01.2014	04.57
33.	वार्ड-43, जोन-4 में पोस्टमार्टम हाउस के पास कूड़ादान पटल का निर्माण	31.12.2013	07.10.2013	06.11.2013	01.49
34.	वार्ड-81, जोन-3 में 492 से 476, 448 से 436 एवं 450 से 456 तक सड़क एवं नाली का सुधार	04.02.2014	11.10.2013	09.12.2013	09.14
35.	वार्ड-24, जोन-3 में दीप सिनेमा तिराहा से गौशाला चौराहा तक सड़क पेंच कार्य	23.01.2014	08.01.2014	14.01.2014	09.86
36.	वार्ड-35, जोन-5 जुहीखुर्द में लेन का निर्माण	28.05.2013	18.02.2013	25.02.2013	07.82
37.	वार्ड-74, जोन-5 में मकान संख्या एल.आई.जी.-95 के पास से गुजैनी तक आंतरिक सड़क का सुधार	31.12.2013	18.08.2013	17.09.2013	00.99
38.	वार्ड-23, जोन-3 में जी.टी. रोड से 133/175 तक सड़क सुधार	14.10.2013	08.10.2013	07.11.2013	00.99
39.	वार्ड-41, जोन-4 में 104-ए, एन.एन. कालोनी बजरिया थाना पर नाली की पाईप एवं इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य	25.02.2014	07.10.2013	20.02.2014	04.58
40.	वार्ड-105, जोन-1 में सड़क सुधार	26.04.2013	19.03.2013	18.04.2013	01.54
41.	वार्ड-9, जोन-2 में मकान संख्या के. 56 से बाबा जनरल स्टोर तक नाला निर्माण	24.10.2013	13.09.2013	12.11.2013	01.79
42.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/21 से 76/36 तक पानी की पाईप बिछाने एवं गली सुधार का कार्य	20.11.2013	22.06.2013	21.07.2013	01.73
43.	वार्ड-62, जोन-5 में मकान संख्या 775 से मकान संख्या 297, बी. ब्लॉक तक सड़क का सुधार	29.11.2013	15.06.2013	09.11.2013	09.86
44.	वार्ड-64, जोन-5 में शाहपुर ग्राम में अजय कुमार वर्मा के मकान के पास क्रॉस पुलिया का निर्माण	23.09.2013	18.03.2013	.	00.39
45.	वार्ड-82, जोन-6 में वार्ड आफिस के नागरिक सुविधा केन्द्र के कमरे का सुधार	02.08.2013	24.03.2013	08.11.2013	01.74
46.	वार्ड-55, जोन-3 में गौशाला चौराहा से संजय जैन के मकान तक सड़क पेंच एवं इंटरलाकिंग टाइल्स का कार्य	04.03.2014	10.01.2014	09.03.2014	09.29
47.	वार्ड-29, जोन-2 देवीगंज बीबीपुर एवं सतीपुर की विभिन्न गलियों में नाली, इंटरलाकिंग टाइल्स तथा सड़क का निर्माण	15.06.2013	12.03.2013	11.05.2014	08.03
48.	वार्ड-48, जोन-2 में मकान संख्या-128/469 से वार्ड-ब्लॉक तक किदवई नगर में सड़क एवं नाली का सुधार	20.01.2014	11.12.2013	10.02.2014	08.43
49.	वार्ड-44, जोन-2 में लाली प्रोविसिनल स्टोर से राजेश एवं अन्य तक सड़क एवं नाली का सुधार	09.10.2013	05.08.2013	06.09.2013	03.79
50.	वार्ड-95, जोन-2 में 155-174 बी. से होटल चाँद बाबू तक इंटर लाकिंग टाइल्स का सुधार	21.01.2014	19.09.2013	17.11.2013	05.01

51.	जोन-2 में जाजमऊ पर पेच कार्य के लिए सामग्री की आपूर्ति	20.01.2014	15.04.2013	29.04.2013		01.00
52.	वार्ड-72, जोन-5 में वार्ड आफिस के कमरे का निर्माण	31.12.2013	30.11.2013	उपलब्ध नहीं		02.51
53.	वार्ड-91, जोन-1 में सारिका ब्यूटी पार्लर से आर. कुशवाहा के मकान तक पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण	28.05.2013	23.03.2013	उपलब्ध नहीं		38.93
54.	वार्ड-20, जोन-6 जी.टी. रोड से इन्दिरा नगर में दीक्षित चौराहा तक नाला निर्माण	18.12.2013	10.10.2013	उपलब्ध नहीं		45.17
55.	वार्ड-55 जोन-3 में किदवई नगर थाना से जागरा तक गहरी नाली का निर्माण	19.12.2012	13.12.2012	12.02.2013		47.16
56.	वार्ड-55, जोन-3 बीमा चिकित्सालय से फहीम हाउस तक गहरी नाली का निर्माण	02.01.2014	09.09.2013	08.10.2013		04.48
57.	वार्ड-55, जोन-3 में मकान संख्या 128/96 से मकान संख्या 116, 128/69 आदि का सड़क सुधार	03.05.2013	03.01.2013	22.03.2013		18.81
58.	वार्ड-80, जोन-3 में हनुमान मन्दिर (बर्गा-2) से बाई पास रोड (सब्जीमंडी) तक सड़क सुधार	04.12.2013	01.12.2012	01.03.2013		64.08
59.	वार्ड-55, जोन-3 में मकान संख्या 128/230 से मकान संख्या 128/357 तक साईड पट्टी एवं इंटरलाकिंग टाइल्स का सुधार	19.12.2013	09.07.2013	02.09.2013		06.98
60.	वार्ड-5, जोन-4 खटिकाना, बरातशाला चौक में आंतरिक नाली की मरम्मत कार्य	21.11.2013	07.10.2013	06.11.2013		00.98
61.	वार्ड-29, में बैंक आफ बड़ौदा से ज्ञान सत्संग तक नाली का निर्माण	01.02.2014	05.12.2013	उपलब्ध नहीं		03.62
62.	वार्ड-91, जोन-2 में देशराज के मकान से राजीव विहार मुख्य नाला का निर्माण	12.12.2012	03.12.2012	02.03.2013		13.96
63.	वार्ड-95, जोन-2 में ईदगाह के सामने नाली की आर.सी.सी. ढक्कन का निर्माण	20.01.2014	28.09.2013	15.10.2013		00.24
64.	वार्ड-74 में मकान संख्या ए-526 से ए-865 तक नाला सुधार	28.08.2013	18.08.2013	16.09.2013		00.99
65.	वार्ड-98, जोन-5 में जीता मन्दिर के सामने गली का सुधार	14.02.2014	15.01.2014	उपलब्ध नहीं		05.66
66.	वार्ड-42, जोन-6 में साहिब नगर, आवास विकास कालोनी के पास नाले का कलवर्ट का निर्माण	05.07.2013	19.06.2013	13.02.2014		01.51
67.	वार्ड-91 एवं 67, जोन-2 में साहिब न2 में श्रीराम कुशवाहा के मकान से गोपाल नगर तिराहा, आजाद पी.सी.ओ. तक नाला निर्माण	19.02.2014	03.01.2013	03.03.2014		09.18
68.	वार्ड-8, जोन-6 में अशोक स्वीट हाउस से रफाका नाला तक नाला निर्माण	04.03.2014	10.10.2013	उपलब्ध नहीं		11.04
69.	वार्ड-27, जोन-6 में म्योर रोड के सुधी कालोनी में मकान संख्या 122/464 एवं 122/467 से 122/536 तक साईट पट्टी एवं नाला सुधार	16.01.2014	09.09.2013	24.02.2014		08.17

70.	वार्ड-103, जोन-1 में पानी के बहाव के निस्तार। हेतु एस.डब्लू एवं पाईप बिछाने तथा आंतरिक लेन का सुधार	10.09.2013	18.03.2013	17.05.2013	05.69
71.	वार्ड-50, जोन-1 में दाल मिल की गली सुधार	13.03.2013	03.03.2013	07.05.2013	07.05
72.	वार्ड-64, जोन-5 में बबुनी महेश्वरी से मालकी नगर रोड तक सड़क सुधार	13.01.2014	20.06.2013	26.12.2013	07.48
73.	वार्ड-38, जोन-5 में शंकर गौराज से गुरुद्वारा रोड तक गहरी नाली का निर्माण	15.07.2013	18.03.2013	12.01.2014	09.06
74.	वार्ड-55, जोन-3 में मकान संख्या 128/123 से मकान संख्या 128/129, के.ब्लाक तक नाली एवं सड़क का सुधार	08.02.2013	19.12.2012	18.02.2013	08.45
75.	वार्ड-38, जोन-5 में सटी-बंटी ग्लास से मकान संख्या 123/645 गदेरियन पुरवा तक गहरी नाली का निर्माण	03.05.2013	23.02.2013	24.06.2013	07.71
76.	वार्ड-43, जोन-4 गोल बिल्डिंग में इंटरलाकिंग टाइल्स के बिछाने एवं नाली मरम्मत और साईकिल स्टैंड सड़क का सुधार	28.02.2014	07.10.2013	22.03.2013	12.26
77.	वार्ड-18, जोन-6 में ट्रांसफार्मर से कल्यानपुर में अम्बेडकर प्रतिमा तक नाला निर्माण	13.12.2013	10.10.2013	उपलब्ध नहीं	33.31
78.	वार्ड-3 में गली की मरम्मत	19.02.2014	30.10.2012	28.12.2012	07.38
79.	वार्ड-81, जोन-3 देहली सुजानपुर में सड़क सुधार एवं गली में इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य	05.02.2014	13.03.2013	11.05.2013	06.93
80.	वार्ड-80, जोन-3 विश्व बैंक कालोनी बर्बा में मकान संख्या सी.-576 से सी.-591 तक सड़क एवं नाली का सुधार	06.12.2013	18.07.2013	17.08.2013	02.13
81.	वार्ड-56, जोन-5 में सौरभ गेस्ट हाउस से मकान संख्या 1 से 172 तक गहरी नाली का सुधार	16.02.2013	03.01.2013	उपलब्ध नहीं	04.28
82.	वार्ड-91, जोन-2 में माँ सरस्वती इन्टर कालेज से यशोदा नगर में नन्दू स्वीट हाउस तक नाला निर्माण	25.01.2014	11.12.2013	उपलब्ध नहीं	11.71
83.	वार्ड-9, जोन-6 में श्री प्रेम कटियार के मकान से बीमा क्रासिंग तक फुटपाथ का सुधार	23.10.2013	20.08.2013	07.01.2014	04.07
84.	वार्ड-79, जोन-3 सदभावना पार्क में सड़क एवं फुटपाथ का सुधार	26.10.2013	13.03.2013	11.05.2014	09.74
85.	वार्ड-81, जोन-3 में मकान संख्या 78 से आई.-91 तक इंटरलाकिंग टाइल्स के साथ सड़क एवं नाली का सुधार	25.11.2013	20.11.2013	18.01.2014	04.38
86.	वार्ड-109, जोन-1 में दीपू जयसवाल के मकान से मकान संख्या 71/132 तक सीवर लाईन का निर्माण एवं नवीनीकरण	08.01.2014	25.09.2013	25.12.2013	01.40
87.	वार्ड-86, जोन-2 में कूड़ा निस्तार। स्थल का निर्माण	03.01.2014	11.10.2013	09.11.2013	05.17
88.	वार्ड-11, जोन-4 में जी.टी.रोड डी.के. ढाल के सामने कूड़ा प्लेट फार्म का निर्माण	30.12.2013	07.10.2013	06.11.2013	03.57

89.	वार्ड-68, जोन-6 में ओम प्रकाश के मकान से रावतपुर में उमेश सैनी के मकान तक नाली एवं सड़क का सुधार	23.12.2013	20.08.2013	30.01.2014	00.94
90.	वार्ड-69, जोन-5 में मकान संख्या जी.-50 से मल्होत्रा के मकान तक सड़क का सुधार	02.01.2014	10.10.2013	16.12.2013	00.96
91.	वार्ड-69, जोन-5 में सुदामा गेस्ट हाउस से मकान संख्या जी-45 तक सड़क का सुधार	29.01.2014	10.10.2013	10.02.2014	00.98
92.	वार्ड-69, जोन-5 जी ब्लॉक में पानी की टंकी के साकने सड़क का सुधार	02.01.2014	10.10.2013	10.02.2014	00.97
93.	वार्ड-80, जोन-3 मकान संख्या एम.आई.जी. 20 से 143 बर्गा-2 में फुटपाथ का सुधार	07.02.2014	04.07.2013	02.09.2013	06.44
94.	वार्ड-62, जोन-5 बर्गा विश्व बैंक कालोनी में मकान संख्या एच 615 एवं एच 568 के पास सड़क का सुधार	21.08.2013	13.03.2013	30.10.2013	04.56
95.	वार्ड-48, जोन-2 किदवई नगर में इंटरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार	17.02.2014	04.01.2014	04.03.2014	10.39
96.	वार्ड-71, जोन-2 में नंदा के मकान से टटिया गाँव में यादव जनरल स्टोर तक सड़क एवं नाली का सुधार	25.06.2013	23.03.2013	27.05.2013	10.97
97.	वार्ड-58, जोन-3 बसन्त विहार पुराना नौबस्ता में मकान संख्या 275/44 से 275/41 तक लिंग रोड का सुधार	23.08.2013	17.06.2013	15.08.2013	04.53
98.	वार्ड-8, जोन-6 मस्वानपुर में गोपाल जनरल स्टोर से कलवर्ट का निर्माण	14.10.2013	09.04.2013	13.01.2014	00.96
99.	वार्ड-97, जोन-1 में विभिन्न स्थानों पर गली का सुधार	21.07.2013	14.03.2013	13.04.2013	00.86
100.	वार्ड-64, जोन-5 स्वराज नगर में मकान संख्या 100 से 1020 बी तक सड़क का सुधार	17.10.2013	20.06.2013	30.08.2013	04.07
101.	वार्ड-24, जोन-3 में जागर.1 स्कूल से जरौती तक कलवर्ट के नीचे तक नाला सफाई	25.02.2014	01.05.2013	30.05.2013	01.37
102.	वार्ड-24, जोन-3 में वेंडी स्कूल से किदवई नगर थाना तक नाला सफाई	19.11.2013	29.04.2013	28.05.2013	00.87
103.	वार्ड-55, जोन-3 में आर.बी.आई. वेस्टर्न कालोनी से बीमा चिकित्सालय चौराहा तक नाला सफाई	19.11.2013	30.05.2013	उपलब्ध नहीं	00.82
104.	वार्ड-55, जोन-3 में बीमा चिकित्सालय से साई बाबा मन्दिर तक नाला सफाई	19.11.2013	30.05.2013	29.06.2013	00.85
105.	वार्ड-25, जोन-3 किदवई नगर थाना से राखी मंडी तक नाला सफाई	19.11.2013	01.05.2013	30.05.2013	00.97
106.	वार्ड-64, जोन-4 में मकान संख्या 1224 से 95/बी, ब्लॉक बी तक क्षतिग्रस्त नाले पर स्लैब ढलाई	28.11.2013	22.11.2013	उपलब्ध नहीं	01.39
107.	वार्ड-81, जोन-3 में पी.सी.सी. ब्लॉक के साथ नाली और इंटरलाकिंग टाईल्स के साथ सड़क का सुधार	18.12.2013	10.12.2013	08.02.2014	08.89

108.	वार्ड-52, जोन-5 में मकान संख्या 88/ई/49 के सामने फुटपाथ का सुधार	06.01.2014	10.10.2013	16.10.2013	00.99
109.	वार्ड-43, जोन-5 में सरदार के मकान से इंडस्ट्रियल पार्क आर.के.सिंह के मकान तक फुटपाथ का सुधार	16.08.2013	11.06.2013	11.02.2013	00.78
110.	ए टू जेड आफिस कम्युनिटी सेंटर, आलू मंडी, किदवई नगर के सामने फर्श का निर्माण	10.02.2014	08.10.2013	07.11.2013	06.57
111.	वार्ड-62, जोन-5 बर्गा-8 में मकान संख्या ई-495 से ई-506 तक लेन का सुधार	10.12.2013	13.08.2013	10.09.2013	00.99
112.	वार्ड-62, जोन-5 बर्गा-8 में मकान संख्या ई-565 से ई-576 तक लेन का सुधार	10.12.2013	13.08.2013	08.09.2013	00.99
113.	वार्ड-47, जोन-5 में दीवाल का निर्माण	04.01.2014	18.12.2013	24.12.2013	01.41
114.	वार्ड-52, जोन-5 में माताजी पार्क पर छतरी का निर्माण	25.10.2013	10.10.2013	16.10.2013	00.90
115.	जोन-5 में रन इन्टर कालेज में किचेन का निर्माण	25.10.2013	17.10.2013	23.10.2013	00.95
116.	वार्ड-98, जोन-5 में मकान संख्या 26-55 एवं 43-149 से ई-ब्लॉक पर इंटरलाकिंग का निर्माण	28.02.2014	13.03.2013	02.01.2014	03.98
117.	वार्ड-31, जोन-3 में मकान संख्या 130/556, बाकरगंज के सामने नाली एवं सड़क का सुधार	10.01.2014	04.07.2013	03.08.2013	01.43
118.	वार्ड-75, जोन-3 अलीतगंज कालोनी, बाबुपुरवा में अम्बेडकर पार्क की पेंटिंग	02.09.2013	10.07.2013	09.08.2013	00.13
119.	वार्ड-67, जोन-2 पी-ब्लॉक यशोदा नगर में राम चौधरी स्कूल से अजय सिंह के मकान तक खोदे गए नाले का निर्माण	26.03.2014	31.01.2014	01.04.2014	04.30
120.	वार्ड-74, जोन-5 में मकान संख्या ए. 303 से ए 318 तक सड़क मरम्मत का कार्य	10.03.2014	20.06.2013	20.01.2014	02.01
121.	वार्ड-3, जोन-5 में दादा नगर क्रासिंग से आजाद क्रासिंग तक सड़क सुधार	24.03.2014	15.06.2013	15.03.2014	02.61
122.	वार्ड-69, जोन-5 गुजैनी में मकान संख्या 497 से 512 तक सड़क सुधार	21.03.2014	18.03.2013	26.03.2014	01.86
123.	वार्ड-74, जोन-5 रविदास पुरम गुजैनी में मकान संख्या ए. 329 से ए. 382 तक इंटरलाकिंग का सुधार	25.03.2014	20.06.2013	10.01.2014	02.61
124.	वार्ड-64, जोन-5 में मकान संख्या 104 से दुर्गेश्वरी मन्दिर तक क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण	11.02.2014	11.06.2013	10.07.2013	00.63
125.	वार्ड-64, जोन-5 में हवेली गेस्ट हाउस से बम्बा रोड वाया नजीराबाद थाना तक नाला सफाई	10.10.2013	10.05.2013	26.06.2013	00.80
126.	वार्ड-38, जोन-5 में बैंक आफ बड़ौदा से बसंत गेराज वाया गोल्ड स्पार्ट तक नाला सफाई	25.09.2013	10.05.2013	20.06.2013	00.50
127.	वार्ड-62, जोन-5 में बर्गा गाँव से राजा का हाता तक नाला सफाई	25.09.2013	10.05.2013	20.07.2013	00.50

128.	वार्ड-104, जोन-1 में कल्लूमल हाता से प्रसाद के मकान तक नीची पाईप लाइन बिछाने एवं गली सुधार कार्य	03.09.2013	01.08.2013	20.09.2013	03.66
129.	जोन-18 में राजकुमार दीक्षित के मकान से विजय बहादुर के मकान तक नाला निर्माण एवं इंटरलाकिंग बिछाने का कार्य	08.10.2013	07.10.2013	23.01.2014	04.26
130.	वार्ड-51, जोन-4 आवासीय कालोनी ए.एन.डी. कालेज में मरम्मत एवं पुताई कार्य	25.11.2013	18.06.2013	17.07.2013	01.72
131.	वार्ड-33, जोन-5 रतनपुर में नाला पुलिया का निर्माण	18.07.2013	18.03.2013	31.05.2013	00.66
132.	वार्ड-63, जोन-6 में सर्विस लेन ब्लॉक का सुधार	18.12.2013	16.12.2013	09.01.2014	00.98
133.	जोन-4 में रामबाग डंप पर स्टोन ग्रेट, स्टोन ब्लॉस्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति	23.09.2013	27.08.2013	11.09.2013	00.99
134.	वार्ड-38, जोन-5 एन.एन.कांजी हाउस में सबमर्सिबल पंप की अधिस्थापना	31.12.2013	13.09.2013	12.10.2013	00.70
135.	आर.सी.सी. इंटरलाकिंग टाईल्स के साथ सड़क एवं नाली का सुधार	30.01.2014	26.12.2013	24.02.2014	11.12
136.	वार्ड-26, जोन-3 में खदेपुर कालोनी चौराहा से शिवाजी इंटर कालेज तक नाला का निर्माण	06.08.2013	23.03.2013	21.05.2013	43.94
137.	वार्ड-78, जोन-4 में कालपी रोड पर मकान संख्या 105/699 से 105/712 तक फुटपाथ एवं नाली का निर्माण	06.11.2013	10.10.2013	09.12.2013	08.20
138.	वार्ड-24, जोन-3 फुटपाथ एवं नाली का निर्माण	10.01.2014	17.06.2013	15.08.2013	04.43
139.	वार्ड-78, जोन-4 में फुटपाथ एवं नाली का निर्माण	04.05.2013	07.02.2013	28.08.2013	06.57
140.	इंटरलाकिंग टाईल्स बिछाने का कार्य	23.12.2013	11.10.2013	25.10.2013	00.97
141.	सड़क एवं नाला का सुधार	27.10.2013	19.06.2013	26.12.2013	07.56
142.	जोनल आफिस जोन-3 में कमरे का मरम्मत	19.12.2013	09.09.2013	08.10.2013	01.48
143.	नाले का निर्माण	20.12.2013	18.12.2013	17.01.2014	01.33
144.	पार्क की चहारदीवारी का निर्माण	08.08.2013	18.03.2013	02.12.2013	00.83
145.	वार्ड-95, जोन-2 में सड़क का सुधार	19.02.2014	03.07.2013	18.08.2013	02.91
146.	इंटरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का सुधार	17.12.2013	26.11.2013	24.01.2014	08.56
147.	मकान संख्या एल.आई.जी.-84 के निकट लेन का सुधार	30.12.2013	18.08.2013	17.09.2013	00.99
148.	इंटरलाकिंग टाईल्स के बिछाने का कार्य	24.01.2012	20.10.2011	28.12.2013	07.84
149.	सर्विस लेन का सुधार	25.11.2013	04.07.2013	02.09.2013	03.83
150.	इंटरलाकिंग टाईल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार	25.01.2014	14.10.2013	12.12.2013	11.24
योग					₹ 1,373.66 लाख ₹ 13.74 करोड़

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.15

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.9.2; पृष्ठ)

कार्य समाप्त होने के पश्चात गठित अनुबन्धों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुबंध की तिथि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि	व्यय
1.	वार्ड-48, जोन-2 में राधे कृष्णा के मकान से स्लम बस्ती, केशर विहार तक सी.सी. सड़क का निर्माण	20.12.2011	13.05.2011	12.07.2011	04.77
2.	वार्ड-34, जोन-6 में आर.टी.ओ. आफिस से काकादेव क्रासिंग और राम चर.। मौर्या के मकान से होते हुए पांडु नगर सोसाइटी, धर्मशाला सड़क तक सड़क सुधार कार्य	15.02.2012	09.11.2011	08.01.2012	59.07
3.	वार्ड-71, जोन-2 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सीवर लाइन के लिए काटी गई जी.टी. रोड सेमलिन बस्ती, पटेल नगर के अन्दर (900 मीटर) रेलवे लाइन के साथ इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण सहित सड़क सुधार कार्य	24.05.2012	22.12.2011	21.01.2012	14.24
4.	वार्ड-3 में गली की मरम्मत	19.02.2014	30.10.2012	28.12.2012	07.38
5.	वार्ड-80, जोन-3 में हनुमान मन्दिर (बर्गा-2) से बाई पास रोड (सब्जीमंडी) तक सड़क सुधार	04.12.2013	01.12.2012	01.03.2013	64.08
6.	वार्ड-53, जोन-2 में राजमार्ग कलवर्ट तक और एम.ए. अंसारी के मकान से गदियाना में फहीम हाउस के मकान से होते हुए किड्स विला स्कूल तक सड़क एवं नाला सुधार कार्य	15.05.2013	28.12.2012	28.02.2013	15.23
7.	वार्ड-55, जोन-3 में मकान संख्या 128/96 से मकान संख्या 116, 128/69 आदि का सड़क सुधार	03.05.2013	03.01.2013	22.03.2013	18.81
8.	वार्ड-45, जोन-6 में रवि शुक्ला के मकान से सुरेश आनन्द के मकान तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य	22.03.2013	04.01.2013	04.03.2013	15.15
9.	वार्ड-35, जोन-5 जुहीखुर्द में लेन का निर्माण	28.05.2013	18.02.2013	25.02.2013	07.82
10.	वार्ड-77, जोन-2 के मकान संख्या ई-765, ई ब्लॉक से अग्रवाल अपार्टमेंट तक सी.सी. रोड का सुधार कार्य	10.05.2013	12.03.2013	11.04.2013	01.52
11.	वार्ड-70, जोन-2 में मनोज प्रोविजन जनरल स्टोर के निकट मकान संख्या-39 से खेल घर अप्रोच रोड तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का सुधार कार्य	24.06.2013	12.03.2013	11.05.2013	05.56
12.	वार्ड-81, जोन-3 देहली सुजानपुर में सड़क सुधार एवं गली में इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य	05.02.2014	13.03.2013	11.05.2013	06.93
13.	वार्ड-98, जोन-5 में मकान संख्या 26-55 एवं 43-149 से ई-ब्लॉक पर इंटरलाकिंग का निर्माण	28.02.2014	13.03.2013	02.01.2014	03.98
14.	वार्ड-97, जोन-1 में विभिन्न स्थानों पर गली का सुधार	21.07.2013	14.03.2013	13.04.2013	00.86
15.	वार्ड-103, जोन-1 में पानी के बहाव के निस्तारण हेतु एस.डब्लू एवं पाईप बिछाने तथा आंतरिक लेन का सुधार	10.09.2013	18.03.2013	17.05.2013	05.69
16.	वार्ड-33, जोन-5 रतनपुर में नाला पुलिया का निर्माण	18.07.2013	18.03.2013	31.05.2013	00.66
17.	वार्ड-105, जोन-1 में सड़क सुधार	26.04.2013	19.03.2013	18.04.2013	01.54
18.	वार्ड-71, जोन-2 में नंदा के मकान से टटिया गाँव में यादव जनरल स्टोर तक सड़क एवं नाली का सुधार	25.06.2013	23.03.2013	27.05.2013	10.97

19.	वार्ड-26, जोन-3 में खदेपुर कालोनी चौराहा से शिवाजी इंटर कालेज तक नाला का निर्माण	06.08.2013	23.03.2013	21.05.2013	43.94
20.	वार्ड-71, जोन-2 में जी.टी. रोड गाँधी ग्राम होते हुए त्रिमूर्ति मंदिर से बउआ जनरल स्टोर एवं तनु भवन बाई पास से सूर्य प्रकाश मकान संख्या-77/41 तक सड़क सुधार कार्य	02.06.2013	28.03.2013	27.05.2013	68.57
21.	जोन-2 में जाजमऊ पर पेच कार्य के लिए सामग्री की आपूर्ति	20.01.2014	15.04.2013	29.04.2013	01.00
22.	वार्ड-24, जोन-3 में वेंडी स्कूल से किदवई नगर थाना तक नाला सफाई	19.11.2013	29.04.2013	28.05.2013	00.87
23.	वार्ड-24, जोन-3 में जागरण स्कूल से जरौती तक कलवर्ट के नीचे तक नाला सफाई	25.02.2014	01.05.2013	30.05.2013	01.37
24.	वार्ड-25, जोन-3 किदवई नगर थाना से राखी मंडी तक नाला सफाई	19.11.2013	01.05.2013	30.05.2013	00.97
25.	वार्ड-64, जोन-5 में हवेली गेस्ट हाउस से बम्बा रोड वाया नजीराबाद थाना तक नाला सफाई	10.10.2013	10.05.2013	26.06.2013	00.80
26.	वार्ड-38, जोन-5 में बैंक आफ बड़ौदा से बसंत गेराज वाया गोल्ड स्पार्ट तक नाला सफाई	25.09.2013	10.05.2013	20.06.2013	00.50
27.	वार्ड-62, जोन-5 में बर्गा गाँव से राजा का हाता तक नाला सफाई	25.09.2013	10.05.2013	20.07.2013	00.50
28.	वार्ड-55, जोन-3 में बीमा चिकित्सालय से साई बाबा मन्दिर तक नाला सफाई	19.11.2013	30.05.2013	29.06.2013	00.85
29.	वार्ड-64, जोन-5 में मकान संख्या 104 से दुर्गेश्वरी मन्दिर तक क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण	11.02.2014	11.06.2013	10.07.2013	00.63
30.	वार्ड-62, जोन-5 में मकान संख्या 775 से मकान संख्या 297, बी. ब्लॉक तक सड़क का सुधार	29.11.2013	15.06.2013	09.11.2013	09.86
31.	वार्ड-3, जोन-5 में दादा नगर क्रासिंग से आज्ञाद क्रासिंग तक सड़क सुधार	24.03.2014	15.06.2013	15.03.2014	02.61
32.	वार्ड-58, जोन-3 बसन्त विहार पुराना नौबस्ता में मकान संख्या 275/44 से 275/41 तक लिंग रोड का सुधार	23.08.2013	17.06.2013	15.08.2013	04.53
33.	वार्ड-24, जोन-3 फुटपाथ एवं नाली का निर्माण	10.01.2014	17.06.2013	15.08.2013	04.43
34.	वार्ड-64, जोन-5 में बबुनी महेश्वरी से मालकी नगर रोड तक सड़क सुधार	13.01.2014	20.06.2013	26.12.2013	07.48
35.	वार्ड-64, जोन-5 स्वराज नगर में मकान संख्या 100 से 1020 बी तक सड़क का सुधार	17.10.2013	20.06.2013	30.08.2013	04.07
36.	वार्ड-74, जोन-5 में मकान संख्या ए. 303 से ए 318 तक सड़क मरम्मत का कार्य	10.03.2014	20.06.2013	20.01.2014	02.01
37.	वार्ड-74, जोन-5 रविदास पुरम गुजैनी में मकान संख्या ए. 329 से ए. 382 तक इंटरलाकिंग का सुधार	25.03.2014	20.06.2013	10.01.2014	02.61
38.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/21 से 76/36 तक पानी की पाईप बिछाने एवं गली सुधार कार्य	20.11.2013	22.06.2013	21.07.2013	01.73
39.	वार्ड-95, जोन-2 में सड़क का सुधार	19.02.2014	03.07.2013	18.08.2013	02.91
40.	वार्ड-80, जोन-3 मकान संख्या एम.आई.जी. 20 से 143 बर्गा-2 में फुटपाथ का सुधार	07.02.2014	04.07.2013	02.09.2013	06.44
41.	वार्ड-31, जोन-3 में मकान संख्या 130/556, बाकरगंज के सामने नाली एवं सड़क का सुधार	10.01.2014	04.07.2013	03.08.2013	01.43

42.	सर्विस लेन का सुधार	25.11.2013	04.07.2013	02.09.2013	03.83
43.	वार्ड-55, जोन-3 में मकान संख्या 128/230 से मकान संख्या 128/357 तक साईड पट्टी एवं इंटरलाकिंग टाइल्स का सुधार	19.12.2013	09.07.2013	02.09.2013	06.98
44.	वार्ड-80, जोन-3 विश्व बैंक कालोनी बर्रा में मकान संख्या सी.-576 से सी.-591 तक सड़क एवं नाली का सुधार	06.12.2013	18.07.2013	17.08.2013	02.13
45.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/484 से 76/515 तक पानी का पाईप बिछाने एवं गली का सुधार	21.10.2013	22.07.2013	26.07.2013	00.99
46.	वार्ड-85, जोन-1 में 76/455 में पानी का पाईप बिछाने एवं गली का सुधार	21.10.2013	22.07.2013	26.07.2013	00.99
47.	वार्ड-44, जोन-2 में लाली प्रोविसिनल स्टोर से राजेश एवं अन्य तक सड़क एवं नाली का सुधार	09.10.2013	05.08.2013	06.09.2013	03.79
48.	वार्ड-62, जोन-5 बर्रा-8 में मकान संख्या ई-495 से ई-506 तक लेन का सुधार	10.12.2013	13.08.2013	10.09.2013	00.99
49.	वार्ड-62, जोन-5 बर्रा-8 में मकान संख्या ई-565 से ई-576 तक लेन का सुधार	10.12.2013	13.08.2013	08.09.2013	00.99
50.	वार्ड-74, जोन-5 में मकान संख्या एल.आई.जी.-95 के पास से गुजैनी तक आंतरिक सड़क का सुधार	31.12.2013	18.08.2013	17.09.2013	00.99
51.	मकान संख्या एल.आई.जी.-84 के निकट लेन का सुधार	30.12.2013	18.08.2013	17.09.2013	00.99
52.	जोन-4 में रामबाग डंप पर स्टोन ग्रेट, स्टोन ब्लास्ट एवं स्टोन डस्ट की आपूर्ति	23.09.2013	27.08.2013	11.09.2013	00.99
53.	वार्ड-55, जोन-3 बीमा चिकित्सालय से फहीम हाउस तक गहरी नाली का निर्माण	02.01.2014	09.09.2013	08.10.2013	04.48
54.	जोनल आफिस जोन-3 में कमरे का मरम्मत	19.12.2013	09.09.2013	08.10.2013	01.48
55.	वार्ड-75, जोन-3 अलीतगंज कालोनी, बाबुपुरवा में अम्बेडकर पार्क की पेंटिंग	02.09.2013	10.09.2013	09.08.2013	00.13
56.	वार्ड-38, जोन-5 एन.एन.कांजी हाउस में सबमर्सिबल पंप की अधिस्थापना	31.12.2013	13.09.2013	12.10.2013	00.70
57.	वार्ड-95, जोन-2 में 155-174 बी. से होटल चाँद बाबू तक इंटर लाकिंग टाइल्स का सुधार	21.01.2014	19.09.2013	17.11.2013	05.01
58.	वार्ड-109, जोन-1 में दीपू जयसवाल के मकान से मकान संख्या 71/132 तक सीवर लाईन का निर्माण एवं नवीनीकरण	08.01.2014	25.09.2013	25.12.2013	01.40
59.	वार्ड-95, जोन-2 में ईदगाह के सामने नाली की आर. सी.सी. ढक्कन का निर्माण	20.01.2014	28.09.2013	15.10.2013	00.24
60.	वार्ड-43, जोन-4 में पोस्टमार्टम हाउस के पास कूड़ादान पटल का निर्माण	31.12.2013	07.10.2013	06.11.2013	01.49
61.	वार्ड-5, जोन-4 खटिकाना, बरातशाला चौक में आंतरिक नाली की मरम्मत कार्य	21.11.2013	07.10.2013	06.11.2013	00.98
62.	वार्ड-11, जोन-4 में जी.टी.रोड डी.के. ढाल के सामने कूड़ा प्लेट फार्म का निर्माण	30.12.2013	07.10.2013	06.11.2013	03.57
63.	ए 2 जेड आफिस कम्युनिटी सेंटर, आलू मंडी, किदवई नगर के सामने फर्श का निर्माण	10.02.2014	08.10.2013	07.11.2013	06.57
64.	वार्ड-69, जोन-5 में मकान संख्या जी.-50 से मल्होत्रा के मकान तक सड़क का सुधार	02.01.2014	10.10.2013	16.12.2013	00.96

65.	वार्ड-52, जोन-5 में मकान संख्या 88/ई/49 के सामने फुटपाथ का सुधार	06.01.2014	10.10.2013	16.10.2013	00.99
66.	वार्ड-52, जोन-5 में माताजी पार्क पर छतरी का निर्माण	25.10.2013	10.10.2013	16.10.2013	00.90
67.	वार्ड-81, जोन-3 में 492 से 476, 448 से 436 एवं 450 से 456 तक सड़क एवं नाली का सुधार	04.02.2014	11.10.2013	09.12.2013	09.14
68.	वार्ड-86, जोन-2 में कूड़ा निस्तारण स्थल का निर्माण	03.01.2014	11.10.2013	09.11.2013	05.17
69.	इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य	23.12.2013	11.10.2013	25.10.2013	00.97
70.	इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार	25.01.2014	14.10.2013	12.12.2013	11.24
71.	जोन-5 में रतन इन्टर कालेज में किचेन का निर्माण	25.10.2013	17.10.2013	23.10.2013	00.95
72.	बाबू राम के मकान से रवि किशन के मकान तक सड़क, नाली एवं इंटरलाकिंग टाइल्स का सुधार	27.01.2014	11.12.2013	24.01.2014	04.56
73.	वार्ड-47, जोन-5 में दीवाल का निर्माण	04.01.2014	18.12.2013	24.12.2013	01.41
74.	वार्ड-24, जोन-3 में दीप सिनेमा तिराहा से गौशाला चौराहा तक सड़क पेंच कार्य	23.01.2014	08.01.2014	14.01.2014	09.86
75.	वार्ड-41, जोन-4 में 104-ए, एन.एन. कालोनी बजरिया थाना पर नाली की पाईप एवं इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य	25.02.2014	07.10.2014	20.02.2014	04.58
योग					514.81 अर्थात् 5.15 करोड़

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

परिशिष्ट-4.1.16

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.9.2; पृष्ठ)

प्रेषक प्राप्ति चालान प्राप्त किये बिना किये गये बिटुमिन भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रयुक्त (50 मिमी.) बिटुमिनस मैकेडम (मीट्रिक टन में)	दर/ मीट्रिक टन (₹ में)	व्यय (₹ लाख में)	प्रयुक्त (25 मिमी.) सेमी डेन्स बिटुमिन कंक्रीट (मीट्रिक टन में)	दर/ मीट्रिक टन (₹ में)	व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वार्ड-61, जोन-6 में गुरुनानक गर्ल्स कालेज से कानपुर मेडिकल सेन्टर चिकित्सालय, लाजपत नगर तक सड़क एवं नाले का सुचारु कार्य (228/ए.ए.-6/2009-10)	610.00	2,730	16.65	322.35	3,414	11.01
2.	वार्ड-63, जोन-6 नौ नम्बर रेलवे क्रासिंग से दस नम्बर रेलवे क्रासिंग (गुरुदेव सिनेमा) शारदा नगर में सड़क एवं नाले का सुधार कार्य (227/ए.ए.-6/2009-10)	505.92	2,730	13.81	269.40	3,414	09.19
3.	वार्ड-27, जोन-6 में चेन फैक्ट्री क्रासिंग से कालपी रोड तक सड़क सुधार कार्य (291/ए.ए.-6/2009-10)	205.18	2,730	05.60	100.74	3,414	03.78
4.	वार्ड-73 एवं 74, जोन-5 बर्बा-4 में ट्रांसफार्मर से बाईपास तक सड़क सुधार कार्य (338/ए.ए.-5/2010-11)	404.70	2,730	11.05	247.05	3,414	08.43
5.	वार्ड-34, जोन-6 सर्वोदय नगर में रेवमोती से नरेन्द्र मोहन सेतु जागरा रोड लेबर कमिश्नर कार्यालय होते हुये हाट मिक्स प्ला.ट द्वारा सेतु के दोनों तरफ सड़क सुधार कार्य (160/ए.ए.-6/2010-11)	629.29	2,730	17.18	328.98	3,414	11.23
6.	वार्ड-62, जोन-5 में बर्बा बाई पास से अंधाकुआँ तक सड़क सुधार कार्य (424/ए.ए.-5/2011-12)	501.26	3,108	15.58	259.00	4,010	10.39
7.	वार्ड-34, जोन-6 सर्वोदय नगर में आर.टी.ओ. आफिस रोड से काकादेव क्रासिंग एवं रामचर.ा मौर्या से पाण्डुनगर सोसायटी धर्मशला रोड होते हुए सड़क सुधार कार्य (97/ए.ए.-6/2011-12)	630.00	2,730	17.20	330.46	3,414	11.28
8.	वार्ड-77, जोन-2 श्याम नगर में पी.ए.सी. रोड मकान संख्या 33 से 336 तक 18 मीटर एवं 12 मीटर आंतरिक सड़क एवं नाले की मरम्मत (86/ए.ए.-2/2012-13)	775.61	3,108	24.11	431.62	4,010	17.31
9.	वार्ड-42, जोन-6 आवास विकास योजना-III में च्वाईस टेलर से गजानन स्कूल होते हुये पक्की कैनाल रोड तक सड़क एवं नाले का सुधार कार्य (215/ए.ए.-6/2012-13)	160.75	3,108	04.99	85.55	4,010	03.43
10.	वार्ड-45, जोन-6 नवाबगंज में रवि शुक्ला सडवेकेट के मकान से सुरेशानन्द दिमारी के मकान तक सड़क, नाला एवं फुटपाथ का सुधार कार्य (216/ए.ए. 6/2012-13)	158.10	3,108	04.91	83.90	4,010	03.36
11.	वार्ड-71, जोन-2 में गाँधी ग्राम जी.टी.रोड त्रिमूर्ति मन्दिर से बउवा जनरल स्टोर एवं तनुभवन बाईपास से सूर्य प्रकाश के मकान संख्या 77/41 तक सड़क, नाला एवं फुटपाथ का सुधार कार्य (81/ए.ए.-2/2012-13)	684.00	3,108	21.26	359.00	4,010	14.40
		5,264.81		152.34	2,818.05		103.81
		कुल योग (5+8) ₹ 256.15 लाख		₹ 2.56 करोड़			

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.17

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.11.1; पृष्ठ)

अ— यूजर चार्जेज की कम वसूली हेतु रोकी जाने वाली धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

अवधि (माह)	यूजर चार्जेस की मासिक अनुमन्य सीमा	अवधि के यूजर चार्जेस संकलन का लक्ष्य	वास्तविक संकलन	कमी/फर्म को भुगतान से रोकी जाने वाली धनराशि
नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 (2)	38.79	77.58	05.27	72.31
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 (12)	38.79	465.48	485.86	अवधि के दौरान यूजर चार्जेज वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 (12)	51.72	620.64	753.73	अवधि के दौरान यूजर चार्जेज वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 (12)	64.65	775.80	267.69	508.11
जनवरी 2014 से जून 2014 (6)	64.65	387.90	200.02	187.88
कुल योग				768.30 अर्थात् ₹ 7.68 करोड़

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

ब—कानपुर नगर निगम द्वारा जुर्माना अधिरोपित न किये जाने का विवरण

अवधि (दिन)	अवधि के लिये आवश्यक निश्चित सीमा तक जनित अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	वास्तविक परिवहन की गयी नगरीय ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	कम परिवहन किया गया नगरीय ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	परिवहन की दर (मीट्रिक टन में)	जुर्माने की धनराशि देय टिपिंग शुल्क का 50 प्रतिशत (लाख ₹ में)
नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 (61)	73,200	30,476.62	42,723.38	456	97.41
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 (365)	4,38,000	3,85,021.79	52,978.21	456	120.79
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 (365)	4,38,000	3,72,221.70	65,778.30	456	149.97
जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 (304)	3,64,800	1,70,794.13	1,94,005.87	456	442.33
नवम्बर 2013 से दिसम्बर 2013 (61)	73,200	39,869.39	33,330.61	479	79.83
जनवरी 2014 से मई 2014 (151)	1,81,200	80,406.42	1,00,793.58	479	241.40
कुल योग					1,131.73 अर्थात् ₹ 11.32 करोड़

(स्रोत—कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.18

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.11.3; पृष्ठ)

अपूर्ण सीवरेज परियोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम/ कार्यदायी संस्था	स्वीकृत वर्ष/पूर्ण किये जाने का निर्धारित समय	स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत (पुनरीक्षित वर्ष के साथ)	निर्गत धनराशि/व्यय	भौतिक प्रगति
1.	भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन/उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत अनुमोदित 210 मिलियन लीटर प्रति दिन क्षमता की बिनगवा स्थित सीवेज शोधन संयंत्र।	अक्टूबर 2008/ फरवरी 2011	₹ 101.45 करोड़/ ₹ 141.96 करोड़ (मार्च 2011)	₹ 141.45 करोड़ ₹ 126.00 करोड़ (अगस्त 2014)	89 प्रतिशत
2.	भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन/उ.प्र. जल निगम के अन्तर्गत अनुमोदित सीवेज परियोजना (जनपद IV भाग-III) जिसमें 42 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता की सीवेज शोधन संयंत्र शामिल है।	फरवरी 2009/ फरवरी 2012	₹ 207.36 करोड़/ ₹ 245.74 करोड़ (जून 2014)	₹ 155.52 करोड़/ ₹ 138.68 करोड़ (अगस्त 2014)	80 प्रतिशत
3.	भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन/उ.प्र. जल निगम के अन्तर्गत अनुमोदित कानपुर के अतिरिक्त पुराने इलाके में सीवेज कार्य (भाग-1) जिसमें 43 मिलियन लीटर प्रतिदिन एवं 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता की सीवेज शोधन संयंत्र शामिल है।	दिसम्बर 2007/ दिसम्बर 2010	₹ 190.88 करोड़	₹ 190.88 करोड़/ ₹ 190.85 करोड़ (अगस्त 2014)	85 प्रतिशत

(स्रोत: उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रखण्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.19

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.12.1; पृष्ठ)

अपूर्ण पेय जल परियोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम/कार्यदायी संस्था	स्वीकृति वर्ष/पूर्ण किये जाने का निर्धारित समय	स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत (पुनरीक्षित वर्ष सहित)	निर्गत धनराशि/कम	भौतिक प्रगति
1	भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना, आंतरिक पुराने शहर के इलाके (फेज-1)/उत्तर प्रदेश जल निगम।	अक्टूबर 2007 / अक्टूबर 2010	₹ 270.95 करोड़ ₹ 340.80 करोड़ (दिसम्बर 2010) पुनः पनरीक्षित (मई 2014) ₹ 393.93 करोड़	₹ 340.80 करोड़ ₹ 317.70 करोड़ (जून 2014)	81 से 98 प्रतिशत विभिन्न कार्यों में
2	भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत कानपुर शहर के शेष भाग (फेज-2)/उत्तर प्रदेश जल निगम।	जनवरी 2009 / जनवरी 2012	₹ 393.93 करोड़ ₹ 475.15 करोड़ (दिसम्बर 2011)	₹ 475.15 करोड़ ₹ 355.21 करोड़ (जून 2014)	25 से 96 प्रतिशत विभिन्न कार्यों में

(स्रोत: उत्तर प्रदेश जल निगम प्रखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.20

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.12.2; पृष्ठ)

अक्रियाशील चिकित्सालयों/औषधालयों का विवरण

क्र० सं०	चिकित्सालयों/औषधालय का नाम	अक्रियाशील रहने की अवधि
1.	नवाबगंज ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी	2009-10
2.	बिराहना रोड ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी	2009-10
3.	कलैक्टरगंज प्रसूति केन्द्र	2009-10
4.	नवाबगंज प्रसूति केन्द्र	2009-10
5.	धहनकुट्टी प्रसूति केन्द्र	2009-10
6.	कालपी रोड प्रसूति/जच्चा बच्चा केन्द्र	2009-10
7.	नेहरू नगर प्रसूति केन्द्र	2009-10
8.	कृष्णा नगर प्रसूति केन्द्र	2009-10
9.	दर्शन पुरवा प्रसूति केन्द्र	2009-10
10.	महेश्वरी मोहाल सूटरखाना, आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
11.	सूटरगंज आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
12.	चमनगंज आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
13.	जूही खुर्द आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
14.	बाबू पुरवा आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
15.	मछरिया आयुर्वेदिक औषधालय	2009-10
16.	अनवरगंज होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
17.	गीतानगर होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
18.	हरी कालोनी आयुर्वेदिक औषधालय गोविन्दनगर	2009-10
19.	मोती मोहाल होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
20.	कांघी मोहाल (बांस मंडी) होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
21.	रायपुरवा होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
22.	विजय नगर होम्योपैथिक औषधालय	2009-10
23.	बर्रा आयुर्वेदिक औषधालय	2010-11
24.	शास्त्रीनगर आयुर्वेदिक औषधालय	2013-14

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.21

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.12.5; पृष्ठ)

पार्कों पर अवैध रूप से निर्मित स्थायी संरचनाओं (यथा धार्मिक स्थल) का विवरण

क्र० सं०	पार्क का नाम	मोहल्ले का नाम
1	रज्जन बाबू हटिया पार्क	हटिया
2	आनन्द बाग पार्क	आनन्द बाग
3	एल आई सी पार्क	सी-ब्लाक, श्याम नगर
4	लेफ्टिनेंट मेजर तलवार पार्क	कृष्णा पुरम
5	शिवाजी पार्क	आनंद पुरी
6	राधामाधव पार्क	के-ब्लाक, किदवई नगर
7	रामेश्वर पार्क	के-ब्लाक, किदवई नगर
8	कल्याणेश्वर पार्क	डब्ल्यू-ब्लाक, केशव नगर
9	गणेश पार्क	गांधी नगर
10	फूल वाली बडी पार्क	खलासी लाइन्स
11	काली मटिया पार्क	स्वरूप नगर
12	घंटा घर पार्क	स्वरूप नगर
13	तकिया पार्क	प्रेम नगर
14	सब्जी मंडी पार्क	13 ब्लाक, गोविंद नगर
15	दुर्गा मन्दिर पार्क	दबौली
16	माडल टाउन बडी पार्क	पाण्डव नगर
17	दुर्गा मन्दिर तिकोनिया पार्क	लाजपत नगर

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.22

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.13; पृष्ठ)

कानपुर नगर निगम में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण जून 2014 तक

क्र० सं०	पदों का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	आधिक्य
1.	अपर नगर आयुक्त	02	.	02	-
2	उप नगर आयुक्त	05	02	03	-
3	सहायक नगर आयुक्त	06	01	05	-
4	अनुभाग अधिकारी	04	01	03	-
5.	कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक	06	.	06	-
6	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	01	01	.	-
7	अधिशाली अभियन्ता (सिविल)	05	04	01	-
8	सहायक अभियन्ता (सिविल)	11	07	04	-
9	अवर अभियन्ता (सिविल)	58	35	23	-
10	अधिशाली अभियन्ता (यातायात)	01	01	.	-
11	सहायक अभियन्ता (यातायात)	01	01	.	-
12	अवर अभियन्ता (यातायात)	01	.	01	-
13	मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	01	01	.	-
14	अधिशाली अभियन्ता (विद्युत)	02	02	.	-
15	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	03	01	02	-
16	पर्यावरण अभियन्ता	01	01	.	-
17	जोनल स्वास्थ्य अधिकारी	05	04	01	-
18	मुख्य सफाई एव खाद्य निरीक्षक	07	06	01	-
19	सफाई एव खाद्य निरीक्षक	42	34	08	.
20	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	01	01	.	.
21	कर निर्धारण अधिकारी	02	05		03
22	अधीक्षक	07	07	.	.
23	कर अधीक्षक (श्रेणी-1)	90	03	87	.
24	मुख्य नगर लेखा परीक्षक	01	01	.	.
25	नगर लेखा परीक्षक	10	01	09	.
26	सहायक लेखापरीक्षक	17	05	12	.
27	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01	.	.
28	लेखाधिकारी	01	01	.	.
29	सहायक लेखाधिकारी	01	.	01	.
30	लेखाकार (श्रेणी-1)	06	05	01	.
31	लेखाकार (श्रेणी-2)	14	12	02	.
32	उद्यान अधीक्षक	03	02	01	.

33	पशु चिकित्सक (श्रेणी-1)	01	.	01	.
34	सहायक निदेशक सी सी	01	01	.	.
35	सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक	01	01	.	.
36	द्वितीय श्रेणी लिपिक	204	120	84	.
37	अमीन/जिलेदार	17	04	13	.
38	आशुलिपिक	05	02	03	.
39	प्रकाश निरीक्षक	08	02	06	.
40	विधि अधिकारी	01	.	01	.
41	ड्राफ्ट मैन	06	01	05	.
42	कैमिस्ट	01	01	.	.
43	फोरमेन (कार्यशाला)	06	02	04	.
44	इलेक्ट्रिशियन	10	02	08	.
45	कम्प्यूटर आपरेटर	21	18	03	.
46	सहायक अध्यापक (संगीत) वरिष्ठ वेतनमान	02	01	01	.
47	नृत्य अध्यापिका	01	01	.	.
48	सहायक अध्यापिका (संगीत) जूनियर ग्रेड	05	04	01	.
49	वाहन चालक	113	67	46	.
50	संगीतकार	02	01	01	.
51	ट्रेसर	09	05	04	.
52	विद्युत/यांत्रिक ड्राफ्टमैन	01	.	01	.
53	कम्पाउन्डर (पशु चिकित्सा)	02	.	02	.
54	फोरमेन (प्रेस)	01	.	01	.
55	प्रथम श्रेणी लिपिक	119	61	58	.
56	सहायक लेखाकार (अकेन्द्रीय)	43	32	11	.
57	कर निरीक्षक (श्रेणी-2)	104	47	57	.
58	द्वितीय श्रेणी लिपिक	51	48	03	.
59	रोकड़िया	01	.	01	.
60	सहायक रोकड़िया	01	.	01	.
61	प्रकाश अधीक्षक	03	.	03	.
62	व्यक्तिक सचिव	02	02	.	.
63	रिपोर्टर	02	.	02	.
64	नक्शा अधीक्षक	01	01	.	.
65	मैकेनिक	02	.	02	.
66	वरिष्ठ इलेक्ट्रिशियन	01	.	01	.
67	नायब मोहररि	37	29	08	.
68	प्रूफ रीडर	01	01	.	.
69	सहायक मशीन मैन	02	01	01	.
70	बुक बाइन्डर	02	.	02	.
71	नम्बरिंग मैन	01	.	01	.

72	बढ़ई	10	01	09	.
73	हैमर मैन	11	06	05	.
74	टर्नर	02	.	02	.
75	फिटर	58	12	46	.
76	क्लीनर	58	42	16	.
77	लाईनमैन	49	12	37	.
78	स्विचमैन	314	268	46	.
79	ब्लू प्रिंटर	02	.	02	.
80	माली	287	141	146	.
81	गैंग मैन	139	49	90	.
82	बेलदार	448	216	232	.
83	सुपरवाईजर	38	15	23	.
84	सफाई नायक	184	179	05	.
85	चपरासी	698	597	101	.
86	जल्लाद	19	13	06	.
87	लोहार	02	.	02	.
88	टिन स्मिथ	02	.	02	.
89	वेल्डर	02	.	02	.
90	मोल्डर	02	.	02	.
91	लाइटिंग मिस्त्री	02	.	02	.
92	मेट	55	15	40	.
93	सीनियर लाइन मैन	01	.	01	.
94	दफ्तरी/जमादार	41	02	39	.
95	प्रधान माली	18	02	16	.
96	कम्पोजिटर	06	.	06	.
97	कापी होल्डर	01	.	01	.
98	मशीन मैन	04	.	04	.
योग		3,560	2,171	1,392	03

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची)

परिशिष्ट – 4.1.23

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या-4.1.13; पृष्ठ)

वर्ष 2009-14 की अवधि में वाहन क्रय हेतु गठित अनुबन्धों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुबन्ध की तिथि	वाहन का नाम (मात्रा)	ठेकेदार का नाम	संविदा / आपूर्ति आदेश की धनराशि	आपूर्ति की प्रस्तावित तिथि / आपूर्ति की तिथि	विक्रय बीजक का मूल्य
1	07-01-2011	महिन्द्रा बोलेरो जीप, माडल यू.एल. एम्स सी आर डी.ई.बी. एस-IV (03) जीप साफ्ट टाप कमान्डर 650 यूरो-3 (01)	मेसर्स जैन मोटर्स कानपुर	27.15	उपलब्ध नहीं /06-01-2011	27.20
2	21-02-2011	आयशर 10.75 केबिन एवं चेचिस 3,515 एम.एम.डब्ल्यू.बी. 7,450 किलोग्राम जी.वी.एम. (03)	मेसर्स वी.ई. कामर्शियल वेहिकिल्स लिमिटेड गुडगाँव	20.01	03-04-2011/ 31-03-2011	20.01
3	28-03-2011	स्पीड क्राफ्ट रोड रोलर माडल डी. पी.आर.-10, 8-10 टन (2)	मेसर्स स्पीड क्राफ्ट लिमिटेड, पटना	20.29	23-04-2011/ 08-06-2011	20.48
4	29-03-2011	आयशर 20.16 केबिन एवं चेचिस 4,300 मिलीमीटर, डब्लू .बी. 16,200 किलोग्राम जी.वी.एम. (01)	मेसर्स वी.ई. कामर्शियल वेहिकिल्स लिमिटेड, गुडगाँव	10.59	04-05-2011/ उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	26-09-2011	जे.सी.बी. रोबोट 135, 6-आई.एन.-1 लोडर बेट सहित (01)	मेसर्स एलायन्स इन्डस्ट्रियल मार्केटिंग लखनऊ	20.19	24-10-2012/ 05-10-2012	20.19
6	26-09-2011	जे.सी.बी.वी.एम.टी. 860 रेन्डम वाइब्रेटरी रोड रोलर/काम्पेक्टर (01)	मेसर्स एलायन्स इन्डस्ट्रियल मार्केटिंग लखनऊ	26.00	24-10-2012/ 08-10-2012	26.00
7	उपलब्ध नहीं	1.4 एल. एक्स. आई. फियेस्टा क्लासिक डीजल (01)	मेसर्स स्वार्न कार्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर	07.26	29-06-2012/ 28-06-2012	07.26
8	उपलब्ध नहीं	एम्बेस्डर कार ग्रान्ड (एम.पी.एफ. आई.) 1800(01)	मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कोलकाता	04.72	07-01-2010/ उपलब्ध नहीं	04.72
9	04-10-2012	वैक्यूम रोड स्वीपर (02)	मेसर्स टी.पी.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली	91.65	उपलब्ध नहीं /31-12-2012	91.65
10	04-10-2012	नाला सफाई मशीन (02)	मेसर्स काम अविदा इनवायर्स इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे	103.02	04-12-2012/ 19-02-2013	103.02
11	08-10-2012	सीवर सैटिंग कम सक्शन मशीन/ एस.जे.एम. (01) टाटा 1613 एल.पी. टी. इक्वीलैन्ट चेचिस केबिन एवं व्हील बेस सहित 4,800 मिली मीटर चेचिस (01)	मेसर्स ऊषा इंजिनियरिंग, गाजियाबाद	31.74	08-12-2012/ 17-01-2013 एस.जे.एम. 08/12/2012/ उपलब्ध नहीं (टाटा 1613 एल.पी.टी.)	18.82 एस.जे.एम. उपलब्ध नहीं (टाटा 1613 एल.पी.टी.)
योग		20		362.62 अर्थात् ₹ 3.63 करोड़		339.35 अर्थात् ₹ 3.39 करोड़

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.24

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.13; पृष्ठ)

जुलाई 2014 के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति का विवरण

अवधि	फोरमैन			मैकेनिक			फिटर मैन			वाहन चालक		
	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	कमी (प्रतिशत)
2009-10	06	02	04 (67)	17	01	16 (94)	58	12	46 (79)	113	67	46 (41)
2010-11	06	02	04 (67)	17	01	16 (94)	58	12	46 (79)	113	67	46 (41)
2011-12	06	02	04 (67)	17	00	17 (100)	58	11	47 (81)	113	67	46 (41)
2012-13	06	02	04 (67)	17	00	17 (100)	58	10	48 (83)	113	62	51 (45)
2013-14	06	02	04 (67)	17	00	17 (100)	58	10	48 (83)	113	62	51 (45)

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.25

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.14; पृष्ठ)

वर्ष 2009-14 की अवधि में नहीं बनाये गये/अव्यवस्थित रखरखाव वाले अभिलेखों का विवरण

क्र0 सं0	प्राधिकार (लेखा नियमावली 1960)	प्रोफार्मा की संख्या जिसमें अभिलेख बनाये जाने थे	अभिलेखों का नाम जो नहीं बनाये गये	अव्यवस्थित अभिलेखों का नाम	अभियुक्तियाँ
1.	नियम-7	01	—	सामान्य रोकड़ बही	चेक/ड्राफ्ट/आन लाइन लेनदेन दर्ज नहीं किये गये।
2.	नियम-11	04	विभागीय रोकड़ बही (कर विभाग को छोड़कर)	—	—
3.	नियम-20	15	रोकड़िया द्वारा कर संग्रहक से जमा कर, की जमा रसीद जारी करना	—	—
4.	नियम-21	16	जोनल कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन संग्रह किये गये करों का विवरण	—	—
5.	नियम-42(2)	29	फर्म/ठेकेदारों के व्यक्तिगत लेजर, खाते जो नियमित लेनदेन करते हैं	—	—
6.	नियम-52	30	कर्मचारियों को दिये जाने वाले अस्थाई अग्रिमों की पंजिका	—	—
7.	नियम-54	31	कर्मचारियों के स्थाई अग्रिम करना	—	—
8.	नियम-57 (अ)	33	—	अस्थाई अग्रिम पंजिका	अग्रिम के भुगतान/समायोजन की प्रविष्टियाँ नहीं की गयी थी।
9.	नियम-63	39	ऋण पंजिका	—	—
10.	नियम-65	41	शासकीय अनुदान पंजिका	—	—
11.	नियम-66	42	निवेश पंजिका	—	—
12.	नियम-67	43	जमा पंजिका	—	—
13.	नियम-71	44 एवं 45	वाद/डिक्री पंजिका, न्यायालय डिक्री पंजिका	—	—
14.	नियम-88 (3)	प्रारूप बी-1	कराये गये मूल कार्यों के व्यय	—	—
15.	नियम-88 (3)	प्रारूप पी-4	शासकीय अनुदानों के व्यय विवरण	—	—
16.	नियम-88 (3)	प्रारूप पी-5	विकास योजना का विवरण	—	—

(स्रोत: लेखा नियमावली 1960 एवं कानपुर नगर निगम से एकत्रित सूचनायें)

परिशिष्ट – 4.1.26

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.15; पृष्ठ)

कार्यकारिणी समिति एवं निगम की बैठकों के विलम्ब से निर्गत कार्यवृत्तों का विवरण

क्र० सं०	कार्यकारिणी समिति			निगम		
	बैठक की तिथि	कार्यवृत्त निर्गत करने की तिथि	विलम्ब (दिन)	बैठक की तिथि	कार्यवृत्त निर्गत करने की तिथि	विलम्ब (दिन)
1	11-06-2009	22-06-2009	11	23-05-2009	05-06-2009	13
2	02-09-2009	22-09-2009	20	10-12-2009	13-01-2010	34
3	01-04-2010	20-09-2010	172	23-01-2010	29-01-2010	06
4	13-10-2010	23-10-2010	10	13-12-2010	16-12-2010	03
5	01-11-2010	09-11-2010	08	20-01-2011	24-02-2011	35
6	24-12-2010	07-01-2011	14	25-08-2012	30-08-2012	05
7	17-10-2012	26-10-2012	09	15-12-2012	27-12-2012	12
8	16-01-2013	24-01-2013	08	16-02-2013	21-02-2013	05
9	21-03-2013	30-03-2013	09	27-04-2013	08-05-2013	11
10	14-08-2013	सूचना उपलब्ध नहीं	सूचना उपलब्ध नहीं	10-09-2013	20-09-2013	10
11	25-10-2013	31-10-2013	06			
12	04-03-2014	28-03-2014	24			

(स्रोत: कानपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.27

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.16.1 एवं 4.1.22.1; पृष्ठ)

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों/
नगर पंचायतों की प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त शासकीय अनुदान	अन्य प्राप्ति सहित प्राप्त राजस्व	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम अवशेष
नगर पालिका परिषद, कन्नौज						
2009-10	07.57	05.70	01.42	14.69	11.64	03.05
2010-11	03.05	09.71	02.26	15.02	12.46	02.56
2011-12	02.56	06.65	02.41	11.62	07.58	04.04
2012-13	04.04	14.12	01.19	19.35	10.45	08.90
2013-14	08.90	12.82	01.79	23.51	15.18	08.33
योग	07.57	49.00	09.07	65.64	57.31	08.33
नगर पालिका परिषद, घाटमपुर						
2009-10	00.96	02.18	00.24	03.38	02.04	01.34
2010-11	01.34	02.97	00.26	04.57	03.78	00.79
2011-12	00.79	02.86	00.31	03.96	02.92	01.04
2012-13	01.04	04.17	00.35	05.56	04.78	00.78
2013-14	00.78	08.39	00.33	09.50	06.66	02.84
योग	0.96	20.57	01.49	23.02	20.18	2.84
नगर पालिका परिषद, काँयमगंज						
2009-10	1.49	2.30	0.49	4.28	3.46	0.82
2010-11	0.82	3.31	0.34	4.47	3.92	0.55
2011-12	0.55	3.06	0.36	3.97	3.11	0.86
2012-13	0.86	4.81	0.87	6.54	5.86	0.68
2013-14	0.68	7.00	0.84	8.52	7.69	0.83
योग	1.49	20.48	2.90	24.87	24.04	0.83
नगर पालिका परिषद का योग	10.02	90.05	13.46	113.53	101.53	12.00
नगर पंचायत, तालग्राम						
2009-10	00.05	00.34	00.08	00.47	00.44	00.03
2010-11	00.03	00.80	00.08	00.91	00.50	00.41
2011-12	00.41	00.62	00.08	01.11	01.05	00.06
2012-13	00.06	01.09	00.11	01.26	01.20	00.06
2013-14	00.06	04.02	00.27	04.35	01.91	02.44
योग	00.05	06.87	00.62	07.54	05.10	02.44

नगर पंचायत, तिर्वागंज						
2009-10	00.22	00.91	00.22	01.35	0.22	00.13
2010-11	00.13	01.40	00.22	01.75	01.39	00.36
2011-12	00.36	02.18	00.38	02.92	02.86	00.06
2012-13	00.06	02.52	00.39	02.97	02.49	00.48
2013-14	00.48	04.83	00.25	05.56	03.84	01.72
योग	00.22	11.84	01.46	13.52	11.80	01.72
नगर पंचायत, शिवली						
2009-10	00.03	00.97	00.08	01.08	01.05	00.03
2010-11	00.03	00.69	00.04	00.76	00.67	00.09
2011-12	00.09	01.04	00.06	01.19	01.11	00.08
2012-13	00.08	01.54	00.07	01.69	01.40	00.29
2013-14	00.29	02.67	00.11	03.07	01.73	01.34
योग	00.03	06.91	00.36	07.30	05.96	01.34
नगर पंचायत, अटसू						
2009-10	00.02	01.20	00.13	01.35	01.28	00.07
2010-11	00.07	01.02	00.09	01.18	00.90	00.28
2011-12	00.28	01.09	00.06	01.43	01.05	00.38
2012-13	00.38	01.26	00.07	01.71	00.74	00.97
2013-14	00.97	02.88	00.05	03.90	01.63	02.27
योग	00.02	07.45	00.40	07.87	05.60	02.27
नगर पंचायत, इकदिल						
2009-10	00.04	00.88	00.02	00.94	00.30	00.64
2010-11	00.64	00.87	00.03	01.54	01.16	00.38
2011-12	00.38	01.11	00.04	01.53	01.20	00.33
2012-13	00.33	01.34	00.03	01.70	00.94	00.76
2013-14	00.76	02.41	00.18	03.35	01.98	01.37
योग	00.04	06.61	00.30	06.95	05.58	01.37
नगर पंचायत, कमालगंज						
2009-10	0.15	1.34	0.20	1.69	1.65	0.04
2010-11	0.04	1.48	0.19	1.71	1.46	0.25
2011-12	0.25	2.25	0.20	2.70	2.38	0.32
2012-13	0.32	2.16	0.44	2.92	1.88	1.04
2013-14	1.04	3.75	0.20	4.99	2.19	2.80
योग	0.15	10.98	1.23	12.36	9.56	2.80
नगर पंचायतों का योग	00.51	50.66	4.37	55.54	43.60	11.94

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें)

परिशिष्ट-4.1.28

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.18; पृष्ठ)

म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुमोदन के बिना कराये गए कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	ग्वाल मैदान में श्री हर्ष के मकान से श्री लाल यादव के मकान तक डामर एवं सी.सी. रोड का निर्माण	10.99
2.	जेरकिला में तुलसी उपवन पार्क से श्री लाल यादव के मकान तक डामर तक सी.सी.रोड का निर्माण	5.93
3.	हजीकला में श्री मोहम्मद याकूब के मकान से तैय्यब के मकान तक सड़क एवं नाली का निर्माण	4.90
4.	नवीन ट्यूबवेल से इन्द्रेण द्विवेदी के मकान तक और श्री सन्तोष के मकान से राजकुमार के मकान तक नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण	11.28
5.	बैंक कालोनी देविन्टोला में नाली का निर्माण	1.31
6.	यूसुफपुर में कालीमन्दिर से वासुदेव के मकान तक नाला का निर्माण	24.17
7.	नखासा में श्री पवन अवस्थी के मकान से डा. आर.आर. गुप्ता के मकान तक नाली का निर्माण	0.59
8.	पटखाना में श्री गोविन्द सैनी के मकान से श्री बाबू राम के मकान तक दोनों तरफ नाली का निर्माण	2.66
9.	शेखपुरा में श्री राजेश मिश्रा से लाल मिश्रा के सामने नाली का निर्माण	0.77
10.	शेखपुरा में भोले कुरैशी के मकान से ट्यूबवेल तक नाली का निर्माण	9.23
11.	रानीचाह में पुलिया का निर्माण	9.47
12.	सरायमीरा के वार्ड संख्या-14 चौधरीपुर में श्री मुरारी गुप्ता के मकान से परमेश्वरी दयाल मिश्रा के बाग तक नाला का निर्माण	22.51
13.	सरायमीरा में विभिन्न गलियों की नाली को मुख्य नाले में जोड़ने का कार्य	5.17
14.	पटखाना में श्री कृष्णकान्त अग्निहोत्री के मकान से कांशीराम कालोनी होते हुए जलालपुर रोड तक नाला निर्माण	24.85
15.	बाजारकला में श्री श्याम सिंह की चक्की से राजीव के मकान तक सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण	3.27
16.	बगिया फजल इमाम में गंगा राम के मकान से सन्तोष के मकान तक सी.सी.रोड का निर्माण	3.11
17.	गदनपुर बददु मकरंदपुर में पानी टंकी से श्री राम रतन यादव के प्लॉट से होकर श्री गंगाराम वर्मा के मकान तक सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण	4.18
18.	मलिन बस्ती, कुतुलीपुर में लाला गिहार के मकान से श्री सुनील कुमार के मकान तक सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण	6.68
योग		151.07 लाख अर्थात् ₹ 1.51 करोड़

(स्रोत: नगर पालिका परिषद, कन्नौज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट – 4.1.29

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.21 एवं 4.1.25; पृष्ठ)

वर्ष 2009-14 की अवधि में म्यूनिसिपलिटी की बैठकों का विवरण

इकाई का नाम	मानकों के अनुसार आयोजित किये जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	कमी का प्रतिशत
नगर पालिका परिषद, कन्नौज	60	20	67
नगर पालिका परिषद, घाटमपुर	60	15	75
नगर पालिका परिषद, कायमगंज	60	17	72
नगर पंचायत, तालग्राम	60	38	37
नगर पंचायत, तिर्वागंज	60	50	17
नगर पंचायत, शिवली	60	34	43
नगर पंचायत, अट्सू	24 (2012-14)	08*	67
नगर पंचायत, ईकदिल	60	43	28
नगर पंचायत, कमालगंज	60	18	70

(स्रोत: नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* नगर पंचायत अट्सू द्वारा 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

परिशिष्ट – 4.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2.1; पृष्ठ)

बारहवें वित्त आयोग की प्राप्ति एवं व्यय का वर्षवार विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति	व्यय	अवशेष	प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र
1.	2005-06	3,83,73,000	3,74,11,250	9,61,750	1,91,38,000
2.	2006-07	3,82,94,620	3,73,37,720	9,56,900	1,91,56,620
3.	2007-08	3,83,13,240	2,65,58,301	1,17,54,939	शून्य
4.	2008-09	3,83,13,240	1,36,84,795	2,46,28,445	शून्य
5.	2009-10	3,71,57,824	99,57,938	2,71,99,886	शून्य
	योग	19,04,51,924	12,49,50,004	6,55,01,920	3,82,94,620

(स्रोत : नगर निगम, मेरठ)

परिशिष्ट – 4.2.2

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2.1; पृष्ठ)

जमा एवं समर्पित धनराशियों का विवरण

(₹ लाख में)

जमा करने की तिथि	धनराशि	बैंक/वैयक्तिक लेखा खाता	समर्पण की तिथि	समर्पित धनराशि	योग
16.10.2008	54.72	पंजाब नेशनल बैंक जिमखाना, मेरठ	29.09.2014	633.10	शून्य
23.01.2009	191.57				
04.01.2010	99.11				
09.02.2010	172.88				
उपरोक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज	114.82				
बैंक में जमा धनराशि का योग (क)	633.10			633.10	शून्य
2005-2008 (ख)	136.73	वैयक्तिक लेखा खाता	13.10.2014	101.12	35.61
महायोग (क+ख)	769.83			734.22	35.61

(स्रोत: नगर निगम, मेरठ)